खण्ड-06 सत्र -04 (भाग-02) / अंक-37

बुधवार 24 अगस्त, 2016 / 02 भाद्रपद, 1938 (शक)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

छठी विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(सत्र-04 (भाग-02) में अंक 35 से अंक 38 तक सम्मिलित हैं)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editting)

विषय सूची

सत्र-4 भाग (2) बुधवार, 24 अगस्त, 2016/02 भाद्रपद, 1938 (शक) अंक-37

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1-2
2.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	3-8
3.	तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर	8-120
4.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	120-145
5.	अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	145-236
6.	माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था	236-243
7.	सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात	243-257
8.	ध्यानाकर्षण (नियम-54):	257-270
	(1) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को बनाने एवं लागू करने में नीति आयोग द्वारा कथित रूप से संविधान के संघीय ढांचे के विरुद्ध बनाई जा रही नीति के संदर्भ में।	
9.	विशेष उल्लेख (नियम-280)	270-282
10.	विधेयकों पर विचार एवं पारण:	283-287
	(1) भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर वि.वि. (संशोधन) विधेयक, 2016 (वर्ष 2016 का विधेयक सं. 05)	

क्रसं.	विषय	पृष्ठ सं.
11.	सरकारी संकल्प (नियम-90) :	287-317
	(1) संसद द्वारा पारित संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 के तहत प्रस्तावित, अनुच्छेद 368 के अधीन भारत के संविधान में संशोधनों की पुष्टि।	
12.	अल्पकालिक चर्चा (नियम-55):	317-342
	(1) सत्ता पक्ष के विधेयकों पर दिल्ली पुलिस का कथित मनमाने ढंग से इस्तेमाल तथा दिल्ली महिला आयोग के कार्यालय में छापे के संबंध में।	

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 भाग (2) बुधवार, 24 अगस्त, 2016/02 भाद्रपद, 1938 (शक) अंक-37

दिल्ली विधान सभा

सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।

सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची:

1 श्री संजीव झा
2 श्री पंकज पुष्कर
3 श्री अजेश यादव
4 श्री महेन्द्र गोयल
5 श्री वेद प्रकाश
6 श्री सुखवीर सिंह दलाल
7 श्री ऋतुराज गोविन्द
8 श्री रघुविन्दर शौकीन
9 श्री राजेश गुप्ता
10 श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
11 श्री सोमदत्त
12 सुश्री अलका लाम्बा
13 श्री आसिम अहमद खान
14 श्री विशेष रवि
15 श्री हजारी लाल चौहान
16 श्री शिव चरण गोयल
17 श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर)
18 श्री राजेश ऋषि
19 श्री महेन्द्र यादव
20 श्री नरेश बाल्यान

उपस्थित सदस्यों की 2सूची 24 अगस्त, 2016

21 श्री कैलाश गहलोत

22 सुश्री भावना गौड़

23 श्री सुरेन्द्र सिंह

24 श्री विजेन्द्र गर्ग

25 श्री प्रवीण कुमार

26 श्री सोमनाथ भारती

27 श्रीमती प्रमिला टोकस

28 श्री नरेश यादव

29 श्री करतार सिंह तंवर

30 श्री प्रकाश

31 श्री अजय दत्त

32 श्री दिनेश मोहनिया

33 श्री सरदार अवतार सिंह कालकाजी

34 श्री सही राम

35 श्री नारायण दत्त शर्मा

36 श्री अमानतुल्लाह खान

37 श्री राजू धिंगान

38 श्री मनोज कुमार

39 श्री नितिन त्यागी

40 श्री एस.के बग्गा

41 श्री अनिल कुमार बाजपेयी

42 श्री राजेन्द्र पाल गौतम

43 श्रीमती सरिता सिंह

44 मो. इशराक

45 श्री श्रीदत्त शर्मा

46 श्री चौ. फतेह सिंह

47 श्री जगदीश प्रधान

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र–4 बुधवार, 24 अगस्त, 2016/2 भाद्रपद, 1938(शक) अंक–37

सदन अपराह्न 2.00 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : सभी माननीय सदस्यों का स्वागत है। विजेन्द्र जी, आपका ये स्थगन प्रस्ताव आया है मेरे पास। आपने स्थगन प्रस्ताव भी तो....

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सर, एक प्वाइंट ऑफ आर्डर की बात...

अध्यक्ष महोदय : तो उसके पहले इसको ले लूं...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ सरकार से ये जानना चाहता हूँ सी.ए.जी. की रिपोर्ट...

अध्यक्ष महोदय : मैं इसको नियम से चलाऊंगा या वैसे ही चलाऊंगा? आपने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है, बिजनेस में आया है। मैं इसको ले लूं पहले?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : प्वाइंट ऑफ आर्डर का इश्यू ये है...

अध्यक्ष महोदय : प्वाइंट ऑफ आर्डर का मैं सुनँगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : प्वाइंट ऑफ आर्डर का इश्यू ये है कि सरकार पास सी.ए.जी. की रिपोर्ट आ चुकी है...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, देखिए मैं एक बार इसको ले लूं फिर आप प्वाइंट आफ आर्डर की बात करिएगा मैं उस पर कर लूंगा।

मुझे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी से नियम 59 के अंतर्गत कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। प्रस्ताव में वर्णित विषय इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जिसके लिए सदन का काम–काज रोका जाए। आज एक ध्यानाकर्षण तथा एक अल्पकालिक चर्चा सूचीबद्ध है और एक विधेयक तथा एक सरकारी संकल्प भी पारित किया जाना है। अतः कार्य–स्थगन की अनुमति नहीं दी जा सकती। पिछले सत्र के दौरान भी मैंने माननीय नेता, प्रतिपक्ष को बताया था कि इस तरह के विषयों के लिए नियम 280 या अन्य नियम के अंतर्गत विशेष उल्लेख का प्रावधान है और वैसे भी विजेन्द्र जी मैं आपकी जानकारी में दे दूं, पता नहीं क्यों, आप सब कुछ नियमों को जानते हैं, समझते है... इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव के विषय पर रूल 63 का (2) एक बार पढ़ ले, पेज 29 ''उपस्थित सदस्यों का 1/6 भाग स्थगन प्रस्ताव के लिए लिखकर दें, मांग करे'' तब ये संभव होता है और आपको सारा जानकारी है। पता नहीं क्यों आप समय को क्यों खराब करवाते है, मुझे समझ नहीं आता। नहीं, अब मैंने रूलिंग दे दी है। इस पर अब मैं डिसक्शन नहीं करूंगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप बात को आगे बढ़ा रहे है। मैं इसलिए बता रहा हूँ...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने कहा, ये लोक महत्व का विषय नहीं है...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं रूलिंग भी दे रहा हूँ,...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये पूरा संवैधानिक काम...

अध्यक्ष महोदय : आप इसको उठाइये, किसी और विषय में उठाइये। इसके लिए स्थगन प्रस्ताव...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : लोक महत्व का विषय नहीं है? ये, साढ़े ग्यारह सौ करोड़ रूपया...

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, एक सैकेंड मेरी बात सुन लीजिए...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने स्थगन प्रस्ताव दिया। आप स्टार्ड क्वैश्चन में उठाते... आप संख्या में अगर कम हैं, ये हमारी गलती थोड़ी है... संख्या में अगर कम है... नहीं, विजेन्द्र जी, ऐसे नही सदन चल पाएगा कि आप जैसे मर्जी आए सदन को हांकने लगे। नहीं, मैंने रूलिंग दे दी है, नियम ये लिखा हुआ है, आप हर बार नियम की बात करते है...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये लोक महत्व का विषय है...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ये लोक महत्व का विषय नहीं है और ना नियम एलाउ करता...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिए, कल भी एक स्टार्ड क्वैश्चन आया, बाकी सब रह गए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिए, एक सैकेंड, मैं नेता, प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी द्वारा दिया गया ध्यानाकर्षण की सूचना पर व्यवस्था... सोमनाथ जी बैठिए दो मिनट। मुझे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता जी से नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचना प्राप्त हुई है, इस संबंध में मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा कि कल सफाई व्यवस्था पर अल्कालिक चर्चा दो घंटे यहां रहीं है। दो के भी ढाई घंटे... लेकिन माननीय सदस्य उसमें भाग लेकर अपने विचार प्रकट करने की अपेक्षा सदन से अनुपस्थित रहे। विषय की पुनरावृति नहीं हो सकती। आज समय का अभाव भी है. .. नहीं, ढाई घंटे कल चर्चा हुई है, सफाई व्यवस्था पर चर्चा हुई है...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, वो एम.सी.डी. का था, ये पी.डब्लू. डी. के नालों में बच्चे की मौत...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, तो उसमें रखते आप।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ये ध्यानाकर्षण का विषय नहीं है। लोग मर रहे है नालों में गिर के...

अध्यक्ष महोदय : उसी में रखते आप... वो तो मेन होलों में भी मर रहे है... वो तो स्कूलों के नालों में मर रहे है. स्कूलों के मेन होलो में मर रहे है...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं पूरे सम्मान के साथ यह कहना चाहूँगा कि...

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, चलिए अब बैठिए और इसमें मैं ये भी हां, मैंने पूरा नहीं इसमें लिया, आपका ये 280 में भी लगा हुआ है। यही चीज 280... नहीं, एक–एक सब्जेक्ट रिपिटेड...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, क्वैश्चन ऑवर। कल एक ही क्वैश्चन हो सका. .. विजेन्द्र जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं इस बारे में बहुत क्लीयर हूँ। एक सैकेंड, माननीय सदस्यगण को बहुत कम अवसर मिल पाता है। वे बहुत मेहनत से निकाल कर स्टार्ड क्वैश्चन लाते हैं। कल मुझे स्वयं पीड़ा हुई है कि पूरे सदन में केवल एक क्वैश्चन चल पाया और एक घंटा हमारा चला गया। मैं स्टार्ड क्वैश्चन के बाद आपका प्वाइंट ऑफ आर्डर लूंगा। नहीं, मैं लुंगा इसको, मैं मना नहीं कर रहा, आपका जो भी प्वाइंट ऑफ आर्डर है मैं लुंगा स्टार्ड क्वैश्चन...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, प्वाइंट ऑफ आर्डर होता है व्यवस्था का....

अध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम है, ये भी सदन की मेरी अपनी व्यवस्था है... हर बार मैंने कहा है कि मैं स्टार्ड क्वैश्चन...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : प्वाइंट ऑफ आर्डर का कोई टाइम नहीं होता...

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, लेकिन उसमें, नहीं, आपने कहा मैंने रूलिंग दी है उस पर... स्टार्ड क्वेश्चन के बाद मैं लँगा उसको... तभी सुनँगा उसको।. .. मैं इसको एलाउ नहीं कर रहा हूँ। जरनैल सिंह जी।

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : जनरैल सिंह जी।

श्री जनरैल सिंह(ति.): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–41 प्रस्तुत है।

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विष्णु गार्डन में केमिस्ट की दुकानों की आड़ में हो रही ड्रग्स की बिक्री को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, पूर्ण विवरण दें;

ख) क्या यह सत्य है कि ये केमिस्ट की दुकाने उनके विरूद्ध कार्रवाई किए जाने के बावजूद लाइसेंस लेने में कामयाब हो गए हैं;

(ग) क्या विभाग उन मामलों से अवगत है जिनमें केमिस्ट की दुकानों के विरूद्ध कार्रवाई की गई थी और वे अब आयुर्वेदिक दवाइयों का लाइसेंस लेकर चल रही है;

(घ) यदि हां, तो इसका विवरण क्या हैं; और

(ड) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–41 का उत्तर प्रस्तुत है :–

(क) औषधि नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार उन दवा विक्रेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करता है, जो नशे की दवा में व्यापार करते पाये जाते हैं। इस विभाग ने गत समय में विष्णु गार्डन इलाके में निम्न तीन दवा विक्रेताओं का लाइसेंस रद्द किया है :–

1. साहनी मेडिकोज, डी.डी.ए.कालोनी, चोखंडी, तिलक नगर, नई दिल्ली
2. बिन्द्रा मेडिकोज, चाँद नगर, नई दिल्ली
3. सिमरत मेडिकोज, चाँद नगर, नई दिल्ली

एक दवा विक्रेता, माथुर मेडिकोज के नाम से चाँद नगर में है, का लाइसेंस 30 दिनों के लिए निलंबित किया गया था। हाल ही में इस विभाग द्वारा 11.08.2016 को एक विशेष जाँच कार्यक्रम के अन्तर्गत नशे की दवाइयां पाये जाने पर, निम्नलिखित दवा विक्रेताओं को कारण बताओ ज्ञापन जारी कर दिया गया है :–

1. वैस्ट दिल्ली केमिस्ट
2. माथुर मेडिकोज
3. ओबराय मेडिकोज
4. संजय मेडिकोज

इस विभाग में इन दवा विक्रेताओं के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन/रद्द जैसी करने सख्त कार्रवाई प्रक्रियारत है।

(ख) यह विभाग औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1945 के नियम 64 के तहत उन दवा विक्रेता को लाइसेंस जारी करता है, जो उपरोक्त नियम के मानदण्ड को पूरा करते हैं तथा यह विभाग ऐसे आवेदकों को लाइसेस जारी करने के लिये बाध्य है।

(ग), (घ) एवं (ड.) इस विभाग के पास एक शिकायत सिमरत आयुर्वेदिक स्टोर (जहाँ पर पहले सिमरत मेडिकल स्टोर था तथा इस विभाग ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था) के बारे में प्राप्त हुई थी। इस विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के दौरान पता चला कि यह स्टोर पिछले कई दिनों से बन्द है। इसलिये शिकायत में लगाये गये आरोप सत्यापित नहीं हो सके। आयुर्वेदिक औषधियों की बिक्री हेतु किसी विक्रय लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय : जनरैल सिंह जी सप्लीमेंटरी।

श्री जनरैल सिंह : अध्यक्ष जी, इसमें दिक्कत ये है कि ये कैमिस्ट की दुकान पर कई सालों से ड्रग्स की सेल होती थी, नशे की दवाईयाँ बेची जाती थी खुले आम, डिपार्टमेन्ट ने एक्शन लिया उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया अब वो आर्वेदिक दवाइयों के नाम पे फिर से वो दवाइयाँ बेच रहा है, इसको रोकने का सरकार के पास क्या उपाय है?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि प्रश्न के जवाब 'क' में बताया गया है कि तीन मैडिकल स्टोरस का लाईसेंस रद्द किया गया है, जिसके बारे में आदरणीय सदस्य ने आरोप लगाया है वो पहले इनका लाईसेंस कैंसल किया जा चुका है जो कि सिमरत मैडिकल स्टोर के नाम

से था। अब इन्होंने बताया है कि वो आयुर्वेदिक मैडिकल स्टोर खोल लिया है, जब जांच के लिए भेजा गया था, कई दिनों से बंद था। अगर दुबारा मिलता है तो उसको जांच करके जरूर उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, प्रश्न संख्या–42 भावना गौड़ जी।

सुश्री भावना गोड़ : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–42 प्रस्तुत है।

क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार नकली दवाइयों की बिक्री रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, पूर्ण विवरण दें?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–42 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी हाँ।

औषधि नियंत्रण विभाग, दिल्ली सरकार में एक मॉनीटरिंग व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत इस तरीके की गतिविधियों को नियंत्रण में लाया जाता है, जो कि इस प्रकार है :

1. इस विभाग में दवा के रेण्डम ''लीगल सैम्पल'' विभिन्न मार्केट, जिसमें थोक विक्रेता, निर्माण ईकाइयाँ तथा खरीद–फरोक्त एजेंसी

(सी.पी.ए.) शामिल हैं, से उनकी गुणवत्ता को जांचने हेतु सैम्पल लिये जाते हैं।

2. दवाइयों के ''सर्वे सैम्पल'' लिये जाते हैं, जिसमें खुदरा/थोक विक्रेताओं के, ऐसे मार्केट शामिल हैं, जहाँ पर झुग्गी–झोंपड़ी कॉलोनी एवं दूर दराज के मार्केट सम्मिलित हैं। ''सर्वे सैम्पल'' लेने का उद्देश्य दवाइयों में मानक दवायें (active ingredients) की उपस्थिति की जांच करना है।

3. दवाइयों के ''स्पेसीमेन सैम्पल'' भी लिये जाते हैं, जो कि वास्तविक निर्माता के पास भेजकर उनकी वास्तविकता की पहचान की जाती है।

(ख) विस्तृत विवरण परिशिष्ट–''क'' एवं ''ख'' पर संलग्न है।

तारांकित प्रश्न सं. 42 का अनुलग्नक

VidhAn SAbhA StAssed Q. No.-42 for 24.8.2016

Annexure-A

Details of samples collected for the period 2015-2016

	No. of samples collected	No. of sample tested/ reported by manufacturer	No. of samples failed/ detected not of standard quality	No. of samples detected spurious	Action taken
Legal samples	102	81	10	05 Details Are given Annexure-B	Prosecution launched (one case in respect of 3 druges). The matter is under investigation in respect two drug samples
Specimen samples	93	66	nil	05 Details Are given Annexure-B	SameAsAbove
Survey samples	152	152	NIl	NIL	-

Annexure-B

Period	Name/Detail of Spurious Drugs detected/	purported to be manufactured by	Recovered from	Action Taken
2015-2016 (05 drugs)	1. Zerodol-sp Tabs B. No. FNDO-13002/15	1. IPCA Lab Ltd. Distt. Sikkim-731121	1. Manoj S/o. Lakpat singh, Delhi-42	Prosecution launched
	2. Pantop-D Caps, B. No. B3-18K04	2.Aristo Pharma Ltd, Baddi Solan, HP. 173205		
	3. Pantop-DSR Caps, B. No. J-441445	3. Inventia Heathcare Pvt. Ltd. Bari, J&K-		
	4. Phensidyl Syrup., B. No. PHB 5326	4.Abbott Healthcare Pvt. Ltd., Vill, Bhauli Kurad, Distt. Solan (HP)	2. Shiv Bhagwan Bhagirath Palace.	Under Investigation
	5. Phensidyl Syrup., B. No. PHB5326 (HP)	5.Abbott Healthcare Pvt. Ltd., Vill, Bhauli Kurad, Distt. Solan Entry Gate, Outside Old Delhi Rail¡y Station	3. Mohd.Abrar Near parcel	Under Investigation

अध्यक्ष महोदय : कोई सप्लीमेंटरी? हाँ बताइये।

सुश्री अलका लाम्बा: अध्यक्ष जी, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि जैनेरिक मैडीसिन्स मैडीकल शॉप को लेकर सरकार कितनी गम्भीर है, कितनी दुकाने आज सरकार जैनेरिक मैडीसिन्स की खोल चुकी है और कितना अभी आगे विचार है खोलने का। क्योंकि हम जानते है कि अगर कोई नॉर्मल मैडीकल शॉप पर दवाई 200 रूपये की है तो वही जैनेरिक में वही सेम दवा 20 रूपये की गरीब को उपलब्ध होती है, मैं इस पर स्थिति जानना चाहती हूँ? धन्यवाद।

स्वास्थ्य मंत्री : जैनेरिक दवाइयाँ दिल्ली सरकार ने अपने सभी अस्पतालों में, डिस्पैंसरी में, मोहल्ला क्लीनिक में फ्री देने का निश्चय किया हुआ है, फरवरी से सभी को फ्री मिल रही है, दिल्ली सरकार की ओर से जैनेरिक मैडीसन के कोई भी स्टोर नहीं खोले जा रहे हैं। केन्द्र सरकार की ओर से जरूर कुछ ऐसे खोले गए है।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती : Hon'ble Speaker, Sir, I want to know from the hon'ble Minister thisAnnexure 'A' , first coloumn says: number of samples collected, second column says number of samples tested reported by manufacturer. The figures, they differe a lot. Legal samples 102, they were collected and tested is 81. What happenned to the rest.

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो तरह के सैंपल होते हैं एक तो होते हैं सर्वे सैंपल और एक होते हैं लीगल सैंपल, सर्वे सैंपल्स इसलिए उठाए जाते हैं कि पता करने के लिए कि मार्केट के अंदर कोई नकली

दवाइयाँ तो नहीं है उनकी लीगल सैंक्टिटि नहीं होती है, उसके बाद लीगल सैंपल जो कि बाकायदा रसीद देकर उनसे खरीद के उसको लीगली उठाए जाते है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, 102 लीगल सैंपल्स का मतलब है कि 102 में से 81 का टैस्ट हो चुका है, बाकी के टैस्ट की प्रक्रिया अभी चल रही है, अभी हुई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या–43 प्रमिला टोकस जी।

श्रीमती प्रमिला टोकस : प्रश्न संख्याः 43 प्रस्तुत हैः

क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर दिल्ली नगर निगम द्वारा होर्डिंग्स लगाई जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या लोक निर्माण विभाग यह सुनिश्चित करता है कि ये होर्डिंग्स उचित तरीके से लगी हों क्योंकि अक्सर ये खतरनाक तरीके से इस प्रकार लगी होती हैं कि जिससे यातायात में बाधा पहुंचती है;

(घ) क्या रोड डिवाइडर्स पर लगी हरियाली की समुचित देखभाल सुनिश्चित करने हेतु कोई व्यवस्था है;

(ङ) आर.के. पुरम विधान सभा क्षेत्र में भारी मशीनों का इस्तेमाल कर की जा रही सफाई गतिविधि का विवरण क्या है;

(च) क्या यह सत्य है कि आर.के. पुरम विधान सभा में सड़क के किनारे लगे पेड़ों की कटाई छंटाई का कार्य आरंभ हो गया है; और

(छ) यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–43 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) हाँ, यह सत्य है।

(ख) एम.सी.डी. के एक्ट के अनुसार दिल्ली की सभी सड़कों पर होर्डिंग्स लगवाने का अधिकार एम.सी.डी. के पास है।

(ग) होर्डिंग्स को सुरक्षित लगाने की जिम्मेदारी एम.सी.डी. की ही है। जहाँ भी ऐसी कोई समस्या होती है, लोक निर्माण विभाग इस विषय में एम. सी.डी. से आपत्ति पत्र लिखती रहती है।

(घ) हाँ, लोक निर्माण विभाग के उद्यान विभाग द्वारा समुचित देखभाल करने की व्यवस्था है।

(ङ) आर.के.पुरम विधानसभा क्षेत्र में भारी मशीनें (Vaccum Cleaner Supersucker Machine) द्वारा आउटर रिंग रोड, विवेकानंद मार्ग, मेजर सोमनाथ मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू मार्ग एवं आर.टी.आर. मार्ग पर सफाई का कार्य किया जा रहा है। बरसात शुरु होने पर मानसून के दौरान वैक्यूम क्लीनर से मैकेनिकल स्वीपिंग का कार्य बन्द कर दिया है। नालियों की सफाई कार्य सुपरसक्कर मशीन द्वारा आवश्यकता अनुसार किया जाता है। इसका कोई निश्चित टाइम शेड्यूल नहीं है।

(च) जी हाँ

(छ) सूची 'एनेक्सर–ए' संलग्न है।

तारांकित प्रश्न–स. 43 का अनुलग्नक

Program for pruning of trees

Annexure-A

S.No.	Name of Road	Date of Start	Date of Completion
1	2	3	4
1.	RTR Marg	Completed	Completed
2.	Major Somnath Marg	Completed	Completed
3.	Tamil Sangam Marg	Completed	Completed
4.	Vivekanand Marg	Completed	Completed
5.	Kama Koti Marg	Completed	Completed
6.	KafiAzmi Marg	Completed	Completed
7.	Ring Road Africa Avenue to Dhaula Kuan	Completed	Completed
8.	Outer Ring Road	Work in progress	Up to 20.08.2016
9.	BJ Marg	22.08.2016	Up to 25.08.2016
10.	Church Road	26.08.2016	Up to 27.08.2016
11.	Prem Dogra Marg	28.08.2016	Up to 30.08.2016

1	2	3	4
12.	Venkateshwar Mandir Marg	31.08.2016	Up to 02.09.2016
13.	Poorvi Marg	02.09.2016	Up to 03.09.2016
14.	Paschimi Marg	03.09.2016	Up to 05.09.2016
15.	Vasant Marg	06.09.2016	Up to 08.09.2016
16.	Munirka Marg	08.09.2016	Up to 10.09.2016

अध्यक्ष महोदय : हाँ प्रमिला जी, एनी सप्लीमैंटरी? हाँ जनरैल जी।

श्री जनरैल सिंह(ति.) : अध्यक्ष जी, वैक्यूम क्लीनिंग मशीनों से जो सड़कों की सफाई होती है, इसके बारे में पीछे काफी सुनने में आ रहा था। मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहूँगा मेरी विधान सभा भी चारों तरफ से पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों पर, वहां कभी वैक्यूम क्लीनिंग मशीनों से सफाई होती हुई नहीं देखी। तो कोई ऐसा शेड्यूल है कि इस विधान सभा में इस दिन ये मशीनें जाएंगी क्योंकि काफी लोग भी डिमाण्ड करते हैं यहां भी सफाई करवाओ मशीनों से।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष जी, वैक्यूम क्लीनिंग मशीने हमने अभी डिपार्टमैन्ट ने 4 मशीनें लगाई थी, जिसको कि बरसात के मौसम में बंद किया गया है। बरसात के बाद दुबारा स्टार्ट की जाएंगी, इसका टैंडर तीन बारी लगाया जा चुका है, टैंडर अभी तक सफल नहीं हुआ है। पूरी दिल्ली

में 40 या 50 मशीनें लगाने का प्रोग्राम है और मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि पी.डब्ल्यू.डी. की रोडस की सफाई करने की जिम्मेदारी एम.सी.डी. की है। यह मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार... क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कम करने के लिए एक्स्ट्रा मेजर्स करने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. को कहा गया है और पी.डब्ल्यू.डी. इसके लिए प्रयासरत है और जल्द से जल्द इसको किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : अमानतुल्लाह जी।

अध्यक्ष महोदय : भई, सप्लीमैन्ट्री के लिए हाथ कई खड़े हो गए हैं। सोमनाथ जी, अलका जी आप रहने दीजिए। आपको अवसर मिल जाता है। अमानतुल्लाह जी और रितुराज जी। एक बार अमानतुल्लाह जी दूसरा ऋतुराज जी।

श्री अमानतुल्लाह ख़ान : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मैं यह पूछना चाहूँगा कि मेरे यहां 13–ए रोड है उसके ऊपर एक पी.डब्ल्यू.डी. का एक यू टर्न बनना था वो रूका हुआ है ओर उस पर जो सफाई का कार्य नहीं होता और मेरे यहां एक जाकिर हुसैन रोड है, जहां पर मैट्रो का काम चल रहा है तो वह भी पी.डब्ल्यू.डी. का है लेकिन मैट्रो की वजह से वहां पूरा औखला और नोएडा को जाने वाला वो रास्ता है जिसकी वजह से रोजाना हमें जलालत उठानी पडती है और वहां यह हालत है कि घुटने–घुटने...

अध्यक्ष महोदय : क्वेशचन करो ना।

श्री अमानतुल्लाह ख़ान : गढ्ढे हैं। उसको बनाने का कार्य कब तक पूरा हो होगा और जो ये यू टर्न है, ये कब से उसका काम शुरू हो जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां पर मैट्रो का काम होता है, वह सड़क मैट्रो को दे दी जाती है और अभी तक इनकी जो सड़क है, उसका मैट्रो का काम पूरा नहीं हुआ है। वापिस हमें मिलेगी, उसके बाद पी.डब्ल्यु.डी. करती है। अभी उसका रख–रखाव और सारा काम मैट्रो के जिम्मे है। और दूसरा जो मोड़ बनाने की बात है, शायद उसी रोड के ऊपर बता रहे हैं वह भी। उसके बारे में पता करके बताया जाएगा।

श्री अमानतुल्लाह ख़ान : वो जो जामिया वाला मैट्रो है, वो ड्रेन बनना है वहां पर और ड्रेन की जिम्मेदारी न मैट्रो लेने को तैयार है और न ही पी.डब्ल्यू.डी. वाले लेने को तैयार है, कहते हैं, आधा हम बना देगें, आधा हम बना देगें।

लोक निर्माण मंत्री : सर, इसमें जब तक मैट्रो का काम कम्पलीट नहीं होगा, पी.डब्ल्यु.डी. कुछ नहीं कर सकती है। मैट्रो से वापिस मिलने बाद ही पी.डब्ल्यू.डी. काम कर पाएगी।

अध्यक्ष महोदय : हां, राजेश ऋषि।

श्री राजेश ऋषि : अध्यक्ष जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि पी.डब्ल्यू.डी. की जितनी भी रोड्स हैं, उसके ऊपर इन्क्रोचमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है और इसको हटाने का काम और चालान करने का काम एमसीडी के पास है। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या पी.डब्ल्यू.डी. कोई ऐसा प्रोग्राम बना रही है जिसके द्वारा पी.डब्ल्यू.डी. चालान कर सके क्योंकि अगर वो चालान नहीं कर पाएगे तो वो किसी भी इन्क्रोचमेंट को हटा नहीं पाएंगे।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को बताना चाहूँगा कि पी.डब्ल्यू.डी. के पास 1260 किलोमीटर सड़कें दिल्ली के अंदर है। एक महत्वकांक्षी योजना बनाई गई है कि दिल्ली के अंदर जितनी भी बड़ी रोड हैं, लगभग 500 किलोमीटर सड़कें है जो कि 100 फुट या उससे बड़ी सड़कें है 100 फुट 150 फुट और 200 फुट की सड़के हैं। सभी सड़कों की एक बार बस लेन मार्क करके जितना भी हैवी ट्रैफिक है बसें, ट्रक, टैम्पों वगैरह, वो बस लेन में ही चलें और जितनी भी उसके अंदर एन्क्रोचमेंट है या उसके अंदर पार्किंग है, उस सब को हटाया जाए। इसकी सहमति के लिए एलजी साहब के पास दो बार फाईल भेजी जा चुकी है। उनके कुछ क्वेश्चन्स हैं, जल्दी ही उनको निराकरण करके उसको लागू किया जाएगा और चालान दो हजार रूपये किया जाएगा। जब पार्किंग का चालान या किसी भी तरह का चालान दो हजार रूपये होगा और उसमें अभी तक पी.डब्ल्यू.डी. के पास किसी तरह की भी एक्जीक्यूशन पावर नहीं है। उस नोटिफिकेशन के अंदर एक्जीक्यूशन पावर भी एम.सी.डी. से लेकर पी.डब्ल्यू.डी. को देने की बात की गई है। जैसे ही यह होता है तो मुझे लगता है कि दिल्ली की मेजर रोड को हम जरूर खाली करा पाएगें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 44... भई देखिए सप्लीमेंट्री दो हो सकते हैं।

श्री नारायण दत्त शर्मा : बहुत जरूरी है जी।

अध्यक्ष महोदय : चलिए करिए। जल्दी करिए।

श्री नारायण दत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से पी. डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर से से पूछना चाहूँगा कि मेरी विधान सभा के अंदर मात्र साढे तीन किलोमीटर का रोड है। जिस पर 6 लाख लोग पर–डे बदरपुर से और इधर–उधर जाते है रोजी रोटी कमाने के लिए और मैं 17 महीने से उस पर काम करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एम.सी.डी. ने अपने जो डस्टबिन्स हैं और जो कचरा है, वो एम.सी.डी. का उसमें पड़ा होता है। पी. डब्ल्यू.डी. के अधिकारी उसको भी नहीं हटवा पा रहे हैं। दूसरा, उसके साथ में जो नाले हैं, ड्रेन है, वो खुली पड़ी है, उनको न ढका गया है, अभी भी उसमें गढ्ढे हैं। उसकी वजह से रोज दो–दो, तीन–तीन घंटे जाम लगता है... साढे तीन किलोमीटर का रोड है।

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें।

श्री नारायण दत्त शर्मा : मैं यह कह रहा हूँ कि जो मेरी विधान सभा के अंदर साढे तीन किलोमीटर रोड है, उस पर भी कुछ काम होगें या इस तरीके से ही...

अध्यक्ष महोदय : चलिए।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य का जो प्रश्न है, इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है फिर भी मैं उनका जवाब देना चाहूँगा कि जो एम.सी.डी. सडकों के ऊपर इकट्ठा कुड़ा रखती है, वो बहुत ही गलत है। जगह–जगह ढलाव बनाकर उन्होंने सड़कों पर कब्जा किया हुआ है और ढलाव के अंदर कूड़ा नहीं डालते है और उसके बाहर डालते है। कल भी इसके ऊपर बहुत ही डिटेल में चर्चा हुई थी। हमारे विपक्ष के नेता चले गए हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एम.सी.डी. उनके अंडर

ही आती है, उनके साथियों के अंडर आती है, उनसे रिक्वेस्ट करें कि यह गंदगी न फैलाएं दिल्ली के अंदर और जगह–जगह सड़कों के अंदर जो रूकावट पैदा की जाती है, उसको न करें। जहां तक आपकी सड़क की बात है, यह 15 सितम्बर बरसात के बाद सड़कों का काम का स्टार्ट होगा। अभी जहां पर भी कोई रिपेयर करनी है तो आप तुरन्त बताइगा। 1077 पर फोन कर दीजिएगा, तुरन्त उसको ठीक किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ भारती जी।... नहीं राजेन्द्र जी, अब नहीं प्लीज। अब नहीं, देखिए उसमें छः हाथ खड़े थे, मैने सबको रोका है प्लीज।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 44 प्रस्तुत है

(क) मालवीय नगर विधान सभा की विभिन्न कालोनियों में मेट्रो स्टेशनों के बीच लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि फीडर बसों की व्यवस्था होने तक इन रूटों पर ई– रिक्शा चलाने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) हुमायँ पुर, कृष्णा नगर, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्कलेव के निवासियों के लिए चौ. झण्डू सिंह मार्ग के रास्ते बस रूट कब तक पुनः शुरू कर दिया जाएगा;

(घ) हॉजखास, मालवीय नगर और ग्रीनपाक्र मेट्रो स्टेशनों के आसपास ट्रेफिक जाम से निजात दिलाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ड) क्या इन स्थानों को इस तरीके से पुनः डिजाइन करने की कोई योजना है जिससे ऑटो रिक्शा द्वारा सवारियों को बैठाने और छोड़ने के स्थान चिन्हित किए जा सके;

(च) क्या यह सत्य है कि डी.टी.सी. घाटे में चल रही है;

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में पिछले पांच वर्ष का विवरण क्या हैं; और

(ज) डी.टी.सी. को लाभकारी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

परिवहन मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–44 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र तथा इसके आसपास के क्षेत्रों में मेट्रो फीडर तथा मिनी स्टेज कैरिज के निम्नलिखित रूट परिचालन में हैं।

1. F 504 सफदरजंग अस्पताल से अम्बेडकर नगर,
2. F 414A मदनपुर खादर से मलाई मन्दिर,
3. ML-80 हौजखास मेट्रो स्टेशन से ओखला धाम,
4. ML-70 मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से धौला कुआं मेट्रो स्टेशन,
5. ML-72 हौज खास मेट्रो स्टेशन से छतरपुर मेट्रो स्टेशन,
6. ML-73 हौज खास मेट्रो स्टेशन से बदरपुर,
7. ML-87 नेहरू प्लेस से मलाई मन्दिर,

इसके अतिरिक्त मेट्रो रूट ML-104 मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन के मध्य नया रूट परिचालन करने जा रहे हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) चौ. झण्डू सिंह मार्ग से निम्नलिखित बस परिचालन में हैं :

रूट सं.	कहां से	कहां तक	बसों की संख्या
611	धौला कुआं–आर.के. पुरम् सै.–1	मयूर विहार फेस–3	21
621	पूर्वांचल होस्टल	मोरी गेट टर्मिनल	4
610ए	आर.के.पुरम् सै.–1	आनन्द पर्वत	2
544ए	आर.के.पुरम सै.–1	नेहरू प्लेस	2 फेरे (समय 08:15, 09:15 व वापसी 17:30, 19:00 बजे)

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा हौजखास, मालवीय नगर और ग्रीन पार्क मेट्रो स्टेशनों के आसपास ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं :

1. वाहन चालकों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में साईनेज लगाए गए हैं।

2. ट्रैफिक को रेगुलेट करने तथा ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान करने के लिए एक हवलदार तथा दो सिपाहियों की ड्यूटी हौज खास मेट्रो स्टेशन, एक जैडओ, एक हवलदार तथा तीन सिपाहियों की ड्यूटी ग्रीन पार्क व मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन पर परमानेन्ट लगाई गई है।

3. गलत पार्किंग करने पर किए गए चालानों का ब्यौरा जनवरी 2016 से 15/08/2016 तक हौज खास, ग्रीन पार्क मालवीय नगर क्रम अनुसार निम्नलिखित हैं :

मौके पर चालान	वाहन उठाए गए	नोटिस चिपकाए	योग
2973	93	1157	4223
1241	173	1213	2627
1325	95	472	1892

4. 20 ऑटो रिक्शा, 10 ग्रामीण सेवा (हौज खास), 10 ऑटो रिक्शा (मालवीय नगर) के लिए पाक्रिंग की जगह बनाई गई है।

5. इन सभी स्थानों पर जो भी ट्रैफिक स्टाफ नियुक्त किये गये हैं, उनको इस इलाके में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियमित रूप से अवगत तथा संवेदनशील किया जाता है।

(ड) ऑटो रिक्शा के 'हाल्ट एण्ड गो'' स्टैण्ड इन तीनों मेट्रो स्टेशन पर उपलब्ध है।

(च) जी हाँ। डी.टी.सी. घाटे में चल रही है।

(छ) पिछले 5 वर्षों का हानि का विवरण निम्नलिखित है :–

वर्ष	हानि (करोड़ रु. में)
2011–12	2431.08
2012–13	2914.40
2013–14	1363.74
2014–15	2917.76
2015–16	3506.96

(ज) 1. यात्रियों को टिकट देने के लिए Electronic Ticket Machines की शुरुआत की गई है जिसमें बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों में कमी आएगी और दिल्ली परिवहन निगम की आय बढ़ेगी। दिल्ली परिवहन निगम के सभी डिपो में Electronic Ticket Machine की शुरुआत कर दी गई है।

2. दिल्ली परिवहन निगम की परिचालन दक्षता को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त नए चालक व संवाहकों की नियुक्तियाँ की गई हैं जिससे कि सायं (शाम) की पारी में सभी बसों को यात्रियों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। पिछले एक साल में 323 चालकों एवं 748 संवाहकों को भर्ती किया गया है।

3. नॉन ट्रैफिक आय को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैंः

(क) दिल्ली परिवहन निगम के 31 डिपो में मल्टी लेवल पार्किंग विकसित करने के लिए पी.डब्ल्यू.डी. को कहा गया है।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम की बसों, टाईम कीपिंग बूथ, यूनीपोल्स तथा डी.टी.सी. डिपो की दीवारों पर वाल रेपस के जरिये विज्ञापन द्वारा नॉन ट्रैफिक आय को बढ़ाने के लिए निविदा निकालने का प्रस्ताव प्रक्रम में है।

अध्यक्ष महोदय : हां, सोमनाथ जी।

श्री सोमनाथ भारती : माननीय मंत्री जी, जो आपने प्रश्न का जवाब दिया है, मेरा सवाल था कि मालवीय नगर विधान सभा की विभिन्न colonies which are a part of my constituency इसमें आपने जो बताया है, जो इसमें

डिस्क्रिप्शन दिया है, ये सारी की सारी बसें उन मैट्रो स्टेशन से बाहर की तरफ जा रही हैं। मेरी विधानसभा में नहीं जा रही है। मैं जानना चाह रहा था कि जो मेरी विधानसभा की कालोनियां है, उनके अंदर कितनी बसें जा रही हैं, कितनी फीडर बसे जा रही हैं, उसका कोई जवाब नहीं आया। दूसरा जो प्रश्न के (ग) भाग का जवाब अपने दिया है, ये सारे के सारे रूटस उस रूट पर नहीं चल रही है। चौ0 झंडूसिंह मार्ग पर चल ही नहीं रही हैं। एक भी बस जो है वह चौ0 झंडूसिंह मार्ग से होकर के नहीं जा रहा। ये भी इस में थोड़ा त्रुटि है और (ड.) भाग का जवाब जो आपने दिया है, ऑटो रिक्शा के हॉल्ट एंड गो स्टेण्ड, तीनों मैट्रों स्टेशन पर उपलब्ध हैं। जब मैने इसका निरीक्षण किया तो ग्रीन पार्क में तो मुझे मिला नहीं। ग्रीन पार्क मैट्रो स्टेशन पर बाकी दोनों जगहों पर भी आटो पार्क तो दिखे लेकिन ऐसा कोई स्टैण्ड नहीं बना हुआ है। और (छ) भाग का ये आपने जो डीटीसी का लासेज का फिगर दिया है 2013–14 में 1363 करोड़ था ओर 2015–16 में ये बढ कर 35 सौ करोड़ हो गया, करीब तीन गुना हो गया, ऐसी कौन सी चीज हमने कर दी है, क्या गलतियां हो गई कि ये इतना लॉस बढ गया?

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि दिल्ली के अन्दर जो डी.टी.सी. बसेज हैं, लगभग हमारे पास 4000 बसे डी.टी.सी. के अन्दर, 13–1400 बसेज कल्सटर बसेज चलती हैं। लगभग 5300 से 5400 बसें चल रही है। दिल्ली के अन्दर सड़कों की चौड़ाई अलग–अलग है। जो मैजर सड़कें हैं 60 फीट, 80 फीट,100 फीट, 150 फीट, 200 फीट बसेज सभी सड़कों के ऊपर एक ही साईज की बसें चलाई जाती है जिसकी वजह जैसे आदरणीय सदस्य ने कहा कि उनकी कालोनी

की तरफ नहीं चलती है कालोनी की तरफ जाने वाली जो छोटी सड़कें होती हैं, वहां पर इतनी बड़ी बसें चलाना संभव नहीं होता है। सरकार ने प्रपोजल रखा है कि दिल्ली परिवहन निगम के अन्तर्गत सारी बसें एक ही साईज की न रख कर कुछ बसें दूसरी साईज की रखी जाए। ट्रंक फीडर सिस्टम को बनाया गया है। आज हमारे पास लगभग 700 रूट हैं और इतने सारे रूट के ऊपर कभी भी रिलायबल सर्विस चला पाना इतना संभव नहीं है कि लोगों को अभी सर्विस एक घण्टे में जैसे मैंने अभी खुद जवाब दिया कि दो बस सुबह, दो बस शाम को उस बस सर्विस का होने का कोई औचित्य नहीं रहता है। तो उसको पूरे को रिवेन किया जा रहा है पूरा ट्रेफिक की स्टडी करके सारे रूट्स को रिरैशनालाईज करके और ट्रंक फीडर सिस्टम पर बसें चलाई जायेंगी। उस ट्रंक ऑफ फीडर सिस्टम के अन्दर यह होगा कि आपको हर जगह के लिए बसें मिल पायेंगी। बड़ी बसें, बड़े रूट पर चलेंगी, बड़ी सड़कों पर चलेंगी और छोटी बसें, छोटी सड़कों के ऊपर चलेंगी। जिससे कि ट्रेफिक में भी असुविधा न हो। जहां तक इन्होंने कहा कि ये हॉल्ट एक जगह से दो जगह नहीं मिला, मैं इसको चैक करा के इनको दुबारा जवाब दूँगा। मुझे लगता है कि जो जवाब दिया गया, ठीक होना चाहिए। हो सकता है आदरणीय सदस्य गये हों तो साथ भेजना पड़ेगा। हम किसी को साथ भेज देते हैं। चैक करा देते है भेज के डिपार्टमेंट की ओर से और अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ समय से डी.टी.सी. के अन्दर बसेज रिटायर्ड हो रही हैं, काफी सारी बसेज पुरानी थी, जो अब रिटायर्ड हुई हैं, उनकी जगह नई बसेज भी लाई गई हैं तो उसकी वजह से घाटा... क्योंकि तनख्वाहें भी बढ़ रही हैं, खर्चे काफी बढ़ रहे हैं। इसकी तरफ ध्यान दिया जा रहा है ताकि कम–से–कम घाटा कैसे हो और जनता की सेवा कैसे की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रवीण कुमार जी।

श्री प्रवीण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं बस मंत्री महोदय से यही चीज जानना चाहता था कि मेरी जंगपुरा विधान सभा में किसी भी मैट्रो स्टेशन की अभी तक उपलब्धता नहीं है। तो वहां पे आई.पी. मैट्रो, एडजेसेन्ट मैट्रो, एक जंगपुरा मैट्रो, एग्जिस्टिंग मैट्रो है, तो मैंने कई बार मैट्रो फीडर बस चलाने की एक गुजारिश की थी कि जो आई.पी. मैट्रो से जंगपुरा मैट्रो तक जाए वाया आश्रम चौक तो उसमें अभी तक उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है, वो मुझे जानना था।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली मैट्रो कुछ मैट्रो फीडर बसेज चलाती है और वो चलाने में अपने आपको क्योंकि उनका मैन काम मैट्रो चलाने का है, फीडर्स चलाने में इनका कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है और वो इसको सफलतापूर्वक चला भी नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि दिल्ली डी.टी.सी. ने एक काफी महत्वकांक्षी परियोजना बनाई है; ट्रंक एण्ड फीडर सिस्टम, ट्रंक फीडर के अन्दर हम ये भी चाहते हैं कि दिल्ली में जितने भी मैट्रो स्टेशंस हैं, मैट्रो स्टेशंस से सभी जगहों के लिए फीडर बसेज चलाई जा सके। आज मैट्रो तक जाना अपने आपमें एक बहुत तकलीफ देह काम है और वहां पर पार्किंग करने के लिए भी जगह बनाई गई है। मेरा यह मानना है कि आदमी अगर एक बार अपनी गाड़ी या अपने स्कूटर पर अगर बैठ ही गया तो कहता है कि फिर सीधा आफिस ही चले जाते हैं। तो वहां तक जाते ही नहीं है, उसके लिए एक फीडर सर्विस होना भी जरूरी है जिसके लिए हम सोच रहे हैं कि अगले 6 महीने तक ऐसा कुछ न कुछ इसके लिए काम किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : सरिता जी। सरिता जी एक सैकण्ड। सोमनाथ जी का कुछ रह गया है?

श्री सोमनाथ भारती : माननीय मंत्री जी जो आपने फीडर बसेज की इसमें डिटेलिंग दी थी और उसमें चँकि कि वो मेरी कालोनिज के जरिए होकर नहीं जा रही हैं तो इसका जो प्लान है बिकॉज मैंने कहा काफी समय से डिपार्टमेंट्स को दे रखा है कि मेरी कॉस्टिट्युएन्सी के अन्दर कालोनिज बहुत फॉर अवे डिस्टेंसिस के ऊपर है तो kindly let me know that if you have a plan to have these buses in my consitutency?

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि फीडर सर्विस अभी डी.टी.सी. नहीं चला रही है, उसको चलाने का पहली बार प्रयास किया जा रहा है कि बहुत बड़े स्केल पर सभी मैट्रो स्टेशंस से और सभी जो ट्रंक रूट है, उनसे मैट्रो डी.टी.सी. फीडर बसेज चलाई जाएं। अगले 6 महीने में हम आशा करते हैं कि ये चलनी स्टार्ट होंगी। तो जितने भी सदस्य हैं, सभी के यहां पर फीडर सर्विसेज चला पायेंगे। आज की सिचुएशन में नई बस सर्विस स्र्टाट कर पाने के लिए, नई बसें तो मतलब फीडर के लिए तो वैसे भी छोटी बसें चाहिए। क्योंकि बड़ी बसें हैं, जो छोटी सड़को पर चल नहीं सकती हैं, ट्रेफिक जाम होने के चांसिज रहते हैं क्योकि विल टैक सम टाईम्स 6–7 महीने लगेंगे।

अध्यक्ष महोदय : सरिता जी।

श्रीमती सरिता सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहूँगी कि शाहदरा मैट्रो से लोनी तक जो पूरा रूट है, वो पूरा जाम पैक होता है और वहां भयंकर तरीके से जाम लगता है जिसके कारण बहुत

हद तक वहां पर जो ऑटो चलते हैं और ई–रिक्शा चल रही है, उनकी इरेग्यूलेरिटी है कि वहां पर कोई पार्किंग मौजूद नहीं है। वहां पे जाम कैसे रोका जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और डिपार्टमेंट में कई बार इसको लेकर बात हो चुकी है। तो क्या डिपार्टमेंट का अभी तक इसमें क्या काम हुआ है, ये मैं मंत्री जी से जानना चाहूँगी। जाम को रोकने के लिए या जाम को खत्म करने के लिए।

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सड़कों के ऊपर जैसे मैंने अभी बताया कि पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों के ऊपर उसका मैनेजमेंट जो है डिवाइडिड है। एन्फोर्समेंट दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रेफिक पुलिस के हाथ में है और जैसा कि अभी बताया था कि कुछ चीजें एम.सी.डी. अभी भी देख रहा है। सफाई का काम एम.सी.डी. देखता है। उसको बनाने का काम या मेन्टेन करने का काम पी.डब्ल्यू.डी. देखता है और हम पहली बारी उसके अन्दर कोशिश कर रहे हैं कि मैनेजमेंट के काम में भी पी.डब्ल्यू. डी. की भागेदारी की जा सके ताकि कम से कम जो इल्लीगल पार्किंग की बात है, अगर 2 हजार रुपये का चालान होगा तो 100 रुपये के चालान से कोई डरता नहीं है। हम आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इसको लागू करा कर इल्लीगल पार्किंग हटाई जा सके और सड़कें ट्रेफिक के जाम से मुक्ति पा सकें। थैंक्यू

अध्यक्ष महोदय : दो सप्लीमेंट्री देखे। एक सैकण्ड चलिए आप बोलिए। लास्ट है बस इसमें।

वेद प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी से शन में लगाया था कि बवाना डिपो 1969 में खुला था जी, जब मैं पैदा हुआ था जी। वहां

पर बहुत ज्यादा बसें होती थी 100—150 के करीब और पूरा एन.सी.आर. खरखोदा, सोनीपत वगैरह वहां से जुड़ा हुआ है और वहां न कोई मैट्रो है जी, न कोई फीडर बस सेवा है और मेरे रो पीट कर बहुत चक्कर काटने के बाद 10 बसें आती हैं, आठ रस्ते में खराब हो जाती हैं या तो उस डिपो को मुर्दाघर घोषित कर दो या जी वहां कोई बस दे दो प्लीज। इतना दुखी हूँ जी शायद ही कोई एम.एल.ए. इतना दुखी होगा जी। पूरी दिल्ली में हर रोज आदमी आते हैं स्कूलों के बच्चे भी आते हैं जी 100—100 बच्चे आ जाते हैं। 36 सरकारी स्कूल हैं, 4—5 सारी बसें लगी हुई है मेरे यहां से बसें डिपो भलस्वा तक जाती हैं जी लेकिन मेरे इलाके में कोई काम नहीं करती जी।

अध्यक्ष महोदय : हो गई, आपकी बात हो गई ना?

श्री वेद प्रकाश : माननीय मंत्री जी एक बार प्लीज तरस खा के थोड़ा सा बता दो 50, 20—25 बस दे दो कि वहां गरीब लोग, न कोई फीडर बस सेवा, न कोई मैट्रो है, न लोगों के पास कार है और 35 किलोमीटर लम्बी विधान सभा है जी। कुछ न कुछ आश्वासन दे दो पब्लिक को बता दूँगा जा के कि कुछ होने वाला है प्लीज...

परिवहन मंत्री : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को एक खुशखबरी देना चाहूँगा मैट्रो फेज—फोर के अन्दर बवाना के लिए हमने मैट्रो पास कर दी है और जल्द ही मैट्रो बन जाएगी और वो आप ही की बदोलत है आपने काफी इसके लिए कोशिश की थी और वह पास हो चुका है अब जल्द से जल्द नेकस्ट फेज के अन्दर आपके यहां मैट्रो पहुंच जाएगी। साथ ही साथ बसेज के लिए, जैसे मैंने फीडर बसेज

के बारे में बताया कि अभी दिल्ली परिवहन निगम कोई भी फीडर बस नहीं चलाती है, फीडर बसेज की समस्या आप देख रहे हो, सभी सदस्य फीडर बसेज की मांग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने बहुत महत्वकांक्षी योजना बनाई है, सभी जगह फीडर बसेज चलाने के लिए अगले 6, 7–8 महीने में इसको चलाया जाएगा। जहां तक आपने बताया है कि 10 में से अगर 8 बसें खराब होती है तो उसकी बिल्कुल जांच कराई जाएगी, बिल्कुल ठीक कराया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 45 पंकज पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्कर : माननीय महोदय प्रश्न संख्या 45 का उत्तर देने के लिए मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि प्रश्न संख्या 45 का उत्तर देने की कृपा करें।

लोक **निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर बागवानी कार्य, स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य एवं उसका रख–रखाव तथा सड़कों के निर्माण एव रख–रखाव हेतु लगाए गए कर्मचारियों का श्रेणीवार तथा किलोमीटरवार विवरण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि समान पद एवं दायित्व वाले कर्मचारियों में कार्य का आबंटन समान रूप से नहीं किया जाता; और

(ग) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

परिवहन मंत्री : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 45 का जवाब निम्नलिखित है।

(क) 1. लोक निर्माण विभाग में सड़कों का निर्माण कार्य प्लान हेड के अंतर्गत ठेके पर किया जाता है।

2. नॉन प्लान हेड (रखरखाव) का कार्य भी कार्यप्रभारित कर्मचारियों की कमी के कारण अधिकतर ठेके पर ही करवाया जाता है। जिसके सुपरविजन के लिए कर्मचारियों को काम की आवश्यकता अनुसार लगाया जाता है।

3. स्ट्रीट लाइट लगाने का मूल कार्य भी ठेके पर ही कराया जाता है। परन्तु रखरखाव संबंधित कार्य DiscomAgencies (TPDDL/BSES/BYPL) को दिया गया है।

4. कर्मचारियों की कमी के कारण बागवानी का कार्य भी ठेके पर दिया गया है।

कर्मचारियों/अधिकारियों की सूची सड़क अनुसार संलग्न है।

(ख) समान पद एवं दायित्व वाले कर्मचारियों में कार्य का आबंटन कार्य की आवश्यकता, महत्वता एवं कार्य की परिस्थिति के अनुसार किया जाता है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

तारांकित प्रश्न सं. 45

North Circle

अनलुग्नक

S. No.	Name of Roads	Length (inKm)	JE in charge/ Mobile No.	AE in charge Mobile No.	EE in charge/ Mobile No.
1	2	3	4	5	6
1	Indra Park Road	0.380	Sh. Sachin Choudhary 9560134704	Sh. R.P. Verma 9868704799	Sh. Bishamer Dass 9873245771
2	Khera Kalan to Holambi Kalan via Naya bans	7.00	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771
3	Rail¡y Crossing to Holambi Khurd	0.70	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771
4	Subhash Chowk Bhakhtar Pur to Palla	3.20	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771
5	66 Gt. Road Libaspur to Gurudra Road	1.70	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771

1	2	3	4	5	6
6	G.T. Karnal Road to Siraspur Village	2.00	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771
7	Ramdev Chowk Narela to Kanya Gurukul	1.90	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771
8	NarelaAlipur Road from Narela Y section to Shahpur Garhi	3.40	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771
9	NH-44 to Bakhtar Pur	3.50	Sh. Suresh Chand Baires 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771
10	Bhals¡ Dairy Road from Flood Road to C BlockAlong Bhal¡ Lake via Shani Bazar	1.830	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771
11	Rail¡y Road from NH-44 to Badli Rail¡y Staion	1.25	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771
12	ORR Mukarba Chowk Flyover	6.80	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771
13	Jahangirpuri Main Road from G.T. Road red Light to Fire Station	1.395	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771

14	LalaAuchint Ram Road from Stadium Road to Pambari Road	0.950	Sh. Sachin Choudhary 9560134704	Sh. R.P. Verma 9868704799	Sh. Bishamer Dass 9873245771
15	Brahamkumari Marg from Mail Road to G.T. Road	0.650	Sh. Sachin Choudhary 9560134704	Sh. R.P. Verma 9868704799	Sh. Bishamer Dass 9873245771
16	G.T. Road from Gurudwra Nanakpiao toAzadpur Round About	2.000	Sh. Sachin Choudhary 9560134704	Sh. R.P. Verma 9868704799	Sh. Bishamer Dass 9873245771
17	Subhash Chowk Bhaktawr Pur to Hiranki Bandh	4.20	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771
18	Kushal Cinema Road Starting from Raseela Paint Shop to T Point Prya Road in Jahangirpuri-I, W. No. 16 Civil Line Zone	1.102	Sh.Anmol Kumar 8742957738	Sh. S.K. Bali 9717322310	Bishamer Dass 9873245771
19	Dhobhi Ghat Road Starting from Kushal Cinema Chowk to oShahAlam Bandh Road	0.450	Sh.Anmol Kumar 8742957738	Sh. S.K. Bali 9717322310	Bishamer Dass 9873245771

1	2	3	4	5	6
20	Malik Ram Tandon Marg from Road No. 51 to Shah Alam Bandh Road	0.890	Sh.Anmol Kumar 8742957738	Sh. S.K. Bali 9717322310	Bishamer Dass 9873245771
21	Shah Alam Bandh Road from Burari Road t o 80" Road (ROW) At Malik Ram Tondon Road upto Road No. 51	1.550	Sh.Anmol Kumar 8742957738	Sh. S.K. Bali 9717322310	Bishamer Dass 9873245771
22	Shah Alam Bandh Road from Main G.T. Road to Malik Ram Tandon Marg	1.400	Sh.Anmol Kumar 8742957738	Sh. S.K. Bali 9717322310	Bishamer Dass 9873245771
23	Mangal Bazar Road Starting from Kushal Road Green Belt to ShahAlam Bandh Road	0.400	Sh.Anmol Kumar 8742957738	Sh. S.K. Bali 9717322310	Bishamer Dass 9873245771
24	Prayas Road (from Shah Alam Bandh Road to Dhalao, Jahangirpuri)	0.700	Sh.Anmol Kumar 8742957738	Sh. S.K. Bali 9717322310	Bishamer Dass 9873245771

25	Fire Station to Pump House	0.550	Sh.Anmol Kumar 8742957738	Sh. S.K. Bali 9717322310	Bishamer Dass 9873245771
26	Mail Road Extension from Azadpur Flyover to Mukarba Chowk	3.35	Sh. Sachin Choudhary 9560134704	Sh. R.P. Verma 9868704799	Sh. Bishamer Dass 9873245771
27	Model Town-III Road from Mail Road toArya Samaj Mandir	0.727	Sh. Sachin Choudhary 9560134704	Sh. R.P. Verma 9868704799	Sh. Bishamer Dass 9873245771
28	Princess Road from Mail road to Road No. 51	3.10	Sh. Sachin Choudhary 9560134704	Sh. R.P. Verma 9868704799	Sh. Bishamer Dass 9873245771
29	Road No. 51 from Azadpur Flyover to Outer Ring Road	2.50	Sh. Sachin Choudhary 9560134704	Sh. R.P. Verma 9868704799	Sh. Bishamer Dass 9873245771
30	Mahatma Gandhi road (Ring Road) from Camp Chowk to Azadpur Flyover	3.50	Sh. Sachin Choudhary 9560134704	Sh. R.P. Verma 9868704799	Sh. Bishamer Dass 9873245771
31	Stadium Road from Chattrshal Stadium Mail Road to GT Road	0.680	Sh. Sachin Choudhary 9560134704	Sh. R.P. Verma 9868704799	Sh. Bishamer Dass 9873245771

1	2	3	4	5	6
32	Model Town II Road from Mail Road to F-14/56 Model Town	0.495	Sh. Sachin Choudhary 9560134704	Sh. R.P. Verma 9868704799	Sh. Bishamer Dass 9873245771
33	Old G.T. Karnal Road	3.00	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771
34	NarelaAlipur Road from Shahpur Grahi to Old GTK RoadAlipur	5.02	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771
35	New GT Road to Old GT Road (via PHCAlipur) from Neeew GTK Road to Old GTK Road	0.38	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771
36	Holambi Khurd Crossing to Shahpur Garhi turn	1.90	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771
37	Narela Safiabad Road from Narela to Safiabad Border	2.90	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771
38	Narela Lampur Road from Narela to Lampur Border	3.80	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771

39	Nangli Puna Underpass to Khera Kalan Rail¡y X-ing	3.00	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771
40	NH-44 from Nangli Puna to Singhu Border	5.40	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771
41	RD 15.900 26.300 Singh border to CRPFCamp Ba¡na	5.40	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. S.P. Khaneja 9811081453	Bishamer Dass 9873245771
42	ITI Road from Main Jahangirpuri Road to MetroApp.	0.324	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771
43	Back side K Block Road from MetroApp. to dividing road K Block	0.170	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771
44	Lucky Park Road from J-51 to J-1951	0.500	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771
45	Lucky Park Road to I-2000 (Back Side Road)	0.350	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771
46	Mangal Bazar Road B Block	0.550	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771

1	2	3	4	5	6
47	Zonal Park Road C Block	0.550	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771
48	S¡roop Nagar Raod	2.000	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771
49	G.T. Road to Western Yamuna Canal	2.770	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771
50	G.T. Karnal Road to Libaspur Road	1.60	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771
51	Libaspur to Siraspur Road	0.50	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771
52	Mam Chand Dhania Marg	2.700	Sh.Arvind Kumar 9990297795	Sh. Suresh Pal 9868219266	Bishamer Dass 9873245771
53	From Western Yamuna Canal toAuchandi Border	18.500	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. K.S. Dahiya 9810654956	Bishamer Dass 9873245771
54	Auchandi Border to Tatesar Village	9.300	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. K.S. Dahiya 9810654956	Bishamer Dass 9873245771

55	Majra Dabbas to Sannoth Mor	8.00	Sh. Suresh Chand Bairwa 8826718940	Sh. K.S. Dahiya 9810654956	Bishamer Dass 9873245771
		142.863			
			West Circle		
1	Nanglor - Najafgarh Road	5.50	Karam Veer 9654402679	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
2	Najafgarh Road (Shivaji Marg) (Kakrolla Mor to Sai Baba Mandir)	3.00	Karam Veer 9654402679	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
3	Road from front ofAmbedkar Market from Shop No. 1 to 130. Raghubir Nagar	0.305	Sh. Shivakant 8860035127	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
4	Road No. 235	0.35	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhard¡j 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
5	Shri Krishan Gyan Mandir Marg	0.660	Sh. Shivakant 8860035127	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920

1	2	3	4	5	6
6	Road No. 4 from H. No. 11 And North WestAvenue Road to 23/4 in Punjabi Bagh Extn.	0.150	Sh. Shivakant 8860035127	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
7	Devki Nandan Marg	0.78	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
8	Vedic Marg	1.35	Ankur Gos¡mi 9950265713	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
9	Shaheed Bhagan Singh Mirg. (Jail Rd)	1.40	Ajay Vishraj 8800146761	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
10	B1-B2 Connecting Road	0.59	Ajay Vishraj 8800146761	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
11	Prem Nagar Gurud¡ra Rd.	0.52	Ajay Vishraj 8800146761	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
12	Shaheed Mangal Pandey Marg	0.74	Ajay Vishraj 8800146761	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738

13	Bhai Kanheya Ji Marg (ITI Road)	0.67	Ajay Vishraj 8800146761	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
14	Shaheed Raj Guru Marg Vikas Puri	1.28	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
15	DA-1 Hari Nagar to DB-1 Hari Nagar	0.42	Ankur Goswami 9950265713	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
16	B2 Block Sabzi Mandi Road	0.40	Ajay Vishraj 8800146761	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
17	Mangal Pandey Marg (Hari Nagar Clock Tower to Maya Puri)	0.85	Ajay Vishraj 8800146761	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
18	Sant Berw Marg with Titar Pur drain	0.60	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
19	2/1 to 2/10Ashok Nagar	0.60	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
20	Road No. 235 extension	0.76	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738

1	2	3	4	5	6
21	70 Block ParkAshok Nagar to Tihar No. 2 School	0.52	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
22	BA-BB Block Road	0.38	Ajay Vishraj 8800146761	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
23	H. No. 61 to 3/200 Subhash Nagar	0.68	Ankur Goswami 9950265713	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
24	H.No. 8/1 to 14/149 Subhash Nagar	0.35	Ankur Goswami 9950265713	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
25	H.No. 10/1 to 14/97 Subhash Nagar	0.29	Ankur Goswami 9950265713	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
26	Sardar Kul¡nt Singh Sethi Marg	1.05	Ankur Goswami 9950265713	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
27	Shaheed Bhagat Singh Mrg. (Jail Rd)	2.28	Ajay Vishraj 8800146761	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
28	Capt.Anuj Nayyar Marg.	0.67	Ajay Vishraj 8800146761	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738

29	Possangi Pur Road	0.40	Ranjeet Srivastva 9821691159	Sudesh Kumar 9818011179	A.K. Sahana 9747487738
30	Road OppAIB Block Janak Puri	0.28	Vishal Seth 9650167976	Sudesh Kumar 9818011179	A.K. Sahana 9747487738
31	Keshopur Sabzi Mandi Red Light (Outer Ring Road) to Subhash Nagar Drain	0.39	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
32	Road from NavyugAppt. to IFC drain (BrotherhoodAppt.) Vikas Puri	0.38	Rajat 9868014576	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
33	Road Starting from Oxford School toAirportAppt. (PWD Road) Vikas Puri	0.88	Jai Raghuvinder 9868053348	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
34	Road between Lok ViharApp. (PWD Road) to F bock Market Vikas Puri	0.68	Jai Raghuvinder 9868053348	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
35	Road No. 28	1.930	Sh. Shivakant 8860035127	Sh. Virendra Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920

1	2	3	4	5	6
36	Shivdass Puri Marg	2.000	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
37	Rohtak Road from Zakhira to Punjabi Bagh	2.100	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
38	Major Sudesh Gadok Marg (J 12/1 to NG Road)	0.62	Yogesh Joshi	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
39	Brain Public School Road	0.75	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
40	K.R. Manglam	0.54	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
41	H.No. 14/35 to 13/101 Subash Nagar (Near Shandley School)	0.45	Ankur Goswami 9950265713	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
42	Ashok Nagar Road	0.32	Ankur Goswami 9950265713	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
43	Ayodhya Prasad Chopra Marg	0.45	Ankur Goswami 9950265713	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738

44	Road No. 32 to 17/117 Subash Nagar	0.35	Ankur Goswami 9950265713	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
45	Major Rajeev Laul Marg	0.88	Ajay Vishraj 8800146761	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
46	Authority Road (Janak Puri)	0.65	Ranjeet Srivastva 9821691159	Sudesh Kumar 9818011179	A.K. Sahana 9747487738
47	Mota Singh Road	0.98	Ranjeet Srivastva 9821691159	Sudesh Kumar 9818011179	A.K. Sahana 9747487738
48	A-1 Block Main Road	0.62	Vishal Seth 9650167976	Sudesh Kumar 9818011179	A.K. Sahana 9747487738
49	Asalatpur Road	0.16	Vishal Seth 9650167976	Sudesh Kumar 9818011179	A.K. Sahana 9747487738
50	Asalatpur Road-II	0.79	Vishal Seth 9650167976	Sudesh Kumar 9818011179	A.K. Sahana 97474877380
51	100 Road (Patel Chowk to Subhash Nagar Drain (Patel Chowk Road)	0.80	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738

1	2	3	4	5	6
52	100 Road New Khayala Road	0.70	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
53	Arya Samaj Marg	0.12	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 97474877380
54	Major Sudesh Marg (NG Road to Ring Road)	1.90	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 97474877380
55	Najafgarh road from Subhash Nagar Crossing to Dhauli Piao	4.20	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
56	Road from F-234 to IFC drain (Over head tank) Vikas Puri	0.25	Rajat 9868014576	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
57	Road from ITI Corner (Flat No. 85) to Central School Corner (Flat No. 391) LIG Flat Hastsal	0.24	Rajat 9868014576	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
58	Major Deepak Tyagi Marg	0.97	Vishal Seth 9650167976	Sudesh Kumar 9818011179	A.K. Sahana 9747487738

59	Road between DevdootAppt. to ParmarthAppt. PWD Road Vikas Puri	0.28	Rajat 9868014576	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
60	Shanti Devi Marg	0.38	Ankur Goswami 9950265713	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
61	B-2/Dharam Marg	1.38	Ajay Vishraj 8800146761	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
62	Gurudwra Road	0.63	Ajay Vishraj 8800146761	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
63	Sakti Mandir Marg	0.20	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
64	Najafgarh Road	1.95	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
65	AD-1 to BF-31 (Tagore Garden)	0.60	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
66	Pelicon Road from Guru Virzanand Marg to Road No. 235 Extension	0.91	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738

1	2	3	4	5	6
67	H-Block to Vikas Puri	0.19	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
68	Road No. 236	1.80	Rajat 9868014576	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
69	Road between JupiterAppt. to PriyaAppt. PWD Road Vikas Puri	0.39	Rajat 9868014576	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
70	Road between NalandaAppt. To NightingaleAppt. Vikas Puri	0.54	Rajat 9868014576	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
71	Roaad SunriseAppt. to DAV School (PWD Road) Vikas Puri	0.44	Rajat 9868014576	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
72	Guruvirja Nanad Marg	2.70	Jai Raghuvinder 9868053348	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
73	Delhi Rohtak Road (NH-10) from Metro Pillar No. 415 to Mundka Phirni	4.000	Sh.Amandeep Kamboj 9911558786	Sh. R.B. Nehra (Additonal Charge) 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920

74	Delhi Rohtak Road (NH-10)	4.500	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
75	Road from GH-6 Chowk to GH-5And 7 Pasehim Vihar	0.292	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
76	Road from Garg Plaza to L.I.C. Colony Pasehim Vihar	1.322	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
77	Road from GH-13 to Sayed Nangloi village Chowk Paschim Vihar	0.902	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
78	Road from Sant Mar'ks School to DDA Mkt. GH-5 & 7 Paschim Vihar	0.435	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
79	Road from Rblock ja¡lapuri to Sai mandir Guru Harkirshan Nagar	0.360	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
80	Road from H.No.A-250 to Shiv Mandir Road m C-103 Punjabi Bagh	0.480	Sh. Shivakant 8860035127	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920

1	2	3	4	5	6
81	Road from Milan Cinema to H.No. 19/289	0.420	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
82	Road from HH. to Bus Terminal of 234 Karrampura	0.412	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
83	Hemvati Nandan Bahnguma Marg	0.800	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
84	Road from House No. H-1 to 1-47 near Milan Cinema Karmapura	0.400	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
85	Mandhav Setu Marg	0.605	Sh. Rajeev Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
86	Road from Outer Ring Road Meera Bagh to GH-8 Fire Station Paschim Vihar	1.251	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
87	Najafgarh Road toA-71 Rajouri Garden	0.04	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738

88	Delhi Rohtak Road (NH-10)	2.700	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
89	Goswami Tulsi Dass Marg i.e. Road No. 32	1.60	Ankur Goswami 9950265713	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
90	Road between KrishiAppt. to DAV school (PWD Road)	0.30	Rajat 9868014576	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
91	Dr. Kundan Lal Marg	0.42	Ankur Goswami 9950265713	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
92	RajouriAppartment Road	3.00	Ankur Goswami 9950265713	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
93	H.No. 11/76 to 11/85 Subhash Nagar	0.05	Ankur Goswami 9950265713	G.S.L. Bhatnagar 9868100158	A.K. Sahana 9747487738
94	Najafgarh Road (Shivaji Marg) (Dhaulli Piao to Pankha Road Red Light)	1.25	Vishal Seth 9650167976	Sudesh Kumar 9818011179	A.K. Sahana 9747487738
95	Ring Road toA-31 rajori garden	0.05	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738

1	2	3	4	5	6
96	J. Krishnatrey Marg	0.11	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
97	DE-131 to Community Hall	0.22	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
98	RoadAdjeent to PVR Complex Vikas Puri	0.15	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwak 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
99	Road No. 237	0.45	Rajat 9868014576	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
100	Najafgarh Road (Shivaji Marg) (Pankha Road Red Light to Kakrolla Mor)	3.00	Karam Veer 9654402679	Sanjay Kumar Rao 8447023542	A.K. Sahana 9747487738
101	Road from Road no. 29 to R Block "T" Hart	1.180	Sh. Shivakant 8860035127	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
102	Road from Bhagat Singh Colony (opp-plot No. 66 Shivaji Enclave) to FA-33 Shivaji Enclave (On P'wd) Road No. 28)	0.600	Sh. Shivakant 8860035127	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920

103	Road from Shivaji College (PWD) Road No. 28 to Bhagat Singh Colony	0.710	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
104	Punjab Garden Road	0.210	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
105	Bhagwn Dass Marg (K.C. Garg Marg)	0.300	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
106	Road from Bus Route B-14 Tagore Market to G-82 Kirti Nagar	0.910	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
107	Najafgarh Road from Moti Nagar to Raja Garden	2.200	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
108	Patel Road	2.930	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
109	Vishkarma Marg	1.000	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
110	Suman Lata Badola Marg	0.243	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920

1	2	3	4	5	6
111	80' Road Chowkhandi Road	1.00	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
112	Tanki Marg	0.20	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
113	From G-1 Block Vikas Puri to Palican Road Vikas Puri	0.52	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
114	Road from H-Block To H-3 Block	0.54	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
115	Prof Joginder Singh Marg (In front of Janakpuri Distt. Centre)	1.18	Ranjeet Srivastva 9821691159	Sudesh Kumar 9818011179	A.K. Sahana 9747487738
116	Road No. 28	0.50	Yogesh Joshi 9795313669	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
117	Lala Ganesh Dass Marg	1.27	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
118	Road between Two Blocks of G-Block Vikas Puri	0.24	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738

119	Chowkhandi Road	0.22	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
120	Tilak Nagar To 20 Block Tilak Vihar	0.50	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
121	Road from Guruvirjanand Marg to Distt. Park, Vikas Puri	0.14	9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
122	Tilak Vihar Main Road	0.54	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
123	Tilak Nagar Main Market Road	0.07	Pavanendra 9991514242	Balbir Bhardwaj 9811950358	A.K. Sahana 9747487738
124	Delhi Rohtak Road (NH-10) from Mundka Phirni to Tikri Boader	7.000	Sh.Amandeep Kamboj 9911558786	Sh. R.B. Nehra (Additonal Charge) 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
125	Road from 48 NWA Ch. Balbir Singh Marg to Road No. 32 (Road No. 33)	0.390	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
126	Vashisth Kumar Gulla Marg	1.390	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920

1	2	3	4	5	6
127	Ch. Balbir Singh Marg (Club Road)	0.390	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
128	Road from Road No. 41 from H.No. 1 to 81 in West Punjabi Bagh	1.715	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
129	Maharishi Road from B-1 to C-17	0.475	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
130	Rama Road (Satguru Ram Singh Marg)	1.695	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
131	Lai Sai Mandir Marg D/Story	0.325	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
132	Smt. Ginni Devi Road	0.750	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
133	Ring Road from Punjabi Bagh to Mayapuri Flyover	4.750	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920

134	Najafgarh Road from Zakhira Round About to Moti Nagar	2.240	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
135	Road from No. 36 (Sat Guru Ram Singh Marg Maya Puri Chowk to SD Public School)	2.000	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
136	Rama Road (Satguru Ram Singh Marg)	1.200	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
137	Major Rajive Bhasin Marg D/Story	0.325	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
138	Pankaj Batra Marg	0.770	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
139	80' wide Road MS Garden Road	2.490	Sh. Rajveer Meena 8802352659	Sh. Harpinder Singh 9811356083	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
140	Outer Ring Road No. 26	2.800	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
141	Road from Sai Baba Mandir Gh-12 to Gh-8 Firer station Paschim Vihar	0.963	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920

1	2	3	4	5	6
142	Road from Outer Ring Road Bhera Enclave to Sai Baba Mandir Paschim Vihar	1.251	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
143	Laxmi Narain Marg (N.S. Road)	0.700	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
144	Ch. Prem Sukh Road	1.292	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
145	60' road in Jawla Puri	1.150	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
146	Road from Capital Plaza Market to JhajAptt. Mian¡li Nagar	0.350	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
147	Road from Vindhaehal Aptt. to Viral Co. Op. Society Mianwli Nagar	0.350	Sh. Balbir Singh 9899751635	Sh. R.B. Nehra 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
148	N.A. Road	1.000	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920

149	Road from Shiv Mandir Road (Rohtak Road) to shiv Mandir Madipur Village	0.700	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
150	Road from Madipur Main Road from Rohtak Road to Paschim Puri Chowk	1.000	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
151	Road No. 77 (Punjabi Bagh)	1.410	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
152	Road No. 29	2.800	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
153	Road from Najafgarh Road to Flat No. 13. Four Storey Qtrs. Tagore Garden Extension	0.190	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
154	Road fromA-23 Vishal Enclave (NG Road) to B-33 Vishal Enclave (PWD Road No. 28) (Vishal Cinema Road)	0.700	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920

1	2	3	4	5	6
155	Road from Flat No. 157 Four Story to Vishal Road (opp. Police Station Rajouri Garden)	0.470	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
156	Guru Golwalkar Marg (Kanjhawala Road)	9.800	Sh.Amandeep Kamboj 9911558786	Sh. R.B. Nehra (Additonal Charge) 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
157	Najafgarh Nangloi Road from NH-10 to Rishal Garden		Sh.Amandeep Kamboj 9911558786	R.B. Nehra (Additonal Charge) 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
158	Road from Ghevra More to Chand Pur More	7.900	Sh.Amandeep Kamboj 9911558786	Sh. R.B. Nehra (Additonal Charge) 9355666768	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
159	Road from Paschim Puri Chowk to New Slum Qtrs.	0.450	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
160	Road No. 32 (Hans Raj Model School) to Road No. 33	1.510	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920

161	Road from Najafgarh Road to WZ-494. Basai Darapur (Sheo Nath Tyagi Marg)	0.675	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
162	Road from H-1 Bali Nagar (NG Road) to ESI Hospital (Ring Road) Major Sunil Bakshi Marg	0.520	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
163	Road from Sant Bairwaj Marg to Road No. 28	0.390	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
164	Road from R-17 to D-335 Raghubir Nagar	0.192	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
165	Road from C-1 to C-194 Raghubir Nagar	0.188	Sh. Shivkant 886003527	Sh. Virendera Singh 9968296526	Sh. D.V.S. Kansal 9873601920
		182.421			
			North West Circle		
1	Road No. B-8	1.180	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

1	2	3	4	5	6
2	Shyamji Krishan Verma Marg (Road No. 44)	2.00	Er. Devender Prasad/ 9899894912	Er. M.L. Garg/ 9868383698	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
3	S.N. Hardiker Marg (Road No.A-1)	1-190	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh Praveen Kathuria 9971669344
4	Road No. B-6	1.000	Sh. Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
5	Rampura main road	1.20	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
6	Gulab Singh Marg from G.T. road to Road No. 37 Prena Chowk	3.10	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
7	Road No. 38	1.45	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er Praveen Kumar Kathuria / 9971669344

8	Nimri colony Road	3.40	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
9	Tawetia Marg	1.03	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
10	K.C. Goel Marg upto Underpass	0.65	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
11	Bhao Rao Dev Ras Marg	1.400	Sh. Rajesh Mewada 9873754012	Sh. Kartar Singh 9910877172	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
12	Guru Harkishan Marg (Road No. 43)	1.800	Sh. Rajesh Mewada 9873754012	Sh. Kartar Singh 9910877172	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
13	Guru Harkishan Marg (Road No. 43)	1.700	Sh. Rajesh Mewada 9873754012	Sh. Kartar Singh 9910877172	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
14	Guru Birja Nand Marg	1.400	Sh. Rajesh Mewada 9873754012	Sh. Kartar Singh 9910877172	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

1	2	3	4	5	6
15	Road No. 30	2.000	Sh. Rajesh Mewada 9873754012	Sh. Kartar Singh 9910877172	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
16	Guru Govalkar Marg (Outer ring road Xing Mangolpuri Marble Market to Rajeev Nagar)	5.8		Sh. Raj Kishore Raj,AE. 9971409602	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
17	Road no.316	1.400	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
18	Road No. 318	0.850	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
19	Road From PocketA-2 to Pkt. C-13 in Sec. 3 Rohini	1.000	Sh. Jai Singh 9132101073	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
20	Dr. K.N. Katju Marg (45m wide road)	3.770	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
21	Shiva Road from Ring Road to Dividing Road of Sec. 5 & 6 Rohini	2.217	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

22	FromA-1 to F-3 Block near NDPL office Sec. 11, Rohini	1.500	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
23	Rail¡y Road (Sardar Balbir Singh Sandhu Marg) Road No. 43 to URB Shakurbasti	0.99	Er. Devender Prasad/ 9899894912	Er. M.L. Garg/ 9868383698	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
24	Outer Ring Road	2.80	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. Baljeet Singh Ropari/ 9911371317	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
25	T.V. Tower Road	0.66	Er. Subhash Tomar/ 9958138151	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
26	Maharaja Agarsen Road	2.84	Er. Subhash Tomar/ 9958138151	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
27	Canal Road	0.88	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344

1	2	3	4	5	6
28	Sir Chotu Ram marg (Road No.A-3)	1.000	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
29	LP Road (Tank Road) Mangolpuri	1.200	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
30	B-Block Road Mangolpuri	1.400	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
31	Road from Pocket 1-22 to Pocket 11-34 in Sec-3 Rohini	1.000	Sh. Jai Singh 9312101073	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
32	Nagloi Rly Sun to Sultanpuri Bus Terminal via Jalebi Chowk	2.100	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
33	Maharaja Aggarsen Marg (Road No. 42-A)	2.300	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
34	Rama Road Sec. 8 Rohini	0.730	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

35	Road from Road No. 41-A to Rama Road in Sec.8 Rohini	1.050	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
36	Sawran Jayanti Park Road, Sec. 9 & 13	1.680	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
37	Old Rohtak Road	3.00	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
38	Shaheed Udham Singh Marg	1.60	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
39	Swami Shardanand Sarawati Marg	1.20	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
40	Gyan Shakti Mandir Marg	1.25	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344

1	2	3	4	5	6
41	Pardeshwar Dham Mandir Marg	1.10	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
42	Madhav Marg	1.60	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
43	K.C. Goel Marg	0.76	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
44	Shri Ram Kishan Mandir Marg	0.55	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er Praveen Kumar Kathuri/ 9971669344
45	Deep Chand Central Market	1.00	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344

46	Road No. 37 (Maharaja Nahar Singh Marg)	300	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
47	Sunrise Appartment (K.N. Katzu Marg) to Neelkanth Appartment (K. N. Katzu Marg)	0.975	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
48	Road No. 41-A Bhagwan mahavir Marg.	3.995	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
49	Deen Bandhu Sir Chotu Ram Marg (Road No.A-4)	1.000	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
50	Road from F-3 block to H-4 in Sec. 11, Rohini	0.700	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
51	From Block H-1 to H-5 block Sec. 11, Rohini	0.650	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
52	From F-1 to H-2 Block near NDPL office Sec. 11, Rohini	0.700	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

1	2	3	4	5	6
53	From C-4 toA-3 Block near NDPL office Sec. 11, Rohini	0.650	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
54	From Community Centre to NDMC Colony, Sec. 11, Rohini	0.690	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
55	G-I To E-5 (Length 0.650 KM)	0.650	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
56	G-7 To G-1 (Length 1.000 KM)	1.000	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
57	A-2 To E-3 (Length	0.650	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344)
58	Jhule Lal Mandir Marg Shalimar Bagh	1.25	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
59	Ring Road	3.20	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344

60	Road No. 40 (Bir Bandhan Bairagi Marg)	3.450	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
61	Swamy Narayan Marg	2.94	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
62	Kalidaas Marg (Sarai Rohilla Flyover)	0.70	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
63	Nand Lal Marg	1.11	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
64	Azad Road	1.49	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
65	HajjiAbdul Salam Quareshi Marg	0.48	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344

1	2	3	4	5	6
66	Patap Nagar Road	0.75	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
67	Bhagat Singh Road	0.31	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
68	Link Road (East Moti Bagh)	0.17	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
69	Link Road	0.21	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
70	Road No. 37 Ext.	0.32	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344

71	Kabir Das Road	1.59	Er. Devender Prasad/ 9899894912	Er. M.L. Garg/ 9868383698	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
72	Eklavya Marg	0.37	Er. Devender Prasad/ 9899894912	Er. M.L. Garg/ 9868383698	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
73	Veer Hemu Marg	1.09	Er. Devender Prasad/ 9899894912	Er. M.L. Garg/ 9868383698	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
74	Maharishi Parshu Ram Marg	0.75	Er. Devender Prasad/ 9899894912	Er. M.L. Garg/ 9868383698	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
75	Tri¡lubar Marg	0.29	Er. Devender Prasad/ 9899894912	Er. M.L. Garg/ 9868383698	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
76	Main Road of G-Block & H-Block	0.33	Er. Devender Prasad/ 9899894912	Er. M.L. Garg/ 9868383698	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344

1	2	3	4	5	6
77	Valmiki Road	0.60	Er. Devender Prasad/ 9899894912	Er. M.L. Garg/ 9868383698	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
78	Abdul Hamid Marg	0.78	Er. Devender Prasad/ 9899894912	Er. M.L. Garg/ 9868383698	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
79	RUB Shalimar Bagh Road	0.60	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
80	Dividing Road	0.26	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
81	Abhinav model School	0.40	Er. Subhash Tomar/ 9958138151	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344

82	Ahinsa Path Road	0.40	Er. Subhash Tomar/ 9958138151	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
83	NP-MP Road	0.46	Er. Subhash Tomar/ 9958138151	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Kathuria/9971669344
84	SP School Road	0.65	Er. Subhash Tomar/ 9958138151	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
85	BDFD Road	0.54	Er. Subhash Tomar/ 9958138151	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
86	Power House Road	1.03	Er. Subhash Tomar/ 9958138151	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
87	Gopal Mandir Road	1.11	Er. Subhash Tomar/ 9958138151	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344

1	2	3	4	5	6
88	Muni Maya Ram Road	1.74	Er. Subhash Tomar/ 9958138151	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
89	Gurud¡ra Road	0.60	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
90	Maharishi Dayanand Marg	0.40	Er. Subhash Tomar/ 9958138151	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
91	Bhagwan Manvir Marg	0.54	Er. Subhash Tomar/ 9958138151	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
92	Club Road	0.60	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344

93	K.L. Bagga Marg	0.60	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
94	Handerpur Main Road	0.90	Er. Sheikh Nizam/ 9899248998	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
95	Ram Leela Ground Road	0.88	Er. Subhash Tomar/ 9958138151	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
96	Road No. 41	3.00	Er. Subhash Tomar/ 9958138151	Er. Baljeet Singh Roparia/ 9911371317	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
97	Ch. Mange Ram Marg	0.37	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
98	Sh. Guru. Nanak Dev Ji Marg	0.48	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344

1	2	3	4	5	6
99	Front of Keshavpuram Police station	0.45	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
100	Maharishi Dayanand Saraswati Marg	0.46	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
101	Kulachi Hans Raj School Marg	0.23	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
102	F-Block Market	0.38	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
103	B-Block Market	0.27	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
104	Jhule Lal Marg	0.36	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344

105	Shiv Ram Mandir Marg	0.30	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
106	Lala Lajpat Rai Marg	0.33	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
107	Mata Jai Kaur Road	0.29	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. .Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
108	Sunder Lal Jain Road	0.55	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
109	Bunkar Colony Road	0.22	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
110	Kakaji Lane	0.33	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344

1	2	3	4	5	6
111	Laxmi Bai College Road	0.39	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
112	Main GT Road	1.08	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
113	Bharat Nagar Road	2.09	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
114	Lawrenee Road	0.87	Er. Sudanand/ 9968318994	Er. R.S. Nigam/ 9810070665	Er. Praveen Kumar Kathuria/ 9971669344
115	Ch. Balbir Singh Marg from Road No. 30 to Rohtak Road (NH-10)	1.060	Sh. Rajesh Mewada 9873754012	Sh. Kartar Singh 9910877172	Er. Praveen Kathuria 9971669344
116	Deen Dayal Upadhyay Marg	0.600	Sh. Rajesh Mewada 9873754012	Sh. Kartar Singh 9910877172	Er. Praveen Kathuria 9971669344

117	MajorAshwani Marg	1.000	Sh. Rajesh Mewada 9873754012	Sh. Kartar Singh 9910877172	Er. Praveen Kathuria 9971669344
118	Road between B4And B5 Block Paschim Vihar	0.350	Sh. Rajesh Mewada 9873754012	Sh. Kartar Singh 9910877172	Er. Praveen Kathuria 9971669344
119	Chandra ShekharAzad Marg (Road No. 42)	1.230	Sh. Rajesh Mewada 9873754012	Sh. Kartar Singh 9910877172	Er. Praveen Kathuria 9971669344
120	Mahatma Hans Raj Marg	1.400	Sh. Rajesh Mewada 9873754012	Sh. Kartar Singh 9910877172	Er. Praveen Kathuria 9971669344
121	Sant Nagar M2K Road	0.470	Sh. Rajesh Mewada 9873754012	Sh. Kartar Singh 9910877172	Er. Praveen Kathuria 9971669344
122	Amar Shaheed Bismil Marg	0.940	Sh. Rajesh Mewada 9873754012	Sh. Kartar Singh 9910877172	Er. Praveen Kathuria 9971669344
123	Police Line Road	0.620	Sh. Rajesh Mewada 9873754012	Sh. Kartar Singh 9910877172	Er. Praveen Kathuria 9971669344
124	Par¡na Road,. Saraswati Vihar	2.800	Sh. Rajesh Mewada 9873754012	Sh. Kartar Singh 9910877172	Er. Praveen Kathuria 9971669344

1	2	3	4	5	6
125	Road No. 317	0.350	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
126	Road No. 319	0.350	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
127	Kanjha¡l Link Road	0.400	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
128	Outer Ring road No. 26	0.300	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
129	Sanjay Gandhi Hospital Road from Road No. 316 to J Block Survodya Vidhyalya to Kanjhawla Road	1.600	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
130	Police Station Road from Road No. 3 i.e. Kanjhawla Road to Sanjay Gandhi Hospital Road	1.300	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
131	Kala Mandir Cinema Road in Mangolpuri	0.800	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

132	Road No.A-2 From Pole Star to SCSS-II, Sec., 11/2 Rohini	0.540	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
133	Road from New Bal Bharti Public Schookl to Road No. 3 Sec 2	0.400	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
134	Road from CSC Market Pkt. 4 to Mangolpur Kalan Phiri Road Sec. 2	0.300	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
135	Road from PocketA-1 to Pocket A-2 in Sec. 4 Rohini	0.225	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
136	Road from B-5 to Pocket B-9 in Sec. 4 Rohini MC Pry School	0.310	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
137	Road from MC Pry School 3A to Sarvodaya School in Sec. 3 Rohini	0.325	Sh. Jai Singh 9312101073	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
138	Road from DDA Shopping	0.325	Sh. Jai Singh	Sh. RAS Yadav	Sh. Praveen Kathuria

1	2	3	4	5	6
	centre to Kendriya Vidyalaya in Sec.3 Fohini		9312101073	9868040252	9971669344
139	Jaipur Golden Hospital Road Sec. 3	1.000	Sh. Jai Singh 9312101073	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
140	Sultanpuri Bus Terminal to Flood Control Drain	1.000	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
141	Sultanpuri Main Road	0.600	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
142	Shani Bazar Road	0.600	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
143	H Block Road	0.320	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
144	Jegdamba Road	0.380	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
145	Bhalla Factory Road	0.380	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

146	G-Block Road	0.150	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
147	70 ft Road Kirari	1.25	Dharmendra 8287756785	Sh. L.K. Tripathi Kumar 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
148	PWD Road to DJB Booster Pump (Length 0.270 KM)	0.270	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
149	PWD Road to Babawala Park (Corner of Booster Pump) (Length 0.590 KM)	0.590	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
150	Road No. B-4	1.400	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
151	Road No. B-5	1.640	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

1	2	3	4	5	6
152	Road No. B-7	1.250	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
153	Col Sarna Maarg Sec. 9 & 13	1.020	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
154	Internal Road of Sec. 9 Rohini	0.325	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
155	Internal Road of Sec. 9 Rohini	0.330	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
156	R. N. Gujral Marg Sec. 9	0.265	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

157	ChetakApartment to New MordenApartment Sec. 9	0.265	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
158	Vidhya Vihar to NeelgiriApt. Sec. 9	0.330	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
159	Captain Dahrya Marg Sec. 9 & 13	1.680	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
160	Ahinsha Marg Sec. 9 & 13	1.680	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
161	Kawl kunj Socity to K.N. Katzu Marg (Length 0.265 KM)	0.265	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
162	Fire Station to CRPF School Corner Sec. 14 Rohini (Ram Prasad Bismil Marg)	0.720	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

1	2	3	4	5	6
163	Babosa Chowk to Tulsi Apartment Sec. 14 Rohini	0.550	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
164	PWD Ring Road to Maheswri Apt. Sec. 14 Towrd Sec. 13	0.845	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
165	Rukmani Devi Institute to Rohini Court Sec. 14	0.450	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
166	Connecting road from ORR to Road No. B-5 passing through CRPF School Sec. 14 Rohini	0.860	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
167	A-1/1 to G-18/1 (Length 0. 600 KM)	0.600	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

168	Western Yamuna Canal to Badli Chowk (Length 0.310 KM)	0.310	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
169	G-17/1 to Western Yamuna Canal (Length 0.750 KM)	0.750	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
170	Western Yamuna Canal to Arya Appartment (Length 0.590 KM)	0.590	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
171	Western Yamuna Canal to A7 (Length 0.300 KM)	0.300	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
172	Pradeep Bhatia Marg (Road No.A-5)	1.000	Dharmendra Kumar 8287756785	Sh. L.K. Tripathi 9811573503	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
173	Road No. N-3	1.550	Sh. Jai Singh 9312101073	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

1	2	3	4	5	6
174	G-23/30 to E4/ 15 Sec.7	0.396	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
175	B-6/159 to Naharpur DAV School back side Sec. 7	0.296	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
176	B-22/279 to G-21/222 Sec. 7	0.172	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
177	B-4/30 to CGHS Dispensary Sec.7	0.172	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
178	H 18 to F-25 Sec. 6 & 7 dividing road	1.300	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
179	Road from Road No. 42-A to Rama Road in Sec. 8 Rohini	0.550	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
180	PWD Road (B-7) to corner of E-11Ashtha Kuknj (Length 0.245 KM)	0.245	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

181	Corner of Data Ram Socicty to CEPT (Length 0.390 KM)	0.390	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
182	Behind Data Ram Socicty to Corner of Mt.Abu. School (Length 0.390 KM)	0.390	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
183	PWD Road (B-7) to CEPT (Length 0.580 KM)	0.580	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
184	11-3/53 to DDA Park (Length 0.145 KM)	0.145	Sh. Onkar Nath Prasad 9911854514	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
185	Road No. B-1	0.960	Sh. Jai Singh 9312101073	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
186	MTNI Godown to C6/137) Sec. 5 Rohini	0.533	Sh. Jai Singh 9312101073	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

1	2	3	4	5	6
187	Som Bazar Road Sec. 5 Rohini	0.710	Sh. Jai Singh 9312101073	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
188	Vidya Jain Public School Sec. 6 Rohini	0.477	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
189	C-4/253 to C5/253, Sec. 6 Rohini	0.330	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
190	D-6AndA-1 Road Sec. Rohini	0.330	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
191	From F-1 to F-3 Block near NDPL office Sec. 11 Rohini	0.375	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
192	FromA-1 toA-3 Block near NDPL, office Sec. 11 Rohini	0.375	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
193	From C-1 to C-5 Block near NDPL, office Sec. 11 Rohini	0.375	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
194	D-1 To 1-3 (Length 0.463 KM) Sec. 16	0.463	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

195	H-3 To H-1 (Length 0.400 KM)	0.400	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
196	C-1 To 1-11 (Length 0.600 KM)	0.600	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
197	District Park To C-1 (Length 0.438 KM)	0.438	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
198	F-2 to F-6 (Length 0.338 KM)	0.338	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
199	A-6 toA-8 (Length 0.263 KM)	0.263	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
200	F-3 to F-5 (Length 0.338 KM)	0.338	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
201	1-1 To Police Station (Length 0.538 KM)	0.538	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
202	B-2 To B-6 Length 0.210 KM)	0.210	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

1	2	3	4	5	6
203	A-8 to B-6 (Length 0.600 KM)	0.600	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
204	B-1 to C-1 (Length 0.475 KM)	0.475	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
205	A-8 To B-1 Road (Length 0.445 KM)	0.445	Sh. Pushkar Raj 9868469769	Sh. RAS Yadav 9868040252	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
206	Road No. B-2 (Ram murthi Passi Marg)	1.652	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
207	Road From Pkt-10 to Pkt-D-1, Sec. 20 Rohini	0.505	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
208	Road From Pkt-14 to Pkt-C-1, Sec. 20 Rohini	1.000	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
209	Road From Pkt-8 to Pkt-9, Sec. 21 Rohini	0.505	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
210	Road From Pkt-B to Park, Sec. 21 Rohini	0.187	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
211	Road From Pkt-13 to Pkt-9, Sec. 21 Rohini	0.448	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344
212	Road From Pkt-5 to Pkt-6, Sec. 21 Rohini	0.115	Sh. Sri Bhagwan Rana 9810503635	Sh. Suresh Kumar 9350005609	Sh. Praveen Kathuria 9971669344

अध्यक्ष महोदय : हां जी। पुष्कर जी।

श्री पंकज पुष्कर : माननीय मंत्री महोदय, इस प्रश्न के पीछे जो उद्देश्य है, वो मैं आपको बता दूँ कि जो केन्द्र के दिल्ली...

अध्यक्ष महोदय : पंकज जी, मैंने पूरा उत्तर, मैंने स्पेसिफिक पढ़ा है पूरा उत्तर, पूरी लिस्ट देखी है, इसमें आप क्वेश्चन करिए ना, क्या क्वेश्चन है?

श्री पंकज पुष्कर : मेरा प्रश्न यह है कि जो बाहरी दिल्ली के क्षेत्र है मेरी विधान सभा क्षेत्र के सीमांत के क्षेत्र हैं वहां पर पीडब्ल्यूडी की सड़कों पर जो रखरखाव का काम है या हॉर्टिकल्चर का काम है। उसमें उपलब्ध कर्मचारी पूरी तरह से गैर हाजिर रहते हैं, वहां कोई काम नहीं है। जब कि उसी विभाग के अन्तर्गत आने वाले दूसरे क्षेत्रों में हम देखते हैं, वहां पर बागवानी की सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध है तो उनके काम का सुपरविजन का मैकेनिज्म क्या है। जब एक विभाग के अन्दर काम हो रहा है और इसी तरीके से स्ट्रीटलाइट के मामले में कि जो एरिया ज्यूरिडिक्शन का नियंत्रण है तो किसके हाथ में है, एक रोड किसके अंतर्गत स्ट्रीटलाइट का रख–रखाव रहेगा, अल्टीमेटली अकाउण्टेबिल तो पीडब्ल्यूडी का कोई एक्सईएन ही होगा या चीफ इंजीनियर होगा। ओवरऑल लेवल पर तो उसका ज्यूरिडिक्शन कब क्लीयर होना है और वो समान तौर से हम अपने कर्मचारियों से कार्य निष्पादन करा सकें। इसकी मानिटरिंग की व्यवस्था क्या है?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं लाईट के बारे में बता देता हूँ। दिल्ली के अन्दर जितनी भी सड़के है पीडब्ल्यूडी की 1260

किलोमीटर सड़के है। सभी के ऊपर लाइटिंग जो लगाते हैं, पीडब्ल्यूडी खुद लगाती है, ठेके से लगवाती है?, ठेकेदार के थ्रू लगवाती है। पर उनका मेंटिनेन्स का सारा काम डिस्कॉम को दिया जाता है क्योंकि डिस्कॉम के पास पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, वो एमसीडी की सड़कों की लाइटें भी वही देखते हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़कों की लाइट भी वही देखते हैं। क्योंकि 24x7 इसको जरूरत पड़ती है तो जितनी भी सड़कें हैं, आपके इलाके में मुझे लगता है जहां तक है, शायद टाटा के पास होगा एरिया। तो टाटा के पास है। तो टाटा को आप उनके हेल्पलाइन नम्बर पर फोन कीजिएगा, 48 घंटे के अन्दर कोई भी लाइटें ठीक करने की गारंटी उनकी है। अगर नहीं करते तो हमें बताइएगा। हम उन पर पेनेल्टी लगायेंगे। तो जितनी भी लाइटें है उनको मेन्टेन करने की जिम्मेदारी डिस्कॉम को दी गई है। दूसरा, जो बागवानी का काम है, पहली बार ही पीडब्ल्यूडी ने पूरी दिल्ली की 1260 किलोमीटर सड़कों के किनारे और सेन्ट्रलवर्ज के उपर पेड़—पौधे लगाने का काम स्टार्ट किया है। लगभग सभी विधान सभाओं में काम चल रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी विधानसभा की दो सड़कें ली जा रही है। मान लो एक सड़क है, वो दस विधानसभा क्षेत्रों से निकलती है तो पूरी सड़क को कर रहे हैं और हमें आशा है अक्टूबर के अंत तक पूरी दिल्ली के अन्दर ये बागवानी का काम सारी सड़कों पर कर दिया जाएगा। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव किसी भी विधानसभा से नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागीः अध्यक्ष महोदय, ये पीडब्ल्यूडी के जो मेन रोड्स है, उनके साथ में पीडब्ल्यूडी के नाले भी जाते हैं, जहां पे अल्टीमेटली सारे के सारे चाहे किसी भी विधानसभा का हो, उनके सारे नाले जाकर और

छोटी नालियां सब जाकर उसी में पड़ते हैं। तो साल में कितनी बार इसकी सफाई होती है और क्या कोई पर्टिकुलर शेड्यूल है ईस्ट दिल्ली जो कि एक्चुअली बहुत पिछड़ा हुआ है बाकी दिल्ली से और मैक्सिमम अनोथराइज्ड रेगुलराइज है तो क्या ऐसा प्रावधान हो सकता है कि अगर बाकी जगह एक बार होती है और शायद उससे काम चलता हो पर सबसे बहुत ज्यादा प्रोब्लम ईस्ट दिल्ली में होती है तो क्या उसमें दो या तीन बार साल में हो सकता हो?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नार्मली जितने भी नाले हैं, उनको डिसिल्टिंग का कार्य साल में एक बारी बरसात से पहले पूरी दिल्ली में कराया जाता है। माननीय सदस्य का सुझाव बिल्कुल सही है कि साल में एक बारी न कराके उसको दो या तीन बारी कराना चाहिए। तो अभी हम योजना बना रहे हैं कि बरसात के पहले नहीं, बरसात के बाद भी और पूरे साल लगभग तीन या चार बारी सभी नालों की सफाई अगर होती है तो हमेशा साफ रहेंगे। इसमें होता क्या है ये नाले सिर्फ 1260 किलोमीटर सड़कें दिल्ली ईस्ट के अन्दर जो हैं, वो पीडब्ल्यूडी के पास हैं। 30 हजार किलोमीटर सड़कें एमसीडी के पास हैं। हम 30 हजार किलोमीटर सड़कों की जो भी गंदगी है, वो उन्हीं नालों के अन्दर आती है तो कई बारी ऐसा भ्रम पैदा किया जाता है कि ये तो गंदगी आ गई जैसे उसको साफ करते हैं, पीछे से गंदगी आनी चालू हो जाती है। तो फिर भी हम चाहते हैं कि साल के अन्दर तीन या चार बारी किसी तरीके से उसको साफ किया जा सके ताकि रेगुलरली सफाई करने से वो रेगुलरली मेन्टेन रह सके, तो उसकी योजना बनाई जा रही है और जल्द से जल्द इसको लागू किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री बग्गा जी।

श्री एस.के.बग्गाः अध्यक्ष महोदय, मेरी कृष्णा नगर विधानसभा में चार सड़कें ऐसी हैं, जिनकी हालत बहुत बदतर है। एमसीडी की सड़कें वो कहलाती हैं। मैं कमिश्नर साहब को मिला, डीसी साहब का लेटर भी आया मेरे पास कि हमारे पास पैसे नहीं हैं बनाने के लिए। क्या वो रोड पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर करवा दें तो सड़क बन सकती है, मंत्री महोदय से क्वेश्चन है मेरा?

लोक निर्माण मंत्री : आप तो एमसीडी को ही हैंडओवर करा दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सब कुछ ही करा देंगे। अब थोड़ा 6 महीने मेहनत कर लीजिएगा एमसीडी को हैंडओवर करा दीजिए, सब कुछ करा देगा।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो अभी आपने ग्रीन पोर्शन की बात की पीडब्ल्यूडी रोड पे। एक के.एन.काटजू मार्ग है रोहिणी में, उस ग्रीन पोर्शन में स्टाल्स बना लिए हैं लोगों ने, क्योस्क बना लिए हैं इल्लीगल एन्क्रोचमेंट कर ली गई है। इस संबंध में मैं पहले भी कई बारी विषय उठा चुका हूँ, तो क्या के.एन.काटजू मार्ग पर जो एन्क्रोचमेंट हो रही है, ग्रीन में या रोड साइड पर टेम्परेरी या परमानेंट, उसको हटाने की कोई सरकार की योजना है?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं नेता विपक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इल्लीगल किसी चीज को हटाने की बात की है और मैं उनको आश्वासन देता हूँ कि उनके बिना सहयोग से तो हो नही सकता, क्योंकि उसमें एमसीडी का सहयोग बहुत जरूरी है। उसको जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा कोई भी अगर इस तरह का

एन्क्रोचमेंट नया हुआ है तो। लेकिन पहले से अगर दो साल से या पांच साल तो उसके लिए तो पालिसी बनाई जा रही है। अगर कोई भी...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : एक तरह से राइट ऑफ वे पे है। राइट ऑफ वे का एन्क्रोचमेंट है, कोई इस तरह का एन्क्रोचमेंट नहीं है कि जो कोई प्लाट पे हो या साइट पर हो...

लोक निर्माण मंत्री : बिल्कुल आपके सहयोग से हटा देंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जैसे एमसीडी के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था।

लोक निर्माण मंत्री : आपसे दो सहयोग चाहिए सर, दो छोटे–छोटे सहयोग चाहिए। पहला सहयोग आपसे थोड़ा सा एमसीडी के दो लोग भेज देना बाकी...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सर, मैं खुद आपके अधिकारियों के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। विभाग को कई बार लिख चुका हूँ, एसडीएम को लिख चुका हूँ, डीएम को लिख चुका हूँ।

लोक निर्माण मंत्री : पुलिस को नहीं लिखा होगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हैं जी?

लोक निर्माण मंत्री : पुलिस को भी लिख देते।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पुलिस को भी लिखा है, सबको लिखा है। एमसीडी को भी लिखा है, मंत्रीजी को भी लिखा है।

लोक निर्माण मंत्री : आपके एमसीडी वाले भी नहीं मानते, ये तो बड़ी गलत बात है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हैं जी? आपकी कृपा बरस जायेगी तो हो जाएगा काम।

लोक निर्माण मंत्री : ये देखो अब तो इनकी भी नहीं मानते, नहीं मजाक की बात अलग है। इन्होंने जो मुद्दा उठाया, बहुत सीरियस मुद्दा है। पुलिस की बात इसलिए है कि जैसे पीडब्ल्यूडी के लोग जाते हैं तो वहां पर किसी न किसी तरह का लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति पैदा करने की कोशिश की जाती है। अगर पुलिस के लोग वहां पर होते हैं तो वो केस रजिस्टर कर सकते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : पुलिस की पूरी बटालियन के लिए मैं आग्रह करूंगा कमिश्नर को।

लोक निर्माण मंत्री : सर, चार आदमी दे देना बाकी मैं ले आउंगा। अध्यक्ष महोदय, नेता विपक्ष ने पूरी बटालियन की बात की है। मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि एक बटालियन परमानेंट दिल्ली सरकार को सिर्फ एन्क्रोचमेंट हटाने के लिए दे दी जाए, पूरी दिल्ली के एन्क्रोचमेंट हटा देंगे, बीजेपी वालों की भी हटा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण दत्त शर्मा जी।... नहीं, अब नहीं। देखो तीन हो गए इसमें राजेन्द्र जी प्लीज। सदस्यों के क्वेश्चन रह जायेंगे और दस मिनट में मैं चाह रहा हूँ मैक्सिमम। श्री नारायण दत्त शर्मा जी। दो मिनट रूकिए प्लीज।

श्री नारायण दत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 46 प्रस्तुत हैः

(क) क्या यह सत्य है कि मीठापुर गांव में सौ बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है ; और

(ग) इस अस्पताल के निर्माण का कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–46 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी नहीं, मीठापुर में अस्पताल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है;

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 30–12–2014 के अनुसार अस्पताल हेतु आबंटित भूमि का उपयोग 'जल एवं नदी बॉडी' (Water & River Body) है और ''जोनल विकास योजना'' के अन्तर्गत यह जोन 'ओ' में आता है। उक्त जोन में मौजूदा निर्धारित स्थान के अलावा और कहीं भी, किसी भी प्रकार की जैसे आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सरकारी और सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक के लिए भी उपयोग नहीं हो सकता। ''नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल'' के निर्देशानुसार जोन 'ओ' में कोई भी निर्माण एवं विकास का कार्य नहीं हो सकता। अतः अस्पताल बनाया नहीं जा सकेगा अभी। धन्यवाद।

श्री नारायण दत्त शर्मा : एक मिनट सर हमें तो पूरा कर लेने दो।

अध्यक्ष महोदय : पहले नारायण जी को तो एक बार करने दो अपना सप्लीमेंटरी।

श्री नारायण दत्त शर्मा : मैं ये पूछना चाहता हूँ मंत्री जी 'ओ' जोन हॉस्पिटल बनाने के लिए या और भी कोई डिपार्टमेंट सरकारी के लिए 'ओ' जोन है?

स्वास्थ्य मंत्री : महोदय, 'ओ' जोन के मतलब सरकारी अस्पताल अगर बनाये जाते हैं तो नक्शा पास कराना होता है और जब तक नक्शे पास नहीं हो सकते। 'ओ' जोन में किसी भी तरह के नक्शे पास नहीं होते हैं। जहां तक छोटे–मोटे टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन करनी होती है, काफी डिपार्टमेंट अगर इमरजेंसी कार्य है, पंप हाउस बनाना है या कोई छोटा–मोटा ढलाव बनाना है, तो बनाते हैं। परन्तु उसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है। अस्पताल बनाने के लिए क्योंकि डीडीए से या एमसीडी से नक्शा पास कराना होता है तो 'ओ' जोन में किसी भी तरह के नक्शे पास नहीं होते, इसलिए नहीं बन सकता।

अध्यक्ष महोदय : नारायण जी हो गया आपका? चलिए कीजिए।

श्री नारायण दत्त शर्मा : बड़ा मुद्दा है हमारे उसी जगह पर विद इन 200 मीटर या 300 मीटर के आसपास ही 350 रूम अभी हमारी दिल्ली गर्वमेंट बना रही है। बगल में बारात घर बन रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये कि अमानत भाई बैठे हैं, इनकी विधानसभा में भी 'ओ' जोन लगता है। केबिनेट ने... मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला कर दिया था, पास कर दिया था कि जहां पर जनता रहती है, वहां सरकारी फण्ड से उसके उपयोग की चीजें बनायी जायेंगी या हॉस्पिटल हो या बारातघर हो या स्कूल हो। ऐसा पास हुआ है। वो आपको पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी चीज, आपका डिपार्टमेंट कहता है कि आपकी विधानसभा में कोई भी ग्राम पंचायत की जमीन नहीं

है। मैं 32 एकड़ जमीन देता हूँ दिल्ली गर्वमेंट को, उसमें बना दीजिए। आपको रिपोर्ट सही नहीं दे रहे हैं।

स्वास्थ्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ग्राम सभा की जमीन अगर वो 'ओ' जोन से बाहर है, तो जरूर दे दीजिएगा उसका लैंड रिचेंज कराके जरूर बनवाया जाएगा और दूसरी बात, मैं आदरणीय सदस्यों को बताना चाहूँगा कि हॉस्पिटल जैसी बड़ी चीजें जो हैं, वो विधानसभा के हिसाब से नहीं, वो पूरी दिल्ली के हिसाब से बनाई जाती हैं और यहां पर प्रस्तावित था डीडीए ने लैंड अलाट की परन्तु 'ओ' जोन में कर दी है जिसके लिए हम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि उसकी अलाट की गई लैंड को चेंज किया जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : भई अमानतुल्लाह जी, ऐसे नहीं प्लीज। ऐसे तो मेरे को सदन चलाना मुश्किल हो जायेगा। मैं देख रहा हूँ जिनको मैंने समय नहीं दिया। हो गयी ओ जोन पर बात। हो गयी न। ये क्वेश्चन आवर है। बताइये,बताइये।

श्री अमानतुल्लाह ख़ान : सर एक ओ जोन, ओ जोन में मेरे यहां जे.जे. कलस्टर है पूरा। फेस–1, फेस–2, फेस–3, वो यमुना के किनारे हैं। डी.डी.ए. ने बनाया। एक स्लम ने बनाया। उसके बाद वो 'ओ' जोन में नहीं आता। उसके पीछे का एरिया जो और यमुना से दूर जाकर है तीन किलोमीटर, वो 'ओ' जोन में आता है। तो 'ओ' जोन का कोई स्पेसफिक एरिया तो होना चाहिए कि यमुना से कितनी दूर ओ जोन होगा। कितना एरिया होगा। आज डवलपमेन्ट के लिए पूरी–पूरी कालोनियाँ बस गयीं। लाखों

लोग उन जगहो पर रह रहें हैं। हम लोग डवलपमेन्ट अगर नहीं करा पायेंगे तो उनको कैसे हम चीजें देंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन पूछिए।

श्री अमानतुल्लाह ख़ान : क्वेश्चन यही है सर, 'ओ' जोन के लिए कोई स्पेसिफिक, कोई तो एरिया होगा कि कितना एरिया है, कितनी चीज है? कुछ तो होगा उसके लिए सर?

अध्यक्ष महोदय : मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 'ओ' जोन के लिए पालिसी क्या है?

श्री अमानतुल्लाह ख़ान : पालिसी होनी चाहिए। क्या पालिसी है सर? क्या, कितने किलोमीटर है, कितने मीटर है? कुछ तो होगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का जो मास्टर प्लान है, वो डी.डी.ए. तैयार करती है और 'ओ' जोन का निर्धारण भी डी.डी.ए. के द्वारा किया गया है और जहां तक आदरणीय सदस्य ने कहा कि यमुना के पास वाली जगह 'ओ' जोन में नहीं आती है, यमुना से दूर वाली आती है, ये विसंगति है। इसको दूर किया जाना चाहिए और इसके लिए मुझे लगता है इनको लिख के देंगे तो हम डी.डी.ए. से बात करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हाँ, झा साहब, एक सेकेण्ड।

श्री महेन्द्र यादव : मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरी विकासपुरी विधान सभा में एक हॉस्पिटल बनना था जी। बीस

साल तो कांग्रेसियों ने निकाल दिये। तीन साल मंत्री जी ने निकाल दिये। मैं पूछना चाहता हूँ कि बनेगा या नहीं बनेगा और यदि बनेगा तो कब तक बनेगा?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि तीन साल तो शायद नहीं हुए अभी। डेढ़ साल हो गया। वैसे हम लोग थोड़ा जल्दी में रहते हैं। दिन और रात मिलाके हो गये न। जैसे सजा होती है दिन और रात, दोनों मिला लेते हैं। कोई बात नहीं है। आपकी विधान सभा के अन्दर अस्पताल जरूर बनेगा। इनके लिए जो अस्पताल बनाया गया, था वो बहुत ही इनएफिसियेन्ट डिजाइन था सर। हुआ क्या था कि आज से पहले जो भी अस्पताल सरकारी बनाये जाते थे, एक बेड बनाने का खर्चा एक करोड़ रूपए आता था। इनके यहां पर भी वही था। एक करोड़ रूपए खर्चा आ रहा था। उसके कई बार डिजाईन चेन्ज कराये गये। जिस आक्रिटेक्ट ने बनाया था, उससे नहीं बनाया। अब नया आक्रिटेक्ट एप्वाईन्ट किया जा रहा है और जल्द से जल्द उसको शुरू कराया जायेगा। हमारी सरकार का मानना है कि अच्छा हास्पिटल, सरकारी हास्पिटल पच्चीस लाख रूपए से ज्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। चार गुने पैसे लगाना, मुझे लगता है कोई समझदारी नहीं है और जरूर बनायेंगे। आप की विधान सभा का पक्का है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद तो दे दो। झा साहब।

श्री संजीव झा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिए मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहां एक पहले दो सौ बेड का हास्पिटल था। उन्होंने

मंत्री जी ने आठ सौ बेड का कराया। टाईम लाईन उसका सितम्बर, 2016 में उसको तैयार होना था। लेकिन चूँकि एम.सी.डी. ने ले आउट प्लान पास नहीं किया, इसलिए थोड़ी देरी हुई। अब काम शुरू हो गया है बिल्डिंग का। लेकिन उसमें मैन पावर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैन साहब, मैन पावर की व्यवस्था करने में एक साल लग जाता है तो मेरा सवाल ये है कि क्या कोई योजना अभी है कि मैन पावर की व्यवस्था के लिए कब इनेशिएटिव लिया जायेगा और ये पूरा कब तक हो जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी।

लोक निर्माण मंत्री : बुराड़ी विधान सभा में दो सौ बेड का अस्पताल बनाने का प्रस्ताव था जिसको हमारी सरकार ने आने के बाद रिव्यू किया। दो सौ बेड को बनाने का खर्चा दो सौ करोड़ था अब उसको आठ सौ बेड का बना रहे है। एडिशनल 6 सौ बेड बनाने का खर्चा लगभग साठ–सत्तर करोड़ रूपये एडिशनल में बन रहे हैं जिसके लिए काम स्टार्ट हो चुका है साईट के उपर और आशा है कि मार्च–अप्रैल, 2017 तक सारा काम कम्प्लीट हो जायेगा और साथ ही साथ आदरणीय सदस्य ने पहले भी ये बात उठायी थी मेरे सामने कि भई उसके लिए जो स्टाफ की रिक्रूटमेन्ट है और दूसरी चीजों के लिए तैयारी कर ली जाये। हम पूरी आशा करते हैं कि अप्रैल–मई तक जैसे ही तैयार होगा, जून, 2017 तक हम उसका पूरा मैन पावर वगैरह सब कुछ तैयार करके उसको स्टार्ट कर देंगे। उसकी तैयारी चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 47 पवन कुमार शर्मा जी। (अनुपस्थित प्रश्न संख्या 48 श्री गुलाब सिंह जी, दोनों (अनुपस्थित)। प्रश्न संख्या 49,

श्री सौरभ भारद्वाज। ये भी नहीं है। प्रश्न संख्या 50, श्री अखिलेशपति त्रिपाठी जी।(अनुपस्थित) प्रश्न संख्या 51, श्री जगदीश प्रधान जी।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष महोदय प्रश्न संख्या 51 प्रस्तुत है :

क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सत्य है कि विभिन्न स्थानों जैसे – खजूरी खास, शास्त्री पार्क और भजनपुरा चौक पर लंबा ट्रैफिक जाम रहता है ;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इन स्थानों पर ट्रैफिक कम करने हेतु सरकार का अंडरपास बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ग) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–51 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) हाँ, यह सत्य है।

(ख) व (ग) :यह सड़क खजूरी चौक से भोपुरा बार्डर (उत्तर प्रदेश) जाती है। इसका नाम मंगल पांडे मार्ग है। इस मार्ग को सिग्नल फ्री करने हेतु यूटीपैक में लोक निर्माण विभाग का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस प्रस्ताव के अनुसार इस मार्ग पर दो नये फ्लाईओवर एवं अंडर पास बनना है। इनके बनने से यह मार्ग जिसकी लम्बाई खजूरी चौक से भोपुरा बार्डर तक 7.6 कि.मी. है, वह सिग्नल फ्री हो जाएगा।

इसमें से एक फ्लाईओवर करावल नगर जक्शन (भजनपुरा चौक), घौंडा चौक, ब्रजपुरी जंक्शन के ऊपर, दूसरा फ्लाईओवर नंद नगरी एवं गगन सिनेमा जंक्शन के ऊपर तथा एक अंडरपास लोनी रोड जंक्शन पर बनाया जाना प्रस्तावित है।

इस प्रस्ताव का यूटीपैक की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में दिनांक 11.09. 2015 को एप्रूव कर दिया गया था। उसके बाद यह प्रस्ताव दिनांक 13.01.2016 को एलजी महोदय की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में डिस्कस हुआ था। एलजी महोदय ने इस सड़क पर दोनों ओर के एन्क्रोचमैन्ट की डिटेल मांगी थी तथा पुनः मीटिंग में आने का आदेश दिया था। सभी एन्क्रोचमैन्ट की डिटेल बनाकर दिनांक 16.05.2016 को यूटीपैक में सबमिट कर दी गई है तथा अभी यूटीपैक की अगली गवर्निंग बॉडी की मीटिंग की तारीख फिक्स नहीं हुई है।

2. खजूरी चौक पर अंडर पास प्रस्तावित नहीं है।

3. शास्त्री पाक्र जंक्शन पर एक फ्लाईओवर का प्रस्ताव यूटीपैक में विचाराधीन है। यूटीपैक के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग दिनांक 03.08.2016 में इसे एप्रूव कर दिया गया है। अब इसे अगली गवर्निंग बॉडी की मीटिंग में स्वीकृति के लिए रखा जाएगा। यूटीपैक की अगली गवर्निंग बॉडी की मीटिंग की तारीख अभी फिक्स नहीं हुई है।

(घ) यह लागू नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, अभी हमारा जो सिग्नेचर ब्रिज बन रहा है। इसके बाद यहां से लेकर दिल्ली बार्डर, भोपुरा बार्डर तक पूरी रोड को सिग्नल फ्री बनाने का प्रस्ताव है और जल्दी पूरे रास्ते पर काम चालू कर दिया जायेगा।

इसके अन्तर्गत दो–तीन फ्लाईओवर बन रहे हैं। दो–तीन जगह अण्डरपास बन रहे हैं। पूरी सड़क को सिग्नल फ्री कर दिया जायेगा और ये पूरा–पूरा प्लान बन चुका है और इसमें यूटीपैक से कुछ परमिशन आ चुकी है और एक दो आने वाली है। जैसे सारी परमिशन आयेगी, इस पर काम स्टार्ट कर दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। सप्लीमेन्ट्री।

श्री जगदीश प्रधान : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहूँगा कि सिग्नेचर ब्रिज चालू होने के बाद जो सिग्नेचर ब्रिज वजीराबाद से लेकर भोपुरा तक। यदि इसमें रोड या फ्लाईओवर बनाने में देरी होगी तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में जब तक उस पर पुल को न बनाया जायेगा, बहुत भयंकर जाम की स्थिति वहां रहेगी। दूसरा, जो खजूरी चौक है, जो पुश्ता है हमारा, जो बागपत की तरफ से आता है और शास्त्री पार्क होता हुआ अलीगढ़ जाता है, उस पर रोजाना ढाई से तीन घण्टे में आदमी निकल पाता है। लाखों की संख्या में ट्रैफिक चलता है। और मैं समझता हूँ, कि मैं भी घर से निकलता हूँ तो कम से कम दो या ढाई घण्टे पहले विधान सभा के लिए आना पड़ता है। क्योंकि पन्द्रह मिनट का केवल रास्ता है। पूरे दिन वहां जाम रहता है। लोग वहां निकल नहीं पाते। मैं मंत्री जी से चाहूँगा कि खजूरी फ्लाईओवर जो है, उसके नीचे एक अण्डरपास की व्यवस्था आप जरूर करायें ताकि वहां सुगमता से ट्रैफिक चल सके।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय सदस्य से कहना चाहूँगा कि वो मेरा प्रश्न का जवाब है वो पूरा पढ़ लें। और एक बार एल.

जी. साहब से जरूर मिल लें क्योंकि जो अप्रूवल्स हैं। यूटीपैक, एल.जी. साहब की अध्यक्षता में ही डिसीजन लेती हैं और उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे और उसके जवाब दिये जा चुके हैं। थोड़ा सा एक्सपेडाईट कराने के लिए कि अगर ये मिलेंगे तो शायद इनके कहने से थोड़ा जल्दी कर देंगे। तो जितना जल्दी ये पास होगा। मैं भी मानता हूँ कि जितना लेट होगा, उतना ही दिक्कत होगी। पर जब तक यूटीपैक पास नहीं करेगा, तब तक काम स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसके लिए मेरी मजबूरी है। इसको पास कराने के लिए सहयोग करें। धन्यवाद।

श्री जगदीश प्रधान : इसमें खजूरी चौक पर साफ कर दिया है। उस पर अण्डरपास के लिए ना कहा है कि अण्डरपास कोई प्रस्ताव नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वहां अण्डर पास का प्रस्ताव बनायें और उसके लिए आप जहां कहेंगे, हम जाने के लिए तैयार है।

अध्यक्ष महोदय : चलिए, आज मैं ज्यादातर उनको दे रहा हूँ जो बहुत कम जिनके नम्बर आये है बोलने के। कितने इम्पार्टैन्ट है प्लीज।

श्री गिरीश सोनी : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा में रोहतक रोड पर एक अण्डर पास बनाया है। करीब एक साल से बना हुआ है वो। लेकिन वो चालू नहीं है। उसमें लिफ्ट का काम कुछ बैलेन्स है और दूसरा एक पंजाबी बाग में एक अण्डरपास बना हुआ है और इस अण्डर पास से पब्लिक निकलती नहीं है और काफी गन्दा पड़ा हुआ है। वहां चौकीदार भी एक है। एक बार मैं निकल के गया तो मैंने चौकीदार से पूछा ''यहां से कोई लोग निकलते हैं?'' कहते हैं, ''निकलते ही नहीं है।'' तो वहां पर बहुत बड़े–बड़े दो हॉल टाईप के बने हुए हैं।

तो मैंने एक सजेशन माननीय मंत्री जी को दिया था कि इसमें क्या ऐसा प्रावधान किया जा सकता है कि इसके अन्दर हॉल के अन्दर कुछ मार्केट की व्यवस्था कर दी जाये। माकेट खोल दिया जाये तो जिससे मार्केट के जरिए वो चलना भी शुरू हो जायेगा अण्डर पास और मैं समझता हूँ विभाग को कुछ आमदनी भी हो जायेगी उससे।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे अण्डर पास कई सारे बनाये गये लोगों के लिए। काफी सारे ऐसे बने हुए है। जिनको कि बिल्कुल भी पब्लिक यूज नहीं करती है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है उसमें दस–बारह फुट नीचे उतरना पड़ता है। तो लोगों को सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नजर आती है। जो हमारे माननीय सदस्य का सुझाव है कि उस जगह पर अगर उसको मार्केट बना दिया जाये। क्योंकि अभी मेट्रो स्टेशन उसके सामने बन रहा है। तो ये सुझाव अच्छा है, बिल्कुल हम इस पर एक्टिवली विचार कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मेट्रो स्टेशन के स्टार्ट होते ही साथ–साथ इसको भी मार्केट में कनवर्ट किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेन्द्र पाल गौतम जी

अध्यक्ष महोदय : श्री राजेन्द्र पाल गौतम।

श्री राजेन्द्र पाल गौतम : धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि जिस जी.टी. रोड से होकर हम विधान सभा आते हैं, उस पर सीलमपुर में एक फ्लाईओवर सिंगल साइड है सिर्फ, जाने के लिए नहीं है, यहां से जब वापस जाते हैं केवल उस तरफ है और वहां पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा जाम लगता है और उसके बाद अगला जो चौराहा आता है वो शास्त्री पार्क वाला, वहां भी बड़ा लम्बा जाम लगता है

कभी–कभी तो विधान सभा पहुंचने में जितना टाइम लगता है, उससे एक घंटा फालतू लग जाता है तो क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो सिंगल साइड वाला फ्लाईओवर है सीलमपुर पर, क्या वो दूसरी वाली साइड प्रस्तावित है, बनने वाला है और साथ में यह भी बताये कि क्या शास्त्री पार्क वाले रोड पर रेड लाइट पर वहां कोई अंडरपास या फ्लाईओवर कुछ बनाने का कोई प्रस्ताव है?

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह जो सिंगल फ्लाईओवर है इसको डबल बनाने का प्रस्ताव पहले ही बनाया जा चुका है और यूटीपैक में डिस्कस हो चुका है, उनका फाइनल अप्रवूल जिस दिन मिल जाएगा, उसको तुरंत बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा। ज्यादातर चीजें, देखियेगा, दिल्ली का सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि घुमा–फिराकर कान इधर से पकड़ लो या घुमा–फिराकर कान इधर से पकड़ लो, पकड़ना तो उसी ने है। सर, ऊपर वाले से थोड़ा सा ये लोग कहेंगे तो जल्दी से हो जाएगा, तो करा देंगे।

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री पार्क का भी उन्होंने जोड़ा है।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से प्रस्ताव बन चुका है, यूटीपैक के अंदर है, डिस्कस भी हो चुका है, सिर्फ अप्रूवल आनी है। जिस दिन अप्रवूल आएगी तुरंत चालू कर देंगे।

श्री गिरीश सोनी : सर, आंसर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : वो आंसर उनका नहीं आया है।

लोक निर्माण मंत्री : मैं तो आदरणीय सदस्य से रिक्वेस्ट करूंगा कि लिफ्ट बनती रहेगी, उसको स्टार्ट करा लें। मैं तो एक दिन तैयार भी था,

वो तैयार ही नहीं हैं। कहते हैं लिफ्ट नहीं बनेगी, लिफ्ट बन जायेगी, पैदल वाले चले जायेंगे तब तक।

श्री गिरीश सोनी : सर, वो एक साल से ...(व्यवधान)

लोक निर्माण मंत्री : कोई बात नहीं, लिफ्ट बन जाएगी, वैसे चालू करवा लें।

अध्यक्ष महोदय : भावना जी, प्लीज। एक सैकेण्ड, मैं सदस्यों को देख रहा हूँ सब को मौका मिल जाये बोलने का। नरेश यादव जी।

श्री नरेश यादव : अध्यक्ष जी, मैंने 280 में भी यह मुद्दा उठाया था, वसंतकुंज में कुछ रोड्स है जो 60 फुट से चौड़ी है तो वो अभी तक पी.डब्ल्यू.डी. ने टेक ओवर नहीं की है जबकि उसमें कोई ऐसी डेफिशिएंसी भी नहीं है। मैंने पी.डब्ल्यू.डी. अधिकारियों से बात की थी। वो कहते हैं कि कुछ डेफिशिएंसी वगैरह डी.डी.ए. वाले दे नहीं रहे हैं तो अगर उसको जल्दी से जल्दी टेक ओवर कर लिया जाये और वो कब तक हो सकती है, क्योंकि उसका कोई जवाब भी नहीं आया 280 का मेरे पास। सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो 280 में हम उठाते हैं, उसका भी कुछ एक सिस्टम बनाया जाये जिससे कि उसकी रिप्लाई आये या उस पर कुछ कार्रवाई हो। धन्यवाद।

लोक निर्माण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूरी दिल्ली में डी.डी.ए. की कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कि 60 फुट से ज्यादा है, रोहिणी, द्वारका या जैसे वसंत कुंज में इन्होंने कुछ बताया, उन सड़कों के अंदर डी.डी.ए. से पी.डब्ल्यू.डी. में लेने का, क्योंकि जैसे द्वारका है पूरी मेन्टेनेंस भी उनके पास ही है,

डी.डी.ए. वाले अभी उनका डेफिशिएंसी की लिस्ट बनाने के लिए तैयार नहीं है और डेफिशिएंसी पेमेंट करने को भी तैयार नहीं है। जैसे ही उनसे समझौता होता है, डेफिशिएंसी देंगे तो ले लेंगे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है।

श्री नरेश यादव : सर, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है।

लोक निर्माण मंत्री : वो देंगे तभी तो लेंगे। बिल्कुल ठीक है, फिर तो कोई जरूरत ही नहीं है, फिर दिक्कत क्या है?

श्री नरेश यादव : सर, न सफाई होती है...(व्यवधान)

तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

47. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भामाशाह रोड पर स्थित महेन्द्रा पार्क में बस शैल्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री : (क) यह सत्य है कि भामाशाह रोड स्थित महेन्द्रा पार्क पर बस शैल्टर की योजना है।

(ख) यह बस शेल्टर 1397 बस शैल्टर की सूची में सम्मिलित है जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

(ग) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं है।

48. श्री गुलाब सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थित जेलों का उनके स्थान और उनके शुरू होने के वर्ष सहित विवरण क्या है?

(ख) इन जेलों में वास्तव में रह रहे कैदियों की कुल संख्या का जेलवार विवरण क्या है

(ग) इन जेलों की साफ सफाई के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है;

(घ) जेलों में रहने वाले कैदियों को कौन–कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं;

(ङ) क्या सरकार का इन जेलों व इनमें रहने वाले कैदियों की दशा सुधारने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है;

(छ) क्या सरकार का दिल्ली में नई जेलें बनाने को कोई प्रस्ताव है, और

(ज) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है?

उप मुख्यमंत्री : (क) और (ख) जेल नं. स्थान क्षमता जेल शुरू होने का वर्ष दिनांक 17.08.016 का कुल संख्या

1	तिहाड़	565	84—85	2354
2	तिहाड़	455	84—85	756
3	तिहाड़	740	84—85	2321
4	तिहाड़	740	1990	2891
5	तिहाड़	750	1996	654
6	तिहाड़	400	2000	562
7	तिहाड़	350	2003	815
8	तिहाड़	600	2005	815
9	तिहाड़	600	2005	1119
जिला कारागार रोहिणी	रोहिणी 1050	2004	1905	
		6250	कुल	14317

(ग) जेलों में साफ सफाई के लिए 49 सरकारी सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं इसके अतिरिक्त 31 अनुबंधित सफाई कर्मचारी मेसर्स रक्षक सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से लगाये गये हैं। जेलों में कैदियों के रहने के स्थान पर सफाई की जिम्मेदारी रहने वाले बंदी भाइयों की है जिसके लिए स्ववयं बंदी भाई साफ सफाई रखने में सहयोग देते हैं। जेल की सीवर लाईन की सफाई के लिए मशीनें पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा उपलब्ध करवाई जाती

हैं एवं जेल से कूड़ा–कचरा उठाने के लिए दक्षिणी नगर–निगम द्वरा कूड़ा उठाने के ट्रक एवं छोटी गाड़ियां उपलब्ध करवाई जाती है।

(घ) जेलों में कैदियों को सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जैसे कि खाना–पीना, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ वातावरण में रहने की सुविधाएं एवं टॉयलेटरी सामान, स्वच्छ जल, पढ़ाई की व्यवस्था इत्यादि।

(ङ) एवं (च) हां, जेलों में कैदी भाईयों को दशा सुधारने हेतु मानसिक, शैक्षिक व बौद्धिक कौशल विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जैसे कि शैक्षिक सुविधाएं, तकनीकी प्रशिक्षण, नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा, योगा एव मेडिटेशन, परामर्श सुविधाएं, रोजगारजनित कार्यक्रम, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, विधि सेवाएं एवं कम्प्यूटर सेवाएं, बालगृह एवं नारी सशक्तिकरण एवं उत्थान इत्यादि।

(छ) और (ज) मंडोली क्षेत्र में छः जेलों का परिसर 68.6 एकड़ भूमि पर बनकर तैयार हो चुका है। इन छः जेलों में लगभग 3637 बंदियों को रखने का प्रावधान है। इस जेल की शुरूआत आगामी कुछ महीनों में कर दी जायेगी।

49. श्री सौरभ भारद्वाज : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेटर कैलाश में उन क्षेत्रों का विवरण क्या है जहां अनुसूचित जाति के लोग पर्याप्त संख्या में है ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विभाग वहां अपना बजट खर्च कर सके।

(ख) इन क्षेत्रों की पहचान करने का क्या मापदंड है।

(ग) इन क्षेत्रों में कौन–कौन से प्रोजेक्ट कार्यान्वित किए जा सकते है, और

(घ) पिछले तीन वर्षों में ग्रेटर कैलाश विधानसभा में शुरु किए गए एवं प्रस्तावित प्रोजेक्टस का विवरण क्या है?

समाज कल्याण मंत्री : (क) मांगी गई सूची संलग्न है।

(ख) विभाग द्वारा उन क्षेत्रों में विकास कार्य कराये जाते है जिन प्रगणन खण्डों में जनसंख्या रिकॉर्ड के अनुसार अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों की संख्या 33% से अधिक है।

(ग) उपरोक्त क्षेत्र में निम्नलिखित कार्य किये जा सकते है

1. सार्वजनिक स्नानागारों व समुदायिक शौचालयों की मरम्मत / निमाण।

2 गलियो व नालियों की मरम्मत व पुनः निर्माण।

3. ईंटों के खडंजे द्वारा कच्ची सड़कों की मरम्मत।

4. ईंटों के खडंजे द्वारा निर्मित सड़कों पर सिमेंट कंक्रीट के फर्श का निर्माण।

5. सामुदायिक केन्द्र / चौपाल की मरम्मत / निर्माण।

(घ) पिछले तीन वर्षों में ग्रेटर कैलाश विधान सभा से संबंधित किसी भी कार्य का प्रस्ताव कार्यकारणी संस्थाओं, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग तथा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है।

180	Dakshin Pur Ext.	SC
	48-(Assembly)Ambedkar Nagar	
181	Khanpur	G
182	Ambedkar Nagar	SC(W)
183	Madangir	SC
184	Pushp Vihar	G
	49-(Assembly) Sangam Vihar	
185	Tughiakabad Extn.	W
186	Sangam Vihar west	G
187	Sangam Vihar Central	G
188	Sangam Vihar East	W
	50-(Assembly) Greater Kailash	
189	Chiragh Delhi	G
190	Chitranjan Park	G
191	Shahpur Jat	W
192	Greater Kailash I	G
	51-(Assembly) Kalkaji	
193	Sri Ni¡spuri	G
194	East of Kailash	W
195	Govind Puri	G
196	Kalkaji	
	52-(Assembly) Tughlakabad	
197	Tughlakabad	W

198	Pul Pehlad	G
199	Tekhand	G
200	Harkesh Nagar	SC
	53-(Assembly) Badarpur	
201	Jaitpur	W
202	Meetheypur	G
203	Badarpur	G
204	Molarband	W
	54-(Assembly) Okhla	
205	Zakir Nagar	G
206	Okhla	G
207	Madanpur Khadar	W
208	Sarita Vihar	G
	55-(Assembly) Trilokpuri	
209	Mayur Vihar Phase-I	G
210	Dallopua	SC(W)
211	Trilokpuri	SC
212	Ne¡shok Nagar	W
	56-(Assembly) Kondli	
213	Kalyan Puri	SC (W)
214	Khichripur	G
215	Kondli	SC
216	Gharoli	G

Ward No. 189

Sl. No	Ward No. 189	Name of Town/ Census Town/ Village	Name of District	Name of Tahsil	Enumeration Block No.	Extent of the Population Enumeration Block	Top_P	SC_P	%SC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0189	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	00 05	Chirag Delhi CN 1-75	551	510	92.56
2	0189	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	00 06	Chirag Delhi CN 76-150	528	502	95.08
3	0189	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	00 07	Chirag Delhi CN 151-225	707	455	64.36
4	0189	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	00 08	Chirag Delhi CN 226-300	685	245	35.77
5	0189	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	00 11	Chirag Delhi CN 451-525	312	181	58.01
6	0189	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	00 14	Chirag Delhi CN 684-750	272	171	62.87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Ward No. 190					
1	0190	DMC (U) 7001	South 09	Kalkaji 003	34	DDA FLATS GURU RAVI DASS MARG BLOCK C FLAT NO. 169-200 INCLUDING MARKET 1-8 SHOPS, BLOCK C FLAT NO 1-112.	647	224	34.62
2	0190	DMC (U) 7001	South 09	Kalkaji 003	36	DDA FLATS GURU RAVI DASS MARG BLOCK D FLAT NO. 145-192 INCLUDING MANDIR SHOPS, BLOCK D FLAT NO 1-48	496	167	33.67
3	0190	DMC (U) 7001	South 09	Kalkaji 003	37	DDA FLATS GURU RAVI DASS MARG BLOCK D FLAT NO 49-144	446	156	34.98

4	0190	DMC (U) 7001	South 09	Kalkaji 003	66	KAROTIA CAMP NEAR KAVERI APPARTMENTS TEMP HUTS 01-75	440	260	59.09
				Ward No. 190					
1	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0037-2	PANCHSHEEL VIHAR Jagdamba Camp T Huts CN 202-277	718	357	49.72
2	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	38	PANCHSHEEL VIHAR Jagdamba Camp T Huts CN 278-400	606	303	50
3	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	39	PANCHSHEEL VIHAR Jagdamba Camp T Huts CN 401-530	540	367	67.96
4	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0119	Savitri Nagar CN 391-430	489	253	51.74
5	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0050	Savitri Nagar CN 431-470	532	246	46.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0116	Savitri Nagar CN 471-510	407	304	74.69
7	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0051	Savitri Nagar CN 511-555	387	219	56.59
8	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0115	Savitri Nagar CN 556-590	513	185	36.06
9	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0057 SLUM	Pancnchsheel Park South Golakwali Masjid Camp T Huts CN 102-203	351	212	60.4
10	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0058 SLUM	Pancnchsheel Park South Lalgumbad Camp T Huts CN 1-106	619	501	80.94
11	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0064	Shahpurjat Village CN 51-100	297	169	56.9
12	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0065	Shahpurjat Village CN 101-150	342	133	38.89

13	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0066	Shahpurjat Village CN 151-200	552	326	59.06
14	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0068	Shahpurjat Village CN 251-300	487	350	71.87
15	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0070	Shahpurjat Village CN 351-400	340	200	58.82
16	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0073	Shahpurjat Village CN 501.550	485	355	73.2
17	0191	DMC (U) 7001	South 09	Hauz Khas 001	0076	Shahpurjat Village CN 651-700	408	193	47.3
				W ar d No. 192					
1	0192	DMC (U) 7001	South 09	Defence Colony 002	34	Kailash hill Bindusar Cluster CN No. 106-205 Near DAV School	408	193	47.3

50. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मॉडल टाउन विधान सभा में अस्पताल बनाने के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि पिछले सत्र में पूछे गए मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि यह मामला डी.डी.ए. के साथ लिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में डी.डी.ए. के साथ किए गए पत्राचार का विवरण क्या है;

(घ) डी.डी.ए. को फंड ट्रांसफर करने के बावजूद लोक निर्माण विभाग द्वारा जमीन का कब्जा न लिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) अवैध कब्जा होने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) से अभी तक प्रस्तावित भूमि का handing over नहीं हो पाया है, जिसके लिए डी.डी.ए. से पत्राचार जारी है।

(ख) जी हां।

(ग) डी.डी.ए. से किये गए पत्राचार की प्रतिलिपि परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(घ) क्रमांक 'क' में दिए गए उत्तर अनुसार।

(ङ) मौजूदा स्थिति में समय–सीमा बताना संभव नहीं है।

तारांकित विधान सभा प्रश्न सं. 50

परिशिष्ट 'क'

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

GOVT. OF N.C.T. OF DELHI

F-17 KARKARDOOMA, SHAHDRA, DELHI-110032

PLANNING BRANCH

E-mail : cmoplgdhs.delhi@nic.in **Tel : 011-22301248**

F.No. 10è842/2013/DHS/P&S/1084-1089 Dated : 17è8è16

To,

The Commissioner (Planning),

Delhi DevelopmentAuthority,

Vikas Minar, ITO

New Delhi-110002

Sub :Allotment of land for construction of Govt. Hospital B CategoryAt Chowki No. 4 Model Town. Land measuring 11350 sq. mtr.

Sir,

Kindly refer to this office letter No. F.10/842/2013/DHS/P&S/125785-790 dated 09/10/2015 (copy enclosed) on the subject cited above vide which your personal intervention ¡s sought in the matter for issue necessary direction to the concerned officer to expedite the modification of LOP so that the plot may be handed over to this directorate at the earliest by the Institutional Land Branch of DDA. But no reply has been received so far.

In this regard, you are again requested to kindly issue necessary direction to the concerned officer to expedite has modification of LOP so that the plot may be handed over to this directorate at the earliest by the Institutional Land Branch of DDA.

This may be treated on **TOP PRIORITY**

Yours Faithfully,

Encl :AsAbove

(DrArun Banerjee)

Addl. Director (plg.)

Dated : 17/18/16

F.No. 10/842/2013/DHS/P&S/1084-10890
Copy to :

1. OSD to Hon'ble Minister (Health), GNCTD, 7th Floor,A-Wing, Room No. 702, Delhi Secretariat, U.P. Estate, New Delhi-110002
2. Director (Lands), Delhi DevelopmentAuthority,A-Block, 1st Floor, Vikas Sadan, INA New Delhi-110023.
3. Dy. Director (IL), DDA,A-Block, 2nd Floor, Vikas Sadan, New Delhi-110023.
4. PS to vice Chairman, DDA, B-Block, 1st Floor, Vikas Sadan, INA New Delhi-110023.
5. PS to Commissioner (LD), DDA,A-Block, 1st Floor, Vikas Sadan, INA New Delhi-110023.

GOVT. OF N.C.T. OF DELHI

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

F-17 KARKARDOOMA, SHAHDRA, DELHI-110032

PLANNING BRANCH

E-mail : cmoplgdhs.delhi@nic.in Tel : 011-22301248

F.No. 10/842/2013/DHS/P&S/125185-790 Dated : 9/10/15

To,

The Commissioner (Planning),

Delhi DevelopmentAuthority,

Vikas Minar, I.T.O.

New Delhi-110002

Sub :Allotment of land for construction of Govt. Hospital B CategoryAt Chowki No. 4 Model Town. Land measuring 11350 sq. mtr.

Sir,

DDA hasAllottedA plot for constrution of Govt. Hospital B category at chowki No. 4, Model Town, Delhi measuring 11,350 sq mtr. The physical possession of the plot is, however, not yet handed over to Health Department.

In this regard, a letter dated 26.11.2014 is received from Dy. Director (IL), DDA vice which it ¡s informed that the said matter has been referred to concerned Planning Wing of DDA for moditication in LOP (copy enclosed). Further, DO letter dated 14.04.2015 & 03.09.2015 wereAddressed to Commissioner (LD) and Vice Chairman, DDA on same matter by Secretary (H&FW). GNCTD (copies enclosed). However, no communication has been received in this tegard.

Health Department has initiated to increase hospital beds by developing new hospitals, and also by Augmenting beds in the existing hospitals. Hospital in the above locality is required to be developed on priority basis. Terefore, the area demarcation of the plot may be done at the earliest possible by the DDA.

In view of the Above, your personal intervention is sought in the matter for issue necessary direction to the concerned officers to expedite the modification of LOP so that the plot may be nanded over to this DirectorateAt the earliest by the Institutional Land Branch of DDA.

Yours faithfully,

Encl :AsAbvoe

(DrArun Banerjee)

Addl. Director (plg.)

Dated : 17/18/16

F.No. 10/842/2013/DHS/P&S/125185-790

Copy to :

1. OSD (Health) to Hon'ble Minister of Health, Govt. of NCT of Delhi 7th Level,A-Wing, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi-110002
2. Director (Lands), Delhi Development Authority, A-Block, 1st Floor, Vikas Sadan, INA New Delhi-110023.
3. Dy. Director (IL), Delhi DevelopmentAuthority, A-Block, 2nd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi-110023.
4. PS to vice Chairman, Delhi Development Authority, B-Block, 1st Floor, Vikas Sadan, INA New Delhi-110023.
5. PS to Commissioner (LD), Delhi Development Authority,A-Block, 1st Floor, Vikas Sadan, INA New Delhi-110023.

52. श्री मदन लाल : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार का लोदी रोड से सेवा नगर और कोटला मुबारकपुर से जोड़ने हेतु (सेवा नगर, रेलवे क्रॉसिंग, अंडरपास पार करने के बाद) नाले के ऊपर सड़क बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो यह कार्य कब तक प्रारंभ हो जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) हां, यह प्रस्ताव है।

(ख) सेवा नगर रेलवे क्रासिंग अंडर पास पार करने के बाद नाले के ऊपर पुल की सड़क बनाने का कार्य अभी रेलवे क्रासिंग पर बन रहे ROB के कार्य से जुड़ा हुआ है। ROB का कार्य दिनांक 27 जुलाई 2016 का माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेशानुसार मानसून के समय में बंद कर दिया गया है। ROB का कार्य बरसात के बाद सितम्बर माह 2016 में शुरू होकर मार्च 2017 तक समाप्त होगा। उसके बाद पुल की सड़क का कार्य शुरू करके अप्रैल 2017 तक एक माह में पूरा कर दिया जाएगा।

यह जबाब प्रधान सचिव लो.नि.वि. की पूर्व अनुमति से जारी किया जा रहा है।

53. श्री जरनैल सिंह (तिलक नगर) : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि तिलक नगर मैट्रो स्टेशन का गेट नं.–2 सड़क के एक हिस्से पर बना हुआ है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इसके कारण भारी ट्रैफिक की वजह से सामान्य जनता को असुविधा होती है;

(ग) यदि हां, तो इस समस्या से निजात दिलाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि तिलक नगर मैट्रो स्टेशन के सौंदर्यकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है?

परिवहन मंत्री : (क) मेट्रो स्टेशन तिलक नगर का गेट नं. 2 सड़क के किनारे बना हुआ है।

(ख) और (ग) तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नं. 2 पर ट्रेफिक लाइट लगी है जोकि वर्तमान में कार्यस्त है (दिनांक 17/08/2016) एवं जिसके द्वारा ट्रैफिक को नियंत्रित किया जाता है एवं सामान्य जनता सड़क पार कर सकती है। गेट नं. 2 के आस पास मुख्य समस्या रिक्शा चालकों एवं अनाधिकृत कारों की मुख्य सड़क पर पार्किंग की है। सड़क का ज्यादातर हिस्सा उनके द्वारा घेर लिया जाता है एवं आने—जाने का रास्ता भी बाधित रहता है। इसके लिए समय—समय पर ट्रैफिक पुलिस को लिखा जाता रहा है एवं प्रमुख सचिव, जीएनसीटीडी के निर्देश पर हर जिले के जिला उपायुक्त की अध्यक्षता के अंतर्गत बनाई गई समिति जिसमें सभी सिविक विभागों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं में यह मुद्दा उठाया जाता है परंतु सम्बंधित विभागों द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गयी है।

(घ) और (ङ) दिल्ली मेट्रो ने यह निश्चित किया है कि तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के चारों तरफ के हिस्से की पुताई की जाएगी एवं सामान्य

मरम्मत/रख रखाव का कार्य किया जाएगा। तिलक नगर मेट्रो स्टेशन के आस–पास के हिस्सों के सौन्दर्यकरण के लिए पी.डब्ल्यू.डी. के सहयोग की अपेक्षा है।

54. श्री नरेश बाल्यान : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उत्तम नगर विधान सभा क्षेत्र में 100 बिस्तरों का अस्पताल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है; और

(ग) बिंदापर वार्ड में स्थित डिस्पैंसरी सामान्य जनता के लिये कब तक खोल दी जाएगी?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) इस भवन का उपयोग Forensic Science Laboratory (FSL) के लिए किया जा रहा है। जगह उपलब्ध होने के उपरान्त ही इस भवन में दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के अन्तर्गत पॉलीक्लीनिक शुरू कर दिया जाएगा।

55. श्री श्रीदत्त शर्मा : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गोकुलपुरी से शास्त्री पार्क के बीच के रूट पर बस स्टॉप/शेल्टर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है; और

(ग) इन बस स्टॉप/शेल्टर्स के निर्माण में देरी के क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री : (क) हां। 1397 बस शेल्टर की सूची में खूरैजी सीलमपुर व गांधी नगर पर बस शेल्टर बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) निविदाएं आमन्त्रित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

(ग) प्रस्तावित 1397 बस शेल्टर बनाने हेतु निविदाएं इससे पहले माह नवम्बर 2013, जून 2014 व फरवरी 2015 में भी आमंत्रित की गई थी। परन्तु इन निविदाओं को कोई भी रिस्पांस न मिलने के कारण निविदाएं पुनः आमंत्रित करने हेतु प्रस्ताव है। निविदिाएं प्राप्त होने के उपरान्त बस शेल्टर लगाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

56. श्री राजेन्द्र पाल गौतम : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कब तक काम करना शुरू कर देगा; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट द्वारा की गई सर्जरी का विवरण क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिये भर्ती–प्रक्रिया और विभिन्न मदों की क्रय–प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात, यह अस्पताल पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर देगा।

(ख) दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में पिछले तीन वर्षों में की गई सर्जरी का विवरण इस प्रकार से है :—

वर्ष	मुख्य सर्जरी	लघु सर्जरी	कुल सर्जरी
अगस्त, 13 से दिसम्बर, 13	82	1070	1152
जनवरी, 14 से दिसम्बर, 14	653	53114	5967
जनवरी, 15 से दिसम्बर, 15	1086	6860	7946
जनवरी, 16 से जुलाई, 16	707	5034	5741
कुल	2,528	18,278	20,806

57. श्री प्रकाश जारवाल : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एम.बी.रोड खानपुर से टीगरी रोड पर बनने वाले फ्लाईओवर की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य वर्ष—2011 तक पूर्ण हो जाने का लक्ष्य था;

(ग) इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में देरी के क्या कारण है; और

(घ) यह प्रोजेक्ट कब तक पूर्ण हो जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) एम.बी.रोड का मेहरौली से बदरपुर तक का Corridor Improvement का Feasibility Study कराया गया है एवं प्रपोजल यूटीपेक में मार्च 2015 में जमा कराया गया था।

(ख) ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।

(ग) 1. UTTIPEC ने लो.नि.वि. के प्रस्ताव पर परिवहन विभाग से बी. आर.टी. कॉरिडोर की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। लोक निर्माण विभाग को स्पष्टीकरण की प्राप्ति दिनांक 29.12.2015 को हुई है।

2. SI से NOC प्राप्त नहीं हुई है। SI ने दिनांक 11.04.2016 को तुगलकाबाद किले के आस–पास कार्य की अनुमति देने से इन्कार कर दिया है।

(घ) UTTIPEC एंव DUAC से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तक कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

यह जवाब प्रधान सचिव लो.नि.वि. की पूर्व अनुमति से जारी किया जा रहा है।

58. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मैसर्स आई.सी.एस.आई.एल. को विभिन्न सरकारी विभागों में मैनपावर सर्विसेज देने हेतु पैनल पर लिया है;

(ख) यदि हां, तो मैनपावर देने हेतु एजेंसी को पैनल पर लेने हेतु क्या खुली निविदाएं आमंत्रित की गई थीं;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य हेतु जारी किए गए विज्ञापन का विवरण क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या यह सत्य है कि मैसर्स आई.सी.एस.आई.एल. को यह कॉन्ट्रेक्ट बिना खुली निविदाए आमंत्रित किए दिया गया;

(ङ) यदि हां, तो यह कॉन्ट्रेक्ट किन नियमों के तहत दिया गया; और

(च) क्या सी.बी.आई. द्वारा इस कंपनी के विरूद्ध किसी मामले में जांच शुरू की गई है?

उद्योग मंत्री : (क) और (ख) आई.सी.एस.आई.एल. जो कि डी.एस. आई.आई.डी.सी. एवं टी.सी.एल. (भारत सरकार का उपक्रम) का संयुक्त उद्यम है, वर्ष 2009 से दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों को मैगपावर सर्विस एवं सूचना प्रौद्योगिक हाड्रवेयर/सोफ्टवेयर मुहैया कराता रहा है। इस संबंध में दिल्ली सरकार एवं आई.सी.एस.आई.एल. के बीच वर्ष 2013 में किये गये समझौता (ज्ञापन एग्रीमेन्ट) को विभिन्न विभागों की आवश्यकता अनुसार एवं इसकी सफलता को देखते हुए कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक समय अवधि बढ़ाई गयी है।

(ग) से (ङ) उपरोक्त समझौता ज्ञापन (एग्रीमेन्ट) का विस्तारण के बाद नई नियुक्ति प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी।

(च) सी.बी.आई द्वारा इस कम्पनी के कुछ अधिकारियों के विरूद्ध जांच शुरू करने की सूचना प्राप्त हुई है। लेकिन इसके विवरण के बारे में दिल्ली सरकार को कोई सूचना उपलब्ध नहीं की गई है।

59. सुश्री अलका लाम्बा : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार का ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की आड़ में यात्रियों को प्वाइंट टू प्वाइंट पिकअप सर्विस दे रही कंपनियों को नियंत्रित करने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) विभिन्न स्थानों जैसे—एयरपोर्ट, आई.एस.बी.टी. इत्यादि पर लगाई गई इन्फोर्समेंट टीमों का विवरण क्या है;

(घ) पिछले वर्ष कश्मीरी गेट, ओल्ड पंजाब बस स्टेंड, एस.पी.मुखर्जी मार्ग, कालीबाड़ी मार्ग, तीस हजारी इत्यादि के आस—पास के क्षेत्रों में विभिन्न शर्तों जैसे—गलत पार्किंग, परमिट उलंघन के लिए कितनी बसों के विरूद्ध कार्रवाई की गई;

(ङ) क्या सरकार का पर्यटन विभाग की सहायता से इन बस ऑपरेटरर्स व बुकिंग ऑफिसेज के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है?

परिवहन मंत्री : (क) समय समय पर प्रर्वतन शाखा, परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी बसों एवं कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(ख) 01.04.2015 से 31.03.2016 तक 326 ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों के परमिट उलंघन के चालान किये गये।

(ग) समय समय पर इन्फोर्समेंट टीमें एयर पोर्ट तथा आई एसबीटी पर लगायी जाती है।

(घ) पूरी दिल्ली में 01/04/2015 से 31/03/2016 तक गलत पार्किंग के 240 तथा परमिट उलंघन के 221 बसों के चालान किये गये।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं है।

60. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिठाला गांव बस टर्मिनल की दशा सुधारने एवं उसके पुनर्निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

परिवहन मंत्री : (क) जी नहीं,

(ख) उपरोक्त,

(ग) रिठाला गांव में जिस जगह से बस का परिचालन होता है वह जगह दिल्ली परिवहन निगम की नहीं है जिसके कारण दिल्ली परिवहन निगम उस जगह पर कोई भी धनराशि खर्च नहीं कर सकता।

अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

37. श्री पवन कुमार शर्मा : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि ए.सी–04 की एम.सी.डी. कालोनी जी ब्लॉक से मंगल बाजार रोड पर अवैध कब्जा है;

(ख) क्या सरकार की इस सड़क की 5–6 फीट चौड़ी सैन्ट्रल वर्ज को कम कर अवैध कब्जा हटाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो कब तक;

(घ) क्या यह सत्य है कि बिल्डिंग मैटीरियल वालों का कुशल सिनेमा से मलिक टण्डन रोड आदर्श नगर पर अवैध कब्जा है;

(ङ) सरकार की इस अवैध कब्जे को हटाने की क्या योजना है और कब तक;

(च) क्या यह सत्य है कि ए. ब्लॉक स्कूल के सामने एवं रसीला पेंट के पास पी.डब्ल्यू.डी. का नाला बरसों से टूटा पड़ा है;

(छ) सरकार की इस नाले की मरम्मत करने की क्या योजना है; और

(ज) कब तक इसकी मरम्मत कर दी जाएगी?

लोक निर्माण मंत्री : (क) जी ब्लॉक से मंगल बाजार रोड पर तहबाजारी के तहत एम.सी.डी. के द्वारा जगह आबंटित है। इसके अतिरिक्त स्थानीय निवासियों/कबाडियों द्वारा अनाधिकृत रूप से सामान रखा हुआ है। इसे हटाने के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा एस.टी.एफ. को कार्रवाई करने के लिखा गया है।

(ख) सैन्ट्रल वर्ज की चौड़ाई कम करने की कोई योजना लंबित नहीं है।

(ग) लागू नहीं है।

(घ) सत्य है

(ङ) लोक निर्माण विभाग द्वारा एस.टी.एफ. को समय–समय पर इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए निवेदन किया जाता है।

(च) यह नाला कुछ महीने पहले ही क्षतिग्रस्त हुआ है।

(छ) लोक निर्माण विभाग द्वारा इस नाले की मरम्मत का कार्य सितम्बर, 2016 से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।

(ज) नाले की मरम्मत/निर्माण का कार्य अक्टूबर, 2016 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित है।

यह जवाब प्रधान सचिव लो.नि.वि. की पूर्व अनुमति से जारी किया जा रहा है।

38. श्री नारायण दत्त शर्मा : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदर पुर में भारी जाम से आम जनता को राहत देने की सरकार की क्या योजना है।

(ख) क्या सरकार मीठा पुर–आगरा नहर पर नया पुल बनाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस पुल का निर्माण कब तक हो जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं?

लोक निर्माण मंत्री : (क) बदरपुर से जाम समाप्त करने हेतु कालिन्दी बाईपास रोड बनाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव यूटीपेक, DUAC एवं Yamuna Standing Committee से पारित किया जा चुका है तथा उत्तर प्रदेश सरकार से सिंचाई विभाग की जमीन लेने हेतु कार्रवाई की जा रही है।

(ख) नहीं, कोई योजना नहीं है क्योंकि नहर उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग के कंट्रोल में है।

(ग) लागू नहीं है।

(घ) सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जमीन हस्तान्तरण नहीं करने के कारण इसका कार्यान्वयन शुरू नहीं किया जा सकता है।

यह जवाब प्रधान सचिव लो.नि.वि. की पूर्व अनुमति से जारी किया जा रहा है।

39. श्री सोमनाथ भारती : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मालवीय नगर विधान सभा की सड़कों को भीड़–भाड़ से मुक्त करने हेतु सरकार द्वारा कितना फंड आबंटित किया गया है;

(ख) क्या उक्त फंड में उचित एवं प्रभावी उपयोग हेतु अध्ययन कराया गया है;

(ग) आई.आई.टी. दिल्ली शानिधाम मन्दिर के गेट के निकट बनाए जा रहे फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा;

(घ) मालवीय नगर विधान सभा में लोक निर्माण विभाग की सड़कों का उन पर फुट–पाथ, प्रकाश, नालों इत्यादि की स्थिति सहित पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर एमसीडी की पार्किंग को अनुमति दी गई है।

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(छ) यदि नहीं, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा इस प्रकार की प्रैक्टिस को रोकने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) इस तरह का कोई फंड अलग से आंबटित नहीं किया गया है।

(ख) उपरोक्त 'क' के संबंध में लागू नहीं।

(ग) इस फुट ओवर ब्रिज का कार्य 31.01.2017 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(घ) विवरण संलग्न है। nnexure-'A'

(ङ) PWD की सड़कों पर एम.सी.डी. की पार्किंग के लिए लो.नि.वि. द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गयी है।

(च) उपरोक्त 'ड' के संबंध में लागू नहीं।

(छ) यह मामला एम.सी.डी. एक्ट के अंतर्गत उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि सभी MCD Commissioners को सड़क पर पार्किंग नहीं करने के लिए पत्र लिखा गया है। nnexure-'B'

यह जवाब प्रधान सचिव लो.नि.वि. की पूर्व अनुमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नः—यथोपरि (A & B)*

---

*पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर 16978 पर उपलब्ध।

40. श्री नरेश बाल्यान : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तम नगर विधान सभा में नजफगढ़ ककरोला नाले से केशोपुर तक एलिवेटेड रोड बनाने की दिल्ली सरकार की कोई योजना है।

(ख) यदि हां, तो कब तक शुरू होगी।

लोक निर्माण मंत्री : (क) हां, इस कार्य की प्रारम्भिक drawings UTTIPEC को दिनांक 28.04.2015 को भेजी गई थी जिनकी UTTIPEC Working Group-2 meeting में दिनांक 29.04.2015 को चर्चा हुई थी। तत्पश्चात बस कोरिडोर को सम्मिलित कर संशोधित प्रस्ताव दिनांक 28.05.2016 को UTTIPEC में जमा कर दी गई है एवं प्रस्ताव UTTIPEC के विचाराधीन है।

(ख) इस कार्य के शुरू होने की तिथि को UTTIPEC एवं DUAC से स्वीकृती के बाद बताई जा सकती है।

यह जवाब प्रधान सचिव लो.नि.वि. की पूर्व अनुमति से जारी किया जा रहा है।

41. श्री मदन लाल : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांव पिलंजी कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली के नालें पर बने पुराने पुल के पास में एक और पुल बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां तो यह कार्य कब शुरू करने की योजना है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) हां, योजना है।

(ख) यह कार्य मानसून के समाप्त होने पर अक्टूबर 2016 में शुरू किया जाना प्रस्तावित है।

यह जवाब प्रधान सचिव लो.नि.वि. की पूर्व अनुमति से जारी किया जा रहा है।

42. सुश्री अल्का लाम्बा : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एस.आर.डी.सी. के शाहजहांनाबाद के पुनर्विकास योजना को विभिन्न सिफारिशों के आधार पर लोक निर्माण विभाग की कौन–कौन से कार्य सौंपे गए हैं;

(ख) लोक निर्माण विभाग द्वारा इस प्रकार के कितने कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं; और

(ग) इस प्रकार के कितने और कौन–कौन से कार्य अभी तक शुरू नहीं किए गए हैं?

लोक निर्माण मंत्री : (क) एस.आर.डी.सी. के शाहजहांनाबाद के पुनर्विकास योजना की विभिन्न सिफारिशों के आधार पर लोक निर्माण विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं :–

1. चांदनी चौक का विकास कार्य।

2. जामा मस्जिद के परिसर के आसपास क्षेत्र का पुनर्विकास।

(ख) चांदनी चौंक में Underground R.C.C. Ducts, oa Recarpeting of

one side Carriage way का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा तारों को भूमिगत करने का कार्य BSES तथा MTNL द्वारा किया जा रहा है।

(ग) 1. चांदनी चौक में दूसरी carriage way में उपरोक्त कार्य एवं सौन्दर्यीकरण के कार्य अभी शेष है।

2. जामा मस्जिद में Consultant द्वारा कार्य की Working Drawings बनाई जा रही है।

Consultant श्री अभिमन्यु दलाल द्वारा आगे कार्य करने से इंकार के कारण अन्य Consultant श्री प्रदीप सचदेवा को कार्य आगे सम्पादित कराने हेतु नियुक्त किया गया है। शेष कार्यों Widening & improvement of foothpath, Ornamental Mughal Era Poles & Contemporary lights,

Basement for transformerAnd toilets. हेतु detailed drawing श्री प्रदीप सचदेवा द्वारा तैयार की जा रही है। अनुमोदन के पश्चात् इन शेष कार्यों को सम्पादित कराया जा सकेगा।

यह जवाब प्रधान सचिव लो.नि.वि. की पूर्व अनुमति से जारी किया जा रहा है।

43. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा रिठाला विधानसभा के अन्तर्गत आने वाले सभी मुख्य मार्गों के मध्य वाली पट्टिकाओं को बेहतर बनाने व हरियालित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कब तक

लोक निर्माण मंत्री : (क) सत्य है

(ख) यह कार्य दिनांक 31.08.2016 तक पूर्ण कर दिया जाएगा।

यह जवाब प्रधान सचिव लो.नि.वि. की पूर्व अनुमति से जारी किया जा रहा है।

44. श्री गुलाब सिंह : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की मटियाला विधान सभा क्षेत्र में विद्यालय भवन बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण कया है;

(ग) क्या सरकार की मटियाला विधान सभा में कोई रोड या पुल बनाने की कोई योजना है; ओर

(घ) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दें?

लोक निर्माण मंत्री : (क) हां, दो विद्यालयों में। dditional Class Room बनाने का कार्य प्रगति पर है

(ख) 1. SKV Matiala - 16 Rooms

2. SKV Kakrola-100 Rooms Likely date of completion 31.10.2016

(ग) हां, नजफगढ़ नाले के ऊपर एक पुल प्रस्तावित है।

(घ) इस पुल की अनुमानित लागत रुपये 37.50 करोड़ का प्रारम्भिक/विस्तृत अनुमान दिल्ली सचिवालय में प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा गया था,

परन्तु उसमें कुछ संशोधन करने के लिए निर्देश जारी हुए है। अतः निर्देशों के अनुपालन के पश्चात अनुमान को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पुनः प्रेषित कर दिया जायेगा।

यह जवाब प्रधान सचिव लो.नि.वि. की पूर्व अनुमति से जारी किया जा रहा है।

45. श्री जरनैल सिंह : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रजौरी गार्डन क्षेत्र की पी.डब्ल्यु.डी. सड़कों पर सुनियोजित तरीके से कूडा डाला जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो कोई निर्माण कार्य ना होने के बावजूद भी सड़कों पर मलबा क्यों पड़ा रहता है;

(ग) इस मलबे को कब तक हटा दिया जाएगा; और

लोक निर्माण मंत्री : (क) सत्य है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) सुनियोजित तरीके से अज्ञात लोगों द्वारा डाले गये कुड़े को लो. नि.वि. द्वारा समय–समय पर उठा दिया जाता है।

यह जवाब प्रधान सचिव लो.नि.वि. की पूर्व अनुमति से जारी किया जा रहा है।

46. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जी.टी. करनाल रोड, लाल बाग एवं राणा प्रताप बाग के सामने रोड/सर्विस लेन की स्थिति अत्यन्त दयनीय है, जिसके कारण यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है

(ख) सरकार की इन सड़कों को दुरूरत करने की क्या योजना है; और

(ग) इन सड़कों को कब तक ठीक कर दिया जाएगा।

लोक निर्माण मंत्री : (क) हां, उक्त सर्विस रोड पर मरम्मत की आवश्यकता है।

(ख) इन सर्विस रोड में से लाल बाग व राणा प्रताप बाग के सामने स्थित सर्विस रोड पर मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित किया जा चुका है। कार्य की स्वीकृति सितम्बर 2016 में जारी कर दी जाएगी।

(ग) प्रस्तावित कार्य बरसात के बाद प्रारम्भ करके दिसम्बर 2016 तक पूरा कर दिया जाएगा।

यह जवाब प्रधान सचिव लो.नि.वि. की पूर्व अनुमति से जारी किया जा रहा है।

47. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मॉडल टाउन क्षेत्र के शक्ति नगर चौक पर जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार की यहां पर अण्डर पास बनाने की योजना है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस योजना को यूटीटीआईपीएसी द्वारा अनुमोदित भी किया जा चुका है;

(ग) यदि हां, तो इस प्राोजेक्ट की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) यहां पर निर्माण कार्य कब से आरंभ होगा; और

(ङ) अभी तक निर्माण कार्य शुरू न होने के क्या कारण है?

लोक निर्माण मंत्री : (क) शक्ति नगर चौक पर एक तरफा (आजाद पुर से रानी झांसी रोड तक) का one-way फ्लाई ओवर बनाने की योजना थी, जो कि UTTIPEC के कोर गुप से 04/03/2015 की मीटिंग में पास हुई थी। यहां अण्डर पास की कोाई योजना नहीं थी। वर्तमान में आजाद पुर से रानी झांसी रोड तक पूरे कॉरिडोर को विकसित करने की योजना है।

(ख) और (ग) नई प्रस्तावित योजना 01/08/2016 को UTTIPEC में जमा की गई है। इस योजना में शक्ति नगर चौक पर दो तरफा फ्लाई ओवर है। यह अभी UTTIPEC के पास लंबित है।

(घ) इस कार्य के शुरू होने की तिथि UTTIPEC एवं DUAC से स्वीकृति के बाद ही बतायी जा सकती है।

(ङ) योजना UTTIPEC से pproval के लिए लंबित है।

यह जवाब प्रधान सचिव लो.नि.वि. की पूर्व अनुमति से जारी किया जा रहा है।

48. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **लोक निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार की माडल टाउन विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत नानक प्याऊ गुरूद्वारा स्थित बेबे नानकी चौक के सौन्दर्यीकरण की योजना थी।

(ख) यदि हां, तो इसके सौन्दर्यीकरण के लिए अब तक क्या कार्य किए गए है तथा कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इस चौक के सौन्दर्यीकरण का कार्य कब तक शुरू किया जाएगा?

लोक निर्माण मंत्री : (क) नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं थी।

(ख) उपरोक्तानुसार 'क' के अनुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्तानुसार 'क' के अनुसार लागू नहीं।

यह जवाब प्रधान सचिव लो.नि.वि. की पूर्व अनुमति से जारी किया जा रहा है।

49. श्री वेद प्रकाश : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि बवाना विधान सभा के बिस डिपो में बसें पर्याप्त मात्रा में नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो इस डिपो को और बसें दिए जाने की सरकार की क्या योजना है; और

(ग) इस डिपो को अतिरिक्त बसें कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी?

परिवहन मंत्री : (क) जी नहीं।

इस विधान सभा क्षेत्र में दि.प.नि. के दो बस डिपों क्रमशः बवाना व कंझावला पड़ते हैं, जिनमें बवाना डिपों में 71 बसें (साधारण फ्लोर) व कंझावाला डिपो में 100 बसें (लो फ्लोर) दी गई हैं जबकि इस क्षेत्र में मांग व संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 262 बसें अन्य क्षेत्रों में शुरु होकर इस क्षेत्र के यात्रियों को भी सेवा दे रही है।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकार का नई बसों की खरीद से संबंधित नीतिगत फैसला प्राप्त होने के पश्चात ही दिल्ली परिवहन निगम अपने बेड़े में नई बसें सम्मलित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करेगी, उसके बाद ही बवाना डिपो को अतिरिक्त बसें दी जा सकती हैं।

50. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विभाग की रिठाला विधान सभा क्षेत्र में नई बस चलाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो किन रूटो पर और कितनी संख्या में?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) नए रूट न. 997 पर रोहिणी सैक्टर 22/बुध विहार से आईएसबीटी से सराय काले खां 28/07/2016 से 8 कलस्टर बसो की सेवा शुरू की गई है।

यूनिफाईड टाईम टेबल के अन्तर्गत 8 बसे कलस्टर की तथा 8 बसे दिल्ली परिवहन निगम की होंगी। तथापि दिल्ली परिवहन निगम के बेडे

में नई बसें शामिल होने पर जांच उपरान्त नई बसें/रूट चलाने पर विचार किया जा सकता है, वर्तमान में रिठाला विधानसभा क्षेत्र से दिपनि की 316 बसें चल रही है।

51. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विभाग की रिठाला विधान सभा क्षेत्र में हाईटेक बस क्यू शैल्टर लगाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कितने बस क्यू शैल्टर कहां पर लगाने की योजना है; और

(ग) ये शैल्टर कब तक लगा दिए जाएंगे?

परिवहन मंत्री : (क) यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र में बस शैल्टर लगाने की योजना है।

(ख) दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा दी गई जानकारी व दिल्ली राजपत्र असाधारण संख्या 195 दिनांक 14.11.2007 के अनुसार प्रस्तावित 1397 बस क्यू शैल्टर की सूची में से 40 क्यू शैल्टर रिठाला विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत आते है। जिसकी सूची संलग्न की जा रही है।

(ग) निविदाएं आमन्त्रित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है। ऐसा अनुमान है कि प्राप्त निविदाओं के मूल्यांकन व स्वीकृति के 4 माह के भीतर बस क्यू शैल्टर लगा दिए जाएंगे।

प्रश्न संख्या अतारांकित प्रश्न संख्या 51

Sl. No.	Sr. No.As per list of proposed 1397	Name of BQS	While proceding towards (WPT)
1	2	3	4
1	597	Pal Colony	Rohini Sec-24
2	604	Rohini Sec-5, Chotu Ram Park	Avantika
3	605	Rohini Sec-5, Chotu Ram Park	Rohini Sec-1
4	605	Rohini Sec-5, Chotu Ram Park	Rohini Sec-1
5	606	Rithala Xing	Rohini Sec-1
6	607	Rithala Xing	Avantika
7	609	Vishram Chowk	Rohini-2
8	610	Rohini, Sec-4	Rohini-2
9	611	Rohini, Sec-4	Avantika
10	613	Avantika Sec-1	Rohini-II

1	2	3	4
11	637	Rohini, Sec-11	Shahbad
12	638	Rohini, Sec-7 Xing	Rohini, Sec-2
13	639	Rohini, Sec-7 Xing	Sect-14
14	650	Rithala Metro Station	Shahbad
15	651	Rithala Metro Station	Rithala
16	651	Rithala Metro Station	Rithala
17	652	Metro Walk	Rithala
18	652	Metro Walk	Rithala
19	654	Rohini, Sec-11 (A-I)	Shahbad
20	655	Rohini, Sec-11 (A-I)	Rithala
21	655	Rohini, Sec-11 (A-I)	Rithala
22	656	Rohini, Sec-11	Rithala
23	656	Rohini, Sec-11	Rithala
24	657	Rohini, Sec-11	Rithala
25	657	Rohini, Sec-11	Rithala
26	658	Rohini, Sec-17	Shahbad

1	2	3	4
27	659	Rohini, Sec-16	Rohini-II
28	659	Rohini, Sec-16	Rohini-II
29	660	Rohini, Sec-17	Rohini-II
30	660	Rohini, Sec-17	Rohini-II
31	661	Rohini, Sec-16	Rohini Sec-15
32	661	Rohini, Sec-16	Rohini Sec-15
33	662	Rohini, Sec-16	Rohini Sec-17
34	662	Rohini, Sec-16	Rohini Sec-17
35	665	Rohini, Sec-16 Pocket-A-2	Rohini Sec-17
36	665	Rohini, Sec-16 Pocket-A-2	Rohini Sec-17
37	906	Rohini, Sec-16 Xing	GTK
38	907	Rohini, Sec-16 Xing	A. Border
39	1018	Rohini, Sec-21	M.Pur
40	1019	Rohini, Sec-21	A. Border

52. श्री महेन्द्र गोयल : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विभाग द्वारा रिठाला विधान सभा में नये बस टर्मिनल बनाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दे;

(ग) यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है;

(घ) क्या रिठाला विधान सभा में बस टर्मिनल बनाने की कोई जगह है; और

(ङ) यदि हां, तो कहां पर और कितनी?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली परिवहन निगम ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि मास्टर प्लान 2021 में रिठाला गांव में बस टर्मिनल के लिए जमीन को चिन्हित किया जाए जिससे वहां पर टर्मिनल बनाया जा सके परन्तु इस विषय में दिल्ली विकास प्राधिकरण से कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है;

(ग) उपरोक्तानुसार।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

53. श्री प्रकाश जारवाल : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि तगड़ी एम.बी.रोड. एवं विराट चौक पर कॉमनवैल्थ 2010 के दौरान बस स्टैण्ड बनाने की योजना थी;

(ख) यदि हां, तो अभी तक यहां पर बस स्टैण्ड न बनाये जाने के क्या कारण है; और

(ग) ये बस स्टैण्ड कब तक बना दिए जाएंगे?

परिवहन मंत्री : (क) जी नहीं। यह स्थान बस स्टैण्ड के लिए अधिसूचित नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त अनुसार लागू नहीं।

54. श्री गुलाब सिंह : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घुम्मनहेड़ा बस डिपो में स्थानीय आबादी की आवश्यकता के अनुसार बसें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार की इस डिपो के लिए कितनी अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराने की योजना है और कब तक;

(ग) क्या इस डिपो को इन्द्रप्रस्थ गैस लि. द्वारा गैस पाइप लाइन से जोड़ने की कोई योजना है;

(घ) क्या खरखरी नाहर, रेवला खानपुर गांव, सैक्टर–22 द्वारा में कलस्टर बस डिपो बनाने की योजना है;

(ङ) यदि हो, तो प्रत्येक बस डिपो बनाने पर कितनी लागत आएगी;

(च) ये बस डिपो बग तक बन कर तैयार हो जाएंगे; और

(छ) इन डिपो में कितनी बसें लगाए जाने का प्रस्ताव है?

परिवहन मंत्री : (क) और (ख) जी हां, घुम्मनहेडा डिपो की 62 बसें इस क्षेत्र से चल रही है। इस क्षेत्र के रूटों पर अन्य डिपों की 13 बसें भी संसाधनों को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है।

(ग) हां, श्रीमान, मैसर्स इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अनुसार बडी लम्बी सी.एन.जी. पाइप लाइन होने के कारण घुम्मनहेडा डिपो तक आने में लगभग 18 महीने तक का समय संभावित है।

(घ) जी हां। पूछी गई जानकारी निम्न प्रकार से है।

डिपो का नाम	अनुमानित लागत	निर्माण कार्य पूरा होने की अनुमानित तिथि	बसो की संख्या
खरखरी नहर	रु. 14.51 करोड़	31/12/2016	120
रेवला खानपुर	रु. 12.35 करोड़	31/12/2016	100
द्वारका सैक्टर–22	रु. 25.42 करोड़	31/08/2017	275

55. श्री जगदीश प्रधान : क्या **परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार का मानना है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी–महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या को कम करने में प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है;

(ख) यदि हां, तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में लास्ट माइल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठायें हैं;

(ग) अभी तक सरकार ने साझा ऑटो रिक्शा, मेट्रो फीडर सेवाएं और ई–रिक्शाओं को लास्ट माईल कनेक्टिविटी के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) सरकार ने अब तक सार्वजनिक स्थलों और बसों में कितने सी. सी.टी.वी. कैमरे लगाये हैं?

परिवहन मंत्री : (क) जी हां।

(ख) सामान्यत लास्ट माइल्स क्नेक्टिविटी पैदल, साईकिल, साईकिल रिक्शा, और ई–रिक्शा द्वारा संचालित होती है। लास्ट माइल्स क्नेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ई–रिक्शा के पंजीकरण को प्रोत्साहित करने एवं मैट्रो फीडर बसों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रयास कर रही हैं। इस के अतिरिक्त सरकार द्वारा दिल्ली के सभी रूटों की दुबारा समीक्षा कराई जा रही है।

दिल्ली परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:–

1. वर्तमान में दि.प.नि. में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 28 महिला स्पेशल फेरे चलाये जा रहे हैं।
2. सांय व रात्रि पारी की बसों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मार्शलों की नियुक्ति की गई है।
3. 9 विशेष फेरे कॉलेज जाने वाली छात्राओं की सुविधा के लिए भी अलग से चलाये जा रहे है।

(ग) परिवहन विभाग के जोनल आफिसों में ई–रिक्शा के लाईसेंस देने के लिए तीन बार कैम्प लगाये गए।

प्रत्येक ई–रिक्शा मालिक को 15000 रु. की सब्सिडी डीपीसीसी द्वारा दी जा रही है। मैट्रो फीडर बसों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रयास कर रही हैं।

(घ) दिल्ली परिवहन निगम की 200 बसों (100 लो फ्लोर सरोजनी डिपो और 100 लो फ्लोर राजघाट डिपो प्रथम) में 600 सी.सी.टी.वी. कैमरे (3 कैमरे प्रति बस) लगाये गये।

56. श्री अजय दत्त : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर नगर में अस्पताल का निर्माण कार्य कब तक पूरा किया जाएगा;

(ख) इस अस्पताल में क्या–क्या सुविधाएं होंगी; और

(ग) यह अस्पताल कितनी लागत से बनाया जा रहा है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) विभाग द्वारा बढ़ी हुई FAR के आधार पर अस्पताल के बिस्तरों की क्षमता पूर्व निर्धारित 200 बिस्तरों से बढ़कर 600 बिस्तरों का करने का निर्णय लिया गया। बढ़ी हुई परियोजना व अतिरिक्त कार्य के लिए सभी वैधानिक मंजूरी और अतिरिक्त लागत की प्रशासनिक तथा खर्च की जाने वाली राशि का अनुमोदन मिलने के बाद यह कार्य 18 महीने में पूरा किया जाने की संभावना है।

(ख) अस्पताल में विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों जैसे मेडिसिन, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग एवं प्रसूति, बाल चिकित्सा, नेत्र चिकित्सा तथा ई.एन.टी. , इतयादि रोगों का निदान करने की सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

(ग) वर्ष 2013–14 के वित्तीय वर्ष में शुरूआती तौर पर 200 बिस्तरों के इस अस्पताल के निर्माण हेतु Rs. 125.90 करोड़ का प्रावधान था, अब 400 अतिरिक्त बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के लिए Rs. 60.62 करोड़ की अतिरिक्त लागत का अनुमान है।

57. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार की 1000 मोहल्ला क्लीनिक खोलने का योजना है;

(ख) यदि हां, तो ये सारे क्लीनिक कब तक खोल दिये जाएंगे, अब तक कितने क्लीनिक कहां–कहां कार्य कर कर रहे हैं और उनमें कौन–कौन सा स्टाफ कितनी संख्या में उपलब्ध करवाया गया, पदानुसार विवरण दें;

(ग) क्या यह सत्य है कि मोहल्ला क्लीनिकों में फार्मासिस्ट की व्यवस्था न होने के कारण दवाई वितरण का काम क्लीनिक में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी द्वारा किया जाता है; इसके कारण मरीजों को गलत दवाई देने की संभावना बनी रहती है, इस समस्या से निपटने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है;

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकारी डिस्पैंसरी में नियुक्त फार्मासिस्टों को ही मोहल्ला क्लीनिकों में दवाई पहुंचाने इत्यादि का काम करना पड़ता

है, इस कार्य को करने के लिये उन्हें इंडेंट लेकर मुख्यालय भी जाना पड़ता है, और

(ङ) क्या भी सत्य है कि फार्मासिस्टों द्वारा मौहल्ला क्लीनिकों और हैड क्वार्टर से समन्वय स्थापित करने के चलते सरकारी डिस्पैंसरियों में दवाई विवरण की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी है और सरकार इसके लिये क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां।

(ख) वित्त वर्ष 2016–17 में सभी क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव है। अभी तक 106 मोहल्ला क्लीनिक सभी जिलों में कार्य कर रहे हैं। एक मोहल्ला क्लीनिक में सामान्यतः कार्यस्त स्टाफ का विवरण निम्नलिखित है :–

1. चिकित्सक – 01
2. ए.एन.एम. – 01
3. बहुकार्यकर्ता – 01
4. हैल्पर – 01

(ग) जी नहीं। मरीजों को दवाई–वितरण का कार्य पैनल में सम्मिलित चिकित्सक के प्रस्ताव निरीक्षण में किया जा रहा है।

(घ) आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक अपनी दवाईयों का इंडैंट (Indents) दिल्ली सरकार की लिंक डिस्पैंसरी में भेजता है और दिल्ली सरकार की डिस्पैंसरियों का स्टाफ इन दवाइयों को समयानुसार मोहल्ला क्लीनिक में पहुंचाता है।

(ङ) जी नहीं।

58. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने 900 नये प्राईमरी हैल्थ सेंटर खोलने का वायदा किया था तथा अस्पतालों में 30 हजार अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा था;

(ख) यदि हां, तो सदन को बतायें कि सरकार ने अब तक कितने प्राईमरी हैल्थ सेंटर खोले हैं और कितने खोलने जा रही है तथा 900 सेंटर खोलने का लक्ष्य कब तक पूरा हो जायेगा,

(ग) अब तक अस्पतालों में कितने अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की जा चुकी है तथा 10 हजार बिस्तर बढ़ाने का लक्ष्य कब तक पूरा हो जाएग;

(घ) क्या सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये फार्मास्यूटिकल दवाओं तथा उपकरण इत्यादि खरीदने के लिये केन्द्रीयकृत व्यवस्था स्थापित कर ली है, यदि नहीं तो यह लक्ष्य कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ङ) क्या सरकार मरीजों को जैनरिक, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां उपलब्ध करवा रही है; और

(च) यदि हां, तो हाल ही में अम्बेडकर अस्पताल तथा अन्य अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध न होने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) दिल्ली सरकार द्वारा 1000 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक खोलने की योजना है।

(ख) स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक कुल 106 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक खोले जा चुके हैं तथा 1000 आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक चालू वित्त वर्ष 2016–17 के अन्त तक खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) मुख्य परियोजना प्रबंधक (स्वास्थ्य) परियोजना के अनुसार 10,000 अतिरिक्त बिस्तरों को बढ़ाने का लक्ष्य अगने दो वर्ष तक पूरा करने की योजना है।

(घ) जी हां।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा Delhi Healthcare Corporation Ltd. स्थापित की गई है, जो कि कार्यस्त है।

(ङ) जी हां।

(च) दिल्ली सरकार के सभी अस्पतालों में मरीजों को सभी आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कारवाई जा रही हैं।

59. श्री वेद प्रकाश : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि महर्षि वाल्मिकी अस्पताल, पूठ खुर्द में गर्भवती महिलाओं के लिये लेबर रूम की सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) इस अस्पताल में लेबर रूम की सुविधा कब तक उपलब्ध करवा दी जाएगी;

(ग) बवाना विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने मोहल्ला क्लीनिक खोले गये हैं व कहां पर;

(घ) क्या इस क्षेत्र में और मोहल्ला क्लीनिक खोलने की सरकार की कोई योजना है, यदि हां, तो कहां पर; और

(ङ) ये मोहल्ला क्लीनिक कहां पर खोले जाने प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी नहीं। इस अस्पताल में 24 घंटे लेबर रूम की सुविधा उपलब्ध है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) बवाना विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित कुल 4 मोहल्ला क्लीनिक खोले गये है :—

1. राजीव नगर, बेगमपुर (मकान नं. 13ए)
2. राजीव नगर, बेगमपुर (मकान नं. ई 31)
3. सुलतानपुर डबास गांव
4. ईश्वर कॉलोनी एक्सटैंशन—3

(घ) एवं (ङ) जी हां।

इस क्षेत्र में और आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक खोलने की योजना है।

लोक निर्माण विभाग, डी.यू.एस.आई.बी., राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित उचित जगह में ''आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक'' (पोर्टा केबिन) खोलने की योजना है। वर्तमान में उक्त जगह तय नहीं है।

60. श्री जगदीश प्रधान : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि विटामिन और मिनरल्स जिन दवाइयों में पाई जाती है, उनकी भी प्रतिपूर्ति केवल इलाज करने वाले चिकित्सक द्वारा इस आधारपर होगी कि ये दवाइयां मरीज के लिए अति आवश्यक हों या Therapeutic use के लिये हों;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि यदि उपरोक्त दवाई के संदर्भ में मरीज का इलाज करने वाले चिकित्सक यह प्रमाणित कर दें कि उपरोक्त दवाई मरीज के लिये अति आवश्यक है या उसका प्रयोग Therapeutic use के लिये है, तो क्या दिल्ली सरकार के सभी विभागों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों/ कर्मचारियों को दवाई की प्रतिपूर्ति करने के लिये संबंधित फाईल को विभाग द्वारा डी.एच.एस. भेजना जरूरी है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि इस संबंध में दिल्ली स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा दिल्ली के सभी विभागों को परिपत्र के माध्यम से इस संबंध में सूचित किया गया है;

(घ) यदि हां तो उसकी प्रतिलिपि उपलब्ध करवायें और यदि नहीं तो उसके क्या कारण है, पूर्ण विवरण दें;

(ङ) क्या यह भी सत्य है कि विभिन्न विभागों द्वारा डी.एच.एस. को भेजी गयी फाईलों का निपटान करने में या सिर्फ हां या नहीं का जवाब देने में डी.एस.एस. द्वारा तीन–तीन, चार–चार महीने तक समय लगा देते

हैं, जिससे कि कर्मचारियों को मेडिकल का भुगतान करने में छः–छः, दस–दस महीने से भी अधिक समय लग जाते हैं;

(च) मेडिकल के भुगतान को सरल बनाने के लिये विभाग व सरकार क्या कोई न्यायोचित कदम उठा रही है; और

(छ) यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों नहीं?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी हां, विटामिन और मिनरल्स किसी भी लम्बी बीमारी या एन्टीबायोटिक्स के साथ दी जाती है। परन्तु कुछ चिकित्सक लम्बे समय तक इन दवाइयों को लेने का परामर्श देते हैं जिनके लिए Therapeutic use लिखा होना आवश्यक होता है।

(ख) DGEHS Scheme CSMA Rules 1944 के अनुसार ही कार्यान्वित है। CSMA Rules के अनुसार विटामिन एंड मिनरल्स का प्रयोग Therapeutic use के लिए अलाउड है। इस संदर्भ में दिल्ली सरकार के सभी विभागों को दिनांक 25.07.2016 को आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार ऐसी कोनिक बीमारियों जिनसे विटामिन एंड मिनरल्स की शरीर में कमी हो सकती है उनके लिए DHS में फाइलों का भेजना जरूरी नहीं है, परन्तु कुछ अवस्थाओं में जहां किसी अन्य बीमारी की दवाई के साथ इनका उपयोग किया जाता है तो उसकी भी प्रथम तीन महीनों के लिए अनुमति दे दी गई है। उसके बाद यदि और लम्बे समय तक इसकी आवश्यकता है तो इसके लिये किसी भी सरकारी अस्पताल के विशेषज्ञ से

परामर्श लिया जा सकता है। तदोपरान्त ही इसकी अनुमति दी जा सकती है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रतिलिपि परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(ङ) जी नहीं।

यह सत्य नहीं है, क्योंकि मेडिकल भुगतान दिल्ली सरकार के सभी विभागों द्वारा स्वयं किया जाता है। DGEHS Branch में दिल्ली सरकार के विभागों से Tecnical opinion के लिए प्रतिदिन पांच से दस फाइलें प्राप्त होती हैं। (जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक कुल 1911 फाइल्स और जनवरी 2016 से 12—08—2016 तक 845 फाइलें प्राप्त हुई हैं) जिन पर गहराई से नियमानुसार जांच की जाती है और यदि उन फाइलों पर संबंधित विशेषज्ञों की राय जानना आवश्यक होता है तो उसके लिए भी फाइलों को दिल्ली सरकार के कुछ अस्पतालों में भेजा जाता है, जिसमें कुछ समय लग जाता है।

(च) एवं (छ) क्योंकि मेडिकल का भुगतान सभी विभागों द्वारा स्वयं किया जाता है। अतः इस विषय में आवश्यक निर्देश जारी किए जायेंगे कि लेवल ऐसी फाइलें ही opinion के लिए भेजी जायें जिनमें कोई राय अति आवश्यक हो, नियमित फाइले सभी विभागों द्वारा अपने आप समयबद्ध तरीके से निपटाई जा सकती है।

अतारांकित विधान सभा प्रश्न सं. 60

परिशिष्ट 'क'

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

DIRECTORATE OF HEALTH SERVICES

F-17 KARKARDOOMA DELHI-32

(DGEHS)

F. No. DGHS-16012/19/2016-DGEHS DGHS-DIRGE (DGHS)-Part (2) 171411-463 Date : 25/07/20

OFFICE ORDER

Reference is invited to the earlier order dated 25/04/2016 whereby directions were issued toALCs not to supply the preparation containing multi-vitamins, Anti-oxidants, nutrientsAnd food supplements, toiletries and cosnietic product etc. to the bneficiaries.

However, on receipt of a number of representations especially from senior and super-senior pensioners, patients having undergone major surgeries, patients suffering from chronic diseases, the matter has been reviewed in consulation with concerned specialists. It has been observed that vitamins, antioxidants and some supplements etc are not prescribed in isolation but they are prescribed as essential for therapeutic useAlong with ongoing treatment.

In view of above it has been decided that :

1. The prescription of vitamins, minerals, andAntioxidants should be restricted as per EML 2016 of Delhi Govt. In case of nonAvailability of these in Delhi Govt. hospitalsèHealth Centres, they may be allowed initially for first three months on prescription of any private empanelled hospital provided that

they have been prescibed as essential for therapeutic use along with some medicines, with proper diagnosis and justification.After three months, these products may be permitted byAMA on the recommendation of Govt. Sepcialist of concerned field only.

2. The above conditions shall not apply to the patients with CLD, CKD, malabsorption syndrome, transplant patients, cancer patients who may be pernitted vitamins minerals, food supplementsAndAntioxidants if the same has been prescribed by the concerned specialists as essential for therapeutic use with propet diagnosis and justification.

3. Food Supplements may be allowed byAMA only on recommendation of Govt. Specialist of concerned field.

4. Toiletry and Cosmetic products will not be permitted.

(Dr.Ashok Kumar)

Addl. Director DGEHS

F. No. DGHS-16012/19/2016-DGEHS DGHS-DIRGE (DGHS)-Part (2) 171411-463 Date : 25/07/20

Copy for information to :

1. All DirectorèRDHSèMS of Delhi govt. Hospitals
2. AllARDHS
3. AllALCs
4. PS to DGHS

(Dr.Ashok Kumar)

Addl. Director DGEHS

61. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मॉडल टाउन विधान सभा क्षेत्र में सरकार की सोलह मोहल्ला क्लीनिक खोलने की योजना थी;

(ख) यदि हां, तो अभी तक इस क्षेत्र में एक भी मोहल्ला क्लीनिक न खोले जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इस क्षेत्र में मोहल्ला क्लीनिक कब तक खोल दिये जाएंगे;

(घ) कमला नगर में हाल ही में बन्द की गयी डिस्पैंसरी को पुनः शुरू करने की सरकार की क्या योजना है;

(ङ) यह डिस्पैंसरी कब तक शुरू कर दी जाएगी?

स्वास्थ्य मंत्री : (क) जी नहीं। ऐसी कोई योजना नहीं थी।

माननीय विधायक महोदय द्वारा 16 स्थानों पर आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भविष्य में आम आदमी मोहल्ला क्लीनिक (porta-cabin) जब खोले जायेंगे, तो इन स्थानों पर विचार किया जायेगा।

(ख) मॉडल टाउन विधान सभा में केवल एक भूमिस्वामी द्वारा निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं को आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके उपरान्त साईट निरीक्षण किया गया, परन्तु बाद में भूमि स्वामी ने जगह देने से इन्कार कर दिया।

(ग) समय–सीमा बताना संभव नहीं है।

(घ) कमला नगर में डिस्पैंसरी न्यायालय के आदेशानुसार बन्छ की गई है। अभी कोई योजना तय नहीं है।

(ङ) यह डिस्पैंसरी शुरू करने के लिये उचित स्थान नहीं मिला है। इस क्षेत्र में सर्वे करने के पश्चात् भी कोई उचित भवन किराये पर नहीं मिला।

62. श्री अजय दत्त : क्या **परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा परिवार कल्याण की कौन–सी योजनाएं चलाई जा रहीं है।

(ख) वर्ष 2015–16 में इस मद में कितनी धनराशि व्यय की गई।

(ग) क्या सरकार द्वारा हाल ही में कोई नई परिवार कल्याण योजना लॉच की गई।

(घ) यदि हां तो उसका पूर्ण विवरण दें।

परिवार कल्याण मंत्री : (क) 1. ''व्यापक गर्भपात देखभाल सेवाएं'' चिकित्सीय गर्भावस्था समापन अधिनियम व नियम 1971 के अनुसार)।

2. बाल स्वास्थ्य योजना : जरूरी टीकाकरण, मिशन इन्द्रधनुष कवच, नवजात शिशु की देखभाल, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार की विधियां, अनीमिया, न्यूटरीशियन रिहेबिलीटेशन केन्द्र, आशा द्वारा नवजात शिशु घरेलु देखभाल कार्यक्रम।

3. पीसी पीएनडीटी सेल, परिवार कल्याण निदेशालय, दिल्ली सरकार।

4. मातृ स्वास्थ्य योजना : जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।

5. परिवार कल्याण/नियोजन कार्यक्रम।

6. परिवार नियोजन सम्बंधित :—

- परिवार नियोजन मुआवजा योजना —
- परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना —
- Performance Linked Payment Plan (PPIUCD) प्रदर्शन लिंक्ड भुगतान योजना
- Home Delivery of Contraceptives - घर तक गर्भनिरोधक पहुंचाना।
- Pregnancy Testing Kit - गर्भावस्था परीक्षण किट

7. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

8. विफ्स (साप्ताहिक ऑयरन व फोलिक एसिड अनुपूरण) कार्यक्रम (आईसीडीएस)

9. राष्ट्रीय कृमिहरण (डी. वर्म दिवस) अनीमिया रोकथाम कार्यक्रम (आईसीडीएस)

(ख) 1. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम : रु. 144.94 लाख।

2. जननी सुरक्षा योजना : रु. 118.77 लाख।

3. बाल स्वास्थ्य योजना : रु. 35,7,11,9305।

4. टीकाकरण : रु. 32455025।

5. चिकित्सीय गर्भावस्था समापन : सभी सरकारी संस्थाओं में यह सुविधा मुफ्त दी जाती है।

6. परिवार नियोजन मुआवजा योजना – रु. 60.59 लाख

7. परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना – रु. 11.11 लाख

8. Performance Linked Payment Plan (PPIUCD) 16.98 लाख

9. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम : – रु. 0.31 लाख

10. विफ्स (साप्ताहिक ऑयरन व फोलिक एसिड अनुपूरण) कार्यक्रम (आईसीडीएस) :– रु. 14.77 लाख

11. राष्टषेय कृमिहरण (डी. वर्म दिवस) अनीमिया रोकथाम कार्यक्रम (आईसीडीएस) :– रु. 31 लाख

(ग) 1. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान।

2. बाल स्वास्थ्य योजना : राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल एनआईपीआई इस योजना के अर्न्तगत 6 महीने से 10 सासल तक के बच्चों को आयरन की दवाई लेने का प्रावधान है।

3. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 5 डिस्टीक्ट अर्ली इनटरबेशन केन्द्र (डीईआईसी) खोलने का प्रावधान हैं निम्नलिखित 5 अस्पतालों में (डीईआईसी) खोलने का प्रावधान है।

क. जनकपुरी सुपर स्पेशलीटी अस्पताल, पश्चिम जिला

ख. अम्बेडकर अस्पताल, दक्षिण जिला।

ग. लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल एवं हिन्दुराव अस्पताल, सेन्टल जिला।

घ. गुरू तेग बहादुर एवं स्वामी दयानंद अस्पताल, शाहदरा जिला।

ङ. डॉ. बाबा साहिब अम्बेडकर अस्पताल, उत्तर पश्चिमी जिला।

4. कंगारू मदर केयर केन्द्र : ये दिल्ली के 21 अस्पतालों में खोलने का प्रावधान है।

5. नवजात शिशु परिक्षण कार्यक्रम।

(घ) 1. दूसरी एवं तीसरी तिमाही गर्भवती महिलाओं के गुणवत्ता प्रसव पूर्व देखभाल के लिए 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' चलाया गया है। इसमें दूसरी एवं तीसरी तिमाही गर्भवती महिलाओं की एक जांच जरूरी है। यह गुणवत्ता प्रसव पूर्व जांच भारी जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को पता लगाया जएगा और उन्हें बड़े अस्पताल में रेफरल करेगा इससें हम उन महिलाओं में जटिल स्थिति पैदा होने से रोक सकते हैं। इससे हमारी महिलाओं का गर्भ के दौरान मृत्यु दर कम कर सकते हैं। यह हर महिने की नौ दिनांक को मानया जाता है। यदि नौ दिनांक को रविवार या छुट्टी हो तो अगले कार्य दिवस पर मनाया जायेगा।

2. यह योजनाएं जल्दी लागू कर दी जायेगी, जिनका विवरण निम्नलिखित है :

क. बाल स्वास्थ्य योजना : राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल एनआईपीआई इरा योजना के अर्न्तगत 6 महीने से 10 साल तक के बच्चों को आयरन की दवाई लेने का प्रावधान है।

ख. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 5 डिस्टीक्ट अर्ली इनटरबेशन केन्द्र (डीईआईसी) खोलने का प्रावधान हैं निम्नलिखित 5 अस्पतालों में (डीईआईससी) खोलने का प्रावधान है।

- जनकपुरी सुपर स्पेशलीटी अस्पताल, पश्चिम जिला
- ख. अम्बेडकर अस्पताल, दक्षिण जिला।
- लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल एवं हिन्दुराव अस्पताल, सेंन्टल जिला।
- घ. गुरू तेग बहादुर एवं स्वामी दयानंद अस्पताल, शाहदरा जिला।
- डॉ. बाबा साहिब अम्बेडकर अस्पताल, उत्तर पश्चिमी जिला
- कंगारू मदर केयर केन्द्र : ये दिल्ली के 21 अस्पतालों में खोलने का प्रावधान है।

63. श्री वेद प्रकाश : क्या **परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना विधान सभा में दिल्ली सरकार द्वारा परिवार कल्याण की क्या–क्या योजनाएं चल रही है, उनका पूर्ण विवरण दिया जाए।

(ख) दिल्ली सरकार द्वारा परिवार कल्याण के लिए क्या कोई नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है।

(ग) यदि हां तो उसका पूर्ण विवरण दिया जाए और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है।

परिवार कल्याण मंत्री : (क) चिकित्सीय गर्भावस्था समापन :

1. ''व्यापक गर्भपात देखभाल सेवाएं'' चिकित्सीय गर्भावस्था समापन अधिनियम व नियम 1971 के अनुसार)।

    - **चिकित्सीय गर्भावस्था समापन 12 सप्ताह तक –** प्राथमिक, दृतीय, तृतीय स्तर की सरकारी संस्थाओं में गर्भपात दवाइयों, (एमएमए), एमवीए, ईवीऐ आदि द्वारा करवाया जा सकता है।

    - **चिकित्सीय गर्भावस्था समापन 12 सप्ताह से 20 सप्ताह तक –** जिला द्वतीय स्तर स्वास्थ्य केन्द्र व तृतीय स्तर की सरकारी संस्थाएं जैसे मेडिकल कॉलेज व सभी अन्य तृतीय स्तर के अस्पतालों में गर्भपात (चिकित्सीय गर्भावस्था रागापन अधिनियम व नियम 1971 के अनुसार)। गर्भावस्था समापन नियम के अनुसार किया जा सकता है।

    - इसके अलावा जो कि वे गैर–सरकारी संस्थाएं जो कि जिला स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत हो, जिनका हर दो साल पर राज्यकीय सक्षम प्राधिकारी द्वारा नवीकरण/गठन होता हैं। ये गैर–सरकारी संस्थाऐं ही 12 सप्ताह तक या 12 से 20 सप्ताह तक चिकित्सीय गर्भावस्था समापन अधिनियम व नियम 1971)। गर्भपात करने के लिए मान्य है।

मातृ स्वास्थ्य योजना : जननी सुरक्षा योजना जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम योजनाओं के अंतगर्त दी जाने वाली सुविधाएं :

जननी सुरक्षा योजना : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओ।के संस्थागत प्रसव के लिए एवं गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं गृह प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि 600 रुपये (शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए), 700 रुपये (ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए) और 500 रुपये (गृह प्रसव के लिए) प्रसव के उपरान्त/पश्चात दिये जाते हैं।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम : इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य में गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत निःशुल्क प्रसव एवं प्रसवोत्तर जटिलताओं के निःशुल्क इलाज की सुविधा के साथ एक साल तक के अस्वस्थ बच्चों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही निःशुल्क आहार पर परिवाहन की सुविधा भी उपलब्ध है।

बाल स्वास्थ्य योजना : जरूरी टीकाकरण, मिशन इन्द्रधनुष कवच, नवजात शिशु की देखभाल, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार की विधियां, अनीमिया, न्यूटरीशियन रिहेबिलीटेशन केन्द्र, आशा द्वारा नवजात शिशु घरेलू देखभाल कार्यक्रम।

परिवार नियोजन सम्बंधित :

- **परिवार नियोजन मुआवजा योजना :** किसी भी सार्वजनिक या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्था में नलबंदी/नसबंदी करवाने वाले को मुहावजे के तौर निशिचित धनराशि प्रदान की जाती है।
- **परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना :** नलबंदी/नसबंदी आप्रेशन की विफलता/जटिलता मृत्यु के पश्चात पीडित/पीडिता/मृतक के परिवार को निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।

- **Performance Linked Payment Plan** : इस योजना के तहत सुविधा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य कर्मी एवं आशा कार्यकर्ता को निश्चित धनराशि दी जाती है।

- **Home Delivery of Contracepitves** : इस योजना के तहत आशा द्वारा गर्भनिरोधक उपायों को घर–घर तक पहुंचाया जाता है।

- **Pregnancy Testing Kit** : इस योजना के तहत आशा द्वारा उनके क्षेत्र के लोगों को गर्भधारण की जानकारी किट द्वारा तुरंत उपलब्ध कराई जाती है।

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, किशोरों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें रोग निरोधक, प्रोत्साहक एवं रोग नाशक सलाह एवं रेफरल सेवाओं का सम्मिश्रण प्रदान किया जाता है ताकि वे स्वस्थ जीवन शैली का अपनाएं, स्वस्थ्य रहें व राष्ट्र के उत्थान में सकारात्मक सहयोग दे सकें।

2. विफ्स (साप्ताहिक ऑयरन व फोलिक एसिड अनुपूरण) कार्यक्रम : अनीमिया रोकथाम नीति के अंतर्गत साप्ताहिक आई.एफ.ए. की गोलियोंका प्रत्येक बुधवार को पूरे दिल्ली राजय में तकरीबन 10900 आगंनवाड़ियों द्वारा स्कूल न जाने वाली बालिनकाओं को वितरण किया जाता हैं

3. राष्ट्रीय कृमिहरण (डी. वर्म दिवस) अनीमिया रोकथाम कार्यक्रम नीति के अनुसार : वार्षिक सामुहिक कृमिहरण कार्यक्रम के अंतर्गत 1–19 वर्ष के युवाओं को 'एल्बैन्डाजोल' की गोली पल्स माध्यम द्वारा एक दिन दी जाती है।

(ख) हां,

1. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान।
2. राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल एनआईपीआई
3. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम।
4. कंगारू मदर केयर केन्द्र।
5. नवजात शिशु परिक्षण कार्यक्रम।

(ग) **1. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान :** दूसरी एवं तीसरी तिमाही गर्भवती महिलाओं के गुणवत्ता प्रसव पूर्व देखभाल के दूसरी एवं तीसरी तिमाही गर्भवती महिलाओं के गुणवत्ता प्रसव पूर्व देखभाल के लिए 'प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान' चलाया गया है। दूसरी एवं तीसरी तिमाही गर्भवती महिलाओं की एक जांच जरूरी है। यह गुणवत्ता प्रसव पूर्व भारी जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को पता लगाएगा और उन्हें बड़े अस्पताल में रेफरल करेगा इससें हम उन महिलाओं में जटिल स्थिति पैदा होने से रोक सकते हैं। इससे हमारी महिलाओं का गर्भ के दौरान मृत्यु दर कम कर सकते हैं। यह हर महीने की नौ तारीख को मनाया जाता है। यदि नौ तारीख को रविवार या छुट्टी हो तो अगले कार्य दिवस पर मनाया जायेगा।

2. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम :

क. राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल एनआईपीआई : राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल एनआईपीआई इस योजना के अर्न्तगत 6 महीने से 10 साल तक के बच्चों को आयरन की दवाई लेने का प्रावधान है।

ख. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत 5 डिस्टीक्ट अर्ली इनटरबेशन केन्द्र (डीईआईसी) खोलने का प्रावधान हैं निम्नलिखित 5 अस्पतालों में (डीईआईसी) खोलने का प्रावधान है।

- जनकपुरी सुपर स्पेशलीटी अस्पताल, पश्चिम जिला
- ख. अम्बेडकर अस्पताल, दक्षिण जिला।
- लोक नायक जय प्रकाश अस्पताल एवं हिन्दुराव अस्पताल, सेन्टल जिला।
- घ. गुरू तेग बहादुर एवं स्वामी दयानंद अस्पताल, शाहदरा जिला।
- डा. बाबा साहिब अम्बेडकर अस्पताल, उत्तर पश्चिमी जिला।

ग. नवजात शिशु परिक्षण कार्यक्रम : नवजात शिशु परिक्षण कार्यक्रम क अंतर्गत दिल्ली के अस्पतालों में पैदा हुए शिशुओं का जन्मजात बीमारियों की जांच।

64. श्री सुश्री भावना गौड़ : क्या **परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के अन्तर्गत परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित कौन–कौन सी योजनाएं चल रही हैं।

(ख) इन योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा दें।

(ग) क्या ये योजनाएं पालम विधाान सभा में भी लागू है।

(घ) यदि हां तो उसका विवरण क्या है।

(ङ) क्या कोई गैर सरकारी संस्था भी इस योजना में शामिल हो सकती है।

(छ) यदि हां तो कृपया नियम से अवगत कराएं।

परिवार कल्याण मंत्री : (क) 1. ''व्यापक गर्भपात देखभाल सेवाएं'' चिकित्सी गर्भावस्था समापन अधिनियम व नियम 19711 के अनुसार)।

2. **बाल स्वास्थ्य योजना :** जरूरी टीकाकरण, मिशन इन्द्रधनुष, कवच, नवजात शिशु की देखभाल, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार की विधियां, अनीमिया, न्यूटरीशियन रिहेबिलीटेशन केन्द्र, आशा द्वारा नवजात शिशु घरेलू देखभाल कार्यक्रम।

3. **मातृ स्वास्थ्य योजना :** जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम।

4. पी.सी. पीएनडीटी सेल, परिवार कल्याण निदेशालय, दिल्ली सरकार।

5. परिवार कल्याण/नियोजन कार्यक्रम।

6. परिवार नियोजन सम्बंधित

- परिवार नियोजन मुआवजा योजना
- परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना
- Performance Linked payment Plan (PPIUCD) प्रदर्शन लिंक्ड भुगतान योजना
- Home Delivery of Contraceptives – घर तक गर्भनिरोधक पहुंचाना।
- Pregnancy Testing Kit – गर्भावस्था परीक्षण किट

7. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

8. विफ्स (साप्ताहिक ऑयरन व फोलिक एसिड अनुपूरण) कार्यक्रम (आईसीडीएस)।

9. राष्ट्रीय कृमिहरण (डी. वर्म दिवस) अनीमिया रोकथाम कार्यक्रम (आईसीडीएस)।

(ख) **चिकित्सीय गर्भावस्था समापन**

चिकित्सीय गर्भावस्था समापन 12 सप्ताह तक – प्राथमिक, द्वतीय, तृतीय स्तर की सरकारी संस्थाओं में गर्भपात दवाईयों, (एमएमए), एमवीए, ईवीए आदि द्वारा करवाया जा सकता है।

- **चिकित्सीय गर्भावस्था समापन 12 सप्ताह से 20 सप्ताह तक –** जिला द्वितीय स्तर स्वास्थ्य केन्द्र व तृतीय स्तर की

सरकारी संस्थाएं जैसे मेडिकल कॉलेज व सभी अन्य तृतीय स्तर की सरकारी संस्थाएं जैसे मेडिकल कॉलेज व सभी अन्य तृतीय स्तर के अस्पतालों में गर्भपात (चिकित्सीय गर्भावस्था समापन अधिनियम व नियम 1971 के अनुसार)। गर्भवस्था चिकित्सीय गर्भावस्था समापन नियम के अनुसार किया जा सकता है।

इसके अलावा जो कि वे गैर–सरकारी संस्थाएं जो कि जिला स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृत हो, जिनका सभापति जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है व जिनका हर दो साल पर राज्यकीय सक्षम 'प्राधिकारी द्वारा नवीकरण/गठन होता है। ये गैर–सरकारी संस्थाएं ही 12 समाप्त तक या 12 से 20 सप्ताह तक चिकित्सीय गर्भावस्था समापन अधिनियम व नियम 1971 के अनुसार। गर्भपात करने के लिए मान्य है।

मातृ स्वास्थ्य सम्बंधित :

- **जननी सुरक्षा योजना :** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव के लिए एवं गरीबी रेखा के नीचे की सभी गर्भवती महिलाओं गृह प्रसव के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। प्रोत्साहन राशि 600 रुपये (शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए), 700 रुपये (ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत प्रसव के लिए) और 500 रुपये (गृह प्रसव के लिए) प्रसव के 7 दिन के अंदर दिये जाते हैं।

- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम :** इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं के लिए संस्थागत निःशुल्क प्रसव एवं प्रसवोत्तर जटिलताओं के निःशुल्क इलाज की सुविधा के साथ एक साल तक के

अस्वस्थ बच्चों के लिए निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही निःशुल्क आहार और परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध है।

पीसी पीएनडीटी : पीसी पीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत प्रसव पूर्व लिंग परिक्षण कानून अपराध है।

परिवार नियोजन सम्बंधित :

- **परिवार नियोजन मुहावजा योजना :** किसी भी सार्वजनिक या मान्यता प्राप्त निजी स्वास्थ्य संस्था में नलबंदी/नसबंदी करवाने वाले को मुआवजे के तौर निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।
- **परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना :** नलबंदी/नसबंदी आप्रेशन की विफलता/जटिलता मृत्यु के पश्चात् पीडित/पीडिता/मृतक के परिवार को निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है।
- **Performance Linked Payment Plan (PPIUCD) प्रदर्शन लिंक्ड भुगतान योजना :** इस योजना के तहत सुविधा प्रदान करने वाले स्वास्थ्य कर्मी एवं आशा कार्यकर्ता को निश्चित धनराशि दी जाती है।
- **Home Delivery of Contraceptives घर तक गर्भनिरोधक पहुंचाना :** इस योजना के तहत आशा द्वारा गर्भनिरोधक उपायों को घर–घर तक पहुंचाया जाता है। आशा क्षेत्र के सभी दम्पत्ति इस योजना के लाभार्थी है।
- **Pregnancy Testing Kit गर्भावस्था परीक्षण किट :** इस योजना के तहत आशा द्वारा उनके क्षेत्र के लोगों को गर्भधारण की

जानकारी किट द्वारा तुरंत उपलब्ध कराई जाती है। आशा क्षेत्र के सभी दम्पत्ति इस योजना के लाभार्थी है।

किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

1. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है, किशोरों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें रोग निरोधक, प्रोत्साहक एवं रोग नाशक सलाह एवं रेफरल सेवाओं का सम्मिश्रण प्रदान किया जाता है ताकि वे स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, स्वस्थ्य रहे व राष्ट्र के उत्थान में सकारात्मक सहयोग दे सकें।

2. विफ्स (साप्ताहिक ऑयरन व फोलिक एसिड अनुपूरण) कार्यक्रम : अनीमिया रोकथाम नीति के अंतर्गत साप्ताहिक आई.एफ.ए. की गोलियों का प्रत्येक बुधवार को पूरे दिल्ली राज्य में तकरीबन 10900 आंगनवाड़ियों द्वारा स्कूल न जाने वाली बालिकाओं को वितरण किया जाता है।

3. राष्ट्रीय कृमिहराण (डी. वर्म दिवस) अनीमिया रोकथाम कार्यक्रम नीति के अनुसार : वार्षिक सामुहिक कृमिहरण कार्यक्रम के अंतर्गत 1–19 वर्ष के युवाओं को 'एल्बैन्डाजोल' की गोली पल्स माध्यम द्वारा एक दिन दी जाती हैं

(ग) हां। उपरोक्त लिखित सभी योजनाएं पालम विधान सभा एवं दिल्ली के सभी 11 जिलों में लागू है।

(घ) हां, इन योजनाओं का विवरण क एवं ख में दिया गया है। हरेक जिला के डीसी/डीएए इस योजना के प्रमुख है। और उन्हीं के नेतृत्व में पीसी पीएनडीटी योजना का क्रियान्वयन होता है।

(ङ) हां, तथा पीसी पीएनडीटी : गैर–सरकारी संस्था की तरफ से सामाजिक महिला कार्यकर्त्ता को डीएसी के सदस्य के रूप में लिया जा सकता है।

(च) 1. वे गैर–सरकारी संस्थाओं जिन्हें जिला स्तरीय कमेटी द्वारा स्वीकृति प्राप्त है इन कमेटियों का सभापति सरकारी मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी होता है। (चिकित्सीय गर्भावस्था समापन अधिनियम व नियम 1971 के अनुसार)। लागू नियामही इन गैर–सरकारी संस्थाओं द्वारा गर्भपात कराने के लिए मान्य है।

2. टीकाकरण करण के लिए गैर–सरकारी संस्था शामिल हो सकती है। उसके लिए जिला अधिकारी के साथ एक एम.ओ.यू. करना पड़ता है।

3. सदस्यों की नियुक्ति डीएसी के अंदर पीसी पीएनडीटी अधिनियम 1994 (उप) धारा 17 (6) के अंतर्गत।

65. सुश्री भावना गौड़ : क्या **खाद्य सुरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य पदार्थों में संभावित मिलावट को रोकने के लिए क्या कोई प्रभावी योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

खाद्य सुरक्षा मंत्री : (क) जी हां।

(ख) 1. कुछ समय पहले तक खाद्य नमूने उठाने की प्रक्रिया ऐसी थी कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कार्य क्षेत्र निर्धारित थे और वे अपने कार्यक्षेत्र में जाकर नमूने उठाते थे। इस तरह खाद्य व्यापारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के बीच सांठ–गांठ की संभावना ज्यादा थी।

2. इस संभावना को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में खाद्य संरक्षा अधिकारी का कोई भी कार्य क्षेत्र निर्धारित नहीं है। प्रर्वतन का सारा कार्य केन्द्रीकृत है। सभी निरीक्षण कार्यक्रम मुख्यालय से बनाए जाते हैं, जो कि गोपनीय होते हैं तथा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस योजना के तहत विभिन्न बाजारों से खाद्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु उठाये जाते हैं।

3. विभाग द्वारा समय–समय पर विशेष जागरूकता अभियान चलाये जाते हैं, जिनका उद्देश्य सड़क के किनारे लगे स्टालों एवं वाहनों में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की स्वच्छता तथा रोगाणुरहित सुनिश्चित करना है।

4. विभाग समय–समय पर समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों द्वारा सार्वजनिक सूचनाओं से लोगों को संभावित मिलावट के प्रति जागरूक करता है।

5. त्यौहारों में मिलावटी मिठाइयां आदि ने बिके, इसके तहत योजनानुसार विभाग द्वारा विभिन्न बाजारों से खा़द्य पदार्थों के नमूने जांच हेतु उठाये जाते है।

66. श्री जगदीश प्रधान : क्या **खाद्य सुरक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजधानी में खाद्य सुरक्षा विभाग की अक्षमता की वजह से खाद्य पदार्थों में मिलावट के मामले बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो खाद्य सुरक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों में कौन–कौन से और कितने–कितने पद सृजित हैं, इनमे से कितने–कितने स्थान रिक्त हैं और कब से,

(ग) क्या यह सत्य है कि स्टाफ की कमी के कारण खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य पदार्थों की दुकानों तथा होलसेल व्यापारियों के गोदामों में छापे मारने में अक्षम हैं;

(घ) वर्ष 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 में विभाग द्वारा कितने–कितने छापे मारे गए तथा इनमें से कितने सेम्पल उठाये गए और उठाये गये सेम्पल में से कितने पास हुए और कितने फेल; और

(ङ) वर्ष 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 में जिन व्यापारियों के खाद्य सेम्पल फेल हुए उनके विरूद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

खाद्य सुरक्षा मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) इसका ब्यौरा संलग्नक 'क' में है।

(ग) जी नहीं। स्टाफ की कमी के बावजूद भी विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की दुकानों तथा होलसेल व्यापारियों के गोदामों में छापेमारी का कार्य

(निरीक्षण) निरंतर चलता रहता है और खाद्य पदार्थों के सैम्पल जांच हेतु नियमित रूप से उठाये जाते हैं।

(घ) विभाग द्वारा मारे गए छापे तथा जांच हेतु उठाये गये सैम्पलों का ब्यौरा निम्न हैं :–

वर्ष	कुल सैम्पल/छापे	पास	फेल
2013–14	1188	1070	118
2014–15	1485	1333	152
2015–16	1474	1235	239

वर्ष 2013–14, 2014–15 तथा 2015–16 में जिन व्यापारियों के खाद्य पदार्थ के सैम्पल फेल हुए, उनके विरुद्ध खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम, 2006 (क) तहत कार्रवाई करते हुए संबंधित न्यायालय में केस दर्ज कराये गए हैं।

संलग्नक 'क'

DEPARTMENT OF FOOD SAFETY

(Govt. of NCT of Delhi)

Vacancy position As on 011/08/2016

S.No.	Designation	Sanctioned	Filled	Vacant	Post vacant since	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Commissioner	1	1	-	-	
2.	Dy. Food Safety Commissioner	2	2	-	-	
3.	Chief Public Prosecutor	1	1	-	-	
4.	SystemAnalyst	1	1	-	-	
5.	Dy. LegalAdvisor	1	1	-	-	The post of DLA presently filled through contractual basis
6.	Joint Director	1	0	1	Sep. 2012	
7.	Sr. SystemAnalyst	1	0	1	Since 01/05/15	
8.	Administrative Officer	1	1	-	-	
9.	Account Officer	1	1	-	-	

10.	FoodAnalyst	1	0	1	Aug. 2011	
11.	Designated Officer	12	02	10	03 Posts since Jan. 2015 *03 Posts since 01/05/15 02 Post since 01/06/16 02 Posts since 01/08/16	*03 Posts of DO was newly created in May 2015
12.	Sr. Public Prosecutor	1	1	-	-	
13.	Asstt.Account Officer	1	1	-	-	
14.	Stat. Offic er	1	1	-	-	
15.	Asstt. Programmer	02	02	-	-	02 Posts of Asstt. Programmer presently filled through outsource basis
16.	Presiding Officer	1	0	1	Sep. 2011	
17.	Dy. FoodAnalyst	1	1	-	-	
18.	Food Safety Officer	32	12	20	10 posts from 20/12/12, 07 posts from Nov. 13, 03 posts from July 14	Requisition had Already been sent to DSSSB to fill the 19 vacant posts

1	2	3	4	5	6	7
						of FSO
19.	Chemist	10	10	-	-	07 posts of Chemist presently filled through contract basis
20.	Superintendent	1	-	01	Since 04/01/16	
21.	Head Clerk	4	3	1	For last 3 Years	
22.	Steno Grade-1	1	1	-	-	
23.	Steno Grade-II	05	04	1	For last 3 years	
24.	UDC	26	17	9	Since September 2011	
25.	Steno Grade III	12	3	9	Since September 2011	
26.	LDC	13	11	02	Since August 2010	
27.	StatAsstt.	02	1	1	Since 01/05/15	
28.	Date Entry Operator	02	02	-	-	
	Data Entry Operator (Outsourced	24	19	05	02 since May 2015 03 since Dec. 2015	

29.	Field Asstt.	23	08	15	02 from July 13, 02 fromAug13, 01 from June 14, 01 from July 14, 01 from Jan 15, 01 from Feb 15, 01 from May 15, 01 from Oct. 15, 01 from Nov. 15, 01 from Dec. 15, 01 from Jan. 16, 01 from May 16 & 01 from July 16	Requisition had Alrerady been sent to DSSSB to fill the vacant posts of FieldAsstt.
30.	Driver	6	3	3	01 from Sep. 12 01 fromApril 15, 01 from March 16	
31.	TechnicalAsstt.	5	2	3	03 fromAugust 2011	
32.	Depatch Rider	1	1	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
33.	Process Server	12	09	03	01 fromApril 11 01 from Feb. 15 01 fromApril 15	05 filled through outsource basis
34.	Farash	1	1	-		
35.	Lab Cleaner	4	3	1	01	from March 2015
36.	Peon	02	02	-	-	
	Peon (Outsourced)	17	17	-	-	
37.	Sweeper	2	2	-	-	
38.	Security Guard (Outsourced)	06	06	-	-	

67. श्री राजेन्द्र पाल गौतम : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार ठेका मजदूरी खत्म करने की नीति पर विचार कर रही है?

(ख) पिछले पांच वर्षों में न्यूनतम मजदूरी न दिये जाने के कितने मामलों में कार्रवाई की गई है, वर्षवार विवरण दें।

श्रम मंत्री : (क) श्रम विभाग में इस समय यह विषय विचाराधीन नहीं है।

(ख) गत एक वर्ष की समयावधि में (जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कुल 3121 दावे प्राधिकारियों के समक्ष लगाये गये, जिसमें 58 लाख रुपये की राशि सम्मिलित थी और इससे 504 कर्मचारी लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त जनवरी 2016 से जुलाई 2016 तक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत कुल 702 दावे प्राधिकारियों के समक्ष लगाये गये, जिसमें 30 लाख रुपये की राशि सम्मिलित थी और इससे 132 कर्मचारी लाभान्वित हुए।

68. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने श्रमिक कल्याण फंड से 100 करोड़ रुपये स्कूल निर्माण के लिए डायवर्ट करने का फैसला लिया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने 350 करोड़ रुपये अस्पतालों के निर्माण के लिये डायवर्ट करने का फैसला लिया है;

(ग) श्रमिकों के कल्याण के लिये वर्ष 2015—16 में किस मद पर कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि श्रमिक कल्याण के लिये एन.जी.ओ. की सहायता ली जा रही है और सरकार इन्हें अपने दायित्व निर्वहन के लिये गांव देती है;

(ङ) यदि हां, तो वर्ष 2015—16 में किन एन.जी.ओ. को कितनी धनराशि दी गई।

श्रम मंत्री : (क) जी नहीं। दिल्ली सरकार ने श्रमिक कल्याण फंड से कोई राशि स्कूल निर्माण के लिये डायवर्ट नहीं की है।

(ख) जी नहीं। दिल्ली श्रमिक कल्याण फंड से कोई राशि अस्पतालों के निर्माण के लिये डायवर्ट नहीं की है।

(ग) इसके लिये कार्य योजना तैयार की जा रही है।

(घ) एवं (ङ) जी नहीं।

69. श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने 12 लाख श्रमिकों द्वारा वर्ष 2002 से प्रति माह योगदान राशि को अन्य मदों पर खर्च करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कानून के अनुरूप है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्रमिकों द्वारा प्रतिमाह दी गई राशि को विज्ञापनों पर खर्च करने के लिये सरकार

को फटकार लगाई है तथा राशि को श्रमिक कल्याण फंड में जमा करने निर्देश दिये हैं, और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार न कोर्ट के निर्देश के अनुसार रुपये वापिस फंड में जमा करवाये, यदि हां तो कितने और नहीं तो क्यों नहीं?

श्रम मंत्री : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

70. सुश्री भावना गौड़ : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत विभिन्न विभागों में ठेकेदारी प्रथा के अनुसार कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) ऐसे ठेकेदार जो नियम के विरूद्ध काम करते हैं, उन ठेकेदारों का ठेका रद्द करने और श्रम कानूनों के तहत उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की सरकार की नीति क्या है; और

(ग) ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने की सरकार की क्या योजना है?

श्रम मंत्री : (क) जी हां।

(ख) जब भी दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्य कर रहे ठेकेदारों या ठेकेदारी प्रथा के विरूद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है तो ऐसी परिस्थितियों में शिकायत की जांच करवायी जाती है एवं श्रम कानूनों का उल्लंघन पाये जाने पर ठेकेदारों के विरूद्ध श्रम प्रावधानों के अंतर्गत उचित कार्रवाई की जाती है, जिसमें मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चालान इत्यादि भी प्रेषित किये जाते हैं।

ठेकेदारों द्वारा न्यूनतम वेतन न देने की शिकायतों पर भी श्रम विभाग द्वारा कार्रवाई की जाती है।

(ग) इस समय श्रम विभाग में यह विषय विचाराधीन नहीं है।

71. श्री : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में सांसदों की अध्यक्षता वाली जिला पुलिस समितियों को बनाये जाने के संबंध में लिये गये फैसले की कोई जानकारी है।

(ख) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है।

(ग) क्या सरकार विधायकों की अध्यक्षता वाली मोहल्ला पुलिस समितियों का गठन करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक इसका गठन हो जाएगा?

उप मुख्यमंत्री : (क) और (ख) दिल्ली सरकार ने आदेश संख्या F. 06/27/2013/HP-I/Estt./2743 to 2755 दिनांक 02.08.2016 द्वारा स्तर पुलिस समिति का गठन किया है। इस आदेश की प्रति संलग्न है।

(ग) मोहल्ला समिति गठन करने के प्रस्ताव पर विचार किया गया और प्रस्ताव को महामहिम उपराज्यपाल के पास स्वीकृति के लिये भेजा गया।

महामहिम उपराज्यपाल के अनुसार जिला स्तर समिति बनाने के बाद, थाना स्तर समिति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जिला स्तर समिति में विधायक सदस्य के तौर पर शामिल करने के लिये उन्होंने अनुमोदन दिया हैं।

(घ) उपरोक्त के कारण लागू नहीं है।

No. F. 06/27/2013/HP-I/Eastt./2743 to 2755
Government of National Capital territory of Delhi
Home Police-I/Establishment department
5th Level. 'C' wing Delhi secretariat, I.P. Estate, New Delhi

Dated the 2/8/16

ORDER

In Supersession to all the previous orders the Lt. Governor of Delhi is please to re-constitute the District Level Committee in each of the eleven Police Districts of Delhi to promote inter-action between the Police and the Leaders of Public Opinion.

A. The composition of the Committee will be as under :-

I.	Member of Parliament	Chairman
II.	Members of LegislativeAssembly	Member
III.	Deputy CommissionerèDM of District concerned	Member
IV.	Deputy Commissioner of Police District concerned	Convener
V.	Representatives from the following which must include womenmembers, one journalist, one lawyerAnd representative from J.J. Cluster :-	

(a) Residents WelfareAssociation including J.J. Cluster

(b) Trade/ Industry Association, ifAny.

(c) Educational Institution.

(d) Women Organiations.

(e) Students

(f) Labour

VI. Chairman of MCD Zonal Committee Member

B. The Members of Legislative Assembly of NCT of Delhi who have been elected from Assembly Constituencies situated in the respective District, shall be the members of the District Level Committee as mentioned above.

C. In the District Level Committee, the number of co-opted members representing R¡s, Women etc. mentioned at Sr. No. V above will not exceed 25And will be co-opted jointly by the DCP concernedAlong-with District Magistrate (Dy. Commissioner (Revenue) of District. The list of co-opted members will be sent by the Convener to the Home Department for informationAnd record.

D. The tenure of the co-opted members shall be for two years.

E. Terms of references of the Committee

I. The District Level Committee will be a forum towrds implementing the concept of community policing to combat crime more effectively and to improve relationship between the police and the public.

II. The District Level Committee will suggest measures to enhance and strengthen police public partnership in order to control and prevent crimes.

III. The District Level Committee would provide a forum to empower the public to engage actively on issues related to their safety and security. It wouldAlso bean opportunity for the public through their representatives to give inputs as per their concern and priorities for creating a crime free and safe environment.

IV. The District Level Committee will suggest measures to mobilize members of the public to becomeactive in crime prevention activities and to developa sense of shared responsibility for enhancing public safety.

V. The District Level Committee will also discuss the following issues :

(i) The crime situation and the ways and means to check crime.

(ii) M atters affecting commun alharmony in the area,

(iii) Public involvement on issues concerning safety and security of women and girl children in the area,

(iv) Issues concerning unauthorized construction and encroachment on public land,

(v) Community policing measures to promote social harmony and build police-public partnership,

(vi) Traffic related issues.

VII. Any issue mentioned above, which is related to any Assembly Constituency or Police Station, situated in the District, maybe raised and discussed in the District Level Committee by the concerned Hon'ble MLA.

VIII The Dy. Commissioner of Police will draw up the minutes of the meeting and issue them with the approval of the Chairman of the Committee.

IX. The District Level Committee will meet once in there months.

F. The District-wise composition of the District Level Committee will be as under :-

Central District

Dr. Harish Vardhan	**Chairperson**
Shri Parveen Kumar	Member
Ms. Alka Lamba	Member
Sh. AslimAhmed Khan	Member
Sh. Imran Hussain	Member
Sh. Vishesh Ravi	Member
Sh. Vijender Garg	Member
Sh. Hazari Lal Chauhan	Member

North District	
Dr. Harsh Vardhan	**Chairperson**
Ms. Alka Lamba	Member
Sh. Pankaj Puskar Jain	Member
Sh. Sanjeev Jha	Member
Sh. Somdutt Sharma	Member
Sh. Akhilesh Pati Tripathi	Member
Sh. Imran Hussain	Member
North-West District	
Dr. Harsh Vardhan	**Chairperson**
Sh. Rajesh Gupta	Member
Sh. Jitender Tomar	Member
Ms. Vandana Kumari	Member
Sh. Satender Jain	Member
Sh. Akhilesh Pati Tripathi	Member
Sh. Pawan Sharma	Member
Sh. Pankaj Puskar Jain	Member
Sh. Ajesh Yadav	Member
Sh. Sanjeev Jha	Member

Outer District

Sh. Udit Raj	**Chairperson**
Sh. Sharad Kumar	Member
Sh. Mahender Goyal	Member
Ms. Rakhi Birla	Member
Sh. Sandeep Kumar	Member
Sh. Ritujaj Govind	Member
Sh. Ved Prakash	Member
Sh. Sukhbir Dalal	Member
Sh. Ajesh Yadav	Member
Sh. Vijender Gupta	Member

South District

Ms. Meenakshi Lekhi	**Chairperson**
Sh. Madan Lal	Member
Sh. Som Nath Bharti	Member
Sh. Ajay Dutt	Member
Sh. Kartar Singh Tanwar	Member
Sh. Parkash Jarwal	Member
Smt. Parmila Tokas	Member

Sh. Naresh Yadav	Member
Sh. Devendra Sehra¡t	Member
Sh. Surender Singh	Member
South East District	
Shri Ramesh Bidhuri	**Chairperson**
Sh. Amanatullah Khan	Member
Sh. Naryan Dutt Sharma	Member
Sh. Avtar Singh	Member
Sh. Parveen Kumar	Member
Sh. Madan Lal	Member
Sh. Saurabh Bhardwaj	Member
Sh. Sahi Ram	Member
Sh. Ajay Dutt	Member
Sh. Dinesh Mohanlya	Member
South West District	
Sh. Parvesh Sahib Singh Verma	Chairperson
Sh. Surender Kumar	Member
Sh. Vijender Garg	Member
Sh. Devendra Sehrawat	Member

Sh. Gulab Singh	Member
Ms. Bhavna Gaur	Member
Sh. Rajesh Rishi	Member
Sh. Naresh Balyan	Member
Sh. Adarsh Shastri	Member
Sh. Kailash Gehlot	Member
West District	
Sh. Parvesh Sahib Singh Verma	**Cairperson**
Sh. Sukhbir Singh	Member
Sh. Raghuvinder Shokeen	Member
Sh. Satyender Kumar Jain	Member
Sh. Girish Soni	Member
Sh. Jagdeep Singh	Member
Sh. Jarnall Singh	Member
Sh. Rajesh Rishi	Member
Sh. Mahender Yadav	Member
Sh. Naresh Balyan	Member

New Delhi District	
Ms. Meenakshi Lekhi	**Chairperson**
Sh. Arvind Kejriwal	Member
Sh. Surender Singh	Member
East District	
Sh. Mahesh Giri	**Chairperson**
Sh. Raju Dhingan	Member
Sh. Manoj Kumar	Member
Sh. Manish Shishodia	Member
Sh. Nitin Tyagi	Member
Sh. Om Prakash Sharma	Member
Sh. S.K. Bagga	Member
Sh. Anil Kuma Bajpal	Member
Sh. Ram Niwas Goel	Member
North East District	
Sh. Manoj Tiwari	**Chairperson**
Sh. Rajendra Pal Gautam	Member
Smt. Sarita Singh	Member
Sh. Gopal Rai	Member

Sh. Kapil Mishra	Member
Shri Dutt Sharma	Member
Sh. Mohd. Ishraque	Member
Sh. Jagdish Pradhan	Member
Sh. Fateh Singh	Member
Sh. Ram Niwas Goel	Member

Note : Other Members of the District Level Committee will be as per the composition mentioned at Point-'A'.

The Convenor of said Committee shall issue a formal order of District Level Committee having the designated members as well as the co-opted members as detailed above, with in a period of one month from the date of issus of this order, endorsing a copy to the Home Department.

(ALOK GARG)

DEPUTY DECRETARY (HOME)

No. F6/27/2013/HP-I/E stt./2743 to 27556 Dated : 2/8/16

Copy to :-

1. Members of Parliament & Members of Legislative Assembly (As per list attached).
2. Secretarty to the LegislativeAssembly, Old Sectt., Delhi.
3. Secretary General, Lok Sabha.

4. Divisional Commissioner, Delhi With the request to Inform all the concerned Deputy Commissioner (Revenue).
5. Commissioner of Police with the request to inform all the concerned Deputy Commissioners of Police.
6. Commissioner of North, South and East Municipal Corporations with the request to inform all the Chirman of respective MCD Zonal Cmmittees.
7. Chairman, NDMC
8. Pr. Secretary to Lt. Governor, Delhi.
9. Pr. Secretary to Chief Minister, Delhi
10. Secretary to Home Minister, Delhi
11. OSD to Chief Secretary, Delhi
12. P.S. to Pr. Secy. (Home).
13. P.A. to Special Secy. (Home).

(ALOK GARG)

DEPUTY DECRETARY (HOME)

72. श्री जरनैल सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र की प्रमुख सड़को पर अवैध ढंग से वाहन खड़े रहते है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गए हैं;

(ग) क्या सरकार के पास राजौरी गार्डन में पार्किंग की समस्या से निपटने के लिए इसे वन–वे करने का कोई प्रस्ताव है?

उप मुख्यमंत्री : (क) राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख सड़कों पर पार्किंग की समस्या है। राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र एक सघनरूप से बसा आवासीय–सह–व्यापारिक क्षेत्र है जिसमें बड़े पैमाने पर व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। क्षेत्र में पार्किंग सुविधाओं का विकास यातायात की मांग के अनुरूप नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्र में पार्किंग की समस्या उत्पन्न हो रही है।

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। अवैध रूप से खड़े पाये जाने वाले व यातायात में अवरोध उत्पन्न करते पाये जाने वाले वाहनों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है। स्थानीय यातायात पुलिस कर्मियों द्वारा इस क्षेत्र में लगातार गश्त भी की जाती है व अवैध रूप से खड़े पाये जाने वाले/यातायात में अवरोध उत्पन्न करते पाये जाने वाले वाहनों का चालान किया जाता है। इस क्षेत्र में यातायात पुलिस द्वारा यातायात में अवरोध उत्पन्न करते पाये वाहनों को हटाने के लिए एक क्रेन भी उपलब्ध कराई गई है। इस क्षेत्र में इस वर्ष (18.8.2016 तक) 7760 वाहनों का चालान किया गया है जिसमें कि 3107 वाहनों को क्रेन द्वारा हटाया गया है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में उपयुक्त संख्या में यातायात पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और उनको समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जाते हैं कि वे क्षेत्र में यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करें।

(ग) वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

73. श्री जरनैल सिंह : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में पिछले दो साल में हुए अपराधों के सिलसिलेवार आकड़ों का विवरण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि विगत वर्षों में अपराधों में वृद्धि हुई;

(ग) यदि हां, तो पुलिस ने कितने मामलों में कार्रवाई की है; और

(घ) इनमें से कितने लोगों को पकड़ा गया व सजा हुई है;

उप मुख्यमंत्री : (क) एवं (ख) जी हां। इस संद्धर्भ में सूचि ''क'' सलंग्न है।

(ग) एवं (घ) राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत पश्चिम जिला के दो पुलिस थाने, राजौरी गार्डन व ख्याला, आते हैं। यह सत्य है कि वर्ष 2015 में इन थानों में दर्ज अपराधों की संख्या में वृद्धि हुई। वर्ष 2015 में इन दोनों थानों में कुल 3368 मुकदमें दर्ज हुए जबकि वर्ष 2014 में 2013 मुकदमें दर्ज हुए थे। वर्ष 2016 में (31 जुलाई तक) इन दोनों थानों में 2117 मुकदमें दर्ज हुए हैं। राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत दोनों उपरोक्त थानों में हुए जघन्य अपराधों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2015 में (31 जुलाई तक) इन दोनों थानों में जघन्य अपराधों के 82 मुकदमें दर्ज हुए थे जबकि वर्ष 2016 में केवल 68 मुकदमें दर्ज हुए है।

प्रत्येक शिकायत पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के विशेष प्रयास एवं ई–रजिस्ट्रेशन के कारण भी दर्ज अपराधों में वृद्धि हुई है। वर्ष 20116 (31.7.2016 तक) में 1097 ई–प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है जबकि वर्ष 2015 में (31.7.2015 तक) केवल 169 ई–प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दर्ज की गई थी।

राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2014, 2015 और 2016 (31.07.2016 तक) दर्ज किये गये मुकदमों का विवरण एवं दोषी लोगों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

परिशिष्ट 'क'

DETAIL OF CASES (ALONGWITH DISPOSAL) REGISTERED IN P.S. RAJOURI GARDANAND KHYALA OF WEST DISTT. FALLING UNDER RAJOURI GARDEN CONSTITUENCY OF VIDHAN SABHA

CRIMEAND DISPOSAL FOR THE YEAR 2014

S.No.	Head	Reported	Cancelled	Admitted	Work Out	Challan	Convicted	Acquitted	Pending	Investigation	Untraced	Persona Arrested	Challan	Convicted	Acquitted	Pending	Investigation	Discharged
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Dacoity	2	0	2	1	1	0	0	1	1	0	7	7	0	0	7	0	0
2.	Murder	7	0	7	6	6	0	0	6	1	0	14	14	0	0	14	0	0
3.	Att. to Murder	14	0	14	14	14	0	0	14	0	0	41	41	0	0	41	0	0
4.	Robbery	85	1	84	50	41	1	2	38	7	36	101	86	1	5	80	14	1
5.	Riot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kid. for Ransom	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Snatching	168	0	168	37	30	1	1	28	9	129	56	41	2	2	37	2	13
8.	Extortion	3	0	3	2	1	0	0	1	2	0	7	5	0	0	5	2	0
9.	Hurt	52	0	52	43	37	0	0	37	9	6	66	56	0	0	56	10	0
10.	Burglary	62	0	62	17	15	0	1	14	4	43	26	20	0	2	18	2	4
11.	Total Theft	1237	23	1214	157	130	4	11	115	35	10499	226	186	6	18	162	8	32
12.	Arson	3	0	3	1	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	1	0	0

	(435/436)																	
13.	Total Accident	110	3	107	81	78	3	1	74	5	24	83	79	3	1	75	3	1
14.	Rape	40	0	40	38	38	0	5	33	2	0	47	47	0	8	39	0	0
15.	Kidnapping/ Abduction	148	93	55	26	25	0	1	24	29	1	29	26	0	1	25	1	2
16.	M.O. Women	92	10	82	71	72	0	1	71	10	0	98	83	0	3	80	4	11
17.	MISC IPC	400	09	391	272	229	67	2	160	134	29	365	277	67	02	208	83	05
18.	ArmsAct	10	0	10	9	7	0	0	7	3	0	10	8	0	0	8	2	0
19.	ExciseAct	33	0	33	30	30	0	0	30	3	0	32	32	0	0	32	0	0
20.	Gambling Act	4	0	4	4	4	2	0	2	0	0	26	26	4	0	22	0	0
21.	N.D.P.S. Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	I.T.P.Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Copy Right Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Dowry Prob. Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	I.T.Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	OtherAct	142	0	142	123	117	44	0	73	22	3	131	1211	44	0	77	10	0
	GRANT TOTAL	**2613**	**140**	**2473**	**982**	**876**	**122**	**25**	**729**	**278**	**1320**	**1366**	**1156**	**127**	**42**	**987**	**141**	**69**

CRIMEAND DISPOSAL FOR THE YEAR 2015

S.No.	Head	Reported	Cancelled	Admitted	Work Out	Challan	Convicted	Acquitted	Pending	Investigation	Untraced	Persona Arrested	Challan	Convicted	Acquitted	Pending	Investigation	Discharged
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Dacoity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Murder	9	1	8	7	5	0	0	5	3	0	11	11	0	0	11	0	0
3.	Att. to Murder	13	0	13	12	12	0	0	12	1	0	25	25	0	0	25	0	0
4.	Robbery	92	0	92	49	40	0	0	40	34	18	87	68	0	0	68	17	2
5.	Riot	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	27	0	0	0	0	27	0
6.	Kid. for Ransom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Snatching	175	0	175	21	17	0	0	17	28	130	30	22	0	0	22	7	1
8.	Extortion	6	0	6	6	2	0	0	2	4	0	8	2	0	0	2	6	0
9.	Hurt	59	0	59	44	34	0	0	34	21	4	71	52	0	0	52	19	0
10.	Burglary	105	0	105	21	17	0	0	17	26	62	29	24	0	0	24	5	0
11.	Total Theft	1395	10	1385	123	86	0	5	81	158	1141	153	107	0	5	102	42	4
12.	Arson (435/436)	7	0	7	1	0	0	0	0	6	1	1	0	0	0	0	1	0
13.	Total Accident	96	0	96	63	45	0	0	45	31	20	63	45	0	0	45	18	0
14.	Rape	48	0	48	37	38	0	0	38	10	0	50	50	0	0	50	0	0

15.	Kidnapping/ bduction	129	79	50	18	13	0	0	13	37	0	27	17	0	0	17	10	0
16.	M.O. Women	87	4	83	59	56	0	0	56	27	0	86	67	0	0	67	14	5
17.	MISC IPC	479	4	475	244	167	3	2	162	266	42	335	229	7	3	219	106	0
18.	ArmsAct	4	0	4	4	4	0	0	4	0	0	6	6	0	0	6	0	0
19.	ExciseAct	57	0	57	54	38	0	0	38	18	1	66	48	0	0	48	18	0
20.	Gambling Act	15	0	15	15	13	5	0	8	2	0	81	70	15	0	55	11	0
21.	N.D.P.S. Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	I.T.P.Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Copy Right Act	3	0	3	1	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	0	2	0
24.	Dowry Prob.Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	I.T. Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Other Act	55	0	55	37	38	13	0	25	14	3	38	34	13	0	21	4	0
	Total	**2835**	**98**	**2737**	**817**	**625**	**21**	**7**	**597**	**690**	**1422**	**1196**	**877**	**35**	**8**	**834**	**307**	**12**
27.	E-FIR MVT	533	37	496	52	49	2	0	47	3	444	80	76	2	0	74	4	0
28.	E. FIR Other theft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GRAND TOTAL	**3368**	**135**	**3233**	**869**	**674**	**23**	**7**	**644**	**693**	**1866**	**1276**	**953**	**37**	**8**	**908**	**311**	**12**

CRIME REPORTEDAND DISPOSAL OF THE YEAR (UPTO 31/07/2015)

S.No.	Head	Reported	Cancelled	Admitted	Work Out	Challan	Convicted	Acquitted	Pending	Investigation	Untraced	Persona Arrested	Challan	Convicted	Acquitted	Pending	Investigation	Discharged
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Dacoity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Murder	5	1	4	2	2	0	0	2	2	0	5	5	0	0	5	0	0
3.	Att. to Murder	8	0	8	7	7	0	0	7	1	0	14	14	0	0	14	0	0
4.	Robbery	43	0	43	29	19	0	0	19	14	10	52	40	0	0	40	10	2
5.	Riot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kid. for Ransom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Snatching	91	0	91	13	11	0	0	11	6	74	18	13	0	0	13	4	1
8.	Extortion	4	0	4	4	2	0	0	2	2	0	6	3	0	0	3	3	0
9.	Hurt	33	0	26	23	0	0	23	8	2	41	36	0	0	36	5	0	
10.	Burglary	54	0	54	14	13	0	0	13	5	36	20	19	0	0	36	5	0
11.	Total Theft	809	8	801	82	71	0	5	66	46	684	109	94	0	5	89	8	7
12.	Arson (435/436)	2	0	2	1	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0
13.	Total Accident	59	0	59	38	34	0	0	34	8	17	38	32	0	0	32	6	0
14.	Rape	26	0	26	23	23	0	0	23	3	0	34	34	0	0	34	0	0
15.	Kidnapping/	84	54	30	11	11	0	1	10	19	0	11	11	0	0	11	0	0

	Abduction																	
16.	M.O. Women	50	5	45	34	35	0	0	35	10	0	47	36	0	0	36	6	5
17.	MISC. IPC	219	5	214	99	87	1	2	84	101	26	136	1111	4	106	23	0	
18.	ArmsAct	3	0	3	3	3	0	0	3	0	0	3	3	0	0	3	00	0
19.	ExciseAct	28	0	28	27	23	0	0	23	4	1	36	29	0	0	29	7	0
20.	Gambling Act	3	0	3	3	3	0	0	3	0	0	11	11	0	0	11	0	0
21.	N.D.P.S. Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	I.T.P.Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Copy Right Act	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	0
24.	Dowry Prob.Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	I.T.Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	OtherAct	23	0	23	13	17	0	0	17	3	3	14	11	0	0	11	3	0
	Total	**1545**	**73**	**1472**	**430**	**384**	**1**	**8**	**375**	**235**	**853**	**598**	**502**	**1**	**9**	**491**	**79**	**16**
27.	E-FIR MVT	169	16	153	33	3	0	0	31	27	95	51	47	0	0	47	2	2
28.	E. FIR Other theft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	GRAND TOTAL	**1714**	**89**	**1625**	**463**	**415**	**1**	**8**	**406**	**262**	**948**	**649**	**549**	**1**	**9**	**538**	**81**	**18**

CRIME REPORTEDAND DISPOSAL OF THE YEAR (UPTO 31/07/2015)

S.No.	Head	Reported	Cancelled	Admitted	Work Out	Challan	Convicted	Acquitted	Pending	Investigation	Untraced	Persona Arrested	Challan	Convicted	Acquitted	Pending	Investigation	Discharged
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Dacoity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Murder	5	0	5	5	1	0	0	1	4	0	12	1	0	0	1	11	0
3.	Att. to Murder	10	0	10	8	6	0	0	6	4	0	12	10	0	00	10	2	0
4.	Robbery	29	0	29	17	8	0	0	8	16	5	22	10	0	0	10	10	2
5.	Riot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Kid. for Ransom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Snatching	72	0	72	7	3	0	0	3	47	22	11	5	0	0	5	6	0
8.	Extortion	2	0	2	1	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	0
9.	Hurt	30	0	30	21	6	0	0	6	24	0	44	10	0	0	10	34	0
10.	Burglary	35	0	35	3	3	0	0	3	8	24	3	3	0	0	3	0	0
11.	Total Theft	339	1	338	33	17	0	0	17	146	175	50	21	0	0	21	24	5
12.	Arson (435/436)	3	0	3	1	1	0	0	1	2	0	1	1	0	0	1	0	0
13.	Total Accident	45	2	43	24	11	0	0	11	30	2	26	11	0	0	11	15	0
14.	Rape	24	0	24	12	9	0	0	9	15	0	19	16	0	0	16	3	0

15.	Kidnapping	67	29	39	11	4	0	1	3	35	0	12	5	0	1	4	6	1
16.	M.O. Women	47	0	47	28	14	0	0	14	33	0	50	16	0	0	16	34	0
17.	MISC. IPC	225	0	225	100	44	0	0	44	177	4	157	58	0	0	58	99	0
18.	Arms Act	4	0	4	4	1	0	0	1	3	0	8	1	0	0	1	7	0
19.	Excise Act	40	0	40	34	6	0	0	6	34	0	41	10	0	0	10	31	0
20.	Gambling Act	24	0	24	24	13	0	0	13	11	0	84	39	0	0	39	45	0
21.	N.D.P.S. Act	1	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
22.	I.T.P.Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Copy Right Act	3	0	3	1	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0
24.	Dowry Prob.Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	I.T.Act	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	OtherAct	15	0	15	11	9	0	0	9	6	0	15	10	0	0	10	5	0
	Total	**1020**	**31**	**989**	**346**	**157**	**0**	**1**	**156**	**600**	**232**	**571**	**228**	**0**	**1**	**227**	**335**	**8**
27.	E-FIR MVT	450	44	406	42	34	0	0	34	40	332	66	54	0	0	54	12	0
28.	E. FIR Other theft	647	4	643	113	5	0	0	5	121	517	15	5	0	0	5	10	0
	GRAND TOTAL	**2117**	**79**	**2038**	**401**	**196**	**0**	**1**	**195**	**761**	**1081**	**652**	**287**	**0**	**1**	**286**	**357**	**8**

74. श्री जगदीश प्रधान : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुख्यमंत्री समय–समय पर दिल्ली की कानून व व्यवस्था तथा महिलाओं की सुरक्षा की स्तिथि पर चिंता व्यक्त करते रहे है, और

(ख) यदि हां, तो मुख्यमुत्री कानून व व्यवस्था तथा महिलाओं की सुरक्षा पर अब तक कितनी बार और कब–कब केंद्रीय गृह मंत्री व केन्द्रीय सचिव तथा उपराज्यपाल तथा पुलिस कमिश्नर से मिलकर इन विषयों पर विचार–विमर्श कर अपनी चिंता व्यक्त की है तथा इनसे क्या निष्कर्ष निकल कर सामने आया है?

उप मुख्यमंत्री : (क) हां।

(ख) इसे लेकर मुख्यमंत्री कई बार उप–राज्यपाल और गृहमंत्री जी से मिल चुके है पर दोनों की और से कोई ठोस जवाब नहीं मिला।

75. सुश्री भावना गौड : क्या **रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में दिल्ली में कितने रोजगार कार्यालय संचालित किये जा रहे है;

(ख) इन सभी कार्यालयों में कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं; और

(ग) सरकार द्वारा कितने अभ्यार्थियों को रोजगार प्रदान किया गया है?

उप मुख्यमंत्री : (क) दिल्ली में 9 जिला रोजगार कार्यालय एवं 3 विशेष रोजगार कार्यालय संचालित हैं।

(ख) दिल्ली में रोजगार कार्यालय के अन्तर्गत कुल 1380355 बेरोजगारों के नाम पंजीकृत हैं।

(ग) दिनांक–01.01.15 से 15.08.16 तक कुल 244 अभ्यार्थियों को सरकारी रोजगार प्रदान किया गया है।

Data Centre Report on Vidhan Sabha Question

(1) Total No. of Employment Exchanges in Delhi

9 District Employment Exchange in Delhi

And 3 Special Employment Exchange (List Attached)

(2) Total No. of Registrants on online portal of Directorate of Em ployment GNCTD 13,80,355

(3) (a) Total No. of Placements received through online portal of Directorate of Employment, GNCTD

2015	-	176
2016 (upto July 16)	-	68
Total	-	244

(b) Through Job Summit (List Attached)

DIRECTORATE OF EMPLOYMENT

S.No.	Name of the Office	PostalAddress	Phone No.
1	2	3	4
1.	Directorate of Employment (HQ)	Employment Exchange Building , IARI Complex, Pusa Delhi-12	25841782
2.	District Employment Exchange (Central)	District Employment Exchange (Central), 1 Canning Lane, Kasturba Gandhi Marg, Delhi-1	23389717, 23382363
3.	District Employment Exchange (North)	District Employment Exchange (North) Delhi University, Near Coffee House, Ist Floor, Chhatra Marg, Delhi-7	27667842
4.	District Employment Exchange (South)	District Employment Exchange (South), Sector-4, R.K. Puram, New Delhi-22	26174386
5.	District Employment Exchange (West)	District Employment Exchange (West), I.A.R.I., Complex, Pusa, New Delhi-12	25841970
6.	District Employment Exchange (New Delhi) & Special	District Employment Exchange (New Delhi), 1, Canning Lane, Kasturba Gandhi Marg, Delhi-1	23389717

	Emp. Exchange for PH		
7.	District Employment Exchange (South-West)	District Employment Exchange (South-West), Ist Floor, Kirby Place, Delhi Cantt., New Delhi-10	25692330
8.	District Employment Exchange (North-West) & Spe. Emp. Exchange for Ex-Servicemen	District Employment Exchange (North-West), Ground Floor, Kirby Place, Delhi Cantt. Delhi-10	25692330
9.	District Employment Exchange (East) & Special Emp. Exchange for PH	District Employment Exchange (East), InstitutionalArea, Vis¡s Nagar, Shahdara, Delhi-32	22386022
10.	District Employment Exchange (North-East)	District Employment Exchange (North-East), Ist Floor, InstitutionalArea, Viswas Nagar, Shahdara, Delhi-32	22386022
11.	University Employment Information &	Delhi University, Narula's Restaurant, Ist Floor, Opp. Law Faculty, Chhatra Marg Delhi-7	27667862

1	2	3	4
	Guidance Bureau, Delhi University		
12.	University Employment Information & Guidance Bureau, JNU	Jawaharlal Nehru Complex, Behind Munirka Village, Delhi-67	26164024
13.	University Employment Information & Guidance Bureau, JMI	Jamia Mila Islamia University Complex, Jamia Nagar, Near Jamia Hr. Sec. School, Okhla, Delhi-25	26981017
14.	State Vocational Guidance Centre/ EMI Office	Office premises of the District Employment Exchange (EastèNorth-East) Institutional Area, Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi-32	22389393
15.	Data Base Center	Office premises of the District Employment Exchange (East/North-East) Institutional Area, Vishws Nagar, Shahdara, Delhi-32	22389393

76. श्री वेद प्रकाश : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बवाना विधान सभा में कुल कितनी औद्योगिक इकाइया है; विवरण सहित उत्तर दें;

(ख) क्या सरकार द्वारा बवाना विधानसभा में कोई नई औद्योगिक इकाई लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण दें;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार द्वारा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना है;

(च) यदि हां, तो उसके पूर्ण विवरण दिए जाएं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्री : (क) बवाना विधान सभा में 16312 औद्योगिक इकाइयों को बवाना फेस–1 में एवं 4660 औद्योगिक इकाइयों को बवाना फेज–2 में प्लॉट आवंटित किए गये है।

(ख) एवं (ग) इस विधानसभा में कोई नई औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(घ) क्योंकि अभी तक जो औद्योगिक इकाइयों को प्लॉट आवंटित किए गये हैं वह भी पूर्णरूप से स्थापित नहीं हुई हैं;

(ङ) से (छ) जी हां, बापरोला, कंझावला एवं रानीखेड़ा में लघु उद्योगों के स्थापित करने के लिए परियोजना बनाई गयी है।

77. श्री सोमनाथ भारती : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्थित जेलों का उनमें कैदियों की संख्या सीमा सहित विवरण क्या है?

(ख) सरकार द्वारा इन जेलों में कैदियों की संख्या को संतुलित स्तर पर लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उप मुख्यमंत्री : (क) और (ख) जेलों का उनमें कैदियों की संख्या सीमा सहित विवरण निम्न है :

जेल नं.	क्षमता	दिनांक 17.08.2016 को कुल संख्या
1	565	2354
2	454	756
3	736	2321
4	744	2891
5	750	654
6	400	562
7	350	815
8	600	1119
9	600	940
जिला कारागार रोहिणी	1050	1905
	कुल	14317

- मंडोली क्षेत्र में छः जेलों का परिसर 68.6 एकड़ भूमि पर बनकर तैयार हो चुका है। इन छः जेलों में लगभग 3637 बंदियों को रखने का प्रावधान है। इस जेल की शुरूआत आगामी कुछ महीनों में कर दी जायेगी।
- उम्रकैद सजायाफ्ता बंदियों को 'सजा समीक्षा बोर्ड' समय–समय पर हर वर्ष छोड़ा जाता है। 2011 में 12 उम्र कैदियों को, 2012 में 30 उम्रकैदियों को, 2013 में 19 उम्र कैदियों को, 2015 में 84 उम्रकैदियों को एवं 2016 में अबतक 110 उम्र कैदियों को छोड़ा जा चुका है।
- छोटे–छोटे केस वाले हवालाती बंदियों के केसों का हर महीने 'विशेष अदालत' द्वारा निपटारा किया जाता है। अबतक 180 विशेष अदालतों के द्वारा 5828 हवालाती बंदियों को छोड़ा जा चुका है।
- हवालाती बंदी भाई जो अपनी सजा का आधा समय जेल में गुजार चुके हैं, उनके केसों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिससे उनको बेल पर रिहा किया जा सके।
- ऐसे हवालाती बंदी भाई जो अपनी सजा का एक चौथाई हिस्सा गुजार चुके हैं उनके केसों की समीक्षा हर जिले में बनाई गई 'अंडरट्रायल रिव्यू कमेटी' द्वारा समीक्षा की जाती है।
- हवालाती बंदी भाई जिन्हें कोर्ट द्वारा बेल आदेश पारित किये गये है परंतु किन्हीं कारणवश छूट नहीं पा रहे हैं ऐसे केसों को कोर्ट में उन आदेशों की पुनः समीक्षा के लिए भेजा जाता है।

(ग) कोई नहीं।

(घ) हवालाती बंदी भाई जो अपनी सजा का आधा समय जेल में गुजार चुके हैं उनके केसों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है जिससे उनकों बेल पर रिहा किया जा सके। फिलहाल ऐसा कोई भी हवालाती बंदी जेल में नहीं है।

(ङ) सरकार द्वारा प्रतिवर्ष प्रति कैदी 1,31,977 रुपये की राशि खर्च की जाती है।

(च) और (छ) सरकार द्वारा जेल व्यवस्था का 31 मार्च, 2014 तक का वर्क–ऑडिट ए.जी.सी.आर. द्वारा कराया जा चुका है एवं दिल्ली सरकार के लेखा–परीक्षा निदेशालय द्वारा तिहाड़ जेल का मार्च–2016 तक का ऑडिट कराया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : एक घंटा पांच मिनट हो गये। क्वेश्चन ऑवर समाप्त। अजय जी, प्लीज नहीं।

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्येन्द्र जैन जी, माननीय शहरी विकास मंत्री अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर रखेंगे।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आपने कहा था, क्वेश्चन आवर के बाद देखेंगे। मेरा यह कहना था...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय : हां, बताइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट... ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक सैकेंड, इस पर मैं रूलिंग दे दूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : जी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसलिए आपसे कह रहा था कि मुझे क्वेश्चन आवर में, पेज नंबर 113, मैं बुक दे देता हूँ, ये लीजिए, आपके पास है या नहीं, 279 का 2 पढ़ लीजिए। point of order may be raised in relation, just listen to, मैं रूल से चलूंगा।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सीएजी की रिपोर्ट...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप रूल पढ़ नहीं रहे हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, पढ़ा है...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पढ़ा है? मुझे रूलिंग पहले पढ़ लेने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट दबाई जा रही है, सीएजी की रिपोर्ट रोकना अनकांस्टिट्यूशनल काम है, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है, मुझे रूलिंग पढ़ लेने दीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, सदन के समक्ष मंत्री जी इस बात को आश्वस्त करें कि वो रिपोर्ट आज रख रहे हैं, अभी रख रहे है...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप जबर्दस्ती हर चीज को, देखिये, मेरी बात सुनिये। आप न तो रूल के अंदर चलना पसंद करते हैं, ये आप बार–बार संविधान की बात करते हैं, यह संविधान की किताब है ना। आप बार–बार तो संविधान की बात करते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं आपको बताता हूँ...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रूल 2 पढ़ लीजिए इसका। प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पढ़ लीजिए।। point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment.

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, इसमें साफ रूप से लिखा हुआ है Member shall not raise a point ...(व्यवधान) क्या हुआ, माइक बंद करवाओगे आप? क्या बात है आपकी, आप ऑर्डर करोगे यहां बैठकर मेरा माइक बंद करो। चुप रहो। आप ऑर्डर करोगे, माइक बंद करने के?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी, देखिये, मैं रोक रहा हूँ, और इसलिए अव्यवस्था होती है टोटल, मैं रूलिंग दे रहा हूँ, रूलिंग की किताब उनको दे रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप कैसे माइक बंद कराओगे? वो कौन होते हैं माइक बंद करो?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, ऐसा है, अमानतुल्लाह जी, आप बैठिये प्लीज। नितिन जी, प्लीज बैठिये। मैं रोक रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, सरकार बताये सीएजी की रिपोर्ट क्यों दबाई जा रही है? सीएजी की रिपोर्ट टेबल क्यों नहीं हो रही आश्वस्त करें सदन को। हम चाहते हैं मंत्री जी आश्वस्त करें ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर आपने लिया, मैंने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर पर अपनी रूलिंग दी है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मेरा साफ रूप से कहना है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप न तो पढ़ रहे हैं कुछ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप विजेन्द्र जी, ऐसे हाइजैक नहीं कर सकते।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, हाइजैक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बिल्कुल हाइजैक कर रहे हैं आप। आप पूरा हाइजैक कर रहे हैं, जब मैं रूलिंग दे रहा हूँ आपको, मैं रूलिंग दे रहा हूँ ना।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, हमें मंत्री जी से आश्वस्त करवाइये. ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आपने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के अंतर्गत, विजेन्द्र जी मेरी बात सुन लीजिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट क्यों दबाई जा रही है? सीएजी की रिपोर्ट को टेबल करो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जगदीश जी, आप बैठ जाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट टेबल करो। पहले फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट दबाई, अब आप सीएजी की रिपोर्ट दबा रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप हर बात को लेकर के अड़ते हैं, कल भी आपने बहिष्कार किया।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, सीएजी की रिपोर्ट टेबल करो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नियम के अंतर्गत उठाइये ना।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप दो मिनट बैठ जाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सीएजी की रिपोर्ट को टेबल न करना...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दो मिनट बैठ जाइये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सीएजी की रिपोर्ट टेबल होनी चाहिए, आश्वस्त करें मंत्री जी...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, वो कुछ और कहने आये हैं। मैं आपसे एक सैकेण्ड कह रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सीएजी की रिपोर्ट टेबल न करना और आश्वस्त न करना...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप बैठिये। दो मिनट बैठेंगे। मैं बार–बार कह रहा हूँ बैठिये। प्रार्थना कर रहा हूँ बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं प्रार्थना करता हूँ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं भी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। आप बैठिये प्लीज।

श्री सुरेन्द्र सिंह : जल बोर्ड की रिपोर्ट का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय, कमांडो साहब, आप बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सीएजी की रिपोर्ट...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कौन सी सीएजी की रिपोर्ट?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सीएजी की रिपोर्ट।

अध्यक्ष महोदय : कौन सी सीएजी की रिपोर्ट?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सीएजी।

अध्यक्ष महोदय : कौन सी सीएजी की, मुझे समझ नहीं आ रहा। आप क्या कह रहे हैं, कौन सी सीएजी की रिपोर्ट?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं बताता हूँ। देखिये, report of CAG on… 31 March 2016 Govt. NCT of Delhi Report NO. 3 of the 2016 यह रिपोर्ट कब टेबल होगी? मंत्री जी आश्वस्त करें। अगर इस सेशन में टेबल नहीं कर रहे हैं तो असंवैधानिक है, मंत्री जी आश्वस्त करिये।

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मेरी बात सुनिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हमने 22 तारीख को इंतजार किया, 23 को इंतजार किया, आज 24 हो गई।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप मेरी बात सुनेंगे?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या आप अब या आने वाले दिन में ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप मेरी बात सुनेंगे अब?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः क्या आप अब या आने वाले दिन में ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी मैं जो कहना चाह रहा हूँ मेरी बात सुन लीजिये, एक सेकेण्ड आपको सीएजी की रिपोर्ट के विषय में, जो भी विषय है किस रूल में उसको उठाना है?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं रूल बता रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं रूल आपने मुझे पाइंट आफ आर्डर दिया, पाइंट आफ आर्डर में आप उठा नहीं सकते ...आप पाइंट आफ आर्डर में कहां है ये, नहीं मैं इसको अलाउ नहीं कर रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सदन की कार्यवाही, सदन की कार्यवाही नहीं चल रही है सरकार सीएजी रिपोर्ट को दबा रही है तो यह हमारा अधिकार है हम लोग मुद्दे को उठायें ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्येन्द्र जैन जी, माननीय शहरी विकास मंत्री अपने विभाग से संबंधित ...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्येन्द्र जैन जी माननीय शहरी विकास मंत्री अपने विभाग से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

सदन पटल पर प्रस्तुत कागजात

श्री सत्येन्द्र जैनः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2014–15 ए–2 इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड तथा प्रगति पावर कंपनी लिमिटेड के चौदहवें राष्ट्रीय प्रतिवेदनों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।[1]

(श्री विजेन्द्र गुप्ता द्वारा लगातार सीएजी की रिपोर्ट कृसीएजी की रिपोर्ट कहकर नारेबाजी)

[1]पुस्तकालय में संदर्भ सं. आर 15573–74 पर उपलब्ध

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण श्री कैलाश गहलौत जी माननीय सदस्य केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को बनाने और लागू करने में नीति आयोग द्वारा कथित रूप से संविधान के संघीय ढ़ांच के विरूद्ध बनाई जा रही नीतियों के संबंध में माननीय उपमुख्यमंत्री का ध्यानाकर्षण के अंतर्गत ध्यान आकर्षित करेंगे, श्री कैलाश गहलोत।

श्री कैलाश गहलोत : Speaker Sir, thank you for giving me time to speak this on this.

अध्यक्ष महोदय : न तो आपको, कौन सी सीएजी की रिपोर्ट है, कोई नियम नही।

श्री कैलाश गहलोतः आपको शोभा नहीं देती ये सब करने में, आपको शोभा नहीं देती, आपको टाइम हो गया है जाने का आपका, आप प्लीज जाइये, आपका टाइम हो गया है जाने का, आप जाइये प्लीज। आपको शोभा नहीं देती बिल्कुल, आप जाइये

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, विजेन्द्र जी ये उचित नहीं है, ...विजेन्द्र जी आप बैठ जाइये, चलिए बैठिये। आप बैठिये कोई बात नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब एक सेकेण्ड विजेन्द्र जी, आप ये क्या बोल रहे हैं विधानसभा में? ये कौन सा तरीका है आपका? आप जब भी बात करते हैं असंवैधानिक ही करते हैं। आप क्या कह रहे हैं विधानसभा भंग

हो जाएगी? नहीं, आपको किसने कह दिया विधानसभा भंग हो जाएगी, आपको क्या अधिकार है यह बोलने का?

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं इसलिए कह रहा हूँ...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपकी सरकार सत्ता में है, जो मर्जी हो वो बोलेंगे! ये 70 चुनकर आये हैं ये बेवकूफ हैं!

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप जब चाहे बकवास करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको समझ नहीं आती बात।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ...नहीं बोल रहा हूँ...विधानसभा को भंग किया जाए. ..

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे लग रहा है आपको परेशानी हो रही है। अब सदन का समयकृ मैं चेतावनी दे रहा हूँ सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं ऐसे सदन नहीं चलने दूँगा। मैंने आपको प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैं गंभीर मामले को गंभीर...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप गंभीर नहीं हैं। अगर आपको ये विषय उठाना था, एक सेकेण्ड आप मेरी बात सुन लीजिये, आप बहुत देर चिल्ला चुके हैं। आप मेरी बात सुन लीजिये, पूरी बात सुन लीजिये, आपको अगर ये गंभीर विषय लगता था। बहुत गंभीर था... मैं स्वयं कह रहा हूँ आप गंभीर नहीं हैं। गंभीर अगर ये विषय था सुन लीजिये बात को आप इसको किसी दूसरे उचित सेक्शन के अंतर्गत।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी...

अध्यक्ष महोदय : सुन लीजिये बात को।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आप सेक्शन पर मत जाइये।

अध्यक्ष महोदय : क्यों नहीं जाएंगे? तो क्या कहां इसमें पाइंट आफ रूल है ...चल रहे हैं, नहीं दिखाइये मुझे कौन से, कहां पर है मुझे दिखाओ? मुझे, एक सेकेण्ड, ऐसे नहीं, मुझे अपनी पूरी बात ...विजेन्द्र जी मुझे पूरी बात करने दीजिये आप बैठ जाइये एक सेकेण्ड।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मेरा माइक ऑन करो।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, ऐसे नहीं होगा माइक ऑन। अब मैं कह रहा हूँ माइक ऑन नहीं होगा। ऐसे अब आप पहले मेरी बात सुन लीजिये, आप मेरी बात पूरी बात सुन लीजिये, विजेन्द्र जी मेरी बात सुन लीजिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : भारत के संविधान की अवहेलना हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये जरा, आप बैठ जाइये। मैं खड़ा हूँ, आप बैठ जाइये। बैठ जाइये। नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी, आप मजबूर मत करिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं मजबूर, आप मजबूर कर रहे हैं, देखिये मैं माननीय नेता विपक्ष, एक सेकेण्ड जरा शांत हो जाएं सभी। जगदीप जी, आप अपनी चेयर पर चलें, प्लीज। नहीं आप आइये उधर आइये। मैं विजेन्द्र जी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि जिस विषय को लेकर आप कह रहे हैं इतना गंभीर है, उस विषय को अध्ययन करके, आपको किस नियम के अंतर्गत उठाना है, अध्ययन करके उठाना चाहिए था। मैं पूरी बात कर रहा हूँ फिर उसके बाद बात करिये। मुझे लग रहा है मैं सदन के सामने कह रहा हूँ उसको उठाने के लिए आप मुझे गंभीर नहीं दिखाई दिये। मैं होता किस नियम में उठाता, मेरे पास कमरे में आते...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बता दूँगा।। एक सेकेण्ड आपने पाइंट आफ आर्डर की बात की। पाइंट आफ आर्डर की मैंने रूलिंग दी। किताब आपके सामने हैं

श्री विजेन्द्र गुप्ताः मैं आपके...

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कहां है मुझे दिखा दो?

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मैं आपकी रूलिंग को चैलेंज नहीं करता लेकिन।

अध्यक्ष महोदय : आप दिखा दीजिये। फिर वही बात।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मेरी मांग है।

अध्यक्ष महोदय : मांग है, ऐसे कैसे हो जाएगा? आपने पाइंट आफ आर्डर के अंदर ऐसे तो सदन...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अनकांस्टीट्यूशनल काम कर रही है सरकार।

अध्यक्ष महोदय : नहीं आप अनकांस्टीट्यूशनल कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप रिपोर्ट को दबा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब हर रोज का आपका तमाशा है ये, चलिए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : परसों जब ये सेशन खत्म हो जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर बोलेंगे?

श्री सत्येन्द्र जैन : आप बैठिये एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के नेता ने भरे सदन में जिस तरह की धमकी दी है कि इस सदन को भंग कर दिया जाएगा...

विजेन्द्र गुप्ता : नहीं मांग, मांग करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आपने बोला था सदन भंग कर दिया जाएगा

...(व्यवधान)

श्री सत्येन्द्र जैन : आपने जिस तरह की धमकी दी है।

अध्यक्ष महोदय : अनकंस्टीट्शन सारी बात हो रही है, पूरा अनकंस्टीट्यूशन कर रहे हैं।

लोक निर्माण विभाग मंत्री : ये तो इस तरह से हुआ जिस थाली में खाते हैं, उसी थाली में छेद करते हैं, शर्म आनी चाहिए कि जिस थाली में खाना, उसी में छेद करना, इसको कहते हैं। इस सदन में बैठते हैं और धमकी देते हैं हमारे को, हमारे को धमकी देते हैं। अरे! जाओ दम है तो कराके दिखाओ, जाइये हम आपको चैलेंज करते हैं, जाओ आपको चैलेंज करते हैं, करके दिखाइये जाओ ...(व्यवधान) अरे अंदर क्यों बैठे हो? जाओ, उनके पास अपने आकाओं के पास, आप जाकर करके दिखाओ।

...(व्यवधान)

श्री विजेन्द्र गुप्ताः विजेन्द्र जी, आप दिल्ली की जनता का महत्वपूर्ण समय खराब कर रहे हैं, आप दिल्ली की जनता के साथ धोखा दे रहे हैं, आप दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं, आप दिल्ली की जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है वो उन सबको आप हाइजैक कर रहे हैं, आप किसी रूलिंग में नहीं चल रहे हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ सदन की गरिमा को बनायें, प्लीज, प्लीज कमांडो जी, प्लीज सोमनाथ जी, सोमनाथ जी बैठिये, प्लीज। मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा। उनको बोलना है, बोलने दीजिये। उनको लगता है जो सदन का काम है, वो विधिवत न हो पाए।

श्री विजेन्द्र गुप्ताः सीएजी की रिपोर्ट... सीएजी की रिपोर्ट...

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये आप विजेन्द्र जी, अब बैठ जाइये बहुत हो गया। जगदीश जी, आप तो कम से कम बैठिये। मेरे कहने से वो बैठ गये, आपको परेशानी हो रही है? मेरे कहने से वो बैठ गये। विजेन्द्र जी एक सेकेण्ड, एक सेकेण्ड, विजेन्द्र जी आप अध्यक्ष की कुर्सी का सम्मान नहीं कर रहे, उन्होंने कर लिया तो आपको पीड़ा क्यों हो रही है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिए बैठिये आप, बैठिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम के अंतर्गत उठाते, मैं समय देता पूरा, आपने नियम के अंतर्गत नहीं उठाया, इसके लिए रूलिंग है। बकायदा रूलिंग है... रूलिंग के अंतर्गत।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप रिपोर्ट दबा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अभी छब्बीस का समय है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या आपकी नीयत में खोट है?

अध्यक्ष महोदय : अब ऐसा नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : क्या आपकी नीयत में खोट है, आप जानबूझकर सीएजी की रिपोर्ट को दबा रहे हैं। आपने सरकारी धन का दुरूपयोग किया है, इसीलिए रिपोर्ट को दबाया जा रहा हैं, आपने एक बड़ा...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, मुझे ये संभालना सारा बड़ा मुश्किल हो रहा है, सब सदस्य बोलना चाहेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, बताइये क्या कहना है? सोमनाथ जी। जरा वो माइक ओन करिये सोमनाथ जी का।

श्री सोमनाथ भारती : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अंदर माननीय विजेन्द्र गुप्ता जी ने पूरे सदन को वादा किया था कि शीला जी जेल जाने वाली हैं, एन्टीकरप्शन ब्रांच को वो केस सौंप दिया जाये जिससे कि शीला दीक्षित जेल जायें और कहा था कि मैं मँछ मुडवा लँगा अगर वो जेल नहीं गई लेकिन ना तो वो जेल गई ना इन्होंने मँछ मुंडवाया। इनका क्या करें? ये मूंछ कब मुंडवायेगें? ये मूंछ कब मुंडवायेगें? क्योंकि जो कुछ भी कहते हैं वो करते नहीं हैं ये ...(व्यवधान) मूंछ मुंडवाना का वादा भी जुमला था भई जुमला पार्टी भारतीय जुमला पार्टी के सारे सदस्यों...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विजेन्द्र जी, आप उचित नियम के अंतर्गत उठाइये। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री से कहूँगा सीएजी की रिपोर्ट,

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ये कोई बहाना नहीं है। ये हाई जैक कर रहे हैं आप सदन को। आप नियमों की उल्लंघन कर रहे हैं

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मैं एलाउ नहीं करूंगा।

श्री सोमनाथ भारती : शीला जी जेल गई क्या? शीला जी जेल नहीं गई और अभी तक आपका मूंछ वहीं है। मूंछ कब मुंडवायेगें? आप मूछ क्यों नहीं मुंडवाते? ...(व्यवधान) शीला जी को जेल कब भेज रहे हो, ये सदन जानना चाहता है कि एंटीकरप्शन ब्रांच के पास जो केस गया, अध्यक्ष महोदय, बडा सीरियस मामला है ये। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही सीरियस मामला है एंटीकरप्शन ब्रांच के पास जो केस गया, उस केस का क्या हुआ? शीला दीक्षित अभी तक जेल नहीं गई, उनको सम्मन तक नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : बैठ जायें। मैं माननीय सदस्यों से करबद्व प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने विजेन्द्र जी से खड़े हो के प्रार्थना की कि वो... एक सैकिण्ड जरा सुन लें बात को पूरा प्लीज। मैंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो नियम के अंतर्गत उठाते तो मैं माननीय उपमुख्य मंत्री जी से कहता... सीएजी की रिपोर्ट सदन पटल पर रखें। आप बार बार नियम की बात करते हैं और नियम की उल्लंघना करते हैं। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना... एक सैकिण्ड विजेन्द्र जी, आप बार बार बोल रहे हैं। मैं खडा हूँ, बोल रहा हूँ, कहीं तो उसका सम्मान रखें न। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूँ उनको जितना बोलना है, बोलने दें कम से कम आप शांति बना के रखें। मेरी ये करबद्ध प्रार्थना है सभी माननीय सदस्यों से। कोई रिएक्शन ना करें। उनको जितना बोलना है, बोलने दें। मीडिया देख रहा है। दिल्ली देख रही है। धन्यवाद।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बस नहीं, अब ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। मैं कोई रिऐक्ट नहीं करूंगा। ...(व्यवधान) प्वाइंट आफ आर्डर पर मैंने आपको रूलिंग दिखा दी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दिखा दीजिये मुझे प्वाइंट आफ आर्डर में कहां है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं हो रहा है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : सदन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, घ्यान आकर्षित कर सकते हैं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : हां, वही तो मैं कह रहा हूँ। अब आप उस पर कोई रिप्लाई नहीं करवा रहे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं कोई रिप्लाई नहीं है इसका।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम एक कंजरवेटिव घटना यहां...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चलिये, कैलाश गहलोत जी। अब माननीय सदस्य कोई बोलेगा नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : मुख्यमंत्री जी आये हैं, सीएजी की रिपोर्ट लाये हैं। मुख्यमंत्री जी आये हैं, सीएजी की रिपोर्ट लाये हैं।

...(व्यवधान)

उप मुख्य मंत्री : इनसे पूछिये। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, अगर इनकी सीट ...अध्यक्ष महोदय, इनके गले पर तरस खाते हुए मुझे दो बात कहने की अनुमति दी जाये और इनकी सीट पर अगर कांटे ना लगे हों तो इनसे रिक्वेस्ट किया जाये कि बैठ जायें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ तो जाइये, कम से कम बैठ जाइये।

उप मुख्य मंत्री : मैं भी अपने कमरे में बैठ के देख रहा था, मुझे भी लगा कि विजेन्द्र गुप्ता जी के कहीं गला, तबीयत ज्यादा खराब ना हो जाये। देश के लोकप्रिय विपक्षी नेता हैं। इनको भी गोदी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में देखा जाना चाहिये। अगर मध्य प्रदेश में गोदी में उठाने की परंपरा है तो गोदी में तो हम भी बिठाना चाहेंगें, आराम से बिठा के, प्यार से हमारे भी लाडले हैं ये। जैसे इनके गोदी सरकार के बाकी मंत्री, बाकी लोग होते हैं। खैर वो गोदी पार्टी की बात छोड दीजिये। कुछ सीएजी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। मुझे तो पता नहीं, कौन सी सीएजी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो कोई सीएजी की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, आयेगी तो हम भी पढेगें और सदन को भी अवगत करायेगें लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि जैसे विजेन्द्र गुप्ता जी और इनके आकाओं ने ही कहीं सीएजी को कुछ लिख के दिया है और उम्मीद कर रहे हैं कि वही सीएजी रिपोर्ट में आयेगा। अगर ऐसा है और अगर इन्होंने ही कोई सीएजी की रिपोर्ट बनाई है, तो उसी को सदन पर रख दें, उसी पर चर्चा कर लेते हैं। अगर सीएजी की रिपोर्ट आयेगी तो सीएजी की रिपोर्ट पर भी चर्चा कर लेगें और अगर इनके पास कोई रिपोर्ट है, उसको रख दें उस पर चर्चा कर लेगें।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : अगर आप, इस संदर्भ में सदन को आश्वस्त करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मैं कोई एलाउ नहीं कर रहा हूँ। नहीं, विजेन्द्र जी, कोई एलाउ नहीं कर रहा। ये असंवैधानिक है। मैं कोई एलाउ नहीं कर रहा। मंत्री जी ने उत्तर दिया है... ये चलिये आप बोलते रहिये। आप सदन को हाई जैक करना चाह रहे हैं। आप सदन को हाई जैक कर रहे है। मैं इसको एलाउ नहीं कर रहा। झा साहब, बैठिये प्लीज।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप गलत बोल रहे हैं, आपके पास रिपोर्ट है तो दे दीजिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दो बार खड़ा हो चुका हूँ। ...बैठिये प्लीज ...विजेन्द्र जी, मैं एक बात कह रहा हूँ। आपको सदन का समय इसी ढंग से बरबाद करना है... आज तीसरा दिन है सदन का। कल आप वाक आउट करके चले गये। माननीय मंत्री जी ने बहुत...

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है, ये चीज उन्होंने सदन के बीच में कहा है एक सैकेण्ड, एक सैकेण्ड, बैठिये प्लीज... माननीय मंत्री... कोई भी मंत्री कोई उत्तर देता है...

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आपने तो उत्तर दिलवाया नहीं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्होंने दिया, स्पष्ट उत्तर दिया। उत्तर दिया है ना उन्होंने। ऐसा नहीं

श्री विजेन्द्र गुप्ता : आप मुझे इजाजत दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा वो उत्तर ठीक माना जाता। आपको एक घंटा हो गया बोलते हुए। आप बैठिये पहले तो आप बैठिये पहले।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ना कोई नियम है, ना कुछ है, ना कोई बात है। बैठिये आप।

अध्यक्ष महोदय : कैलाश गहलोत जी चलिये।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप ही बोलना जानते हैं? उत्तर दिया है उन्होंने। उन्होंने जब कह दिया कि अभी तक कोई रिपोर्ट है ही नहीं।

श्री विजेन्द्र गुप्ता : ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बिल्कुल क्लीयर बोला है, कोई रिपोर्ट नहीं आई है...

अध्यक्ष महोदय : कैलाश गहलोत जी। चलिए, अब बोलने दीजिए उनको। अब बचे खुचे दो हैं, उसमें से बाहर करूँगा, अच्छा नहीं लगता।

...(व्यवधान)

श्री कैलाश गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद विजेन्द्र गुप्ता जी। श्री कैलाश गहलोत जी।

ध्यानाकर्षण (नियम 54)

श्री कैलाश गहलोत : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया और एक बहुत गंभीर विषय पर मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, 17 अगस्त, 2016 का एक ये ऑफिस मैमोरेंडम है गर्वमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग। ये चर्चा कर रहा है रेशनलाइजेशन ऑफ सैन्टरली स्पॉन्सर्ड स्कीम और अध्यक्ष जी, ये पढ़कर ये बिल्कुल क्लियर होता है कि अभी जो विजेन्द्र जी बात कर रहे थे अनकांस्टीट्यूशनल काम करने की कि कैसे एक आयोग जो कि एक अनकांस्टीट्यूशनल काम बॉडी नहीं है, ना ही स्टेच्युटरी बॉडी है और कैसे एक नॉन कॉन्स्टिटयूशनल बॉडी जो कि कांस्टिटयूशनल जो फंक्शन्स हैं, उनको परफार्म करते हुए एब्सोल्यूटली अनकॉस्टिटयूशनल जो काम कर रही है। अध्यक्ष जी, जब मैंने ये सैन्टरली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में थोड़ा और जानना चाहा और इन्टरनेट पर सर्च किया और कुछ किताबें देखी तो मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम ये सैन्टरली स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में बात करते है तो ये कोई साधारण स्कीम नहीं है। ये जो स्कीम है, इनका जो ओरिजिन है, इनका ओरिजिन हमारे कांस्टीट्यूशन से निकलता है और एक बहुत ही गहरा संबंध और एक बहुत ही गहरा बॉण्ड जो है, वो हमारी जो कांस्टिट्यूशनल स्कीम है, जो हमारा फैडरल सेट अप है, जो हमारे कोआपरेटिव फैडरलिज्म की जो पूरी स्कीम है और हमारे जो

डिरेक्टिव प्रिन्सीपल्स है, ये बिल्कुल उन पर बेस्ड है और एक मिनट मैं अगर डिरेक्टिव प्रिन्सीपल्स की बात करूं तो ये स्कीम कहां से ओरिजिनेट हो रही है। पूरा पार्ट 4 हमारे कास्टीट्यूशनल का डील कर रहा है directive principles of state policy. Article 38 बोलता है: "State to secure a social order for the promotion of the welfare of the people."Article -39 कहता है: "Certain principle of policy to be followed by the State." 39A equal justice in free legal Aid"Article -40 talks About village panchayat, Article 41 talks About right to work to education and public Assistance in certain cases, Article 42 says provisions for just and human conditions of work and maternity relief, similarily living wages, promotion of co-operation societies including environment तो हमारी जितनी भी ये centrally sponsored schemes हैं, they all are waste on directive of principles और Directive of Principles जो है, these are fundamental guiding principles which every state and the country they should keep in mind while formulating any policy और वो पोलिसी किस तरह ये directive of principles की जो पूरी फिलॉसफी है, उसको इम्पलीमैन्ट कैसे करेगी। अध्यक्ष जी, नीति आयोग से पहले प्लानिंग कमीशन था। केंद्र सरकार ने प्लानिंग कमीशन को डिस्मैन्टल किया, डिस्मैन्टल करते हुए, डिस्मैन्टल करने से पहले कोई डिबेट नहीं हुई किसी तरह की, कोई चर्चा नहीं हुई कि किस कारण से प्लानिंग कमीशन डिस्मैन्टल किया जा रहा है। उसका क्रिटिकली एनलाइसिस नहीं हुआ। क्या जो प्लानिंग कमीशन के एजेन्डा थे, क्या वो पूरे एग्जास्ट हुए। उनमें क्या कमी थी, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। बहुत अच्छी बात है, एक नया आयोग का गठन हुआ। सभी स्टेटस को, यूनियन टैरिट्रीज

को बड़ी उम्मीद थी केंद्र सरकार से कि नया आयोग, नया कमीशन एक नई बॉडी कॉस्टीट्यूट की जा रही है लेकिन जिस तरह से आयोग काम कर रहा है जो वाकई में एक बहुत सीरीयस कंसर्न है। जब हम बात करते हैं अपने फैडरलिज्म की। स्पीकर सर, अगर हम पब्लिक के वैलफेयर की बात करें क्योंकि डिरेक्टिव ऑफ प्रिन्सीपल्स वो भी वैलफेयर की बात करते हैं और हमारा जो कॉस्टीट्यूशन है, वो भी कहीं न कहीं पूरी जनता की, पूरी पब्लिक की वैलफेयर के बारे में ही चर्चा कर रहा है और जितने भी मेजर सैक्टर्स हैं, स्पीकर सर, चाहे वो पब्लिक हैल्थ है, चाहे एजुकेशन है, चाहे इम्पलायमेंट है, इन सभी के डेवलपमैन्ट के रिगॉर्डिंग बहुत रिसोर्सेज की जरूरत होती है और कहीं न कहीं जो हमारे ऑथर्स थे कॉस्टीट्यूशन के, उनको ये माइंड में था कि जितने भी पब्लिक इम्पोर्टेन्स के जो डेवलपमेंट के इश्यूस हैं, इनमें जो रिसोर्सेज स्टेट के पास होंगे, उसके हिसाब से डेवलपमैन्ट इन इम्पोर्टेन्ट गोल्स का नहीं हो पाएगा और उसी के चलते हुए पूरा जो फैडरलिज्म का जो कन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर 11 फैडरलिज्म के कन्सेप्ट को डील करता है, तीन तरह की लिस्ट अलग–अलग बनाई गई, यूनियन, स्टेट और कनकरण्ट लिस्ट और वहीं सेंटर को मैन्डेट किया। एक सेंटर पर डयूटी कास्ट की कि स्टेटस को इन इम्पोर्टेण्ट सैक्टर्स में डेवलपमैन्ट करने के लिए सेंटर स्टेट को पैसा देगा। चाहे वो कांस्टिटयूश्नल बॉडी फाइनेन्स कमीशन के एवार्ड के तहत है या फिर सैन्टरली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के तहत है। तो स्पीकर सर, मैं फिर इसमें मैं बार–बार इम्फेसिज

इसलिए दे रहा हूँ कि जब हम सैन्टरली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात कर रहे है तो ये कोई ऑर्डिनरी स्कीम्स नहीं है। These schemes are very important for the entire nation, for every state and for the entire country

and these schemes they have direct connection, the origin of the scheme is through the constitution और ये स्कीम्स जब ये कमीशन नीति आयोग अपनी मनमर्जी से बिना स्टेट्स की ओपिनियन लिए हुए और जो सेंटर की मर्जी है वो स्टेट्स पर जब वो थोपी जा रही है तो I think this is absolutely unconstitutional ये बिल्कुल जो हमारी federalism, cooperative federalism का जो कन्सेप्ट है, उसके एगेंस्ट है।

अध्यक्ष महोदय, आपको ये भी जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि हमारी जो 66 सेंट्रली स्पोंसर्ड स्कीम्स थी, अब वो सिर्फ 28 रह गई हैं तो इसकी जो कन्सक्वैन्सेज हैं, वो कहीं न कहीं जो स्टेटस के पास रिसोर्सेज नहीं है, जो यूनियन टेरिटरिज हैं, उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और सदन को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब हम फैडरलिज्म की बात करते हैं तो सेंटर को ये इन्श्योर करना है कि सभी स्टेटस को एक साथ लेकर चले। अगर हम बहुत सरल भाषा में समझें तो फैडरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक परिवार की तरह है, एक बड़े कुनबे की तरह है। तो जो परिवार का मुखिया है, उसको हर सदस्य के बारे में ध्यान रखना है। जो कमजोर है, उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना है लेकिन सर, I think instead of federalism, instead of strengthening the federalism, I think नीति आयोग के थ्रू इस कमीशन के थ्रू I think the centre is bent upon creating a system where the dictatorship will prevail. Hon'ble Speaker sir, I am saying this with lot of responsibility क्योंकि जहां बात कर रहे हैं हम फैडरलिज्म की, जहां बात कर रहे हैं हम हरेक स्टेट की, हरेक Union Territory interest को ध्यान में रखते हुए जब डिसीजन लिए जाएंगे, वो सब नहीं हो रहा है। जहां States को उम्मीद थी की उनका जो बर्डन है, वो कम किया जाएगा।

वो कम ना करके जहां स्टेटस का कन्ट्रीब्यूशन 25 प्रतिशत था। सर, वहां कन्ट्रीब्यूशन स्टेट का बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है It is a matter of grave concern for the entire country क्योंकि जो स्कीमस सैन्टर रन करना चाहता है ना तो उनमें स्टेटस की कोई कन्सलटेशन है, ना कोई स्टेटस की कोई ओपिनियन ली जा रही है, क्या ये स्कीम्स उनके लिए बैनिफिशियल है, क्या इन स्कीम्स की वाकई में स्टेट को आवश्यकता है? सर, हरेक स्टेट की अलग डिमांडस है, अलग नीडस हैं, ज्योग्राफिकल कण्डीशन, डेमोग्राफिकल कण्डीशन हमारे इस पूरे देश में पूरे कन्ट्री में अलग–अलग स्टेट की अलग–अलग रिक्वायरमैण्टस हैं, लेकिन straight jacket formula establish करने का कि every state will have to contribute 40% जो कि पहले 25 प्रसैंट था I think it is against the concept of federalism अगर प्लानिंग कमिशन को डिसमैण्टल करना ही था ओर एक नई बॉडी क्रिएट करनी थी, पूरे देश की उम्मीद थी और सभी स्टेट की ये उम्मीद थी कि एक कांस्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएट की जाएगी जो कि हर एक स्टेट को, हरेक स्टेट की जो रिक्वायरमैंण्टस है जो नीडस है, उनको ध्यान में रखते हुए उनकी कन्सलटेशन के बाद ये जितनी भी सैन्ट्रली स्पॉन्स्र्ड स्कीम्स हैं, इनको उसी प्रकार से स्टेटस की रिक्वायरमैंण्टस को ध्यान में रखते हुए, उसी प्रकार से इनको चलाया जाएगा और स्पीकर सर, अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली को भी यूनियन टैरिटरी की कैटेगरी में डाला हुआ है। एक तो हमें यही समझ में नहीं आता कि सैंटर, मुझे लगता है कि बिल्कुल कन्फ्यूज्ड कन्ट्रीब्यूशन है कि दिल्ली को किस कैटेगरी में डाला जाए। इसको यूनियन टैरिटरी की कैटेगरी में डाला जाए और दूसरी तरफ एक स्पेशल एक्ट है, गवर्नमैन्ट ऑफ एनसीटी एक्ट संविधान में भी

एक सैपरेट आर्टिकल है 239AA जो दिल्ली के बारे में बात करता है और अगर हम आठ स्टेटस की बात करें और अगर हम उनकी पॉपुलेशन देंखे जो कि आठ स्टेटस सैन्ट्रली स्पॉन्स्र्ड स्कीम्स में एक अलग कैटेगरी क्रिएट की हुई है। नॉर्थ इस्टर्न स्टेटस अगर हम उनकी पॉपुलेशन कम्पेयर करें उन आठ स्टेटस की कलैक्टिव पॉपुलेशन अगर हम दिल्ली की पॉपुलेशन कम्पेयर करें तो दिल्ली की पॉपुलेशन उनसे कहीं ज्यादा है, तो कहां कौन–सा गाइडिंग प्रिन्सीपल है क्या पॉलिसी है नीति आयोग की, क्या बेसिस है कि वो 60–40 का रेशो है जो पहले 75 सैंटर का था और 25 प्रसैंट स्टेट का था। ऑनरेबल स्पीकर सर, काफी ढूँढ़ने के बावजूद भी कहीं पर अवेलेबल नहीं है तो मेरा सदन के माध्यम से ऑनरेबल फाइनेन्स मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि जो कि एक known constitutional body और पूरे constitutional machnism पूरे federal structure पर जो डील कर रही है, मैं रिक्वैस्ट कर रहा हूँ ऑनरेबल मिन्स्टिर से इसका संज्ञान ले और कहीं ऐसा ना हो जो विजेन्द्र गुप्ता जी कह रहे थे कि अनकन्स्टीट्टयूशनल जो काम इस सदन में हो रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो नीति आयोग जो कि एक known constitutional body बहुत ही डेलीकेट जो कि एक बैलेंस है जो हमारे कंस्टीट्यूशन में है, उसको कहीं वो पूरा गड़बड़ा जाए और इस देश की जनता, क्योंकि जब हम सैंटर की बात करते है तो सर सैंटर की कोई अलग पॉपुलेशन नहीं है, सैंटर कहां है, अगर कोई स्कीम है, वो स्कीम जनता के लिए है, वो पब्लिक वो पॉपुलेशन वो जनता स्टेट में रह रही है। सैंटर की कोई अलग से कोई पॉपुलेशन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : कन्कलूड करें आप बस प्लीज।

श्री कैलाश गहलोत : I would request Hon'ble Minister to take cognizance of this serious thing which is happening in niti Niti Aayog and take appropriate steps, thank you, sir.

अध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री जी।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी ने जिस ऑफिस मैमोरेंडम में नीति आयोग का जिक्र किया है, वो दिल्ली ही नहीं, देश के लिए भी बहुत खतरे का संकेत है और ये मेरे संज्ञान में है, उन्होंने कहा कि इसको संज्ञान में लें, ये सरकार के संज्ञान में है और सरकार ने इसका अध्ययन भी किया है। इसके दो पहलू हैं– एक दिल्ली के संदर्भ में और एक पूरे देश के संदर्भ में। इसके दोनों पहलूओं को समझने की जरूरत है। मैं सदन को भी अवगत कराना चाहूँगा और सदन के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देश को भी कि इस तरह के दस्तावेजों के आधार पर कहा जा सकता है कि केन्द्र सरकार आज केन्द्र की माजूदा सरकार आज देश में लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है पूरा का पूरा फैडरल स्ट्रक्चर गड़बड़ाने की तैयारी की जा रही है,साजिश की जा रही है। फैडरल स्ट्रक्चर में केन्द्र सरकार की भूमिका बड़े भाई की होती है, राज्य सरकारों की भूमिका छोटे भाई की होती है। हम तो वैसे भी ओर छोटे वाले हैं, साईज में भी, अधिकारों में भी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली को ले के कन्फूजन पैदा किया जा रहा है या कन्फूजन उनके माईंड में है और पूरे देश में फैडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। मैं दो मिनट इस सदन के लेना चाहूँगा इसको हाईलाईट करने पर। ये 17 अगस्त का ऑफिस मैमोरेंडम है नीति आयोग का। अध्यक्ष महोदय, ये कहता है कि अभी तक राज्यों के साथ में केन्द्र का संबंध था सैन्ट्रल स्कीम को लेके, सैंट्रल

स्पॉन्सर्ड स्कीमस को लेकर, वो अलग–अलग होता था। 80 प्रतिशत रहता था, कहीं पर 75 प्रतिशत रहता था, 25 प्रतिशत, कहीं 10 प्रतिशत। कहीं स्टेट को कन्ट्रीब्यूट करना होता था। मूल रूप से अवधारणा ये थी कि जिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जिक्र माननीय सदस्य ने किया कि उनकी पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार एक जिम्मेदार बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और देश के लोगों के टैक्स के पैसे में से उसकी योजनाएं बनाएगी। केन्द्र में बैठी हुई सरकार अपने विजन के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से कुछ योजनाएं बनाएगी और राज्यों को देगी कि भई, इसको एग्जीक्यूट कर दो। चाहे वो श्रमिकों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, छात्रों के लिए हो, अध्यापकों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, गरीबों के लिए हो। अलग–अलग तरह की योजनाएं बना कर देती रही और लार्जर पार्ट जो है उसका, लार्जर का मतलब है अपटू 80, कई मामले में 90 प्रतिशत कई मामले में तो 100 प्रतिशत तक राज्यों को केन्द्र सरकार देती रही। इसी लिए देश की जनता केन्द्र सरकार को पैसा देती है। लेकिन इस ऑफिस मैमोरेंडम से यह साफ होता है कि केन्द्र सरकार अब अपनी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से भाग रही है। वो गरीब लोगों को पेंशन नहीं देना चाहते। पहले मैं बता दँ यह ऑफिस मेमोरेंडम कहता क्या है। ये कहता है कि अब केन्द्र सरकार ने सबसे पहले तो जो 66 स्कीम्स केन्द्र सरकार की चलती थी, उनको घटाकर 28 कर दिया है। तो यानि की बहुत सारी स्कीम्स का, बहुत सारा पैसा राज्यों को मिलता था और यह सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। पूरे देश के फाईनेंस मिनिस्टर्स से मेरी इस पर चर्चा हुई है। यहां तक कि इनके सत्ता वालों के भी दुखी हैं। बोले कि अगर ये पहले 66 स्कीम्स में पहले पैसा देते थे अब मात्र 28 स्कीम मे पैसा देंगे तो इसका मतलब

सेन्ट्रल स्कीम का पैसा तो मिलना बंद हो गया। आधी स्कीम हो गई। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आधी स्कीम का भी आधा कर दिया। पहले 80 प्रतिशत 90 प्रतिशत तक देते थे। अब यह कह रहे है कि कुछ स्कीम्स में कोर आफ दा स्कीम जो होगी, उसमें तो 60 प्रतिशत देगें, 40 प्रतिशत राज्यों को खर्च करना पड़ेगा और कुछ स्कीम जनरल स्कीम होगीं। कोर स्कीम्स, उसमें 50 प्रतिशत करेगें। तो ये जो पैसा 80 प्रतिशत तक 75 प्रतिशत केन्द्र की तरफ से आता था, केन्द्र सरकार इस पैसे को कहां लेकर जाना चाह रही है? यह तो बड़े गरीब जनधन की बात करते थे। अब तो राज्यों का भी एकाउंट काट दिया। राज्य सरकारें, जो राज्यों को जो पैसा देते थे, गरीब लोगों को देने के लिए, वो ही पैसा काट रहे हैं और फोर्स कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से... मतलब यह कह रहे हैं कि आप लोगों के पास, राज्यों के पास जो टैक्स का पैसा आता है, अगर केन्द्र से और पैसा लेना है तो हमारे हिसाब से स्कीम बनाओ और उसमें 50 प्रतिशत लगाओ। तो पूरा का पूरा फैडरल स्ट्रक्चर राज्यों को मजबूर किया जा रहा है कि हमारे हिसाब से स्कीम चलाओगे तो पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जबकि फैडरल स्ट्रक्चर यह कहता है कि केन्द्र सरकार अपनी कोई स्कीम बनाएगी तो अपना पैसा देगी राज्यों को, राज्यों के पास मशीन है एक्जीक्यूट कर देंगें और अगर राज्य सरकार अपनी कोई स्कीम बनाएगी अलग से जो केन्द्र के साथ उसका तालमेल नहीं तो राज्य सरकार अपना पैसा लगाएगी लेकिन ये फोर्स कर रहे हैं कि अब राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की स्कीमों से पैसा लेना है तो 50 प्रतिशत पैसा राज्यों का लगाना पड़ेगा। फिर केन्द्र अपना पैसा कहां लेकर जाना चाहता है? केन्द्र सरकार के लिए लोग टैक्स क्यँ दे? फिर तो ये बड़ा सवाल देश के फैडरल स्ट्रक्चर पर खड़ा हुआ

है। इससे लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिसिंपल की बात की, उन डायरेक्टिव प्रिसिंपल को निभाने में केन्द्र सरकार पूरी तरह से नाकाम है ओर राज्य सरकारो को भी नाकाम करने की साजिश रची जा रही है।

दूसरी बात दिल्ली की है अध्यक्ष महोदय। ये जो ऑफिस मेमोरेन्डम नीति आयोग ने दिया हुआ है, इसके पहले नीति आयोग ने एक कमेटी बनाई थी कुछ चीफ मिनिस्टर्स की, उसमें जाहिर है केन्द्र में बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी के चीफ मिनिस्टर होगें ज्यादा। तो उन्होंने एक नीति बनाई। उस नीति में कहा... बड़ा इन्ट्रेस्टिंग है ये, उस नीति में कहा कि भई राज्यों के तो राज्यों सरकारों को जो स्कीम होगी, उसके लिए अलग से योजना बनेगी लेकिन यूटीज के लिए अलग से योजना बनेगी और स्कीम में कहा गया कि यूटीज को हम 100 प्रतिशत देगें इन्क्लूडिंग दिल्ली। उससे पहले हम स्टेट थे। देखिए केन्द्र सरकार में कितना कन्फयूजन है दिल्ली को लेकर ये कहते तो रहते हैं सविंधान में लिखा हुआ है। सविंधान है... संविधान है। संविधान की इनको कोई समझ है नहीं। किसी को ये इसी बात से... ये तीन घटनाएं बताता हूँ। पहले ये कहते हैं इससे पहले केन्द्र सरकार पहले जो सिस्टम चल रहा था, उसमें राज्य सरकार यानि कि दिल्ली की राज्य सरकार यानि कि हमारी सरकार 80 प्रतिशत तक पैसा देती थी, 75 प्रतिशत भी देती थी। 90 प्रतिशत भी अलग–अलग स्कीम्स में देती थी और ये कुछ उसमें शेयर लगाते थे। सॉरी... उलटा 80 प्रतिशत ये देते थे, 10 प्रतिशत हम देते थे या 20 प्रतिशत हम देते थे। अब क्या हुआ? बोले ये नीति के हिसाब से इन्होंने कहा कि नहीं भई, दिल्ली को, यूटी होगा 100 प्रतिशत देगें। 100 प्रतिशत देगें तो उन्होंने उसके चक्कर में कई सारे आदेश दिये।

इनके कई सारे मंत्रालयों ने इसमें मिनिस्ट्री आफ अर्बन डवलपमेंट, अमृत स्कीम। इन्होंने कहा भई दिल्ली को 100 प्रतिशत जाएगा। पहले कहते थे राज्य है। फिर बोले यूटी है हम तो 100 प्रतिशत देगें। चलो पैसा तो दो। हम दिल्ली के लोगों के लिए काम करेगें। फिर बोले 100 प्रतिशत देगे। अर्बन डवलपमेंट मिनिस्ट्री, फाईनेंस डिपार्टमेंट आफ एक्सपेंडिचर, अर्बन पावर्टी एलिविएशन सारे मिनिस्ट्री ने भारत सरकार के राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिकार आरएमएस... ये सारे कई सारे डिपार्टमेंन्टस ने भारत सरकार के, लिखकर कहा कि अब हम दिल्ली को 100 प्रतिशत पैसा देगें सैन्ट्रल स्कीम्स का। यहां तक कि वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के वित्त सचिव ने लिखा कि अब हम 100 प्रतिशत पैसा देगें। तो कभी 80 प्रतिशत सैन्ट्रल स्कीम में देते हैं कभी, 100 प्रतिशत देते हैं। बोले नहीं–नहीं यूटी है जी, ये तो 100 प्रतिशत देगें। फिर थोड़े दिन बाद संज्ञान आया। तीन चीजें बता रहा हूँ इसीलिए। पहले कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया 100 प्रतिशत देगें। सारे मंत्रालयों ने कहा 100 प्रतिशत देगें। नीति आयोग की कमेटी थी जिसने कहा कि 100 प्रतिशत देगें। और उससे पहले राज्यों की तरह से शेयर मिल रहा था फिर से इनके पता नहीं कहां से नींद जागी, रात में कोई सपना आया, सत्य नारायण भगवान ने कोई सपना दिया कि अगर तूने कल तक इसको स्टेट का दर्जा नहीं दिया तो भस्म कर दूँगा। कुछ भी हो सकता है। फिर से इनकी नींद खुली या हो सकता है नींद आ गई हो। फिर से एक पालिसी आई है, नीति आयोग कि उसमें लिखा गया कि अब दिल्ली को हम अन्य यूटीज की तरह से पैसा नहीं देगें और Core and optional schemes would be funded hundred percent for UTs without legislature and for UTs with legislature existing funding pattern would be followed

for all core of the core and core schemes. इसका मतलब कि वही 75 प्रतिशत वाला या 80 प्रतिशत वाला फार्मूला वापिस आएगा। हमें दिक्कत नही है। हम तो सारी स्कीम भी 100 प्रतिशत भी चलाने को तैयार हैं। आप बोलो तो सही। आप बोलो... हमारे पास में पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि आपकी नीयत क्या है। आप एक महीने में कहते हो स्टेट विद लैजिस्लेचर अलग है। फिर कहते नही–नहीं यूटी है। फिर कहते हो नहीं–नहीं स्टेट विद लैजिस्लेचर है तो दिल्ली को लेकर केन्द्र सरकार में इतना कन्फयूजन क्यों है? किसी अच्छे संविधान विशेषज्ञ से, आप अपने जो सलाह कार है, उनको हटाओ, किनारे करो। इसका मतलब आपको कन्फयूजन... तीन डाक्यूमेंटस हैं, तीनों में पता चल रहा है कि केन्द्र सरकार बुरी तरह से कन्फयूज है दिल्ली को लेकर। मेरी इस सदन के माध्यम से और इस सदन से बाहर जाने वाली आवाजों के माध्यम से केन्द्र सरकार से अपील है कि केन्द्र सरकार अपने जो विधिक सलाहकार हैं, उनको हटाए। वो उनको ठीक सलाह नहीं दे रहे हैं, गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। बार–बार, रोज कन्फयूज करके नए नए डाक्यूमेंटस पैदा करवा रहे हैं और तीनो डाक्यूमेंटस अलग–अलग कन्फयूजन पैदा कर रहे हैं। केन्द्र सरकार तय तो करे। हम तो पूरी तरह से तैयार हैं, आप हमें एक पैसा मत दो। स्कीम के तहत हम दिल्ली के लोगों के लिए स्कीम चला लेंगे। दिल्ली के लोगों के पास टैक्स का भी पैसा है ओर उसको ईमानदारी से खर्च करने की नीयत भी है, तरकीब भी है। लेकिन कम से कम किसी ढंग के कानूनी जानकार से, किसी ढंग के संविधान के सलाहकार से सलाह लेकर इस मामले में अपनी स्थिति तो स्पष्ट करें कि आप दिल्ली को मानते क्या हो। कभी यूटी है, कभी यूटी विद लैजिस्लेचर है कभी कहते हैं 80 प्रतिशत देंगें फिर कहते

हैं नहीं–नहीं, 100 प्रतिशत देगें फिर वापिस कहते हैं 80 प्रतिशत देगें। तो एक तो ये, दूसरा जैसा अभी 80 प्रतिशत वाले में भी ये 60 प्रतिशत में ले आएगें दिल्ली को भी।

दूसरा ये, अध्यक्ष महोदय, जो मैंने पहले बोला कि केन्द्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है, इसको छेड़ने की कोशिश न करें। लोकतंत्र को इस तरह से खत्म न करने की कोशिश न करें। लोकतंत्र से दुश्मनी मोल न लें। लोकतंत्र से दुश्मनी मोल लेगें तो बहुत मंहगा पड़ेगा। केन्द्र सरकार को मै चेतावनी देना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा सदन के सामने थोड़ा प्रस्ताव है कि आज टी ब्रेक रोक दिया जाए। क्योंकि सदन का विजेन्द्र गुप्ता जी ने लगभग पौना घंटा खराब किया।

सुश्री अलका लाम्बा : मैं माफी चाहूँगी। जिस समय सदन में नीति पर बहस... स्क्रीन पर देख रही थी उन्होने कहा था कि सदन को हम भंग तक कराने का दम रखते हैं और उन्होंने जिस तरीके से पूरे सदन को गुमराह किया है कि कौन सी रिपोर्ट है, जो आ चुकी है और सदन के सामने नहीं रखी गई। ये हम भी जानना चाह रहे थे। लेकिन सरकार से मैने खुद पूछा है ऐसी कोई कैग की रिपोर्ट नहीं है जिसको सरकार छुपा रही है या सरकार इस सदन के सामने नहीं रख रही है। मेरा अध्यक्ष जी, आपसे यह निवेदन है कि पूरे सदन को गुमराह किया गया है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है नेता विपक्ष के द्वारा। मै आपसे निवेदन करती हूँ कि प्रिविलेज कमेटी को ये पूरा केस सौंपा जाए। इनकी जो भी भाषा थी, जिस तरह की धमकी सदन को, लोकतंत्र में चुने हुए सदन को

कहा गया कि हम भंग कर देंगे और गुमराह किया गया कि कैग रिपोर्ट के ऊपर। मैं चाहूँगी कि प्रिविलेज कमेटी को यह मामला सौंपा जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अलका जी का जो प्रस्ताव सदन के सामने आया है, मेरा इसमें कहना है, इसको एगजामिन करके परसों सदन के सामने इस को रख लेंगे। मेरा विषय जो था कि आज टी ब्रेक न करके माननीय सदस्यों के 280 के विषय रह गए हैं। कल भी रह गए थे, परसों भी रह गए थे। आप सभी सहमति देते है तो टी ब्रेक न करें। विजेन्द्र जी ने जो समय खराब किया है, उसका हम चाय पीने पर त्याग करके अपनी इच्छा को सदन की दिल्ली की जनता को अपना समय देकर और 280 के प्रश्नों को यहां रखेंगे। श्रीमती बंदना कुमारी जी।

विशेष उल्लेख (नियम–280)

श्रीमती बन्दना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने 280 पर हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, हमारी विधान सभा में 11 पायलेट प्रोजेक्ट के तहत मोहल्ला सभा बनाई गई थी। उसमें हमारी 43 मोहल्ला सभा थी। उसमें 32 मोहल्ला सभा से सिर्फ सीसीटीवी की डिमांड पहली प्राथमिकता थी और आज तक, आज लगभग एक साल से ऊपर हो गए है हमारे मोहल्ला को मोहल्ला सभा किए हुए लेकिन अभी तक सीसीटीवी में कोई क्लीरिटी नहीं है। न ही सम्बन्धित अधिकारियों से कोई क्लीयर जवाब मिलता है। बार–बार, एक महीना, डेढ महीना दो महीना. .. मैं बार–बार आश्वासन देती हूँ जनता को। लेकिन अभी तक सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाए गए हैं कहीं पर भी एक भी मोहल्ला में और सुरक्षा के

प्रति हमारी सरकार की भी जवाबदेही है और हम सब की भी जवाबदेही बनती है। तो मैं चाहूँगी चँकि आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से कब तक ये सीसीटीवी, कैमरा लगा दिए जाएंगे और इसका काम सुचारू रूप से कब शुरू किया जाएगा। ये जल्द से जल्द सदन के माध्यम से जवाब मिले, जो सीसीटीवी का काम कहीं भी नहीं हुआ है और ये पहली प्राथमिकता थी हमारी हर मोहल्ला की।

अध्यक्ष महोदय : प्रमिला टोकस।

माननीय उपाध्यक्ष महोदया (सुश्री राखी विड़ला) पीठासीन हुई

श्रीमती प्रमिला टोकस : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरी विधान सभा में वसंत विहार डीटीसी डिपो में परिवहन विभाग का कार्यालय है और जाहिर सी बात है कि इन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में लोग गाड़ियों के लाइसेंस, रिन्यूवल, सेल पर्चेज डाक्युमेंट्स के लिए ही आते हैं और वहां पर पार्किंग का कोई भी साधन नहीं है और पूरा हमारा मैन रोड है, उस पे पार्किंग लग जाती है और वहां पे जो यातायात है, वो बाधित होता है। हम चाहते हैं कि जो हमारी ट्रांसफोर्ट अथॉरिटी है, उसमें जो जगह है, उसमें ऐसी व्यवस्था की जाए कि वहां पर अन्डर ग्राउण्ड पार्किंग बन जाए। हो सके उसके ऊपर कमर्शियल कॉम्पलेक्स, आफिस कॉम्पलेक्स बनाए जा सके। जिससे परिवहन विभाग की अतिरिक्त आय हो, पार्किंग की भी समस्या खत्म हो जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : श्री नितिन त्यागी।

श्री नितिन त्यागी : थैंक्यू अध्यक्ष महोदया कि आपने 280 में अपने क्षेत्र की कोई परेशानी रखने का मौका दिया। मेरे क्षेत्र में विकास मार्ग पड़ता है और विकास मार्ग पे मधुबन चौक है, जहां पे क्षेत्र जा कर खत्म होता

है। वहां पे एक रोड मण्डावली की तरफ से... गणेश चौक की तरफ से आ रहा है एक तरफ झील की तरफ से आ रहा है और ये जो चौक है, ये चौक हमेशा चॉक रहता है और काफी सारी विधान सभाएं इससे एफेक्टिड रहती हैं। चाहे वो विश्वास नगर विधान सभा हो, चाहे लक्ष्मी नगर विधान सभा हो, पड़पड़गंज विधान सभा या कृष्णा नगर विधान सभा। यहां पे प्रोब्लम है कि खुरेजी से मण्डावली को जो ग्रामीण सेवा चलती है, वो मण्डावली तक न जाके ये यू टर्न मार के इसी चौक से और चले जाते हैं ई–रिक्शाज या ऑटोज या नॉर्मल रिक्शाज भी वो इस तरीके से खड़े रहते हैं कि बार बार ट्रेफिक पुलिस में भी कम्पलैण्ट डालने की वजह से, जनता द्वारा कम्पलैण्ट करने से भी... हमारी डीडीसी के चेयरमैन है राजू धिंगान जी, उस कमेटी में भी बात उठाने के बावजूद इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला और इस सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से ट्रेफिक पुलिस वालों को अगर तलब करके इसके बारे में कुछ बात की जा सके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। क्योंकि वो परपजली जाम रहता है। कई बार जो है, एक बहुत छोटा सा चौराहा होते हुए भी आधा–आधा घण्टा उस चौराहे को क्रॉस करने में निकल जाता है। इसके लिए प्लीज जरूर कुछ किया जाए।

अध्यक्ष महोदया : सुश्री अलका लाम्बा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : अध्यक्ष महोदया जी मैं अपने क्षेत्र की समस्या जो है एक 11 अगस्त का वाकया है, 280 के जरिए रखना चाहती हूँ। अध्यक्ष जी 11 अगस्त वीरवार को लगभग 11 बजे के करीब मैं अपने मजनू टीला, अरूणा नगर इन क्षेत्र के दौरे पर थी और उस समय एक बुजुर्ग शख्स, एक महिला और एक छात्र ने आकर मुझसे ये कहा कि आधार कार्ड

बनाने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है तो मेरी जो जानकारी है कि किसी को भी आधार कार्ड बनाने के लिए 40 रुपये तक का, एसडीएम आफिस में जाकर विधायक के लेटर पर भी लिखने से वो कार्ड बनता है। लेकिन उन्होंने कहा कितना 10 रुपये, 10 रुपया नये के लिए। तो वो ही मुझे पता लगा कि इतना ही खर्चा है लेकिन लोगों से एक हजार रुपये, पांच सौ रुपये से एक हजार रुपये तक की वसूली की जा रही थी। जब मैंने उन लोगों से कहा कि ये कहां हो रहा है तो मजनू टीला, अरूणा नगर मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक नहीं ऐसे भ्रष्टाचार की अनेकों दुकाने खोल कर बैठे हुए थे कुछ लोग। जब मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने हमारा जो थाना है पड़ता है सिविल लाइन पुलिस थाना अरूणा नगर में वहां अपने कार्यकर्ताओं को भेजा कि तुरंत पुलिस को यहां पर आने को बोलिए ताकि वो इसकी तुरंत यहां पर आकर ये देखें कि ये क्या हो रहा है यहां पर। पुलिस ने कहा 15 अगस्त की तैयारी में हैं यहां थाने में कोई उपलब्ध नहीं है। इसलिए किसी ने भी आने से इंकार कर दिया। उसके बाद मैंने हमारे एसडीएम साहब मिस्टर रूपेश जी हैं, उनको फोन किया, एसडीएम ने तुरंत एसडीएम, डीएम साहब को फोन किया रूपेश जी को उन्होंने एसडीएम मिस्टर बी.के. झा को वहां पर भेजा और तहसीलदार को भी भेजा। उसके बाद 100 नं. पे मैंने खुद कॉल किया तो पुलिस की 100 नं. की गाड़ी वहां पर आई और वहां पर जब आए तो ये देखा गया कि जिस एक दुकान पर हमने रेड किया था, वहां पर बहुत से लोग बैठे थे, जो परेशान थे। जिनसे आधार कार्ड के नाम पर, वोटर आईडी, पेन कार्ड ये सारे सरकारी दस्तावेज जो सरकारी कार्यालयों में बनते हैं, इसकी एक सीमा है लेकिन ये पूरी तरह से अवैध दुकाने खोल के भ्रष्टाचार कमाई का

धंधा बनाया हुआ था। वहां लोग बहुत दुखी और परेशान थे। कुछ ने ये कहा कि हमारे आधार कार्ड के लिए इन्होंने हमसे 500 रुपया लिया लेकिन तीन हफ्ते से चक्कर कटा रहे हैं लेकिन अभी तक हमारा आधार कार्ड नहीं दिया। एक ने कहा आधार कार्ड तो दे दिया है लेकिन नाम गलत है दूसरे ने कहा पता गलत है तो उसके लिए क्या है 3 हफ़्ते से चक्कर काट रहे हैं और 200 रुपये की मांग की जा रही है।

अध्यक्षा जी, मेरी उस दिन की शिकायत 11 अगस्त को 100 नं. पर पुलिस पर, एसडीएम मिस्टर बी.के. झा की उपस्थिति में, तहसीलदार की उपस्थिति में मेरे द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी ये हकीकत है कि ये भ्रष्टाचार की दुकानें पूरी तरीके से चल रही है कोई इन पे रोक या लगाम नहीं लगाई गई। कानूनी तौर पर दिल्ली पुलिस द्वारा भ्रष्टाचार की इस तरह की जो दुकानें खुली हैं, इस पर क्या कार्रवाई की गई है, कोई भी जानकारी नहीं है। जिस तरह से दुकानें चल रही हैं, ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई की उम्मीद भी नहीं की जाए। क्योंकि भ्रष्टाचार के ये जो मामलें हैं जिस तरीके से गरीब लोगों को ठगा जा रहा है और सबसे बड़ी बात कि एसडीएम, डीएम साहब को जब मैंने ये बताया कि ये तो डीएम आफिस दरियागंज से आधार कार्ड हमारी जानकारी में बनते हैं तो इस तरह की इजाजत कानूनी तौर से दुकानें खोल कर क्या आपने इन्हें दी हैं तो उन्होंने ये कहा कि मेरी जानकारी में नहीं है कि क्या सरकार जो है या डीएम दफ़्तर जो है इस तरह की दुकानें खोलने की इजाजत कानूनी तौर पर देता है या नहीं, ये जांच करके बताएंगे। लेकिन इसकी जांच हुई, नहीं हुई। लेकिन वो दुकानें आज भी चल रही हैं। लोगों से जो नजायज वसूली इन सरकारी दस्तावेजों के नाम पर की जा रही है,

मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये दस्तावेज फेक और जाली भी बनाए जा रहे हों तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये सब चीजें जो हैं, वो जांच के बाद ही बाहर आयेंगी। पर मेरा अनुरोध है कि लोगों को इस भ्रष्टाचार से मुक्त कराइये और मुझे लगता है कि चांदनी चौक विधान सभा ही नहीं, पूरी दिल्ली के अन्दर जितनी भी ऐसी दुकानें खुली हैं जो आधार कार्ड, पेन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड बनाते हो, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि किसी का पासपोर्ट भी मुझे बना कर दे रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं है और पुलिस का इसमें मुझे लगता है कि मिलीभगत इसलिए है क्योंकि पुलिस को सबसे बड़ी जांच भ्रष्टाचार की शिकायत मेरे द्वारा करवाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और एसडीएम आफिस में भी हम लोगों ने इसकी शिकायत की और मुझे ये शक है कि ये जो काम है आधार कार्ड का ये एसडीएम के आफिसिज से होता है, किसी न किसी एसडीएम आफिस के कर्मचारी की मिलीभगत है कि जो यहां पर लोगों से 500 से 1000 रुपये वसूल किया जा रहा है। किस तरीके से ये जो दस्तावेज लेते हैं, वो कैसे एसडीएम आफिस पहुंचते हैं, किस को पहुंचते हैं, कौन इनके दस्तावेज को वेरिफिकेशन करने के बाद क्योंकि विधायक तक नहीं आए और वेरिफिकेशन के बाद इनके कार्ड बन रहे हैं और ये सब मुझे लगता है गंभीर मामला है, इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अध्यक्ष जी अगर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, पेन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है.

उपाध्यक्ष महोदया : हो गया। जितना आपने लिखकर दिया था हो गया।

सुश्री अलका लाम्बा : सबसे पहले दस्तावेज, सबसे आसान है आधार कार्ड पा लीजिए अध्यक्ष जी। आपके पास आधार कार्ड आ गया। आपके

सारे दरवाजे खुल गए। अब आप कोई भी सरकारी दस्तावेज बना सकते हैं। आप बिजली का मीटर, पानी का मीटर, अपना राशन कार्ड, अपनी पेन्शनें लगा सकते हैं और जिस तरीके से मैं कहूँगी कि सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। इस तरह से सरकारी दस्तावेज बिना वेरिफिकेशन के देना, यह एक बहुत बड़ा मामला है। अध्यक्ष जी, इसको गंभीरता से लेते हुए। मेरी 11 अगस्त की जो मेरी शिकायत थी पुलिस के अन्दर भ्रष्टाचार की उसके ऊपर कृपया जानकारी दी जाए कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया: श्री विजेन्द्र गर्ग जी।

श्री विजेन्द्र गर्ग: धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिल्ली नगर निगम द्वारा दिल्ली के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों में उत्पन्न की जा रही बाधाओं की ओर दिलाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदया,जब से माननीय अरविन्द केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में आम आदमी की सरकार बनी है, तब से एमसीडी द्वारा रोजाना किसी न किसी तरह से दिल्ली की जनता को परेशान किया जा रहा है। एमसीडी ने तो क्षेत्र में समस्याओं को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है जिसकी वजह से आम जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विधायक के कार्यालय में आती है। हम अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से जनता की समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों, चाहे वो जेई हो, ऐई हो, एग्जीक्युटिव इंजीनियर हो, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हो, की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है। जब भी हमारे पास निगम से संबंधित शिकायतें आती है तो हम उनको

अपने स्तर पर हल करने के लिए निगम अधिकारियों से समय निर्धारित करके उस क्षेत्र का दौरा करते हैं। परन्तु वहां पर निगम अधिकारी नहीं पहुंचते हैं जिससे आम जनता और हमारे बीच एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न होती है और जनता की समस्याओं का समाधान उस गति से नहीं हो पाता जितनी उनको उम्मीद होती है। यह सब स्थानीय पार्षदों के दबाव में किया जा रहा है। दिल्ली की जनता से निगम पार्षद किस बात का बदला ले रहे हैं, ये समझ में नहीं आता।

अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि इसके लिए संबंधित विभागों एवं नगर निगम को आवश्यक दिशा–निर्देश देकर जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए ताकि आम जनता की अपेक्षाओं के अनुसार समस्याओं का समाधान हो सके। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

उपाध्यक्ष महोदया : चौ. फतेह सिंह जी।

चौ. फतेह सिंह : धन्यवाद अध्यक्ष महोदया, मैं परिवहन विभाग द्वारा 2013 में कुछ इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट स्तर पर ट्रेनिंग दिया करते थे। उस संबंध में कुछ लोगों के द्वारा शिकायत करने पर परिवहन विभाग ने उसकी जांच कराने के लिए मोंगिया समिति का गठन किया और इस समिति ने अपनी जांच में पांच इंस्टीट्यूट, जिन्होंने अनियमिताएं की थी, उनको दोषी पाया और उनकी मान्यता को रद्द करने की सिफारिश इस मोंगिया समिति ने की। पर उनकी कोई भी सदस्यता रद्द नहीं की गई और वो पांच इंस्टीट्यूट लगातार अपने इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स जारी करते रहे और उससे जो परिवहन विभाग है, उस संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस भी उन्होंने जारी किए। लेकिन इस संबंध में जो ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए

और उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, वो गुणवत्ता न होने के कारण आए दिन रोड पर एक्सीडेंट का कारण बनता है। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इस संबंध में ऐसे जो मोटर ड्राइविंग की ट्रेनिंग देते हैं, उसके संबंध में विभाग द्वारा दोबारा जांच करके ऐसे जिन्होंने मोटर व्हीकल्स की गाइडलाइंस है, उनका वॉयलेशन किया हुआ है, ऐसे जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, उनके संबंध में कार्रवाई परिवहन विभाग करे, इस तरह की मेरी मांग थी और इसलिए मैंने 280 के तहत ये विशेष उल्लेख की अनुमति आपसे चाही थी। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया : श्री वाजपेयी जी।

श्री अनिल वाजपेयी : आनरेबल स्पीकर साहिब, मेरे द्वारा 280 में दी गई सूचना बहुत बड़ी थी लेकिन मैंने शार्ट करके फाइनली स्पीकर साहब से आग्रह किया था कि इसको शार्ट करके महत्वपूर्ण क्वेश्चन में लगा दो।

सबसे पहले मैं उसको शार्ट करके, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि ईस्ट ईडीएमसी के अन्दर हमारे यहां पर डीसी कार्यालय बनाने के लिए सरकारी जगह डीडीए द्वारा अलॉट करायी गई थी। लेकिन आज वहां पर न ईडीएमसी का कोई कार्यालय बना है और न ही वहां डीसी का कोई ईडीएमसी का कार्यालय बना है। बल्कि वो जगह प्राइवेट कांट्रेक्टर को दे दी गई जिसके अन्दर बड़े कांट्रेक्ट के मुताबिक लोग वहां पर शादी ब्याह कराते हैं और जिसमें करोड़ों रूपये का कहीं न कहीं घोटाला हुआ है।

अध्यक्ष महोदया, इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और ये गंभीर मामला है और जो भी इसके अन्दर अधिकारी या सत्तापक्ष के बीजेपी के लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक मेरा प्रश्न था।

दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि मैं आपका ध्यान जो दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारी थे, उनकी ओर दिलाना चाहता हूँ कि जिसने दिल्ली विद्युत बोर्ड के कर्मचारी और जब बीएसईएस या एनडीपीएल या जो सारी बड़ी–बड़ी जब कंपनियां आई थीं, उनमें जो कर्मचारी काम कर रहे थे, आज वो जो कर्मचारी अभी भी काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी रिटायर कर चुके हैं उनको आज भी कैशलेस मेडिकल सुविधा नहीं मिल रही है। दस–दस महीने हो गए अगर जिन लोगों को मिल रहा है उनको आज तक पेंडिंग है सारा। बहुत से लोग मत्यु–शैय्या पर पड़े हुए हैं और ये बड़ी शर्मनाक घटना है ये। ये भी मैं मानता हूँ कि ये भी जो चीज हमको मिली है, ये हमारी सरकार की कोई गलती नहीं है इसमें। इसमें जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, ये सब उनकी कारगुजारी है। ये उसका परिणाम है। लेकिन आज वो जो कर्मचारी हैं, उनका क्या दोष है कि जिन लोगों ने सरकार के साथ नौकरी की है। पेंशन ट्रस्ट एक बनाया गया था उस पेंशन ट्रस्ट की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो उन लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराए। पेंशन ट्रस्ट जो है, वो बैंकरप्ट हो गया है और आज मेरी विधानसभा में कम से कम 600 से अधिक परिवार ऐसे हैं। स्पीकर साहब मैं बताना चाहता हूँ और आज उनमें से बहुत से परिवारों के लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं किसी के घर में अगर किसी की पत्नी बीमार है, किसी का बच्चा बीमार है या स्वयं बीमार है, आज उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पर समुचित ध्यान दिया जाए और उन गरीब लोगों को देखते हुए जिन्होंने दिल्ली के लोगों की सेवा की है, उनकी मदद की जाये। यही मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया : श्री प्रवीण कुमार जी।

श्री प्रवीण कुमार : धन्यवाद, समय देने के लिए अध्यक्ष महोदया। जो मैं ईश्यू उठाने जा रहा हूँ एक तो बहुत सीरियस ईश्यू है बिकॉज कि एक तो पूरी दिल्ली से रिलेटिड है, सारी विधानसभाओं से रिलेटिड है और ये बुजुर्गों का ईश्यू है। ऐसी कई सारी पेंशन्स जो कि कई सालों से मेरे खुद की विधानसभा में करीबन 800–900, आपकी विधानसभा में होंगी... 800–900 पेंशन्स लगभग एक साल से बन्द हैं और डेली हमारे दफ़्तर में बूढ़ी–बूढ़ी अम्माएं आ जाती हैं कि बेटा, तू तो बता दे मेरी पेंशन कब आएगी, बस फिर ना आउं तेरे पास। तो लेकिन हमारे लिए उनको जवाब देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। क्योंकि कई सारी ऐसी 800–900 पेंशन्स जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो मेरी विधानसभा में इसलिए बन्द हैं, क्योंकि उनका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया और वेरिफिकेशन के लिए अच्छा रहता मंत्री जी भी यहां मौजूद रहते, वेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट ये कहता है कि आप अपने विधानसभा में कैंप लगाओ। मैंने अपने विधानसभा में कैंप लगाने की कोशिश भी करी 800–900 लोगों की पेंशन बन्द हैं। कैंप में 85 लोग हैं। लेकिन फिर भी जो बचे हुए 700 लोग थे उनकी पेंशन अभी भी लगातार अगले 6 महीने तक बन्द रहेगी क्योंकि वो पेंशन कैंप में नहीं आ पाए। मेरी गुजारिश थी एक तो ये पेंशन जो बन्द है, इसके लिए डिपार्टमेंट खुद पेंशनधारियों के पास लेटर भेजे कि आपकी पेंशन बन्द है, वेरिफिकेशन के लिए कृपया जिस तारीख को डाक्युमेंट्स सोशल वेलफेयर आफिस में जमा करें। हमारे विधायक कार्यालय में इस तरह की सुविधा नहीं है जिस तरीके से हम उनके डाक्युमेंट्स जमा कर सकते हो। वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इसके लिए एलिजेबल है और उसके पास ही जमा हों तो मंत्री महोदय से यही रिक्वेस्ट है कि वो स्पेशल इंस्ट्रक्शन

दें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को कि इस तरह की वेरिफिकेशन का काम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के आफिस में ही कराएं ताकि वहां से डाक्युमेंटेशन भी क्लीयर हो और पेंशनधारियों की पेंशन सही समय पर लग पाए। दूसरी एक और चीज होती है**...**

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदया : आप चुप रहिए। आप बोलिए प्रवीण जी, बोलिए।

श्री प्रवीण कुमार : उसके बाद एक दूसरा और इश्यू था। जिसमें कि करीबन बीस हजार रूपये हैं जो पेंशन, सपोज किसी को चली गयी है। किसी बुजुर्ग को बीस हजार रूपये पेन्शन या विधवा को बीस हजार रुपए पेन्शन एक्सट्रा चली गयी है तो उनकी पेन्शन इसलिए बन्द हो गयी है क्योंकि डिपार्टमेन्ट कहता है कि बीस हजार रूपये पहले आप डिपार्टमेन्ट को दे दो फिर उसके बाद आपकी पेन्शन चालू होगी। क्योंकि कई सारी खामियों के कारण जो पिछला भ्रष्टाचार जिस कारण से चल रहा था। डबल–डबल, ट्रिपल–ट्रिपल पेन्शन लगने के कारण कई सारे लोगों की पेन्शन बन्द हो गयी थी नये वेरीफिकेशन के कारण। तो पहले वो कहते है कि बीस हजार जमा करो, उसके बाद बाकी पेन्शन चालू होगी। लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है। कोई विधवा है, उसके पास इतनी आमदनी नही है कि वो बीस हजार रूपये एकमुश्त में जमा कर सके। वो जमा करने को तैयार हैं, बशर्ते वो ये कहते है कि आप पांच सौ रूपये हमारी पेन्शन से भले ही काट लीजिएगा लेकिन जो हमारे पन्द्रह सौ रूपये बनती है, उसमें से हजार रूपये तो आप हमें दे सकते हो। तो मेरी यही गुजारिश है डिपार्टमेन्ट से और मंत्री जी से भी कि जिस तरीके की पेन्शन जो हर एक

विधान सभा में दिल्ली में करीबन दस हजार पेन्शन, बीस हजार पेन्शन बन्द हैं, उन सारी पेन्शनस को चालू करवायें क्योंकि आगे आने वाले समय में इन बुजुर्गों को हमे सहूलियत देना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि इनमे ऐसे कई सारे पेन्शनधारी हैं जिनके पास आगे की, अगले दिन क्या खायेंगें, उसके लिए भी वो मुहताज हैं। तो इसलिए गुजारिश थी अध्यक्ष महोदया इस 280 प्रश्न को संज्ञान में लेके डिपार्टमेन्ट तक पहुंचा दें।

उपाध्यक्ष महोदया : श्री एस.के.बग्गा।

श्री एस.के.बग्गा : उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान वाटर डिपार्टमेन्ट व पानी के बिलों की ओर दिलाना चाहता हूँ। दिल्ली सरकार को व मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने नवम्बर, 2015 तक के पानी के बिल माफ कर दिये हैं। इससे दिल्ली की जनता बहुत खुश है। अब नवम्बर, 2015 के बाद ये पानी के बिलों में जनता को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नवम्बर, 2015 के बाद बहुत ज्यादा एमाउन्ट के बिल आ रहे हैं। इसके लिए कुछ उचित उपाय करें।

दूसरे, कुछ लोगों के कमर्शियल बिल बहुत मोटी रकम के भी भेजे जा रहे हैं। उसकी वजह है कि एक मकान में छोटी सी दुकान है। जबकि दुकान के अन्दर किसी किस्म का पानी का कनेक्शन भी नहीं है। न ही दुकान में पानी का इस्तेमाल होता है। इससे भी जनता काफी परेशान है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि नवम्बर, 2015 के बाद के जो लोगों के इतनी मोटी रकम के बिल आ रहे हैं, उसको ठीक करवायें जिससे जनता को राहत मिले तथा दूसरे जो कामर्शियल बिल भेजे गये हैं, उन बिलों पर मोटी छूट दें जिससे जनता को राहत मिले तथा पेन्डिंग बिलों का जनता आराम से भुगतान कर सके, धन्यवाद।

विधेयक पर विचार व पारण

उपाध्यक्ष महोदया : अब श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि दिनांक 22 अगस्त, 2016 को सदन में पुरःस्थापित ''भारत रत्न डा. बी. आर. अम्बेडकर विष्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (वर्ष 2016 का विधेयक संख्या-05)'' पर विचार किया जाए।

उप मुख्यमंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं इस प्रस्ताव से पहले इस बिल की थोड़ी सी भूमिका कि इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में सदन के संज्ञान में इस तथ्य को लाना चाहता हूँ। भारत रत्न डॉ.बी.आर.अम्बेडकर विश्वविद्यालय विधेयक 2016 लाने की, संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी अध्यक्ष महोदया क्योंकि ये यूनिवर्सिटी दिल्ली की बहुत प्राईम यूनिवर्सिटीज में शामिल है और बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी मानी जाती है लेकिन जब इसका नामकरण हुआ होगा जिस समय, उस समय थोड़ा सा तकनीकी इश्यू आया। इस विषय को सुप्रीम कोर्ट में भी ले जाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश मिला की इस यूनिवर्सिटी के नाम से भारत रत्न शब्द हटा दिया जाये। मैं समझता हूँ ये यूनिवर्सिटी बाबा साहेब के सिद्धान्तों पर चलते हुए बहुत शानदार तरीके से दिल्ली में शिक्षा के स्तर को, दिल्ली में सभी वर्गों के लोगों के लिए काम कर रही है लेकिन एक बहुत छोटी सी तकनीकी वजह से ये बिल लाने की आवश्यकता पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इसमें से, इसके नाम में से भारत रत्न शब्द हटाना है। अभी इसका नाम भारत रत्न डॉ. बी.आर.अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, इसको संशोधित करके डॉ. बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रखने का प्रस्ताव है। इस बिल के अन्दर वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। सरकार का अपना इस पर कोई व्यू प्वाईन्ट नहीं है या

ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं की गयी थी लेकिन क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अगर आवश्यकता समझें तो इस पर चर्चा कर सकते हैं वरना महज एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुपालना हेतु ये परिवर्तन किया जा रहा है, इसको पास किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदया : यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

अब विधेयक पर खण्डवार विचार होगा।

प्रश्न है कि खण्ड–2 ,जिसमें धारा–1 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने, यह प्रस्ताव सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–2 , जिसमें धारा–1 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खण्ड–3 ,जिसमें धारा–2 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–3 , जिसमें धारा–2 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

प्रश्न है कि खण्ड–4 ,जिसमें धारा–3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बने यह प्रस्ताव सदन के सामने है,

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खण्ड–4 , जिसमें धारा–3 का संशोधन है, विधेयक का अंग बन गया।

अब प्रश्न है कि खंड–01, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बनें, यह प्रस्ताव सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें,

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

खंड–01, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग बन गये।

उपाध्यक्ष महोदया : अब श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "भारत रत्न डा. बी. आर. अम्बेडकर विष्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (वर्ष 2016 का विधेयक संख्या-05)" को पारित किया जाए।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि दिनांक 22 अगस्त, 2016 को सदन में पुरःस्थापित भारत रत्न डॉ.बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2016 (वर्ष 2016 का विधेयक संख्या-05)" को पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदया : यह प्रस्ताव सदन के सामने है–

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

विधेयक पास हुआ।

उपाध्यक्ष महोदया : अब श्री मनीष सिसौदिया जी, माननीय उप मुख्यमंत्री नियम 90 के तहत सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति लेंगे।

सरकारी संकल्प (नियम–90)

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मुझे नियम 90 के तहत निम्नलिखित सरकारी संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दें कि यह सदन संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान के 122वें संशोधन विधेयक, 2014 के तहत प्रस्तावित अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के परन्तुक (क) के खण्ड (ख) के अधीन भारत के संविधान में संशोधनों की पुष्टि करता है।

उपाध्यक्ष महोदया : यह प्रस्ताव सदन के सामने है:

जो इसके पक्ष में हैं, वे हाँ कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे ना कहें

(सदस्यों के हाँ कहने पर)

हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता

प्रस्ताव पारित हुआ।

सदन द्वारा उप मुख्यमंत्री को संकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति दी गयी। अब माननीय उप मुख्यमंत्री संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदया, ये संकल्प देश के इतिहास के लिए बहुत जरूरी है। देश के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जब से हमारी सरकार बनी है, मैं तब से लगातार जो जी.एस.टी. बिल के लिए बनी कमेटी है, उसमें बतौर वित मंत्री शामिल होता रहा हूँ। वित मंत्रियों की जो इम्पावर्ड कमेटी है, मैं अब तक सभी मीटिंग्स में शामिल रहा हूँ और एक मीटिंग को मुझे वित मंत्री के रूप में चेयर करने का अवसर भी मिला है। उसमें लगातार देश के तमाम वित मंत्रियों से सम्पर्क करके उनसे उनके राज्यों की वित्त की स्थिति और जी.एस.टी. में आ रहे बदलावों की स्थिति को देखने का मौका मिला है। कुछ देशों के जी.एस.टी. सिस्टम को भी अध्ययन करने का मौका मिला है। मैं समझता हूँ कि दिल्ली के लिए, वैसे तो देश भर के लिए जी.एस.टी. बहुत उपयोगी है, ऐसा मैं समझता हूँ, ऐसा मेरा मानना है लेकिन दिल्ली के लिए तो ये वाकई बहुत उपयोगी है, जी.एस.टी. बहुत उपयोगी है, इस सदन के समक्ष मैं कई बार कह चुहा हूँ कि दिल्ली मूल रूप से एक सर्विस स्टेट है। हम लोग सर्विस सैक्टर में ज्यादा काम करते हैं और उसमें सर्विस टैक्स देते हैं। लेकिन संयोग ऐसा है कि सर्विस टैक्स तो सारा का सारा सेंटर गवर्नमेंट के पास चला जाता है, सारा एक्साइज टैक्स उधर चला जाता है और जब वापस राज्यों के हिस्से मिलने की बारी आती है तो पिछले 17 साल से 325 करोड़ रुपये का झनझुना हमको मिलता है जबकि कई हजार करोड़ रुपये, मैं बार–बार सदन के सामने डेटा भी प्रस्तुत कर चुका हूँ। हम लोग सर्विस टैक्स के रूप में, एक्साइज टैक्स

के रूप में केन्द्र सरकार को देते हैं। लेकिन जब वहां से मिलने की बारी आती है तो सेंटर शेयर के नाम पर हमको सिर्फ 325 करोड़ मिलता है। अभी ऐसा लगता है कि जो मौजूदा प्रस्ताव देश के सामने आया है, देश की संसद के दोनों सदनों ने पास किया है, उसके बाद इसमें बढ़ोत्तरी होगी, ऐसा मेरा यकीन है क्योंकि यह एक फॉर्मूले के तहत दिल्ली को मिलने लगेगा। पूरे देश की दृष्टि से देखे, वहां भी जी.एस.टी. अब तक का देश का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। अभी तक जितने टैक्स रिफॉर्म हुए, मैं कह सकता हूँ इस मामले में पूरे देश में बड़ा पॉजिटिव माहौल रहा है। सभी राज्यों में लोग चाहते हैं कि जी.एस.टी. लागू हो, कुछ कंसर्न जरूर रहे हैं लोगों के, मैं उनको भी इस सदन के सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जी.एस.टी. का संशोधन संविधान में हुआ है जी.एस.टी. के लिए, उसमें एक और शब्द जोड़ा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अर्टिकल 366 में लिखा गया है State with reference toArticle this this includes a Union territory with legislature. यानी कि इस संशोधन के माध्यम से संविधान में स्टेट शब्द है, उसकी डेफिनेशन में अब Union territory with legislature भी शामिल हो गया है। दिल्ली के लिए तो यह और भी इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सदन के समक्ष एक अन्य संदर्भ में कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कंफ्यूज है। मुझे लगता है कि कुछ भी हो, इस लोकतंत्र की आत्मा, संविधान और संसद में बसती है और वहां इसकी रक्षा होती है। जी.एस.टी. के माध्यम से ही सही, लेकिन एक बड़ा एक्सप्लेनेशन केन्द्र की ओर से दिया गया है कि स्टेट अब UT with legislature को भी माना जाये। यह अच्छी बात है दिल्ली के संदर्भ में अगर मैं कहूँ, दिल्ली के संदर्भ में दूसरी बात टैक्स के रिफॉर्म के संदर्भ

में मैंने कही कि इससे दिल्ली में जो सर्विस टैक्स का हमारा हिस्सा है, जिसमें से कई हजार करोड़ रुपये देने के बावजूद करीब एक लाख 37 हजार करोड़ रुपये हम लोग इंकम टैक्स और सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स वगैरह के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं उसमें से जब वापस मिलने की बारी आती है तो 325 करोड़ रुपये का झुनझुना मिलता है। तो वो भी बढ़ेगा। स्टेट की डेफिनेशन की क्लेरिटी में मदद मिलेगी इससे और उम्मीद करते हैं आगे भी इससे सहायता मिलेगी। विजेन्द्र गुप्ता जी यहां हैं नहीं, वो हर उस मौके पर जहां दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात आती है, भाग जाते हैं, आज भी गायब हैं। हर उस मौके से गायब रहते हैं। तो यह अच्छी चीज है, दिल्ली सरकार इसका समर्थन करती है क्योंकि दिल्ली के हित में है जी.एस.टी.। दिल्ली के लोगों के टैक्स का पैसा दिल्ली के लोगों पर खर्च हो सके, उसमें उनका हिस्सा मिलेगा। एक दो चीजें जो पिछली कुछ मीटिंग्स के दौरान मेरे संज्ञान में आई, मैं उसको भी रख देता हूँ क्योंकि अभी यह संविधान में संशोधन हुआ है संविधान में संशोधन होकर यह व्यवस्था की गई है कि जी.एस.टी. लागू होगा। अच्छी चीज है, पूरे देश में यूनिफाइड टैक्स सिस्टम हो, मल्टिप्लीसिटी के हम पहले ही खिलाफ हैं, टैक्स में भी मल्टीप्लीसिटी थी, 50 तरह के टैक्स, नॉलिज होनी पड़ती है एक सामान्य व्यापारी को कैसे होगी तो जितना यूनिफाइड और सिम्पलीफाइड टैक्स सिस्टम होगा, उतना देश के लिए अच्छा होगा और भारत के एकीकरण के लिए मतलब यूनिफाइड स्ट्रक्चर जो गवर्नमैंट ऑफ इंडिया उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ कंसर्न भी है इसको लेकर हमारे। समर्थन करते हुए भी मैं चाहता हूँ कि वो सदन में भी रिकार्ड में रहें हमारे कंसर्न, दिल्ली सरकार के वो कंसर्न और वो दिल्ली सरकार के

नहीं हैं, यह कंसर्न हमने बहुत व्यापारियों से चर्चा की है यहां पर, हमारे अधिकारियों ने व्यापारियों से चर्चा की है, वहां से भी आये हैं। एक तो कंसर्न यह है कि दिल्ली में अभी 20 लाख रुपये thrashhold limit टैक्स पर रखी जाती है वैट के तहत, अगर वो कम हुई तो उससे दिल्ली के व्यापारियों को और यह अभी आया नहीं है, जी.एस.टी. आर्टिकल में घबराने की जरूरत नहीं है, यह जब कानून बनेगा, उसके रूल्स बनेंगे, उसके लिए कंसर्न है इसलिए इसका समर्थन करते हुए हम केन्द्र सरकार को आगाह भी करना चाहते हैं कि दिल्ली के हितों का ध्यान रखते हुए फैसले लें, कानून बनाते वक्त, रूल बनाते वक्त, कि मूल रूप से दिल्ली में अभी हम 20 लाख रुपये तक पर जिसका टर्न ओवर का है और 20 लाख का थ्रेशहोल्ड रखते है। 20 लाख के थ्रेशहोल्ड का मतलब है कि लगभग–लगभग एक लाख 80 हजार रुपये, एक लाख 75 हजार रुपये महीने का जिस व्यापारी का कामकाज है, उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, उसे रिटर्न फाइल कराने की जरूरत नहीं है। उससे नीचे–नीचे वाले को, अगर यूनिफाइड सिस्टम के तहत उसको, कई बार चर्चा हुई, अगर दस लाख किया गया तो यह दिल्ली के छोटे व्यापारियों के लिए बहुत नुकसानदायक होगा क्योंकि अभी एक लाख 80 हजार का व्यापारी है टर्न ओवर का, उसमें उसकी दुकान का किराया भी शामिल है, उसमें उसके लड़कों को दी जाने वाली तनख्वाह भी शामिल है। अगर वहां कोई एम्प्लाई काम करता है छोटी–मोटी दुकानों पर, कोई ब्यूटी पार्लर है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई मिठाई वाला है, कोई और तमाम तरह के सर्विस सैक्टर हैं, रेस्टोरेंट्स हैं छोटे–छोटे, इसके साथ–साथ उसमें बिजली का बिल भी है, दुकान का किराया भी है, सारी चीजें शामिल हैं और उसका अपना प्रॉफिट भी शामिल है फिर इनपुट भी शामिल है व्यापार

करने में। इसके बावजूद एक लाख 80 हजार का टर्न ओवर किसी का है, उससे ऊपर टैक्स लगता है अभी, उससे ऊपर वाले पर हम रिटर्न फाइल कराते हैं, उससे ऊपर वाले को रजिस्ट्रेशन के लिए कहते हैं। अगर यह मात्रा घटाकर 90 हजार रुपये कर दी जाये तो 90 हजार महीने का टर्न ओवर का व्यापारी जिसमें दुकान का किराया भी हो, इनपुट भी हो, सारा इनवेस्टमेंट भी हो, फायदा भी हो, इसमें तो बहुत छोटे–छोटे व्यापारी को भी लेना पड़ेगा, बहुत छोटे–छोटे और यह ठीक नहीं है। यह दिल्ली के स्ट्रक्चर के लिए खराब होगा, दिल्ली के व्यापार के स्ट्रक्चर के लिए खराब होगा। तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी और दिल्ली सरकार की ओर से भी इस बात का पक्षधर हूँ और केन्द्र सरकार को मैं चाहूँगा कि इस बात को भी उनके संज्ञान में लाया जाये कि इस लिमिट को घटाया न जाये, बल्कि हमारी तो मांग रही है कि इसको 25 लाख रुपये कर दिया जाये ताकि और थोड़े व्यापारी इसके टैक्स के दायरे से बाहर रहें। अभी इसके संदर्भ में नहीं है, जी.एस.टी. के एक्ट और रूल्स के संदर्भ में है। जी.एस.टी. की चर्चा जब से चल रही है, पिछले 13 साल से चल रही है, उसमें यह बात होती है कि जो डेढ़ करोड़ तक क्योंकि अब जी.एस.टी. लागू होगा तो सेंट्रल के लोग टैक्स लेंगे और राज्य सरकार के लोग टैक्स इकट्ठा करेंगे। दोनों लोग अपने–अपने हिसाब से टैक्स लेने जायेंगे उससे, तो यह एक चर्चा थी कि भई, डेढ़ करोड़ रुपये तक का जिसका टर्न ओवर है, उससे टैक्स लेने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के सिस्टम की होनी चाहिए। उसकी वजह है क्योंकि अगर छोटे–छोटे व्यापारियों के पास में दो–दो इंस्पेक्टर जायेंगे, एक केन्द्र सरकार का इंस्पेक्टर जायेगा, एक राज्य सरकार का इंस्पेक्टर जायेगा तो वो व्यापारी दुःखी होगा। इंस्पेक्टर राज और बढ़ेगा। अभी डेढ़

करोड़ से नीचे जिसका है, उसके लिए तो सीधे–सीधे राज्य सरकार का ही होना चाहिए, ऐसी चर्चा हमने सुनी थी, वित्त मंत्रियों की बैठक में भी सुनी थी कि इसको जीरो से... मतलब इसकी कोई लिमिट न हो। लिमिट नहीं होने की स्थिति में स्थिति बड़ी खतरनाक हो जायेगी। सब्जी बेचने वाले के यहां भी दो इंस्पेक्टर जाने लगेंगे और इससे सिम्प्लीफिकेशन की जगह मुसीबत आ सकती है व्यापारी की। तो वो खत्म होना चाहिए। उसको रखना चाहिए डेढ़ करोड़ की लिमिट को और तीसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग जी.एस.टी. काउंसिल बना रहे हैं, उसको राज्यों के बारे में टैक्स तय करने का अधिकार पर थोड़ा सा एक व्यावहारिकता का अधिकार होना चाहिए, राज्यों का अधिकार होना चाहिए अपना टैक्स तय करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी.एस.टी. तय करेगी अब दिल्ली में सारी चीजों पर कितना टैक्स होगा। कौन सी चीज कितने टैक्स के दायरे में हो, जी.एस.टी. काउंसिल तय करेगी। राज्यों को तय करना चाहिए, केन्द्र के टैक्स वहां से तय हो जाये, यूनिफाइड टैक्स सिस्टम तभी होगा। केन्द्र सारे तरह के टैक्स खत्म करके जी.एस.टी. में डाल दें, हम सारे खत्म करके जी.एस.टी. में डाल दें, पर वो टैक्स कितना होगा, यह सिर्फ सेंट्रली तय न हो। इससे बहुत नुकसान हो जायेगा। तो ये कुछ चीजें हैं।

मैं और भी कुछ चीजें अगर सदस्यों के साथ चर्चा में आएंगी तो मैं उस पर भी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। लेकिन इन सब पूर्व भूमिकाओं के साथ मैं सदन में यह प्रस्ताव रखता हूँ और इसके संदर्भ में एक और चीज जो मुझे कहनी थी कि माननीय वित्तमंत्री जी का पत्र जो कि लोकसभा में पास होने के बाद 11 अगस्त, 2016 को माननीय वित्तमंत्री श्री अरूण जेटली जी ने दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी को चिट्ठी

लिखी है और उसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि दिल्ली की विधानसभा में इस प्रस्ताव को रेटीफाई कराके भेजने की कृपा करें तो हम उसको स्वीकार करते हुए इस प्रस्ताव को इस सदन में प्रस्तुत करते हैं।

अध्यक्ष महोदया : अब उपमुख्यमंत्री द्वारा संकल्प प्रस्तुत करने के बाद सदन प्रस्ताव पर चर्चा करेगा, श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : Thank you Speaker saheb, this is actually very important for our country what's happening, first time such a huge change in taxtation process has happened. मेरे थोड़े से अपने कंसर्न्स हैं इसको लेकर और मनीष जी इसके बारे में जब बता रहे थे तो मैं सोच रहा था। मैं लक्ष्मी नगर का विधायक हूँ तो एक कंसर्न जो सबसे बड़ा मेरा है कि वहां पर बहुत छोटे छोटे से व्यापारी भी हैं, बड़े शोरूम तो हैं पर अंदर बहुत छोटे छोटे से व्यापारी हैं और बहुत डेन्सली पापुलेटेड एरिया है। ऐसे डेन्सली पापुलेटेड एरिया में एक पान की दुकान भी इतनी चलती है कि जिसमें महीने का डेढ़ दो लाख रूपये का टर्नओवर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वहां पर तो कचौड़ी वाला भी इससे ज्यादा कमा लेता है क्योंकि ट्रांजिट पाइंट है लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन आप। देखें तो हमेशा भीड़ लगी रहती है बहुत सारे लोग आते हैं, एजुकेशन के बहुत सारे हब्स हैं वहां पर आप सीए, सीएस इस तरीके के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं तो बहुत सारे यूथ पापुलेशन हैं जो आ के वहां पर रहते भी हैं तो बाहर खाते भी हैं एज पीजी रह रहे होते हैं, बाहर खाते हैं और बहुत सारे स्टूडेन्ट्स डेली बेसिस पर वहां पर आते हैं और खाते है, पास में एसडीएम कोर्ट भी है तो वहां पर भी बहुत लोग जाते हैं तो इन सब चीजों के चलते खाने के बहुत सारे जाइंट्स हैं छोटे छोटे जाइंट्स हैं, वो लिट्टी चोखे वाला

हो, वो भी इससे ज्यादा टर्नओवर कर लेता है। वो छोले भटूरे वाला भी कर लेता है। वो एक नार्मल छोटे ढ़ाबे वाला भी कर लेता है। पर इन लोगों की जो लागत है और लागत के सामने जिस तरीके की टर्नओवर है। इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है क्योंकि ये बहुत मिनिमम मार्जिन पर काम करते हैं, सस्ते से सस्ता खाना देते हैं जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग खा पाएं, तो ऐसे में उनके रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिट को दस लाख रूपये करना, ये अच्छा नहीं होगा, उनके लिए ठीक नहीं होगा और वो लोग जो लोग बीस लाख या पच्चीस लाख तक का टर्नओवर एन्युअली करते हैं, वो इसके परव्यू में आएं तो वो बेहतर रहेगा। एक तो उन लोगों को अफोर्ड करना आसान नहीं रहेगा। दूसरा इसके अंदर हर महीने, मेरे ख्याल से रिटर्न फाइल होगी और दो रिटर्न फाइल होंगी। एक स्टेट की और एक सेन्टर की तो चौबीस रिटर्न अल्टीमेटली एक आदमी को फाइल करनी पड़ जाएगीं। तो ये चौबीस रिटर्न जो फाइल करनी पड़ेंगी, ये तो पच्चीस लाख की टर्नओवर वाला भी मुझे नहीं लगता कि कर पायेगा। उसका खर्चा, उसकी टाइमिंग, वो कितने सीएज को इन्वाल्व करेगा, कितने टैक्सेशन के लॉयर्स को इन्वाल्व करेगा? सॉरी बग्गा साहब, कितने टैक्सेशन के लॉयर्स को इन्वाल्व करना पड़ेगा उसको? वो उसके लिए बहुत अजीब सा हो जाएगा और हम एसपेक्ट्स भी नहीं कर सकते कि कोई पान की दुकान चलाता है या कोई छोले भटूरे रखता है, मेरे यहां तो गणेश कचौड़ी है, बहुत फेमस है। तो वो कचौड़ी वाला, लिट्टी चौखे वाला... ये लोग कर पाएंगे इस चीज को! ये बड़ा अजीब सा लगता है। तो एक तो एक बड़ी टर्नओवर होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो लोग मंथली इसकी रिटर्न भरें और बेहतर रहेगा कि जिन लोगों की टर्नओवर एक करोड़ से कम हो, उन लोगों को क्वार्टरली ही ये

रिटर्न फाइल करनी पड़े तो वो भी उनके लिए बेहतर रहेगा। तो ये तो मेरे अपने एरिया का कन्सर्न है। मेरे अपने एरिया के लोगों का कन्सर्न रहेगा जीएसटी को लेकर।

अध्यक्ष महोदया, एक और कन्सर्न है वो स्टेट लेवल पर जो मुझे लगता है कि आज जब ये जीएसटी लागू होता है, इससे पहले जो भी वैट था, वो हमारा था बाकी सर्विस टैक्स का कोई भी पार्ट हम लोगों को कभी नहीं मिलता था, बहुत अच्छी बात है। यहां दिल्ली में देश के सबसे बड़े लॉयर्स होते हैं, दिल्ली में देश के सबसे बड़े सीए होते हैं, आईसीडब्लूएस हैं, सर्विस इंडस्ट्री बहुत फ्लॉरिश कर रही है यहां पे। तो सर्विस टैक्स हां, बहुत यहां से कोई बीस हजार करोड़ के करीब का सर्विस टैक्स दिल्ली का एन्युअली सेन्टर को जाता है और उसका फिफ्टी परसेंट के तकरीबन हमको मिलेगा लेकिन ये सारी केल्कुलेशन्स करते हुए अगर स्टेट को कोई लॉस होता है, देखिये, सेन्टर से हमको वैसे भी बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलती। मात्र तीन सौ पच्चीस करोड़ रूपये मिलती है। अगर ये सारी चीजें करते हुए भी बेलेंसिग एक्ट सब कुछ करते हुए भी, देखिये हम लोग जो आज की तारीख में कर रहे हैं, हमने बहुत सारे बिल भेजे हैं सेन्टर में। इतने दिनों में एक भी लौटकर वापस नहीं आया विजयी होकर, उनका पहला आया, हम उसका भी समर्थन कर रहे हैं ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। तो उनको भी ये थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर इन–केस स्टेट को, मैं फिर से कह रहा हूँ स्टेट को, हमारी स्टेट को लॉस होता है। जीएसटी मीन्स स्टेट, इसलिए मैंने स्टेट कहा अगर हमारे स्टेट को ये लॉस होता है वो लॉस की पूर्ति कैसे होगी? क्या सेन्टर उसकी एक मिनिमम गारंटी रखेगी या नहीं रखेगी? एक ये थोड़ा सा इम्पार्टेन्ट पाइंट है। एक और इम्पार्टेन्ट पाइंट जो बार–बार दिमाग में आता है कि इसमें कभी कोई एग्रीव्ड पार्टीज भी होंगी, वो एग्रीव्ड पार्टीज

कहां पर जाएंगी, उसका कोई अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है, उसकी क्लीयरिटी नहीं है और अगर उसमें जिस तरीके से आज की तारीख में कोर्ट्स चल रही हैं, कितना बैकलॉग उनके अंदर चलता है। तो क्या इस तरीके की फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग रहेगी की बैकलॉग्स उसके अंदर न हो पाएं जिससे की एग्रीव्ड पार्टीज की जो पेन्डेन्सीज हैं, वो बढ़ती चली जाएं, ऐसा न हो और बाकी ये बिल बहुत अच्छा है हम लोग इसका पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, कुछ चेन्जेज के साथ, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : राजेश गुप्ता जी।

श्री राजेश गुप्ता : धन्यवाद अध्यक्ष साहिबा, आपने इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का मौका दिया। वैसे तो तीन चार पाइंट्स के ऊपर बात हो चुकी है जो काफी महत्वपूर्ण थे और एवरी लॉस पर जो कंपनसेट करना चाहिए, रिटर्न क्वार्टरली होनी चाहिए जो छोटे हैं और टर्नओवर का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि दिल्ली में बहुत छोटी छोटी दुकानों पर कभी कभी टर्नओवर बहुत ज्यादा होती है। इनके अलावा जो दो तीन पाइंट हैं, जो मैं काफी इंपोर्टेन्ट मानता हूँ। दिल्ली का जो करेक्टर है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का है, दिल्ली प्रोड्यूस इतना नहीं करती जितनी डिस्ट्रीब्यूशन होती है बाकी सारे स्टेटस से जो माल आता है, वो दिल्ली में आता है। दिल्ली को एक मंडी के तौर पर देखा जाता है और उसके बाद में यहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है और उस करेक्टर को बचाने की बहुत जरूरत है। कहीं इसमें ऐसा न हो जाए की नासिक से कोई माल चले और जब सब जगह टैक्स बराबर हो तो वहीं पर आदमी ले ले। वो मंडियों का दिल्ली का स्वरूप है, वो खत्म न हो जाए। तो मैं आपके माध्यम से माननीय उपमुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि इस बात का हम बहुत ध्यान रखें क्योंकि दिल्ली का जो सबसे

बड़ा ग्रुप में जिसे देखा जाता है, वो मार्किट्स के रूप में देखा जाता है दिल्ली के बाहर। एक और बात है कि आज कुछ हमारे पास में लिस्ट हैं एग्जेम्पटेड हैं जैसे कि दालें हैं, खाने की चीज मोटे तौर पर उसमें जो एग्जेम्पटेड लिस्ट है हमारे पास में, तो इस बात का बहुत ध्यान रखा जाए कि हमारी जो एग्जेम्पटेड लिस्ट है उसको कंटीन्यू किया जाए और टाइम टू टाइम उसमें अगर हम कुछ बढ़ाते या घटाते हैं तो उसका ध्यान रखा जाए क्योंकि अगर खाने की चीजों पर खासतौर पर ऐसी चीजों पर लग गई जैसे रेस्टोरेंट पर तो जीएसटी लगेगा लेकिन अगर दाल पर लगना शुरू हो गया, अगर सेब पर लगना शुरू हो गया तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा।

एक और बात है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था तो उसमें यह आ रहा था कि इससे हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़े, हो सकता है और पिछले दो–तीन सालों में जो आरबीआई ने करने की कोशिश करी है, जो हमारे गवर्नर साहब थे, उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना ज्यादा जरूरी है इस बात से भी ज्यादा कि हमारी जीडीपी बढ़े, उससे ज्यादा जरूरी है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। तो इसका हम बहुत ध्यान रखें क्योंकि हालांकि हमारी सरकार ने बहुत कोशिशें की हैं और जैसे कि अभी एक बहुत अच्छी हमने कोशिश की है कि हम मिनिमम वेजेज भी बढ़ा रहे हैं ताकि जो सबसे नीचे का वर्ग है, उसको पिंच न हो लेकिन इसके बावजूद हमें इन्फ्लेशन का बहुत ध्यान रखना है। अगर ये महंगाई बढ़ी और कुछ बेसिक चीजों पर बढ़ गई तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जरूरी चीजों पर वो न बढ़े और एक चीज जिससे व्यापारी सबसे ज्यादा डरता है, वो मैं आखिरी कह रहा हूँ लेकिन वो शायद सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है और वो ये कि आज जो सर्वे, जो सर्विलांस है, वो मोटे

तौर पर स्टेट के पास है लेकिन इस बिल के आने के बाद में जीएसटी के लगने के बाद में सेन्टर के पास में भी यह पावर होगी कि वह सर्वेज और सर्विलांस रख सकेगा और व्यापारी इस बात से बहुत डरता है कि वह व्यापार करेगा, लोग उस पर छापा मारने आएंगे तो ये जो अब क्योंकि हमें स्टेट मान ही लिया है, अब गलती से मान लिया है हो सकता है बाद में वो मना कर दें लेकिन फिलहाल क्योंकि उन्होंने यह मान लिया है कि हम स्टेट हैं तो हमारे जो व्यापारी हैं, उनका वो इतना ध्यान जरूर रखें कि स्टेट के हाथ में रहे, अभी तक तो स्टेट के हाथ में मोटे तौर पर सर्विलांस और जो सर्वेज हैं तो अगर इन चीजों का ध्यान रखा जाए तो हम तो खुश हैं और हम तो जैसे अभी नितिन भाई ने कहा की 14 में से हमारे तो एक भी वापस नहीं आया, एकतरफा ही मोहब्बत सही क्योंकि वो अपने आपको, भई वो हैं भी वो देश के, उनको मेंडेट मिला है, हमें दिल्ली में मिला है तो हम तो राजी हैं। जो कर रहे हैं उसके साथ में हैं और एक सवाल है। वैसे विपक्ष के नेता यहां पर हैं नहीं, लेकिन वो होते तो मैं उनसे सवाल पूछता क्योंकि मेरे दिल में एक बात आ रही है के वो राष्ट्रीय पार्टी हैं। अपने आपको वो कहते हैं जी, हम ही हैं जो राष्ट्रीय प्रेम को जानते हैं। मेरी यह समझ में नहीं आया कि तीन साल, चार साल इतना विरोध करने के बाद में एकदम से इस बिल में ऐसा क्या आया कि उनको लगा के भई, इसको तो पास कराना है, कैसे भी सारे राज्यों को समझाना है, पटाना है कि भई, ये जीएसटी बहुत इंपोर्टेंट है। ये पहले और एक ऐसा बिल है जिसके आने से टैक्स सारे रिफार्म हो जाएंगे तो तीन चार साल पहले इसमें क्या कमियां थीं जो सारी की सारी एकदम ठीक हो गई, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। यह सवाल वही है कि सिर्फ राजनीति है।

खैर! कुछ भी हो, देर आये दुरस्त आये और हम तो यह कहते हैं कि हमें दिल्ली का भला देखना है और कोई किसी भी तरीके से अगर दिल्ली की भलाई की बात करेगा तो हमारी पार्टी, हमारी सरकार हमेशा उसके साथ है और बस हमारे जो जो भी इन पाइंट्स पर हम बात कर रहे हैं, इस पर केन्द्र थोड़ा सा ध्यान रखे, बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : श्री अनिल कुमार वाजपेयी जी।

श्री अनिल कुमार वाजपेयी : सबसे पहले मैं नव नर्वाचित स्पीकर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा कि देर से ही सही, केन्द्र सरकार ये जीएसटी पर बिल लेकर आई है। लेकिन जैसे राजेश भाई भी कह रहे थे, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि जीएसटी बिल लाने के लिये कांग्रेस जैसे नेताओं के आगे गिड़गिड़ाना पडा उनको कई महीने, कई सत्र इस बात के लिये निकले उनके। लेकिन चलो खैर! वो बिल लेकर आये और सबसे बड़ी बात ये है कि प्रतिपक्ष के नेता हमारे हैं नहीं यहां पर, चले गये हैं सदन से। हमने तो हर अच्छी चीज का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान भारत में लेकर आये तो हमने तो उसका भी समर्थन किया। जीएसटी लेकर आये, उसके लिये भी आज अपनी विधानसभा में हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन कहीं प्रश्नचिन्ह ये है कि ये भी बिल ऐसा ना हो जाये जैसे स्वच्छता अभियान में दिल्ली के लोगों ने क्या किया! और स्वच्छता अभियान का मैसेज दिल्ली में क्या पूरे देश में किस तरीके का गया है। गांधी नगर का मैं विधायक हूँ और गांधी नगर में हमारे यहां रेडीमेड गारमेंटस की बहुत बडी मार्किट है और ये उनके

व्यापारियों के हित की भी बात है। आज जो मैंने शर्ट पहन रखी है ये 12 लोग इस शर्ट को बनाने में लगते हैं। जो कपड़ा बेचता है, वो कपड़े का व्यापारी है, उसके बाद जो बटन लगे हैं, बटन में इसमें भी एक्साईज लग जाती है, जो कालर है, उसमें भी पेस्टिंग होती है। उसके बाद जो फैक्ट्री वाला इसको बनाता है, वो भी व्यापारी में आ गया। बारह लोग एक शर्ट बनाने में इसके अंदर इनवाल्व होते हैं। तो आज क्या वो सब जो छोटे व्यापारी हैं, आज अगर वो महीने की इसमें अगर रिटर्न भरने लगें तो मैं समझता हूँ व्यापारियों का क्या होगा, ये बहुत बड़ी बात सोचने के लिये है और वो छोटे व्यापारी अगर मंथली जाकर रिटर्न भरते रहे तो मैं समझता हूँ कि उनका व्यापार भी कहीं कहीं चौपट ना हो जाये। ये आज बहुत बड़ी बात सोचने की है और छोटा व्यापारी है, जैसे नितिन भाई कह रहे थे कि पान की दुकान है और भी कई लोग हैं, वो सब लोग छोटे व्यापारियों की कैटेगरी में आते हैं। आज इसकी जो रिटर्न फाइल करने के लिये है, मेरा माननीय उपमुख्य मंत्री साहब से अनुरोध है कि क्वार्टरली अगर इसको करा जाये तो क्वार्टरली रिटर्न की कम से कम ये छूट दी जाये दिल्ली के व्यापारियों को, ऐसा मेरा अनुरोध है उन लोगों से।

दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि राज्यों को उन्होंने प्रार्थना की है केन्द्र सरकार ने दिल्ली सरकार से प्रार्थना की है। तीन लाख लोग रजिस्टर्ड हैं आज। तीन लाख लोग रजिस्टर्ड हैं दो लाख जो हैं, वो मुश्किल से टैक्स दे पाते हैं। आज जितना पैसा हमारे उप मुख्य मंत्री साहब भी हमारे कहते हैं कि जितना क्लैक्शन है और जो पैसा हम केन्द्र को देते हैं अगर उसका 50 प्रतिशत वो दिल्ली के लोगों को दे दें तो हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि टैक्स हम जीएसटी का फिर उनको दें और

उसके बाद दिल्ली के व्यापारियों के हाथ क्या लगेगा, ये भी एक सोचने का प्रश्न है ये। मेरा अनुरोध है माननीय उपमुख्य मंत्री साहब से कि छोटे व्यापारियों के हितों की रक्षा कर ली जाये क्योंकि अगर छोटे व्यापारी की कहीं अगर गर्दन दब गई तो हमको व्यापारी माफ नहीं करेगा और दिल्ली के लोग नहीं माफ करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि इस चक्रव्यूह में हम उनकी उलझायी हुई भाषा के अंदर हम लोग फंस जायें, चक्रव्यूह में फंस जायें, इस पर भी हम लोगों को ध्यान करना होगा और खास कर जो हमारे रेडीमेड गारमेंटस से जुड़े लोग हैं, जो हमारे गांधी नगर के अंदर करोड़ों रूपये का टैक्स जो हमारे यहां से दिल्ली के लोगों को हम लोग देते हैं और जो हमारे यहां गलियों में और हर तरीके से जो हमारे छोटे व्यापारी हैं, उनकी गर्दन कहीं कट ना जाये। इसके लिये जरा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और ये भी हम कहेंगें जैसे हमारे राज्य से दूसरे राज्य में माल जाता है, जैसे रेडिमेड गारमेंटस का माल है। आज यहां से माल मान लीजिये कानपुर चला गया, अहमदाबाद चला गया, तमिलनाडु चला गया, उस समय इसकी स्थिति क्या होगी, इसका भी अवलोकन किया जाये और सारी चीज जो है, इसका मूल्यांकन करके, इसको सही तरीके से लागू किया जाये। ये माननीय उप मुख्यमंत्री साहब से मेरा अनुरोध है, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदया : एस के बग्गा जी।

श्री एस. के. बग्गा. : धन्यवाद , अध्यक्ष महोदया, वैलकम जीएसटी एक्ट इन इंडिया 32 यूरोपियन कंट्रियों में यह जीएसटी लागू है और वो कंट्री वाईज कंट्री से वो लोग लेन देन करते हैं और रिफंड लेते हैं। ये तो इंडिया में स्टेट टू स्टेट होगा। जैसे हम हर स्टेट में लागू करेंगें इसको तो यह कन्ज्यूम बेस टैक्स पर आधारित है। एक उदाहरण से यह थ्योरी

फेल हो जाती है। दिल्ली के एक व्यापारी को कहा कि बोर्ड पंजाब में लगवा दो। दिल्ली के व्यापारी ने बोर्ड पंजाब में लगा दिये। टैक्स दिल्ली के व्यापारी ने ले लिया। इससे पंजाब स्टेट को क्या मिला जब कि माल कन्ज्यूम पंजाब में हुआ है तो ये थ्योरी जिस बेस पर एक्ट ये बना है, उसमें ही कमी नजर आती है मुझे, जिस के लिये सुधार की जरूरत है। दस लाख की लिमिट अभी बता रहे थे डिप्टी सीएम साहब। जब बीस लाख की प्रपोज की है ये 25 लाख होनी चाहिये जिससे कि छोटे व्यापारियों को इससे राहत मिले। ऐसे हालात में भी कन्ज्यूम बेस टैक्स कहलायेगा ये। कन्ज्मपशन कहीं हो रही है, टैक्स कहीं जा रहा है। व्यापारियों को इनपुट क्रेडिट टैक्स तब मिलेगा, जब दूसरा व्यापारी टैक्स नहीं जमा करायेगा, वह अपनी रिटर्न नहीं भरता, अब रिटर्न भरने की जिम्मेवारी दूसरे डीलर की है जिसने माल सेल किया है तो इस हालात में व्यापारी कहां जायेगा? अगर उसको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। टैक्स देने के बाद भी वो उम्मीद करे उसको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। यहां भी थोडा सा सुधार करें कि टैक्स जब डीलर ने जमा करा दिया और टैक्स सिस्टम में आ गया उसको इनपुट मिलना चाहिये जिससे कि काफी बिजनस मैन परेशान होगें। दूसरा व्यापारी टैक्स भी जमा करा रहा है और कराने के बाद भी उसको रिटर्न में इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा। इससे काफी रोष पैदा होगा तो रिटर्न स्वीकार होनी चाहिये टैक्स जमा कराने के बाद, ये मेरा इसमें सजैशन है।

नैक्स्ट है– व्यापारी अपनी रिटर्न जीएसटी में हर मंथली 15 दिन के अंदर फाईल करेगा और जो टैक्स है उसका रिटर्न वो दस दिन के अंदर जमा करायेगा, ये भी पीरियड बहुत कम है जब कि डी वेट एक्ट में रिटर्न

क्वार्टरली है। 28 डेज दिये हुए हैं दिल्ली गवर्नमेट ने और टैक्स जमा कराने का टाईम 21 दिन का दिया हुआ है तो मैं इसमें थोड़ा सा गुजारिश करूंगा डिप्टी सीएम साहब से कि इसको ध्यान में रखें कि पीरियड रिटर्न का 28 दिन ही होना चाहिये और टैक्स का पीरियड जो आलरेडी डिसाइड है 21 दिन होना चाहिये। व्यापारियों को दिक्क्त होगी 15 दिन के अंदर रिटर्न भरनी और 10 दिन के अंदर टैक्स जमा कराना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें भी एमेंडमेंट की जरूरत है।

तीसरा इसमें मंथली रिटर्न भरनी है आप लोगों को। अगर जीएसटी एक्ट में एक व्यापारी ने दिल्ली में 10 ब्रांचेज खोली हैं तो इसमें प्रोविजन किया है कि उसको दस सेल टैक्स नम्बर लेने पड़ेंगें क्योंकि बहुत ही मुश्किल है डीलर के लिये। डी वेट एक्ट में व्यापारी का एक ही रजिस्ट्रेशन होता है, जितनी ब्रांचेज हों, सारी ब्रांचेज उसी में ऐड होती हैं, एक ही रिटर्न उसकी जाती है यहां पर। उस व्यापारी को अगर दस ब्रांचेज रखता है वो दिल्ली में तो इसको 120 रिटर्न सैंट्रल, 120 रिटर्न लोकल भरनी पडेंगीं, जिसका हिसाब रखना होगा। और उसकी एसेसमेंट करवानी पड़ेंगी। ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। इससे काफी व्यापारियों में एक ये हवा फैलेगी कि ये एक्ट जो आया है, इस एक्ट की वजह से उनको परेशानी हो रही है। तो ब्रांचेज दिल्ली में कितनी भी हों, टर्नओवर हो, टर्नओवर की रिटर्न एक ही जानी चाहिए जैसे डीवैट एक्ट में है। तो यहां पर भी थोड़ी सी संशोधन की जरूरत है कि एक ही आर.सी. के अंदर सारी ब्रांचेज ऐड होनी चाहिए और वहीं पर उसकी रिटर्न जानी चाहिए।

उसके बाद जीएसटी एक्ट में रेट का जो है वो 18 या 20 परसेंट का प्रपोज किया हुआ है, इससे भी महंगाई बढ़ जाएगी। गरीब लोगों के

लिए बहुत मुश्किल होगी। इसमें कपड़ा, चीनी, दालें व चावल पर भी जीएसटी लगा रहे हैं उससे गरीब व्यक्तियों पर बहुत फर्क पड़ेगा। रेट एंड टैक्स नॉर्मल होना चाहिए। व्यापारियों को मंथली रिटर्न लोकन व सैंट्रल अलग–अलग भरनी है। एक वर्ष में 12 लोकल और 12 सैंट्रल रिटर्न भरनी पड़ेगी तथा 12 लोकल एसेसमेंट करवानी होगी और 12 सैंट्रल एसेसमेंट होगी। यहां पर लोकल एसेसमेंट अलग होगी, दूसरा अफसर करेगा, सैंट्रल दूसरा अफसर करेगा तो व्यापारी के लिए सारा हिसाब रखना और ऐसा रिकार्ड मेंटेन करना, कम्पलाएंस बहुत मुश्किल है। इसमें भी दिक्क्तों का सामना करना पड़ सकता है। व्यापारियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करने के बाद एजीएसटी की एसेसमेंट, आईजी एसटी की एसेसमेंट अलग होगी, कम्पलाएंस बढ़ जाएंगे। छोटे व्यापारियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एसेसमेंट एक ही होनी चाहिए। अब भारत में इस राज्य में बाढ़ या कोई घटना हो जाती है...

उपाध्यक्ष महोदया : खत्म कीजिए बग्गा जी। कन्क्लूड कीजिए।

श्री एस.के.बग्गा : उससे सभी राज्यों पर असर पड़ेगा। जिस राज्य में बाढ़ आ जाती है वहां पर अगर रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो दूसरे व्यक्ति को उसमें तकलीफ होगी, उसे भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आज का एक अखबार है नवोदय टाइम्स, इसमें जीएसटी पर देश विरोधी स्वामी जी... इनके जो सांसद है, उन्होंने कहा है कि देश विरोधी है, ये जो जीएसटी है। पढ़कर आपको मैं सुनाता हूँ– भाजपा सांसद, सुब्रमण्यम स्वामी ने जीएसटी के लिए सूचना प्रोद्योगिकी नैटवर्क का ढांचा तैयार करने के लिए गठित कंपनी को देश विरोधी बताते हुए कहा कि वस्तु कर एवं सेवा कर जीएसटी विधेयक को संसद तभी पास कर सकता है जब जीएसटी

को सुरक्षा संबंधी स्वीकृति मिल चुकी हो। वस्तु एवं सेवा कर नैटवर्क जीएसटी एक विरोध उद्देश्य इकाई है इसका गठन पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के समय किया गया था, स्वामी ने ट्विट करने के बाद कई टिप्पणियों और प्रश्नों के उत्तर में कहा है कि जीएसटी तभी क्रियान्वित हो सकता है जब उच्चतम न्यायालय प्रवेश कर से संबंधित याचिका का निपटान कर दे जो उसके विचारार्थ है। स्वामी पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से... की मांग करते रहे है। इनके अपने सांसद इसके खिलाफ है कि ये देश विरोधी एक्ट है और व्यापारी गुडस इंपोर्ट करता है तो उसको उसी समय टैक्स देना होगा जिससे व्यापारियों के पैसे फंस जाएंगे, उनकी गुडस की कीमत बढ़ जाएगी, इससे भी काफी व्यापार पर फर्क पड़ेगा। इसमें भी थोड़ा सा डिप्टी सीएम साहब से आग्रह करूंगा कि इंपोर्ट के ऊपर टैक्स ना लगे जिससे कि लोगों पर इसका बर्डन ना पड़े। भारत के कई राज्यों में कम्प्यूटराइज सिस्टम नहीं है लोगों को नॉलिज भी नहीं है इससे राज्य के...

उपाध्यक्ष महोदया : कन्क्लूड करिए बग्गा जी।

श्री एस.के.बग्गा : इंपुट क्रेडिट कैसे मिलेगा कि जब लोगों के पास कम्प्यूटर सिस्टम नहीं है तो मैं प्रार्थना करता हूँ डिप्टी सीएम साहब से कि इसमें जो भी अभी सैजशन हैं, उनको उसमें इन्क्लूड कराएं जिससे कि लोगों को सहायता मिले, धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदया : सुश्री अलका लांबा जी।

सुश्री अलका लाम्बा : धन्यवाद, अध्यक्ष जी आपने मुझे जीएसटी पर अपनी बात रखने को बोला क्योंकि मैं जहां से विधायक हूँ, वहां पर चादंनी चौक, कश्मीरी गेट के व्यापारियों का बहुत बड़ा तबका वहां से आता है।

जिनकी चिंताएं हैं और उन्हें जब पता लगा कि आज दिल्ली विधान सभा में जीएसटी पर चर्चा होने वाली है तो जैसे कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल इन लोगों ने भी अपनी चिंताओं को मुझे लिखित में दिया था कि मैं इस मंच के माध्यम से उन्हें अपने वित्त मंत्री आदरणीय मनीष सिसौदिया जी के सामने रख पाऊं। एक चिंता हमें जरूर होती है कि मोदी जी का एकदम से हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, ये सब हम बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि ये वो मोदी जी हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो तीन चीजों से उन्हें बहुत ही परहेज था। पहले क्या था – एफडीआई, बिल्कुल देश हित में नहीं है, बहुत बड़ा विरोध किया उन्होंने, दूसरा जीएसटी से भी बहुत बड़ा परहेज था, तीसरा पाकिस्तान। आज तीनों को गले लगाए हुए हैं। आज पाकिस्तान भी उन्हें बहुत प्यारा हो रहा है। एक नहीं दो बार गए, केक भी खा आए। एफडीआई जो लगता था कि फौरन डायरेक्ट इंवेंस्टमेंट आ गया तो ये देश का छोटा व्यापारी, रिटेल सब जो है, बर्बाद हो जाएगा। मुख्यमंत्री के तौर पर बहुत बड़े भाषण दिए, मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर और जीएसटी को भी लेकर अगर दस साल तक कांग्रेस पिछले एक दशक तक, दस साल तक कांग्रेस की सरकार रही। पी.चिंदंबरम साहब जी ने एड़ी–चोटी का जोर लगा दिया कि किसी तरह ये जीएसटी पारित हो जाए। ये देश हित में है ,समझाते रहे पर मोदी जी के कान पर जूं ही नहीं रेंगी। मोदी जी की ही नहीं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी इनकी सरकारें थी और हकीकत ये है कि मई 2014 तक कोई भी राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई थी जीएसटी के ऊपर, खासतौर से बीजेपी शासित राज्यों में, राजस्व घाटे का हवाला देकर इसका पुरजोर विरोध किया जाता रहा और अभी हाल ही में जुलाई 2014 के बाद मोदी सरकार आने के

बाद, इनको लगा कि सब कुछ बदल गया है, पूरे देश में नहीं, पूरा विश्व बदल गया है और जीएसटी की अहमियत इन्हें समझ आने लग गई कि ये एक कर प्रणाली देश के लिए कितनी जरूरी है। मोदी जी का भाषण 45 मिनट का रहा, 8 अगस्त को कि 9 अगस्त है कल, और हम सभी लोग जो हैं देश में अगस्त क्रांति दिवस, देश को अंग्रेजों से मुक्ति और ये वो सब बातें उन्होंने दोहराई और अब हम कर से मुक्ति की तरफ बढ़ रहे है, ऐतिहासिक बताया इस सब को। पर अपनी बातों को खुद जब मुख्यमंत्री थे तब किसी ने पूछा कि तब क्या था तो वो तो जुमला था, वो मजबूरी थी, वो सब करना पड़ता है विपक्ष में। इसलिए दस साल तक अगर ये बिल अटका रहा उसके लिए अगर किसी को दोषी माना जाता है तो वो बीजेपी के शासित जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री जिसमें नरेंद्र मोदी जी भी एक थे, उनको इसका दोषी माना जाता है क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण था जिसको डिले किया गया।

सबसे बड़ी बात मैं एनडीटीवी में अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा जी को सुन रही थी। बहुत सी चिंताएं हैं। ये कहते है कि कर चोरी जीएसटी आने से बंद होगी, कैसे होगी कर चोरी बंद? इसके ऊपर अभी कोई गंभीर कार्यक्रम नहीं बना है। समय की बर्बादी जो होती थी। विश्व बैंक रिपोर्ट में बताया है कि बहुत जगह एक चौथाई समय जो है, वो माल–ढुलाई में, सीमा चैक पोस्टों पर, चुंगी देने में इस तरह का और वहीं भ्रष्टाचार होता था, इनका ये कहना है कि ये सब जो है चुंगी और ये बंद हो जाएगा इसलिए समय की बर्बादी कम होगी और पैट्रोल–डीजल पर भी जो पैसा खर्च होता था, वो नहीं होगा।

तीसरी चिंता आती है महंगाई पर। ये तो ये मानते हैं, जब पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी, बहुत से सांसदों ने ये कहा, ये माना भी, सरकार भी

मान रही है कि हां, महंगाई थोड़ी सी बढ़ेगी। थोड़ी बढ़ेगी, ये थोड़ा कितना है? क्योंकि जो गरीब है, थोड़े में ही उसकी कमर टूट जाती है और कितने समय तक महंगाई रहेगी? तो ये सुनने में आया कि तीन साल तक हो सकता है कि गरीब, किसान, मजदूर को या आम व्यापारी को, छोटे व्यापारी को तीन साल तक इससे जूझना पड़ेगा। पर उसके लिए वैक्लपिक क्या आपके पास तैयारियां हैं? क्योंकि आप सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सांसद करोड़पति हैं, उनके लिए कहना कि बस तीन साल, आपके लिए बस तीन साल होगा लेकिन गरीब के लिए, छोटे व्यापारी के लिए तीन साल जो है, वो बहुत बड़ी बात है। मैं अपने वित्त मंत्री साहब से भी कहना चाहूँगी कि आपने एक बात उठाई कि बीस लाख तक का जो सालाना कमाते हैं, उसको पच्चीस लाख कर दिया जाए, इन्हें रजिस्टशेन में लाया जाए। उससे कम के जो कमाते हैं सालाना, जिस तरह के प्रस्ताव जीएसटी केंद्र का ये कहता है कि दस लाख रूपए सालाना भी जो है, उसे भी इसमें लाया गया। मैं आपकी इस बात का समर्थन करती हूँ और मैं फिर कहूँगी कि जिस तरह से मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, उन्हें केंद्र की सरकार पर कत्तई भी यकीन नहीं था, इसलिए उन्होंने कभी भी जीएसटी का समर्थन नहीं किया। हमें भी आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर कत्तई भी यकीन नहीं है। हम सिर्फ आप पर यकीन कर रहे हैं, हम आप पर यकीन कर रहे हैं कि आप उस समिति के वित्त मंत्री होने के नाते राज्यों के जो वित्त मंत्रियों की समिति है, उसके सदस्य हैं और पुरजोर तरीके से जो बात आपने यहां उठाई है, उसे आप उसमें रखने में कामयाब होंगे और जो दिल्ली के हक हैं, दिल्ली के व्यापारियों के हक हैं, उसे कत्तई भी मारे जाने नहीं देंगे क्योंकि इसमें अभी मैं आपसे वहीं कह रहीं हूँ, हमारे अनुभव से मैं बोल

रही हूँ वित्त मंत्री साहब कि दिल्ली सरकार ने इसी सदन ने 14 से 18 प्रस्ताव बिल जिसमें जनलोकपाल से लेकर सिटीजन चार्टर से लेकर न्यूनतम वेतन आयोग से लेकर बहुत से कानून पारित करके भेजे हैं, लेकिन हमें मिला क्या? आज भी एक भी प्रस्ताव जो इस पूरे सदन ने बहुमत से पास करके भेजा है, आज तक वो प्रस्ताव इस सदन में पास होकर वापस नहीं आ पाए और ना कानून बनने में तब्दील हो पाए हैं ना आम जनता को राहत मिल रही है लेकिन वहीं दूसरी और एक आदमी पार्टी की सरकार है, एक वित्त मंत्री है जब देश के प्रधानमंत्री अपील करते है कि लोकसभा, राज्यसभा ने पारित कर दिया अब देश के 16 राज्य पारित करें और वो दिल्ली की तरफ देखते हैं और दिल्ली को राज्य बताने लग जाते हैं जिनको अभी तक ये एक नगर निगम से ज्यादा, या डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा नहीं लगता था। आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप, दिल्ली एक राज्य बने जो जीएसटी को पास करके केंद्र के हाथों को मजबूत करें लेकिन बिल्कुल मैं कहूँगी, मैं तारीफ करती हूँ कि राजनीति को पीछे रखें, वरना हम शर्त रख सकते थे कि मोदी जी, अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली विधान सभा जीएसटी को पारित करके आपके पास भेजे तो दिल्ली विधान सभा ने भी जो 15 से 16 प्रस्ताव पारित करके भेजे हैं, पहले वो तो लोटाइए हमें, उतना भी नहीं है, आप और हम सब जानते हैं कि जितना हम लोग टैक्स केन्द्र को भेजते हैं, जितना दिल्ली अपना इक्ट्ठा करती है उसमें से केवल 300 करोड़ हमें वापस मिलता है। सैन्ट्रल हमारा जो सीएसटी है उसमें हमें 2011–12 के वित्त वर्ष का जो मिलना है, वो भी अभी तक नहीं आया है। तो मैं आपसे यही कहूँगी और खासतौर से भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की जो चिंताएं हैं, उनका ये कहना है कि कनाडा में 26 साल पहले ये लागू हुआ,

110 के करीब देश हैं, जहां जीएसटी लागू है, अमेरिका उनमें शामिल नहीं है, मलेशिया ऐसा राज्य है, जहां 2 साल से इसे लागू किया गया लेकिन रोलबैक करने के लिए वहां पर लगातार आंदोलन हो रहे हैं और मांग उठ रही है मलेशिया में। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इससे हमारा जीडीपी ग्रोथ होगा, कैसे होगा? इसका क्या फॉरमूला है, कैसे? कुछ नहीं मालूम कि हमारा विकास होगा, जीडीपी बढ़ जाएगी। मैं ये कहना चाहूँगी जीडीपी तो अभी भी बढ़ी हुई है, कितने उद्योगों को आपने स्थापित किया है? मैं अभी आपसे वही देवेन्द्र शर्मा हैं हमारे अर्थशास्त्री और लेबर कमिशन की रिपोर्ट अध्यक्ष जी, कहती है कि पिछले 12 सालों में 48 लाख करोड़! अध्यक्ष जी, ये अमाउंट छोटा नहीं है, पिछले 12 सालों में कॉर्पोरेट हाउसिसेज को केन्द्र सरकार ने 48 लाख करोड़ रूपये की टैक्स की छूट दी है किस लिए टैक्स की छूट कॉर्पोरेटस को दी गई कि आप अपनी कीमतों को कम कर पाएंगे। महंगाई में कमी होगी और रोजगार मिलेगा, रोजगार की दशा देखिए! 12 साल में कितने रोजगार आए? 12 साल में जहां 12 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे देश के युवाओं को, उसमें से सिर्फ डेढ़ करोड़ युवाओं को ही पिछले 12 सालों में मिला है और पिछले दो साल की स्थिति की अगर बात करूं, अगर मोदी सरकार कहे 12 साल से हम थे ही नहीं, हम आज के जिम्मेदार हैं तो अभी की लेबर कमिशन की रिपोर्ट कहती है कि पिछले दो साल में सिर्फ और सिर्फ 8 लाख नौकरियाँ ही केन्द्र की मोदी सरकार इस देश में ला पाई है। दो साल में सिर्फ 8 लाख नौकरियाँ, महंगाई को लेकर भी इनके पास कोई तैयारी नहीं है, मैं इन चिन्ताओं को रखते हुए और मुझे खुशी है कि जब मैं दिल्ली सरकार की तैयारियों के बारे में पढ़ रही थी कि 10 एडीशनल ज्वाइंट कमिशनर लेवल ऑफिसर की ट्रेनिंग पूरी

हो चुकी है कि अगर जीएसटी आता है तो उसे किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से कम्प्यूटर प्रणाली को दुरूस्त किया जाए ताकि फटाफट उसमें हर व्यापारी अपने आप को रजिस्टर कराकर अपने टैक्स की जानकारियाँ दे पाये। 10 एडिशनल ज्वाइंट कमिश्नर लेवल के ऑफिसर की ट्रेनिंग हो चुकी है और 30–40 अधिकारियों की ट्रेनिंग 29 अगस्त से 2 सितम्बर के बीच में पूरी हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इतनी केन्द्र सरकार तैयार नहीं है जितनी दिल्ली के वित्त मंत्री अपनी पूरी टीम के साथ, जीएसटी का पूरा स्वागत करते हुए इसे लागू करने के लिए तैयार दिख रहे हैं पर मैं यही कहूँगी भ्रष्टाचार में कितनी कमी आएगी, महंगाई में कितनी कमी आएगी, ये सब समय बताएगा। लेकिन यहां तक दिखता है कि इसकी तैयारी केन्द्र सरकार ने की है, बिल्कुल ऐसा नहीं दिखता है। ये जो भारतीय उद्योग व्यापार मंडल है, मेरा नहीं, ये उनका कहना है, वो ये लिखते हैं कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी की यह धारणा कि जीएसटी में भ्रष्टाचार समाप्त होगा जो कि एक सपने जैसा लगता है। ये मुझे नहीं, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल को नीयत पर शक है देश के प्रधानमंत्री की जो यह दावा करते हैं कि बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा, ये नहीं बता रहे। इसलिए हमे उनकी नीयत पर शक है। जीएसटी देश के महान अर्थशास्त्री कौटिल्य के अनुसार लगना चाहिए। अब कौटिल्य के अनुसार कैसे जीएसटी होना चाहिए, अब उसका जवाब कोटिल्य को कोट कर रही हूँ, उन्होंने कहा था, ''हर राज्य को कर लगाने का अधिकार है और हर नागरिक को देश के विकास के लिए कर देने का दायित्व होता है परन्तु कर वसूलने का तरीका या दर ऐसी होनी चाहिए जैसे भंवरा फूल का मधु तो ले लेता है परन्तु उसकी शोभा नहीं बिगाड़ता।'' हमारे जीएसटी में भी इसी प्रकार

की व्यवस्था का स्वागत है। यानि की आप हमसे ले लेंगे लेकिन जब देने की बारी आएगी तो क्या आप दे रहे हैं, इसके ऊपर चिंताएं हैं। मैं इसमें ये 17 अगस्त की इंडिया टुडे मैगजीन का हवाला दे रही हूँ क्योंकि मैं अर्थशास्त्री एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये हमारे अरविंद सुबह्मण्यम समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वे इसमें साफ लिखते है कि शुरू में जीएसटी मंहगाई बढ़ाने वाला होगा। इस सबकी वो चेतावनी दे रहे है, 13वें वित्त आयोग का अनुमान है कि कृषि उपज की कीमतें 0.61 प्रतिशत से 1.18 प्रतिशत बढ़ जाएंगी। गरीब से सबसे कम कर लिया जाना चाहिए, ये उनकी मांगे हैं क्योंकि मेरे क्षेत्र का व्यापारी जो चांदनी चौक व कशमीरी गेट है, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये उनका चरित्र है वो डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण प्रणाली का है। तो मुझे लगता है, छोटा व्यापारी चांदनी चौक कशमीरी गेट या दिल्ली में दूसरे विधायकों ने जो बात उठाई, उनसे चिंतित है क्या सच में जो बातें जो दावे किये जा रहे है जीएसटी, एक कंट्री, एक टैक्स, एक मार्केट के माध्यम से ये जो चीजें जीडीबी की दरों की बात की जा रही है, इन सबसे फायदा होगा पर हम फिर भी एक अच्छी सोच, एक अच्छी नीयत के साथ, केन्द्र की सरकार पर नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर नहीं, क्योंकि उनको डा. मनमोहन सिंह पर यकीन 10 साल नहीं रहा इसलिए उन्होंने जीएसटी का विरोध किया था तो वही चीज हमारे साथ है, हमें कतई भी केन्द्र की मोदी सरकार पर या प्रधानमंत्री पर यकीन नहीं है कि जीएसटी लागू होने के बाद आप मंहगाई और भ्रष्टाचार पर काबू पा पाएंगे लेकिन फिर भी इस हाउस की सदस्य होने के नाते जीएसटी का समर्थन इसलिए करते हैं क्योंकि इस सदन में हमारी सरकार के वित्त मंत्री आदरणीय मनीष सिसोदिया जी ने हमें यकीन दिलाया है कि वित्त मंत्रियों की, राज्यों की जो समिति है,

उसमें आप इन सब मुद्दों को गम्भीरता से उठाएंग, एड्रेस करेंगे ताकि दिल्ली का व्यापारी अपने आपको ठगा हुआ महसूस ना करे, बहुत–बहुत आभार, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, चर्चा का उत्तर देंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री रामनिवास गोयल) पीठासीन हुए

उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो कन्सर्न्स माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत किये हैं, वो मैं भी किसी न किसी रूप में उद्बोधन में शेयर कर चुका था। छोटे व्यापारियों के हितों की बात कही गई है, टैक्सेज ना बढ़े, मंहगाई ना बढ़े, दाल जैसी चीजों पर टैक्स ना लगे, व्यापारियों को रिटर्न फाइल करने में प्रॉब्लम ना हो, ये सारी चीजें सारे देश के वित्त मंत्री, उनकी एम्पावरड कमेटी इस पर लगातार चर्चा करती रही है और आगे भी जब भी इन पर बात होगी, इनको उठाएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये सब सवालों के जवाब चूँकि इंडिया में इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म हो रहा है और रिफॉम के हम समर्थक हैं लेकिन जो कन्सर्न जनता के हैं और जनता के माध्यम से हमारे सदन के हैं, उनको सनद रखते हुए मैं चाहूँगा कि इस प्रस्ताव को जो माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार से प्राप्त हुआ है, उसको यहां पर इस सदन से पास किया जाए। लेकिन साथ–साथ मैं एक चीज और इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा, ताकि सनद रहे क्योंकि जीएसटी पर चर्चा हो रही है 13 साल से इस देश में चर्चा हुई है, 10 साल कॉग्रेस ने कहा जीएसटी आना चाहिए, बीजेपी ने कहा नहीं आना चाहिए, लगभग ढ़ाई साल से बीजेपी कह रही है कि जीएसटी आना चाहिए। कॉग्रेस कह रही थी इफ एंड बट, इफ एंड बट, इफ एंड बट, आना चाहिए लेकिन इफ एंड बट लेकिन किन्तु परन्तु। आज जब देश के वित्त मंत्री

जी ने संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित कराने के बाद, पास कराने के बाद जीएसटी के संशोधन के बाद पुष्टि के लिए यहां भेजा, दिल्ली सरकार के पास भेजा। अब दिल्ली सरकार इसको विधान सभा में प्रस्तुत कर रही है तो ये सनद रहना चाहिए कि दिल्ली विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष जीएसटी के समय चर्चा के वक्त अनुपस्थित थे, ये सनद रहना चाहिए। दो ही कारण हो सकते हैं इनकी अनुपस्थिति के या तो इनको लग रहा होगा कि जीएसटी भी एक जुमला है, हो सकता है, क्योंकि पहले विरोध का जुमला था अब समर्थन का जुमला है। बोले जुमलों के वक्त क्या बैठना, क्या टाईम खोटा करना है या शायद इनको लगता होगा कि अब 10 साल जिस कानून का विरोध किया, आज उसी को विधान सभा में बैठकर पुष्ट कराना पड़ रहा है तो हम किस मुंह से पुष्टि दें, अरे! आपके प्रधान मंत्री जी ने भी पुष्ट करवा दिया अब तो, अब तो आपके सांसदों ने भी खूब तारीफ करी, सारे टीवी चैनलों पर बैठके जो बीजेपी के प्रवक्ता 10 साल तक आदत पड़ गई थी बीजेपी के प्रवक्ताओं को जीएसटी का विरोध करने की, उनको भी रटा–रटा कर समझा कर बिठाया गया टीवी पर भैया, समर्थन में बोलो। उनको भी आ गया अब तो समर्थन में आ जाओ। आप ही का है। मुझे तो लगता है उनके मन में कोई दुविधा रही होगी, लेकिन सिर्फ इस लिए जिक्र किया गया अध्यक्ष महोदय ताकि ये सनद रहे कि जिस वक्त जीएसटी जैसे महत्वपूर्ण टैक्स रिफार्म पर दिल्ली विधान सभा में विधायकों ने सदन में अपना पक्ष रखा, आपस में चर्चा की, उस वक्त दिल्ली विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भागे हुए थे। जो कन्सर्न सदस्यों ने रखे, वो तो जायज हैं पर जैसा मैने कहा कि कान्सटीट्यूशन एमेंडमेंट के वक्त वो कन्सर्न अभी सिर्फ आंकलन ही है, अंदाजा ही है।

हो सकता है कि सरकार एक अच्छे कौशल दिखाते हुए ऐसे कानून जीएसटी का ऐसा मॉडल एक्ट के लिए और जीएसटी के ऐसे रूल्स लेकर आए और आईटी का इन्फ्रास्ट्रक्चर लेकर आए, जिसका जिक्र माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी उसमें भी किया है। मैं उसकी लाईन भी चाहता हूँ कि सदन के रिकार्ड में रहे हालांकि मैं यह चिट्ठी भी सदन के रिकार्ड के लिए प्रस्तुत करूंगा, उन्होंने लिखा है "Introduction of GST will be one of the most important economic reforms in the country. GST-6 to subsume many indirect taxes at the central and state level. GST will simplify and harmonize indirect tax regime. Further, GST will broaden the tax base and result in better tax compliances due to robust IT infrastructure." आगे उन्होंने पूरी कहानी लिखी है और लास्ट में लिखा है “to ensure that GST is implemented in the country at theAppropriate date, it is imperative that the Constitution’s 122nd Amendment Bill,2014 is ratified by your state legislature at the earliest. और जैसा मैंने कहा भी अपनी बात में कि पहली बार दिल्ली को इन्होंने घोषित रूप से स्टेट माना है अब तो संविधान में भी मान लिया है और अब चिट्ठी लिखकर भी कह रहे हैं कि आप की स्टेट की विधान सभा इसको पुष्टि करके भेजे। तो मैं यह मानते हुए कि पूरे कौशल के साथ में देश में टैक्स नहीं बढने दिया जाएगा, मंहगाई नहीं बढने दी जाएगी। जो छोटे व्यापारियों के कन्संर्स हैं, उनको ध्यान में रखा जाएगा, छोटे व्यापारियों का जीएसटी के बहाने शोषण नहीं होने लगेगा, इन कन्सर्स को ध्यान में रखते हुए सदन से अनुरोध करता हूँ कि केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त प्रपोजल को, प्रस्ताव को पुष्टि प्रदान करें।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप–मुख्य मंत्री द्वारा नियम 90 के तहत संकल्प सदन के सामने हैः

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें

जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें

(सदस्यों के हां कहने कहने पर)

हां पक्ष जीता हां पक्ष जीता

संकल्प स्वीकार हुआ।

अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)

अब श्री जगदीप सिंह जी हमारे चीफव्हिप, नियम 55 के अन्तर्गत सत्ता पक्ष के विधायकों पर दिल्ली पुलिस का मनमाने ढंग से इस्तेमाल तथा दिल्ली महिला आयोग के कार्यकाल में छापे के संबंध में अल्पकालिक चर्चा चर्चा प्रारम्भ करेंगे।

(सदस्यों द्वारा सामुहिक रूप से जॉर्न टी ब्रेक के लिए अनुरोध किया गया)

अध्यक्ष महोदय : समय साढे पांच हो गया है। आधे घंटा चलाकर ठीक 6 बजे एडजॉर्न्ड कर देगें। चलिए, जगदीप जी, शुरू करिए।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर इसको अगर आधे घंटे में खत्म हो जाए तो घर पर जाकर...

अध्यक्ष महोदय : जगदीप आप चलिए तो सही। अगर मुझे लगेगा कि चर्चा कल करनी है, मैं इसको आज समाप्त नहीं करूंगा, 26 को कन्टीन्यू कर देगें। आज चलिए तो सही।

श्री जगदीप सिंह : अध्यक्ष महोदय आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक बहुत ऐसा विषय है जहां पर हमारे मे से 67 के 67 लोगों ने इस पर दुःख जाहिर किया, भ्रत्सना की। मैं ज्यादा टाईम न लेते हुए मेन बात पर आऊंगा कि अगर दो लोगों के सर फट जाते हैं तो दिल्ली पुलिस उनको थाने में बिठाकर उस केस को वहीं पर सुलटा देती है, दो या तीन घंटे में। दो खानदान लड़ जाते हैं, उनको निपटा देती है। दो कम्युनिटी आपस में लड़ जाती हैं, उनको निपटा देती है। लेकिन वही दिल्ली पुलिस जब मोदी जी की पुलिस बन जाती है तो फिर उनको पूरी दिल्ली में होते हुए जितने भी गुनाह हैं, वह नजर नहीं आते हैं। सिर्फ आप के 67 एमएलए नजर आते हैं। उनको दूरबीन लेकर वो देखते रहते हैं कि कहीं पर भी जरा अंगुली भी उठा दे तो उन पर एफआईआर कर दी जाएगी। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं सिर्फ अपनी बात रखूँगा इसमें कि अफसर को सिर्फ इतना बोला गया कि कल एक त्यौहार है मुस्लिम समुदाय का, जहां पर शबेबरात है और कब्रिस्तान में सफाई होनी चाहिए। लेकिन महापौर के कहने पर कब्रिस्तान पर सफाई नहीं की गई। हम लोगों ने खुद जाकर वहां सफाई की और जब ट्रकों में लादकर कर उस कूड़े को डालने के लिए ढलाव में लाया गया तो हमें ढलाव में वो कूड़ा तक नहीं डालने दिया गया। उस पर भी हमारे से लडाई की गई और जब विरोध किया गया तो प्राईवेट कम्पनी के वहां पर लोग लगाए हुए थे, वो मेरे ऊपर एफआईआर कराते हैं कि इन्होंने शराब पीकर मारपीट की। मैने एसएचओ साहब से कहा कि आप थाने बाद में ले जाइएगा पहले अस्पताल लेकर जाएं मैडिकल टैस्ट कराएं आप। मेरा डॉप्लर टैस्ट कराएं शायद आपको कोई बचपन में ग्राईप

वाटर में एल्कोहल मिल जाए तो मिल जाए नहीं तो पूरे शरीर में कहीं दारू की मात्रा नहीं मिलने वाली। लेकिन ये मोदी की पुलिस थी। उन्होंने एफआईआर में यह भी लिखा था कि इन्होंने शराब पी हुई थी। अस्पताल ने बिल्कुल क्लीन चिट दी है कि कहीं पर शराब की बूँद भी नहीं पाई गई फिर भी एफआईआर में लिखा गया कि शराब पीकर मारपीट की गई। गिरफ्तार करने के लिए एसएचओ के साथ डीसीपी तक सारा आता है जैसे लगता है दाऊद अब्राहिम मेरे घर में ही बैठा हुआ था और मुझे पकड़ने के लिए आए थे। अरे! जितने पुलिस वाले आए थे, अगर वो दाऊद अब्राहिम को पकड़ने चले जाते तो शायद उसके पकड़कर ले आते। ये मेरे जैसे एक छोटे विधायक को पकड़ने आ गए। क्योंकि ये मोदी जी की पुलिस है और ये दिल्ली पुलिस नहीं कर रही, कहीं न कहीं ये ऊपर से इशारा हो रहा है कि इन 67 को इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो कि जनता वाकई सोचे की ये गलत हैं। लेकिन वो कहते है न कि एक गाना है कि ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक सब कुछ जानती है और जो जवाब इनको दिल्ली विधान सभा के चुनाव में मिला, आगे एमसीडी के चुनाव में भी मिलेगा और आगे आने वाले टाईम में लोकसभा के चुनाव में भी मिलेगा। मोदी जी, जितने अंदर करने हैं, कर लो। ये सर दांव पर लगाकर आए हैं और ये इसी तरीके से काम करते रहेगें, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : श्री अमानतुल्लाह जी।

श्री अमानतुल्लाह ख़ान : अध्यक्ष जी, धन्यवाद कि आपने इस मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया। देखिए मुझे दिल्ली पुलिस ने 24 जून को अरेस्ट किया था। मुझ पर इल्जाम था कि मैंने एक महिला के साथ बदतमीजी

कराई और फिर उसको गाड़ी से कुचलने की कोशिश की और जब वो कोर्ट में बयान देने जा रही थी तो मैंने उसको धमकाया। ये 24 तारीख को दिल्ली पुलिस ने मुझे मेरे घर से अरेस्ट किया और 24 की सुबह में साढ़े आठ बजे के करीब... वाकया 10 जून का है कि एक महिला जो जसौला के अन्दर रहती है, उसने कम्पलेंट की कि मैंने विधायक अमानतुल्लाह को टेलिफोन किया और जब मैंने उन्हें टेलिफोन किया तो मैंने उनसे कहा कि मेरे इलाके में बिजली की समस्या है और अक्सर मैं टेलिफोन करती रहती हूँ। 4 साल से आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और जब भी मैं किसी काम को कहती हूँ तो विधायक जी के यहां से कोई रेस्पोंस नहीं आता। जब मैंने उन्हें टेलिफोन किया तो उन्होंने मुझे धमकाया, गालियां दी और कहा कि मैं तेरा रेप करा दूँगा, तुझे जिन्दा जला दूँगा और तुझे मरवा दूँगा। इस तरह की कम्पलेंट 11 तारीख को उस महिला ने कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के यहां दी जो उसकी रिसिविंग भी है। फिर उस महिला को कोई अंदेशा हुआ कि यह सब सारी बात टेलिफोन पर अमानतुल्लाह जी से नहीं हुई तो उसने अपना स्टेटमेंट चैंज किया और उसने 16 तारीख को एक कम्पलेंट थाने में दी, उनसे कहा कि मैंने अमानतुल्लाह जी को टेलिफोन किया। जब समस्या बताई तो उनकी तरफ से कोई ठीक से जवाब न आने की वजह जैसे मैं उनके घर गई, घर पर उनका दरवाजा बंद था। दरवाजा मैंने तीन चार मर्तबा खटखटाया, मायूस होकर मैं वापस आने लगी। तो चार पांच कदम चलने के बाद एक लड़का जो सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए था जो बीस बाईस साल का था, वो आया। उसने आकर मुझसे नाम लेकर कहा कि तू बड़ी नेता बनती है और मैं तेरा रेप करा दूँगा, तुझे जिन्दा जला दूँगा और तुझे जाने से मारवा दूँगा और ये मेरा कहना नहीं है। ये

एमएलए अमानतुल्लाह का कहना है। ये कह करके उसने कम्पलेंट थाने में दी। 19 तारीख को थाने में एफआईआर दर्ज कर ली। उस आदमी के खिलाफ जिसने कहा और धारा—509 धारा—506 धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई। ये महिला 22 तारीख को कोर्ट में 164 का स्टेटमेंट देती है, जाकर कहती है कि मैं अशोका पार्क, न्यू फ्रैण्ड्स कालोनी के पास से जा रही थी तभी एक सौ की स्पीड में स्विफ्ट गाड़ी आई, वो रूकी, उसने मुझे कुचलने की कोशिश की। मुझे जान से मारने की कोशिश की। उसमें गाड़ी कोई ओर चला रहा था। बराबर में अमानतुल्लाह, एमएलए बैठे हुए थे और 24 तारीख को मुझे अरेस्ट कर लिया गया। 23 तारीख को मैंने एक प्रेस कांफ्रेंस की। उसी महिला के एक जानने वाले ने उसमें एक विडियो उसका बनाया। जिसमें वो उससे बात कर रहा था। उसने उससे पूछा कि क्या ये सब बात जो पहले तुमने कही थी, पहली जो कम्पलेंट थी जिसमें उसने कहा कि मुझे खुद कहा, उसके बाद उसने वो स्टिंग उसके घर में उसने रिकॉर्डिंग की। उसके घर के बाद उसे कहा कि ये सब बात अमानतुल्लाह ख़ान ने कही थी कि नहीं कही थी। नहीं, ये बात तो नहीं कही थी। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग तो उसके पास होगी। क्या, हां ये रिकॉर्डिंग होगी, फिर क्या होगा। तो उसने कहा फिर तुम फंस जाओगी। उल्टा तुम्हारे पर मुकद्मा दर्ज होगा। तो उसके कहा फिर ये किसने कहा तुमसे? कहा कि मुझे एसएचओ ने कहा ये सब लिखने के लिए और ये सब कहने के लिए और मुझसे कहा कि तुम कमिश्नर से जाकर मिलो और मैं कमिश्नर ऑफिस गई। वहां पे ज्वांइट कमिश्नर, सीपी से मेरी मुलाकात हुई। वहीं पर जाकर के, वहीं पर कम्पलेंट देकर आई। ये स्टिंग हमारे पास कोई मेरे आफिस में ये डाल गया। ये एक सीडी और मुझे मिली। उसके बाद मैंने

22 तारीख इसमें स्टेटमेंट दिया कोर्ट में जा कर। 23 तारीख को मैंने प्रेस कांफ्रेंस की और मैंने प्रेस कांफ्रेंस में 23 तारीख। को मैंने एप्लिकेशन दी थाने में जा कर और उसके बाद मैंने प्रेस कांफ्रेंस की और प्रैस कांफ्रेंस में हमने सारी बातें बताईं, एप्लिकेशन में सारी बातें लिखी थीं। थाने के अन्दर की पहली तारीख, पहली 11 तारीख को इसने ये स्टेटमेंट दिया, 16 तारीख को इसने ये स्टेटमेंट दिया, 22 तरीख को इसने कोर्ट में जा कर ये स्टेटमेंट दिया और ये कह रही है कि 14 तारीख के और 16 तारीख के बीच में मुझे गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। लेकिन 16 तारीख को जब इसने रिटर्न एप्लिकेशन दी तो उसमें उसका कहीं जिक्र नहीं किया। उसने कही यह नहीं कहा कि मुझे धमकाने की कोशिश की। कोई एप्लिकेशन में ये जिक्र नहीं किया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुझे 24 तारीख को अरेस्ट किया, एक गुंडे की तरह अरेस्ट किया। मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था, मेरे खिलाफ कोई कम्पलेंट भी नहीं थी। उस महिला ने किसी ओर के नाम से एफआईआर दर्ज कराई। 509, 506 दोनों बेलेबल ऑफेंस हैं। मुझे ये बुला सकते थे। लेकिन मुझे नहीं बुलाया और मुझे सुबह में अरेस्ट कर लिया। मेरे घर में घुसे। मेरे यहा सीसीटीवी लगे हुए हैं, मेरे उन सीसीटीवीयों को तोड़ दिया। मेरी बीवी पर्दा करती है, बुर्का ओढ़ती है। उसके साथ बदतमीजी की, उसको धक्का दिया गया। मुझे गाली दी गई और मुझसे एसीपी ने ये कहा कि मुझे यहां पर जो लगाया गया है वो तेरी राजनीति को खत्म करने के लिए लगाया गया है। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया, मेरे रिमांड ली गई, मुझसे वो गाड़ी पूछी गई जो कभी मैंने चलाई नहीं। मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ। 1 बजे के बाद सरकारी गाड़ी से आता हूँ। कोई स्विफ्ट गाड़ी मेरे पास है नहीं। मैं उस रास्ते से नहीं जाता, जिस

रास्ते का उसने वाकया बताया। लेकिन मैं ने पुलिस वालों से ये कहा कि भाई, ये भी तो चेक करो कि वो महिला मेरे घर आई थी कि नहीं आई थी। आप उसकी लोकेशन चेक करो, मेरी भी लोकेशन चेक करो कि मैंने उससे बात कि है या नहीं कि। जब वो कहती है कि गाड़ी से कुचलने की उसे कोशिश की, तब मेरी लोकेशन चेक करो, उसकी भी चेक करो। मैं वहां गया था कि, नहीं गया था। तो ऐसा पुलिस ने कुछ नहीं किया, इंवेस्टिगेशन के नाम पर कुछ नहीं किया। जिस वक्त वो महिला कह रही है कि मैंने टेलिफोन पर बात की और मैं घर आई, उस वक्त मैं मेरे कमरे में था। 9 तारीख को मेरठ गया था, 10 तारीख की रात में 2 बजे आया, वो 10 तारीख को 7 बजे का वाकया बता रही है। तो पुलिस ने किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कि। मुझे पेश किया गया और इन लागों ने हर मुमकिन कोशिश की कि मुझे ज्यादा से ज्यादा जेल में रखा जाए। ये मेरे वाले केस में राजीव मोहन को स्पेशल सीपी को एल.जी. साहब ने भेजा। एल.जी. साहब ने स्पेशल सीपी राजीव मोहन को भेजा और क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि जो सीपी हैं, वो हमारी मद्‌द करेंगे। क्योंकि वो तो कानून की बात करेंगे, कानून की मद में मुझे जमानत मिलनी नहीं थी। कोर्ट ने मेरे फेवर में फैसला दिया। कोर्ट ने ये कहा कि इसमें कहीं भी ऐलिगेशन नहीं है अमानत्तुलाह के खिलाफ। इस महिला ने कही नहीं किया ये तो पॉलिटिकल भावना के तहत ये सब किया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे इन लोगों ने ये कोशिश की। क्योंकि इस बेबाकी के साथ हमने एमएम ख़ान का वाकया उठाया। इस बेबाकी के साथ एक उस अफसर के मर्डर को हमने उठाया। हमने उसके अन्दर ये भी कहा था कि नजीब जंग जी उसमें इन्वॉल्व हैं, हमने ये भी कहा था कि महेश गिरि उसमें इन्वॉल्व

हैं, हमने ये भी कहा था कि इसमें होम मिनिस्टर का हाथ है। ये सारे लोग, महेश गिरि भी उस महिला से मिले। नजीब जंग ने स्पेशल सीपी दिया और कई सीनियर अधिकारियों ने मुझसे कहा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे अधिकारी जो दिल्ली को चलाते हैं, दिल्ली पुलिस को चलाते हैं। आपकी गिरफ्तारी का मामला सारा का सारा, सारी मीटिंग एक दिन पहले कमिश्नर आफिस में हुई और पुलिस का इसमें कोई इंवोल्वमेंट नहीं है। इसमें तो हमारी मजबूरी है, आदेश एल.जी. साहब का था। आदेश एल.जी. साहब के आदेश से ये सारा कुछ हुआ है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई, क्यों हमको डराना चाहते हो? क्यों हमको धमकाना चाहते हो? क्यों हमें दहशत में लाना चाहते हो? आज भी मैं वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ। मैंने कल ये मुद्दा उठाया था। डीडीए का मुद्दा मैं कई दिनों से उठा रहा हूँ, हफ्तों से उठा रहा हूँ। मुझे ये मालूम हुआ कि वक्फ बोर्ड को भंग करके ये एडमिनिस्ट्रेटर यहां पे बिठाना चाहते हैं। एल.जी. साहब एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना चाहते हैं, एल.जी. साहब हमें धमकाना चाहते हैं। रमजान में मैंने एक मुद्दा उठाया था कि एल.जी. साहब ने एक मस्जिद में ताला लगा दिया। एल. जी. साहब कब्रिस्तानों पर कब्जा करा रहे हैं। तो वो सारी चीजें, हमको वो नहीं चाहते कि हम फैक्ट पब्लिक के सामने रखें, फैक्ट विधान सभा के अन्दर रखें। वो हमें डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। तो हम तो उनसे कहना चाहते हैं कि एल.जी. साहब आप अगर मोदी के इशारे पर काम कर रहे हो या होम मिस्टिर के इशारे पर काम कर रहे हो तो ये जान लीजिए हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपनी बात कह कर रहेंगे। हक को अवाम के सामने लाकर रहेंगे। न आपकी पुलिस से डरेंगे, न मंत्री से डरेंगे, न ही प्रधानमंत्री से डरेंगे।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, एक चीज और मैं बता रहा हूँ कि मैंने 23 तारीख को थाने में एक एप्लिकेशन दी थी, एप्लिकेशन पढ़ने के बाद पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि उसमें एफआईआर दर्ज करे। कोई भी उसके अन्दर कंटेंट कुछ भी लिखा हो, हमने जिसके खिलाफ कम्पलेंट की, पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है, ये कानून है, कानून में प्रावधान है कि पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस एप्लिकेशन पर एफआईआर दर्ज हो। लेकिन ऐसा नहीं किया। इंवेस्टिगेशन बाद में करते। लेकिन हमारी एप्लिकेशन पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई और ऐसी एफआईआर जो झूठी थी जिसमें मुझे जेल भेजा गया। बड़े अफसोस की बात है कि ये पुलिस, ये एल.जी., ये होम मिनिस्टर, ये प्रधानमंत्री किस कानून के तहत काम कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आता! इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया।

अध्यक्ष महोदय : श्री नितिन त्यागी जी।

श्री नितिन त्यागी : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, हमारे बड़े सारे साथी जो यहां पे अभी बैठे हैं, कुछ एक नहीं भी हैं। मैं अभी अरेस्ट नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। जो अलग अलग बहुत ही फ्रिबुलस चार्जेज पे अरेस्ट हो रहे हैं, ह्रास किए जा रहे हैं, बहुत सारे चैनलों द्वारा बदनाम किए जा रहे हैं। सर, ऐसे इंसीडेंट हुए कि जिसमें कोर्ट ने साफ कहा कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा नजर आ रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा क्या? राजनीतिक बदला। तो भाई, ये बदला किससे ले रहे हो? हमसे। क्यों? क्योंकि तुम दो या तीन रह गए। हमसे बदला लेने से क्या मिलेगा? पहले तो सर, इस बात पर आ जाते हैं कि हमसे बदला ले के, हमने थोड़े ही तुम्हें हराया है। तुमने खुद ने अपने आपको हराया है। तुम्हारी करतूतों ने, तुम्हारे कर्मों

ने तुम्हें हराया है, इस जनता ने तुम्हें हराया, जिसे तुमपे आज भरोसा नहीं रहा। हम लोगों से बदला ले के क्या करोगे और उनसे कह रहे हैं कि तुमसे भी बदला लेंगे, जनता से भी बदला लेंगे। सर, कल एमसीडी के ऊपर बात हुई थी। उसमें ये बात रखी गई थी कि ये जनता से बदला लिया जा रहा है एमसीडी में काम न करके। देश, दिल्ली को गंदा रख के हर तरीके से पैसे वसूलने की कोशिश करके, वो जनता से बदला लिया जा रहा है और जनता के जो प्रतिनिधि हैं, ये देखो ये चुन के भेजे थे तुमने, इन्होंने महिला सुरक्षा की बात की थी, इसलिए ऐसे–ऐसे मुकद्दमें लगाएंगे। जो महिला इनसे मिली नहीं, अमानत भाई से वो कहती है कि मुझे रेप कराने की धमकी दे दी। इन्होंने इनका नाम एफआईआर में नहीं है तो भी अरेस्ट होते हैं। हमारे अखिलेश भाई बैठे हुए हैं, अखिलेश भाई के खिलाफ जिन्होंने मुकद्दमा किया, जो झूठा भी साबित हो गया। वो उनकी पत्नी है जो इनके खिलाफ चुनाव लड़े थे। दिनेश मोहनिया जी बैठे हैं, दिनेश मोहनिया के खिलाफ जिन्होंने मुकद्दमा किया, वो खुद चुनाव लड़ चुकी है। प्रकाश भाई अभी नहीं हैं पर प्रकाश भाई उनकी उम्र देखो और जिन्होंने उनके ऊपर मुकदद्मा किया, उसकी उम्र देखिएगा। वो भी चुनाव लड़ चुकी है। वो तो बल्कि किसी राजनीतिक पार्टी की सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी वगैहरा कुछ हैं। ये सारे पॉलिटिकली मॉटिवेटिड मुकद्दमें हैं। पॉलिटिकस इसमें सिर्फ झलकती नहीं, टपकती है, दिखाई देती है कि एक पार्टी जो नई बनी है, जो जनता से ही निकले हुए लोगों ने बनाई मिलके, आपके सारे के सारे क्रप्शन, भ्रष्टाचार, अत्याचार के विरूद्ध खड़े होने के लिए बनाई गई। आज उन्हीं मुद्दों को ले के एक बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से सबको बदनाम करने की कोशिश की। ये 4– 5–6 इनको तो ऐसा करते हैं कि जो है

महिलाओं के खिलाफ कुछ न कुछ लगा देते हैं तो इनका महिला सुरक्षा का मुद्दा खत्म हो जाएगा। एक के ऊपर इनकम टैक्स का लगा देते हैं, हमारे तंवर साहब पे। कोई ऐसी एजेन्सी नहीं छोड़ी। एसीबी लगा देते हैं, डीसीडब्ल्यू में एसीबी भी भेज दी। कहीं पे दफ्तर के अन्दर चीफ मिनिस्टर साहब के यहां पे फाइलें ढूँढने के लिए लोगों को तो भेज दिया, प्रेशराइज करने की कोशिश करी, सीबीआई लगा दी। हर एक एजेंसी को इस्तेमाल करके बड़े सिस्टमेटिक ढंग से ये कोशिश कर रहे हैं। ये तो नये–नये लड़कें हैं ये पहली बार जिस वक्त दो–चार रातें काटेंगे थाने में, हवालात में इनकी हवा टाईट हो जाएगी। इनकी समझ में आ जाएगा कि हमारे खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग, मनोज भाई बैठे हैं, मनोज भाई के उपर प्रापर्टी गबन करने की कोशिश करने का मुकद्दमा कर दिया और कब का उठाया? जब शायद पहली बार भी विधायक नहीं बने थे और उसमें भी जिस साथी ने फंसाने की कोशिश करी, उनके सगे भाई मनीष जी के खिलाफ पटपड़गंज से चुनाव लड़े थे। कही पे भी ऐसा कोई आदमी नहीं जो पालिटिकली अटैच नहीं है। ये पूरा का पूरा जो सिक्वेंस चल रहा है, ऐसा लगता है कि कोई किसी पार्टी से अटैच्ड है, कोई किसी पार्टी से अटैच्ड है और जिस दिन कोई भी एमएलए अरेस्ट होता है, उसका नाम किसी भी चीज में आता है। उस दिन सारे चैनल बड़े जोर–जोर से एक और विधायक अरेस्ट हो गया! एक और विधायक ने न जाने क्या कर दिया! एक और विधायक करप्शन में पकड़ा गया! एक और विधायक ने महिला पर अत्याचार कर दिया और सारे के सारे तीन–तीन चार–चार दिन तक प्राइम टाइम्स से लेके बिना प्राइम टाइम के हर चैनल पे तीन–तीन चार–चार डिबेट चलती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है क्या आपको ऐसा लग रहा है

कि आपको वैसा लग रहा है, क्या आप अपने मिशन से हट गए, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। और कई एकाध चैनल तो ऐसे हैं जिसमें मैं खुद बैठा हुआ था मैंने कहा कि आप जबरदस्ती प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। इस लेवल तक बदतमीजी के लेवल तक उतर आते हैं और ये दोनों तीनों पार्टी वाले मनोवैज्ञानिक बैठा देते हैं। इतना उसको स्केण्डेलाइज करने की कोशिश करते हैं इन सब चीजों को और जब कोर्ट ये आर्डर दे देती है कि इस केस में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं था। कोर्ट आर्डर दे देती है हमारे कमांडो भाई के केस में आर्डर दिया कि ये तो पॉलिटिकल वेंडटा था। एक छोटा सा नीचे डिस्क्लेमर चलता है कमांडो सुरेन्द्र छूटे, अखिलेश पति त्रिपाठी छूटे, मनोज कुमार छूटे, अमानतुल्लाह छूटे, शरद चौहान छूटे, जगदीप जी छूटे, दिनेश मोहनिया छूटे। ये इंबेलेंस है या नहीं है? ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टंट है या नहीं? आज कोई भी विधायक किसी के पर भी उंगली उठती है तो ये माहौल बन गया है दिल्ली के अन्दर कि अब लोगों को हंसी आने लगी है, पूछने लगे हैं नितिन भाई, तुम्हारा नम्बर कब आ रहा है? हमारी तो पार्टी में ऐसा हो गया है कि जो है डिसक्वालिफिकेशन सी मानी जाने लगी है कि भैया, तू अरेस्ट नहीं हुआ, मतलब तू सीरियस नहीं है। तुझे अपोजिशन वाले सीरियसली नहीं ले रहे। कहीं तू मिला हुआ तो नहीं है अपोजिशन से? हां, एक अरेस्ट नहीं होगा। हमारे यहां पे तो सर, ये मीडिया हाउसिज से भी पूछना चाहूँगा कि एक बेलेंस बनाइए आप लोग जिस तरीके से नाम उछल जाता है एक आदमी की पूरी की पूरी इज्जत दांव पे आ जाती है। किस तरीके के झूठे मुकद्दमें में फंसने के बाद में पूरा परिवार ट्रॉमा में जाता है उसकी पूरी टीम कई–कई सौ लोगों की सर, हमारी टीम होती है। वो पूरी टीम ट्रॉमा में होती है।

कई दिन तक विधानसभा का काम नहीं हो पाता, लोग परेशान रहते हैं, तो जब वो बाइज्जत बरी होता है, जब उसके खिलाफ ऐलिगेशन झूठे साबित होते हैं तो उनको भी उतने जोश से दिखाएं। एक बार डिबेट तो कराएं कि ये पॉलिटिकल वेंडटा है क्या? और इनमें चल क्या रहा है? दिल्ली के अन्दर कोई चैनल इस चीज की हिम्मत नहीं करता, सब घबराते हैं। आपके इस सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूँगा कि कुछ चैनल वालों के पास भी इस तरीके का एक मैसेज भेजा जाए कि वो लोग भी बेलेंस बनाएं। वो लोग चौथे स्तम्भ हैं हमारे डेमोक्रेसी के और उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो लोग आज की तारीख में, सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए। उन पे से भरोसा ना उठे, उसके लिए भी स्टेप उठने चाहिए और जिस तरीके से पुलिस को मिसयूज किया जा रहा है, ये किस तरीके से इसे रोका जा सके और एक और चीज है कि ये अमानत भाई अरेस्ट हो गए या कोई और अरेस्ट हो गया। इन्होंने जब वकील पर खर्चा किया, इन्होंने जो प्रताड़ना झेली, इतने दिन जेल में रह के, शरद चौहान जी अरेस्ट हुए दस–दस बारह–बारह दिन तक अन्दर रहे तो ये जो प्रताड़ना इन्होंने मेंटली भी झेली, इनके वकीलों पर भी पैसा खर्च हुआ और ये जो इनकी कांस्टीट्यऐंसी का भी लॉस हुआ काम का, इसका हर्जाना कौन भरेगा? कौन भरेगा इसका हर्जाना कि ये सारे आपको झूठा मुकद्दमा लगा के छोड़ देते हो, पुलिस मिनट से पहल उठा लेती है। आप दो–तीन–चार दिन को जेल चले जाते हों फिर वकील करते हो, वकील बहुत महंगे हो गए है अब जीएसटी हो जाएगी उसमें 12 परसेंट का सर्विस टैक्स 18 परसेंट हो जाएगा, और महंगे हो जायेंगे वकील, तो आगे–आगे बग्गा साहब! अच्छा बट सर,

इसका जो इंपैक्ट सब पर पड़ता है, सब की लाइफ पर पड़ता है सर, इसका कम्पन्सेशन कौन देगा और इसको...

अध्यक्ष महोदय : कनक्लूड करिए प्लीज।

श्री नितिन त्यागी : सर, बस कनक्लूड ही समझिए इसको। तो बस इसमें मैं चाहूँगा कि ये सदन पूरा का पूरा, सब मिल के और आपके माध्यम से इन सब चीजों के उपर कोई निर्णय ले पाए, कुछ बात को रख पाए और मीडिया हाउसिज जो सुन रहे हैं जो मीडिया वाले बाहर बन्धु सुन रहे हैं, वो भी इस चीज को थोड़ा सीरियसली ले और लोगों को दिखा पाए कि किस तरीके से एक को या सीबीआई को या सारी की सारी गवर्नमैन्ट एजेंसिज को मिसयूज किया जा रहा है। एक जीती हुई बहुत लोकप्रिय गवर्नमैन्ट को बदनाम करने के लिए, उसको ह्रास करने के लिए, धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : दिनेश मोहनिया जी।

श्री दिनेश मोहनिया : धन्यवाद अध्यक्ष जी, समय देने के लिए। अपनी बात रखते हुए मैं कुछ इन्ट्रेस्टिंग फेक्ट्स आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसा नितिन भाई ने अभी कहा कि बिल्कुल एक सेट एजेंडा है मीडिया हाउसिज का बदनाम करने के लिए। एक बड़ी इन्ट्रेस्टिंग सी कहानी हुई जिस दिन ये इन्सीडेंस हुआ। उस दिन का बता रहा हूँ। 22 तारीख का ये इन्सीडेंस है, करीब एक बजे का। उससे पहले 11 बजे टाइम्स नाउ के एक रिपोर्टर का मेरे पास फोन आता है। मतलब इन्सीडेंस से दो घंटे पहले कि भाई साहब, आपके उपर कोई एफआईआर हो गई क्या? मतलब उसे प्रायर पता था कि एफआईआर होने वाली है। मैंने कहा कि एफआईआर तो कोई नहीं, क्यों, क्या हुआ? नहीं भाई साहब, कुछ नहीं और फोन काट दिया। उसके

दो घंटे बाद वो ही टाइम्स नाउ चैनल एक फुटेज चलाने लगता है जिस फुटेज में दिखाया जाता है कि एक आदमी कोई बदतमीजी कर रहा है किसी महिला के साथ। जब वो फुटेज चलने लगी तो उससे मैंने फोन करके पूछा कि भैया ये मेरी फुटेज है भी नहीं। करीबन दो घंटे बाद उन्होंने ने माना कि आप इस फुटेज में हैं ही नहीं। मतलब, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह डेलिब्रेटली बिल्कुल एक प्लांड – वे में, पहले उनको पता है कि एफआईआर होगी। फिर एक महिला आती है जो कि शिकायत दर्ज करती है और पहले से ही एक फुटेज तैयार है जो कि टीवी पर चलाई जा रही है कि आप इसमें है। मेरे कंटीन्युअसली ट्विट करने के बाद, जब मैंने उन्हें लगातार पूछा और पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वो जवाब देने की स्थिति में भी नहीं था टाइम्स नाउ। तब जा के उन्होंने उस फुटेज को विदड्रा किया। फिर भी मैंने उनसे कहा कि आप मुझे पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को आप एक्ससेप्ट करेंगे जो आपने गलती की है। लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं था। इसका मतलब एक सेट एजेंडा है कि पहले आप अपने लोग भेजो, फिर उनसे फुटेज चलाओ और फिर उसके ऊपर बदनाम करो और भी बहुत इन्ट्रेस्टिंग चीज हुई उस दिन जैसे कि पुलिस ने एक एफआईआर करी। एफआईआर की टाइमिंग भी दो घंटे पहले ही तय हो गई थी। ऑन रिकार्ड है कि जिस टाइम एफआईआर रिकार्ड हुई है और जिस टाइम का इन्सीडेंस है उससे दो घंटे पहले ही एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। ये सब ऑन रिकार्ड है फैक्ट्स के साथ। तीसरी एक बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज हुई। उस दिन वो महिला मेरे आफिस में आती है। बाहर खड़ी रहती है 5 मिनट और फिर वो वापिस चली जाती है जिसकी पूरी वीडियो फुटेज एक–एक मिनट की

वीडियो फुटेजिज हमारे पास अवेलेबल है। वो महिला एन्टर करते हुए दिखाई देती है। वहां खड़े हुए दिखाई देती है। बाहर जाती है। आफिस के बाहर भी 5–7 मिनट खड़े रहती है और आराम से वहां से एग्जिट कर जाती है। उसके बाद वहां से कोई पुलिस कॉल नहीं, कोई जानकारी किसी को नहीं। अगर किसी का इन्सीडेंस होगा तो एक कम से कम 100 नम्बर की कॉल तो करेगा आदमी। कोई जानकारी किसी को नहीं और वो महिला रात में जा के एक एफआईआर दर्ज कराती है कि जी, मेरे साथ ऐसा–ऐसा हुआ। एक और इन्ट्रेस्टिंग चीज कि जिस महिला ने शिकायत दर्ज कराई, एक सेक्शन होता है 164 जिसमें कि महिला का बयान लिया जाता है कोर्ट में। इसमें क्या हुआ कि शिकायत है ये 22 तारीख की और जब महिला के बयान कराये गये। उसके दो दिन बाद बयान कराये गये। चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक और चीज कि जिस महिला ने कम्प्लेंट की, उससे बयान नहीं लिये गये। ये बयान किसी और के दर्ज करा दिये गये। मतलब आप पुलिस की कार्यशैली समझियेगा। एक कम्प्लेनेन्ट कोई और है और बयान किसी और के दर्ज करा दिये गये। यहां तक कि जब मुझे बेल दी गयी तो कोर्ट ने उनसे खुद पूछा कि जी, आप कम्प्लेनेन्ट कोई और है और बयान किसी और के ले रहे हैं। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था और उसके बाद डी.सी.पी. खुद जाता है किसी महिला के घर और उसको ले जाके बयान दर्ज करा देता है जबकि वो कम्प्लेनेन्ट ही नही है। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि ये पुलिस में कोई कानून नाम की चीज भी बची है कि नहीं दिल्ली में! मुझे लगता है कि कुछ है नहीं। दूसरा, सब चीज जब फैक्टस ये सबके सामने थे तो मैं फैक्टस एक प्रेस कान्फ्रेंस के माध्यम से सबके सामने ले जाना चाहता था कि भई, जो चीज आज मैं

कह रहा हूँ, वो सब चीज जनता के बीच में जाये कि ये इतनी–इतनी सब चीजें हो रही हैं। लेकिन आप देखिए कि मुझे बीच प्रेस कान्फ्रेंस में से पुलिस गिरफ्तार करती है। मुझे अपनी बात रखने तक का मौका नहीं दिया गया कि मैं कम से कम अपनी बात रख पॉऊ कि देखिए, ये हुआ है। ये इन्सीडेन्स है। मेरे पास वीडियो फुटेजेज हैं। मैं सारी वीडियो फुटेजेज आपको देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पुलिस बगैर कोई सोचे–समझे, बगैर किसी उसके साथ गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद जब मैं, मेरे को बेल मिली और बेल मिलने के बाद जब मैं बाहर आया तो मैंने आई.ओ. को फोन करके बोला कि जी, आप वीडियो फुटेज अब तो ले लीजिए। कम से कम कोर्ट में रखेंगे किसी चीज को, एज ए एविडेन्स तो आप रख सकते हैं। आज उस इन्सीडेन्स को साठ दिन से ऊपर हो चुके हैं। वो आई.ओ. अभी तक इतनी जहमत नहीं उठा पाया कि वो वीडियो फुटेजेज ले जाये। जबकि दो बार मैं उसे कन्टीन्युअसली फोन करके बोल चुका हूँ कि जी, आप वीडियो फुटेजेज ले जाइये मेरे से। क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि किसी तरह से कोई चीज एविडेन्स के साथ आये। उनका काम केवल ये है कि किसी सेट एजेन्डा के तहत किसी आदमी पर बस एलिगेशन लगाओ और उसको किसी तरह से जेल में बन्द कर दो। मुझे लगता है कि ये अब चार्जशीट ही फाईल नहीं करेंगे। बेसिकली वो चार्जशीट में कोई उनके पास एविडेन्स ही नहीं है। कोई गवाह ही नहीं है। क्योंकि जो इन्सीडेन्स हुआ ही नहीं, उसका गवाह और फैक्ट्स कैसे सामने आयेंगे? तो केवल इनका एक एजेन्डा है कि एलिगेशन लगाओ, अरेस्ट करो और मीडिया में चलाओ कि देखिए जी, ये किस तरह के लोग हैं जो महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जो

भी इनके एजेन्डा में था, उसको धूमिल करने के लिए, हमारी छवि खराब करने के लिए इस तरीके के काम हो रहे हैं।

दूसरा एक और चीज है कि जिस महिला ने मेरे खिलाफ ये एलिगेशन्स लगाये हैं, वो पहले नौ लोगों के ऊपर और इसी तरह के एलिगेशन लगा चुकी है। ये भी ऑन–रिकार्ड है। नौ केसेज ऐसे ही आलरेडी चल रहे हैं उस महिला के। आप खुद समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि उस महिला के अलावा कोई और बचा ही नहीं कि सब उसी के साथ केस होते हैं, जितने होते हैं। मैं एक चीज और इसमें कहना चाहता हूँ कि ये जितना हम विधायको को डराने का, धमकाने का, पुलिस के माध्यम से प्रताड़ित करने का जो ये खेल चल रहा है। ये बी.जे.पी. की पुरानी रणनीति है। 15 साल गुजरात में इन्होंने यही किया। ये पूरी तरह से गुजरात मॉडल को यहां भी रिप्लीकेट करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर इन्होंने विपक्ष के ऊपर झूठे केसेज लगाये हैं, इनकाउन्टर्स किये हैं और इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इनकाउन्टर्स केस में तड़ीपार रह चुके हैं। जिस तरीके का मॉडल इन्होंने गुजरात में जो डर का माहौल, जो टेरर का माहौल पूरे गुजरात में बनाके रखा था, उसे दिल्ली में भी लाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि ये हमें कांग्रेस न समझें। हम पूरी मजबूती के साथ, पूरी निडरता के साथ खड़े रहेंगे और इस बात को जो ये डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे हम डरने वाले नहीं है और पूरी मजबूती के साथ इनका न केवल राजनीतिक रूप से, बल्कि सड़क पर भी उतरकर पूरी तरह से विरोध करते रहेंगे। बहुत–बहुत धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री शरद कुमार जी। (अनुपस्थित)। श्री सुरेन्द्र सिंह जी। (अनुपस्थित)। श्री संजीव झा जी।

श्री संजीव झा : बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, हमने पन्द्रह अगस्त को आजादी की सत्तरवीं वर्षगाँठ मनायी लेकिन कई सारे सवाल मन में उठते रहते हैं कि आजादी के सत्तर साल बाद जो हमने सोचा था कि हमारा अपना राज होगा और देश में डेमोक्रेसी होगी, उसमें जनता की या जनता के लिए अगर कोई काम करेगा, उसका साथ दिया जायेगा, उसको मजबूत किया जायेगा। हमने ये देखा, पिछले सत्तर साल में सत्ता का मतलब हुआ लोगों का शोषण या दोहन का केन्द्र होना और यही एक कारण है कि जब हमने 2011 में अपनी लड़ाई शुरू की केन्द्र सरकार के खिलाफ हम सब लोगों ने और जब हमने 2013 में कहा कि हमें आजादी की दूसरी लड़ाई लड़नी होगी और हम सबको सत्ता में और सत्ता को बदलना पड़ेगा। 2015 हम लोग ऐतिहासिक बहुमत के साथ आये। ये बहुमत था अब तक के सत्ता के खिलाफ, उनके राजनीति से जुड़े लोगों का फ्रस्ट्रेशन था। ये उसके खिलाफ एक मैन्डेट था। जब हम सब लोग इस ऐतिहासिक मैन्डेड के साथ आकर जनता के लिए सरकार ने जब काम करना शुरू किया तो पूरी की पूरी जमात, सारी पार्टियाँ, सारे तन्त्र पूरी कोशिश करती रही की इस पार्टी को, इस सरकार को जो ऐतिहासिक मैन्डेड के साथ आयी है, इसको वहीं दफन कर दिया जाये। चाहे सरकार हो, चाहे सरकार की अन्य आनुसांगिक ईकाई। सबको एक तरह से दफन करने की कोशिश की गयी।

अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस पर आने से पहले, मैं दिल्ली महिला आयोग ने जो पिछले एक साल में ऐतिहासिक काम किया है, पिछले एक साल

में जो काम किया उसको लेकर, उसकी प्रशंसा पूरे देश में होनी चाहिए थी। उसके कामकाज को पूरे देश में जानना चाहिए था लेकिन बदले में उसको बदनाम, उसको ह्रास करने, उसको दबाने की कोशिश की गयी। अगर मैं कहता हूँ कि ऐतिहासिक काम किया तो उसके कुछ तथ्य हैं और मैं ये मानता हूँ कि ये तथ्य इस सदन के सामने भी होना चाहिए। जनता के सामने होना चाहिए। मीडिया के सामने होना चाहिए ताकि जनता को पता चले कि ऐतिहासिक काम आखिर हुआ क्या। आज से एक साल पहले जब डी.सी.डब्लू. की चीफ स्वाति जी बनीं, तब से लेकर आज तक लगभग 11 हजार केसों पर एक्शन इनिशियेट किये गये। लगभग 9000 केस इस सरकार के समय आये और 2000 केस पहले से पेन्डिंग थे। एक सर्कुलर निकाला गया इस सरकार से पहले कि अगर आप वूमेन कमीशन में केस करते तो उसको कोई देखने वाला नहीं था, जानने वाला नहीं था। अब केस आते ही 72 घण्टे के अन्दर उस पर जिस तरह का एक्शन लिया जाना चाहिए, एक्शन लेके उसका निपटारा किया जाता है। लगभग 450 केस डी.सी.डब्लू. चीफ खुद सुनकर के उस पर एक्शन इनिशियेट किया है। लगभग 50 रिकमन्डेशन दिल्ली सरकार को और केन्द्र सरकार को दिया है कि वास्तव में दिल्ली में वूमेन सिक्योरिटी हो कैसे सकती है। लगभग 50 जगहों पर विजिट किया। चाहे वो नारी निकेतन हो, नाईट शेल्टर हो, रेप विक्टिम के यहां हो। जी.बी. रोड में देह व्यापार के नाम पर जो बच्चियों को झोका जाता है, वहां हो। परसनली विजिट करके, देख करके, उनकी सुनवाई करके एक्शन इनिशियेट कराया। नारी निकेतन का हाल बहुत बुरा था। डी.सी.डब्लू. चीफ खुद जाकर के वहां रात बितायी। वहां की बदहाली को अनुभव किया और फिर सरकार को लिखा कि नारी निकेतन की हालात

ठीक नहीं है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। मैं कहता हूँ दिल्ली के बाद ऐसा किसी भी स्टेट का वूमेन कमीशन नहीं है कि इतनी सिन्सियरिटी से, इतनी पंक्चुअलिटी से काम कभी किया हो। पहली बार ऐसा काम हो रहा है। और जब उन्होंने नारी निकेतन की बदहाली का हाल सरकार को बताया तो पांच अधिकारियों को सस्पेन्ड किया गया। नाइट शेल्टर में भयावह वातावरण रहता था। डी.सी.डब्लू. के चीफ ने जाकर के रात बितायी नाईट शेल्टर में। पूरी रात जागकर के देखा और वहां उनके सामने मोल्स्टेशन का केस हुआ। उन्होंने एफ.आई.आर. करवाई और जिस किसी ने मोलेस्ट किया था, उसको जेल भेजा। जी.बी. रोड में देह व्यापार के धंधे में बच्चों को झोंका जाता था। कई बार उन्होंने विजिट करके उनकी सुनवाई करी। बच्चों को रेस्क्यू कराया। लगभग 22 गाड़ियां रेस्क्यू के लिए लगायी, जिसमें काउन्सलर रखे गये और हजार से ऊपर बच्चे इस एक साल में रेस्क्यू कराया गया है। जब इन तमाम केसों में दिल्ली पुलिस से बातचीत होती है, लगभग 3500 केस अभी दिल्ली पुलिस के पास है जिसमें कि दिल्ली पुलिस को एक्शन लेना है। बार–बार दिल्ली पुलिस कहती है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है तो दिल्ली वूमन कमीशन ने रिसोर्सेस के लिए कई बार केन्द्र सरकार को लिखा। 66 हजार पुलिस की मांग पुलिस कर रही है केन्द्र सरकार से। बदले में उसको दो हजार पुलिस मिली, इसको लेकर बार–बार डी.सी.डब्ल्यू. चीफ राजनाथ सिंह जी से मिले, प्रधानमंत्री जी से मिले, चिट्ठियां लिखीं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब क्राइम अगेंस्ट वूमन का डेटा डी.सी.डब्ल्यू. चीफ ने मांगा तो छह महीने तक डी.सी.डब्ल्यू. चीफ को वह मिला नहीं। जब उन्होंने सी.पी. को समन किया, उसके बाद क्राइम अगेंस्ट वूमन का डेटा मिला। मेरा यह कहना है कि यह जो काम हो रहा

है, यह काम आपने किसी और स्टेट कमीशन में नहीं देखा होगा। आपने दिल्ली में नहीं सुना होगा। इससे पहले 9 साल तक डी.सी.डब्ल्यू. चीफ रही हैं, कांग्रेस की सरकार में जो डी.सी.डब्ल्यू. चीफ थी, उन्होंने 9 साल के टेन्योर में केवल एक केस इनिशिएट किया था, उस 9 साल के टेन्योर में अभी पूरे सरकारी महकमे में केवल डी.सी.डब्ल्यू. का ऑफिस ऐसा है कि सात दिन में छह दिन खुलता है। जब उससे पहले डी.सी.डब्ल्यू. चीफ थी, वो सप्ताह में एक या दो दिन अपने ऑफिस आया करती थी, वो भी दो घंटे या तीन घंटे के लिए और उसी समय के डी.सी.डब्ल्यू. की सदस्या, जिन्होंने कंप्लेंट किया है, रिटन कम्प्लेंट लिखा है कि जो पहले की डी. सी.डब्ल्यू. चीफ थी, वो जब कभी भी ऑफिस आती थी, वहां वातावरण एक्सटोरशन का होता था, पैसे वालों के खिलाफ कम्प्लेंट कराया जाता था, उसको धमकाया जाता था, फिर बंद कमरे में डील की जाती थी और एक्सटोरशन किया जाता था। इससे उन्होंने करोड़ों रुपये की कमाई करी है, उनकी आय की जाँच हो, जो उसमें सदस्या रही थीं, ऐसा उन्होंने लिखा है। मेरा यह कहना है कि डी.सी.डब्ल्यू. एक इफेक्टिव बॉडी हो सकती है, वूमेन सिक्योरिटी का जिम्मा ले सकती है, ऐसा दिल्ली वूमन कमीशन ने करके दिखाया है। मैं बताऊँ आपको कि आज तक के पूरे इतिहास में सुप्रीम कोर्ट केवल दो बार रात को खुला है और जब निर्भया हत्याकांड हुआ था और निर्भया हत्याकांड के जो दोषी थे, जब जेल से वो रिहा हो रहा था तो डी.सी.डब्ल्यू. की चीफ माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गई, पूरी रात जगी, कोर्ट दोबारा खोला गया और उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस में अमेंडमेंट आया कि उसकी उम्र कम होनी चाहिए। मेरा यह कहना है कि पूरी जिम्मेदारी से जो बॉडी काम कर रही है, पहली बार ऐसा दिख रहा है कि कोई वूमन

कमीशन वूमन सिक्योरिटी का जिम्मा ले सकती है लेकिन उसके बावजूद उस पर छापे मारे जा रहे हैं। बहुत अहम मुद्दा है अध्यक्ष महोदय, और छापे क्यों मारे जा रहे हैं, तीन लोगों की कंप्लेंट आती है। एक है एक्स चीफ सेक्रेट्री उमेश सहगल, कौन हैं ये उमेश सहगल? उमेश सहगल एक्स चीफ सेक्रेट्री रहे हैं, उनके खिलाफ एक महिला की कंप्लेंट आती है। कंप्लेंट यह आती है कि हम पुलिस के सारे थाने चले गये, कोई पुलिस यह कंप्लेंट लिखने के लिए तैयार नहीं हैं। वो हमें मोलेस्ट करते हैं, परेशान करते हैं तो जब डी.सी.डब्ल्यू. ने सुनवाई करी तो डी.सी.डब्ल्यू. ने पुलिस को डायरेक्शन दिया कि आप एफ.आई.आर. कीजिए। दिल्ली पुलिस ने एफ.आई. आर. भी किया चूँकि वो ओहदे वाले लोग हैं, उनकी अरेस्ट नहीं हुई। अभी हमारे विधायकों के बारे में आपने सुना कि अगर कोई झूठी कंप्लेंट भी आ जाये तो उनको बुलाया गया, उनको रिमांड पर लिया गया, उनको जेल भेजा गया लेकिन एक बतौर छह–सात महीने से कंप्लेंट रजिस्टर्ड है, उमेश सहगल का कुछ नहीं हुआ। उसके बदले में उमेश सहगल जी ने यह कंप्लेंट किया कि डी.सी.डब्ल्यू. चीफ अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। क्या दुरुपयोग किया उन्होंने? दूसरे कंप्लेनेंट हैं विजेन्द्र गुप्ता जी, तीसरी जो कंप्लेंट हैं, उसमें कहा गया कि ज्यादा लोगों की बहाली की गई है तो अरे! जब काम ज्यादा होगा, काम ज्यादा करेंगे तो लोगों की जरूरत तो पड़ेगी। पहले तो खुलता नहीं था ऑफिस।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि जिस बॉडी को, जिस विंग को पूरे देश के सामने उसके कामकाज को रखकर और जो कमीशन है, उसके लिए एग्जाम्पल होना चाहिए था और इसके लिए कई सारे लोगों ने, कांग्रेस की चीफ ने चिट्ठी लिखी है कि आप जो काम कर रहे हैं, वो ऐतिहासिक

है। मेनका गांधी जी कई फोरम पर कह चुकी है, उन्होंने चिट्ठी लिखकर दिया है डी.सी.डब्ल्यू. चीफ को कि आप एक उदाहरण हैं। यू.एस. अम्बेस्डर ने ट्वीट करके कहा था कि डी.सी.डब्ल्यू. चीफ जो काम कर रही हैं, अगर उनको मदद मिले तो दिल्ली में वूमन सिक्योरिटी बढ़ सकती है। महिलाओं का भरोसा बढ़ सकता है। लेकिन ऐसी बॉडी पर रक्षाबंधन के दिन जाकर के ए.सी.बी. छापा मारता है, सभी फाइलों को मंगाता है, उसकी जाँच की जाती है और तो और अध्यक्ष महोदय, एक लड़की का 14 दिन तक रैप किया जाता है, 14 दिन तक उसको खाना नहीं दिया जाता है, 15वें दिन उसको तेजाब पिला दिया जाता है। जब यह खबर डी.सी.डब्ल्यू. चीफ पढ़ती है तो खबर पढ़कर के सू–मोटो कॉग्निजेंस लेकर उससे जाकर मिलती है। पता चलता है कि वो एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। उसका ठीक ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में बात करके ट्रीटमेंट कराते हैं और उसका डाइंग डिक्लेशन है कि दिल्ली पुलिस ने आकर मुझे धमकाया, कहा कि आप अपना बयान बदल लो। 21 जुलाई को उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, 22 तारीख को पुलिस को नोटिस दिया जाता है, फिर 23 को जो रेपिस्ट है, वो अरेस्ट होता है। 24 तारीख को उस बच्ची की डेथ हो जाती है। जब उस बच्ची की डेथ हो जाती है। उसके बाद 25 तारीख को बुराड़ी थाने के एस.एच.ओ., जिस थाने के अंदर यह केस था, वो डी.सी.डब्ल्यू. चीफ पर एफ.आई.आर. कर देता है और एफ.आई.आर. में यह लिखता है, बड़ी हास्यास्पद बातें हैं... मैं घर बैठ कर टी.वी. देख रहा था, टी.वी. देखते टाइम हमने यह देखा कि बहुत पोपुलर न्यूज है, जो 'नेशन वान्टस टु नो' हमेशा बताता रहता है, कहता है वो आदमी उस लड़की का आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है कि आइडेंटिटी

डी.सी.डब्ल्यू. चीफ ने उनको बताया, आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के केसेज में एफ.आई.आर. किया जाता है और मजे की बात यह है कि मीडिया में जो चलता है, वो चलता यह है कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज डी.सी.डब्ल्यू. चीफ ने किया और जिस न्यूज चैनल के जिस एंकर ने दिखाया, नाम उसका भी है, पर टी.वी. में कहीं वो आता नहीं है तो क्या आप यह नहीं कहेंगे कि सोची–समझी साजिश है। एक बिहार की लड़की जो फौजी की बहन होती है, उसको इतनी बुरी तरह से रेप किया जाता है। दिल्ली में कोई हास्पिटल लेने को तैयार नहीं होता है, आरएमएल हास्पिटल लेने को तैयार नहीं होता है। डी.सी.डब्लू. चीफ के पास बारह बजे रात में ये फोन आता है, बारह बजे रात में जाकर अपोलो में भर्ती कराते हैं, उसको नोटिस करते हैं, हम भर्ती कराते हैं, दो महीने तक लगातार रखा गया। उसके बाद उसका पूरा इलाज कराया गया और फिर उसको वापस भेजा गया यह दिल्ली वूमन कमीशन काम कर रहा है। तो मेरा यह कहना है कि इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। तुम हम पर जितना टॉर्चर करना है, कर दो। मैं डी. सी.डब्लू. चीफ को पर्सनली जानता हूँ। पांच साल मैंने साथ काम किया है। निर्भया हत्याकांड में लाठी खाई है, निर्भया हत्याकांड में सड़कों पर रही है। वो डरने वाली नहीं है। न वो डरने वाले हैं जो इस सदन में बैठे हुए लोग हैं। ये सब आंदोलन से आये हुए लोग हैं। आज भी हम जमीन पर सोते हैं, तो वे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन तुम अगर जनता को परेशान करोगे, तुम अगर दिल्ली की जनता के कामकाज में आड़े आओगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, ये पूरी सोची–समझी साजिश है और ये खतरा केवल जनता को नहीं है, ये खतरा पूरे जनतंत्र को है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पर हम सबको कांग्नीजेंस लेते हुए,

इस मुद्दे पर सदन में भी चर्चा हो ही रही है, इस पर कोई ठोस नतीजे पर पहुंचें और संविधान का चौथा स्तंभ है मीडिया। आप इस तमाम मुद्दे को जनता के सामने ईमानदारी से, आपकी भी संविधान के प्रति इस देश के लिए जिम्मेदारी है कि ये जनता के पास पहुंचे, जनता जाने और ये जो नाटक कर रहे हैं, इन नाटक करने वालों का पर्दाफाश हो, यही आपके सामने मुझे अपनी बात रखनी थी बहुत—बहुत धन्यवाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदयाः यह चर्चा 26 तारीख को जारी रहेगी जो माननीय सदस्य इस चर्चा में भाग लेने से रह गये हैं, 26 तारीख को उनको अवसर दिया जायेगा। इससे पहले कि मैं यह सदन स्थगित करूं, माननीय सदस्यगण! कल जन्माष्टमी का पर्व है, भगवान कृष्ण का जन्मदिन है। भगवान कृष्ण का निष्काम क्रम योग का संदेश मानव जीवन को प्रेरित करता है उनके दिव्य व्यक्तित्व में सभी मानवीय सदगुणों का समावेश था। जन्माष्टमी का पर्व सामाजिक सद्भाव, शांति और समरसता का प्रतीक है। मैं आप सबको और दिल्ली वासियों को अपनी ओर से, इस सदन की ओर से इस पर्व की हार्दिक अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ।

अब सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 26 अगस्त, 2016 अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, बहुत—बहुत धन्यवाद।

(सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 26 अगस्त, 2016 अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)